Regd. No. 21747 ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Vol. VI No. I January-March 2016

Editor

Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors

Dr. Santosh Kumar Tripathi *Dr. Purusottam Lal Vijay*

Regd. No. 21747 ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Vol. VI No. I January-March 2016

Editor
Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors
Dr. Santosh Kumar Tripathi ***Dr. Purusottam Lal Vijay***

Published by :
South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Patron
Dr. Lalji Tripathi, Ex. Principal, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U.P.
Ex. Prof. Gurudin, M.G.K.V.P., Varanasi, U.P.

International Editorial Board
Anna Malingdog, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, De La Salle University, Manila, Philippines
Abdul Qayyum, Pakistan

National Editorial Board
Prof. Munnilal, Deptt. of Economics, MGKVP, Varanasi, U.P.
Prof. Shri Bhagwan Rai, Deptt. of Commerce, BHU, Varanasi, U.P.
Dr. Deenbandu Tiwari, Asst. Prof., Deptt. of Sociology, LBS PG College, Varanasi, U.P.
Dr. Rekha, Asso. Prof., Deptt. of Sociology, MGKVP, Varanasi, U.P.
Dr. Rajneesh, Asst. Prof. Deptt. of Sociology, SSSVS Govt. PG College, Chunar, U.P.
Dr. Anju Sihare, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, Govt. Chhatrasal College, Pichore, M.P.
Dr. Ramesh Kumar, HOD, Deptt. of Political Science, S.D. College, Ambala, Hariyana.
Dr. R. Panneerselvam, Assistant Professor, History Wing, DDE, Annamalai University, Annamalai Nagar, Tamilnadu
Dr. Anjaneya Pandey, HOD, Deptt. of English, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Kaushal Kishor, Asst. Prof. in Socoilogy & Anthropology, A.N. Sinha Institute of Social Studies, Patna, Bihar
Dr. Reeta, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Gangapur Compus, MGKVP, Varanasi, U.P.
Dr. Sanjay Kumar Tiwari, Deptt. of Phylosophy, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Mr. Surendra Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, MGKVP, Varanasi, U.P.

Advisory Board
Prof. Renuka Kumari Sinha, Ex. HOD, Deptt. of Psychology, J.P. University, Bihar.
Prof. Vasant S. Ghule, Director of Phy. Edu., S.S.K.R.I. College, Washim, Maharastra.
Dr. Rakesh Kumar Maurya, Principal, R.D.P.G. College, S.R.N. Bhadohi, U.P.
Dr. Sushil Kumar Gautam, Head Deptt. of Phy. Edu., MGKVP, Varanasi, U.P.
Dr. Anurag Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Rajiv Dube, Professor, Deptt. of Business Economics, Awadhesh Pratap Singh University, Rewa, M.P.
Dr. Amjad Ali Siddiqui, Asst. Prof., MOHD PG College, Jaunpur, U.P.
Miss. Anajana Verma, Asst. Prof., Deptt. of History, MGKVP, Varanasi, U.P.
Dr. Chiranjeev Kumar Thakur, DLW, Varanasi, U.P.
Dr. Dhananjay Sharma, Govt. P.G. College, Bageshwar, Uttarakhad
Dr. C.P. Dubey, Asst. Prof., M.P.G. College, Jaunpur, U.P.
Mr. Anant Singh Jeliyang, Guest Faculty, Department of Sociology, Jagat Taran Girls Degree College, Allahabad, U.P.

© Editor

Price : ₹ 1000/-

Published by :
South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund
Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Email : researchdiscourse2012@gmail.com, Mob. 09453025847
'Research Discourse': An International refereed research Journal, Published Quarterly

---

Note: ***Scholars will be answerable to the contents of their articles.***
All disputes and complaints are subject exclusively to the Jurisdication of the courts/tribunals/forums at Varanasi Only.

lEikndh;

मानव संसाधन उत्पादन के बुनियादी साधनों में माना जाता है। इसका आधिक्य या कमी समूचे तंत्र के साथ ही आर्थिक विकास की रफ्तार को भी प्रभावित करती है। इसलिए जरुरी है कि इसकी उपलब्धता एक अनुकूलतम संतुलन पर बनी रहे। लेकिन कुछेक देशों विशेषकर विकासशील देशों में, जहाँ मानव संसाधन निपुण और जरुरत के अनुसार शिक्षित–प्रशिक्षित नहीं है, इसका अतिरेक संकट का जंजाल है। भारत के सामने जटिलता यह भी है कि उसे बढ़ती आबादी और इसके चलते नित बढ़ते बेरोजगारों की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। मानव शक्ति के मात्रात्मक से ज्यादा उसके गुणात्मक न होने से स्थिति ज्यादा बिगड़ी है। आज सर्वाधिक युवा आबादी होने के कारण भारत के लिए जरुरी है कि युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और दक्षता निर्माण के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें ताकि लाभकर जनांकिक अवसरों का फायदा उठा सके। इसके साथ ही, मेक इन इंडिया का जो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम भारत में आरम्भ किया गया है, उसे भी संबल मिल सकेगा।

प्रस्तुत अंक के अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए MkO vkuUn dqekj] MkO fnuz'k dqekj] MkO iq#"kkÙke yky ^fot;*] MkO lat; dqekj frokjh] MkO pUnzizdk'k nc] MkO vuqjk/kk एवं अनन्य मित्र Jh vuzi dqekj ^Jfed*] Jh izdt flag एवं Jherh jkeh ekz;kz के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रस्तुत अंक में रह गयी त्रुटियों के लिए हम सभी पाठकों से क्षमा प्रार्थी है।

अन्त में, सभी लेखकों, पाठकों एवं अन्य विद्वतजनों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए उनसे सुझाव, सहयोग एवं आशीष की कामना करते हैं।

lEiknd

fo"k;&lwph

1-	Hkkjrh; jktuhfrd lLdfr dh ;FkkFkoknh iofÙk;k	1&4
	डॉ0 किसलय	
2-	cky&lxgky;k e f'k{kk % ,d lo{k.k	5&8
	राकेश सिंह यादव	
3-	lLdr lkfgR; e cUny[k.M {k= % ,frgkfld o lkekftd foopu	9&13
	अखिलेश कुमार, डॉ0 कमलेश कुमार थापक	
4-	xkM tutkfr dh lkekftd&vkfFkd ,o lkLdfrd fLFkfr % ,d v/;;u	14&17
	अंजली गढ़वाल	
5-	ikdfrd vkinkvk d ifr ek/;fed Lrj d f'k{kdk dh tkx#drk dk v/;;u	18&20
	अन्जू त्रिपाठी	
6-	Kku dh vo/kkj.kk vkj mldk f'k{k.k&vf/kxe e vuqi;kx	21&23
	डॉ0 राजीव मालवीय	
7-	pnjh dh f'kYi ,o dyk % ,d uohu v/;;u	24&26
	डॉ0 श्रीमती अर्पिता तिवारी	
8-	d.My ugj lR;kxg % vkfnokfl;k d lf?k"k dh xkFkk	27&29
	अतुल गुप्ता	
9-	i#"k opLo dk pukrh % e=;h i"ik d dFkky[ku e	30&31
	डॉ0 भारती पाण्डेय	
10-	Mk- Hkhejko vEcMdj d fopkj /ke d lnHk e	32&33
	डॉ0 सन्तोष कुमार त्रिपाठी	
11-	efgyk cky Jfed dh lkekftd&vkfFkd n'kk	34&35
	डॉ0 स्मिता	
12-	bfrgkl y[ku dh ekDl0kknh ijEijk % ,d v/;;u	36&39
	कबीर कोली	
13-	Xkk/kh th ,o mudk vkfFkd fpUru	40&42
	डॉ0 सुग्रीव सिंह	
14-	Hkkjr e uxjhdj.k ,o lEcfU/kr leL;k,¡	43&45
	डॉ0 गरिमा राजे	
15-	xk/kh n'ku e /ke dh vo/kkj.kk	46&47
	डॉ0 कमलेश यादव	

16-	Lor=rk io f'k{kd if'k{k.k dk bfrgkl *जयशंकर सिंह व डॉ0 सुधांशु सिन्हा*	48&50
17-	ty icU/ku % lkef;d vko';drk *डॉ0 प्रियंका सिंह*	51&53
18-	ukjh foe'k d lnHk e efgyk dgkuhdkjk dh dgkfu;k *डॉ0 बंदना वर्मा*	54&55
19-	nfyr pruk vkj ck) /ke dh opkfjd vk/kkjHkfe *वंदना सिंह*	56&57
20-	;okvk ij ck.MM mRiknk d foKkiu dk iHkko *आशुतोष कुमार त्रिपाठी*	58&59
22-	Hkkjr e Ñf"k foi.ku *डॉ0 अवधेश सिंह भदौरिया*	60&62
23-	fgUnh efgyk dFkk y[ku e vfHk0;fDr dk Lo#i *डॉ0 अन्जू सिहारे*	63&65
24-	ijkrkfRod ijkLFkyk l ikIr flycVV d idkj ,o mi;kfxrk *नीलम चौधरी*	66&67
25-	Hkkjr e dUn jkT; lEcU/k dh uhfrxr fLFkfr dk leh{kkRed v/;;u *राजेश कुमार यादव*	68&70
26-	Ykkdr= ij vEcMdj d fopkj *डॉ0 रामकृष्ण पाण्डेय*	71&73
27-	miU;kldkj d #i e Ek=;h i"ik *डॉ0 सन्दीप कुमार मिश्र*	74&75
28-	Xkkek/kkfjr ykdr= % if'peh mnkjoknh ykdr= dk fodYi *जयवर्द्धन*	76&78
29-	efLye fof/k d vUrxr fookg lEcU/kh vf/kdkj *विवेक जायसवाल*	79&82
30-	ekuokf/kdkj vkj egkRek xk/kh *डॉ0 विवेक कुमार राय*	83&87
31-	Hkkjr jRu egkeuk ekyoh; th % vrinf"V ijd 0;fDRkRo *डॉ0 अनीश कुमार वर्मा*	88&90
32-	Hkkjr d uxjh tul[;k e of) d dkj.k ,o ifj.kke *डॉ0 सर्वेश कुमार सिंह*	91&93

33-	Hkkjr d jkT;k e efgyk l'kDrhdj.k dh rqyukRed fLFkfr *मनोज कुमार अवस्थी*	94&96
34-	ek/;fed Lrj ij 'kkldh; rFkk v'kkldh; fo|ky;k d fo|kfFk;k dh 'kf{kd lek;kstu {kerk dk mudh 'kf{kd miyfC/k ij iMu okys iHkko dk rqyukRed v/;;u *रामाशंकर*	97&101
35-	foØekoZ'kh;e vkj mo'kh ,d rqyukRed v/;;u *डॉ0 आशुतोष कुमार पाण्डेय*	102&105
36-	Okfnd ok³e; e jk"Vokn *रविकान्त कसौधन*	106&107
37-	Hkkjr e fofuos'k dh izxfr] leL;k;s ,oa l>ko *अनिल कुमार सिंह*	108&111
38-	egkjk.kk izrki dk i'kklu ,oa l?k"k *डॉ. मुकेश मौर्य*	112&113
39-	EkgkRek xka/kh dk lkekftd fpUru % vLi';rk mUeyu d fo'k"k lUnHk e *डॉ. अनुरागिनी रावत*	114&116
40-	v'kkd uxj ftys d 'kkDr /kkfeZd LFkyk dk ,frgkfld v/;;u *डॉ. अवधेश गौरिया*	117&120
41-	Hkkjrh; lfo/kku d okLrqdkj vEcsMdj *डॉ. स्मिता सिंह*	121&124
42-	lk[; n'kZu dk ifrik| fo"k; *अनुज कुमार*	125&128
43-	Nk;kokn % ,d fo'ys"k.kkRed v/;;u *अपराजिता मिश्रा*	129&132
44-	ipk;r pqko e jktuhfrd nycUnh xkeh.k fodkl ,oa lkeqnkf;drk d fy, ?kkrd % ,d v/;;u संदीप कुमार	133&135
45.	**NOT EXAMINATION BUT ITS PROCEDURE N PATTERN IS KILLING THE EDUCATION** *Dr. Shakti Sharma*	**136-139**
46.	**EFFECT OF CARBON IN ATMOPHERE** *Smt. Dr. Archana Raje*	**140-142**
47.	**WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN INDIA** *Ritika Asthana*	**143-145**

48.	**FINANCIAL SOURCE OF TERRORISM IN INDIA** *Dr. Atul Mishra*	**146-149**
49.	**A COMPETENT PLANNING FOR EDUCATION: ASSURING THE QUALITY UPGRADATION OF HUMAN RESOURCE** *Deepika Ojha*	**150-153**
50.	**MYTHS RELATED WITH THE NEWBORN IN RURAL AREA UP (EAST)** *Rubee*	**154-156**
51.	**GOLD MONETISATION SCHEME** *Dr. Ragini Shah*	**157-160**
52.	**EMERGENT ENGENDARING PARADIGMS IN SHAIKH'S THE STORY OF ZAHRA** *Dr. B.K.Mishra*	**161-162**
53.	**ISSUES OF ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT AND INDIAN JUDICIARY** *Dr. S.K.Rai*	**163-166**
54.	**SOCIO ECONOMIC METHODS FOR IMPACT ANALYSIS: A REFERENCE TO POWER AND COAL MINES SECTOR** *Dr. Rajiv Dube*	**167-169**
55.	**ROLE OF ETHICAL CORPORATION** *Jyoti Mishra*	**170-173**
56.	**STUDY OF CSR INITIATIVES OF MAJOR PUBLIC SECTOR ENTERPRISES** *Komal Kasera*	**174-176**
57.	**MODERN INDIAN SOCIETY AND WOMEN** *Lalima Srivastava*	**177-179**
58.	**CORPORATE SECTOR IN THE ERA OF SOCIAL RESPONSIBILITY** *Sangeeta Agrawal*	**180-181**
59.	**COTTON TEXTILES PRODUCTION IN NORTHERN INDIA** *Dr. Anand Kumar Singh*	**182-186**
60.	**DRUG ADDICTION IN INDIA: CAUSES AND REMEDIAL MEASURES** *Prof. R. N. Tripathi*	**187-189**
61.	**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PROCESS OF COMPLIANCE AND EXPENDITURE FOR SUSTAINABLE AND INCLUSIVE DEVELOPMENT** *Savya Sanchi*	**190-192**

Hkkjrh; jktuhfrd lLdfr dh ;FkkFkoknh iofÙk;k

MkO fdly;*

"राजनीतिक संस्कृति" किसी भी समाज के राजनीतिक स्वरूप, पहचान तथा क्रियाशीलता को घोषित करने वाला शब्द समूह है। वस्तुतः यह राष्ट्र की सामान्य संस्कृति का ही एक अंग होती है। जिस प्रकार सामान्य संस्कृति मनुष्य का समाज के प्रति दृष्टिकोण होता है उसी तरह राजनीतिक संस्कृति लोगों का राजनीति के प्रति दृष्टिकोण व्यक्त करती है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति राजनीति व्यवस्था के लोगों की, राजनीति के प्रति मनोवृत्ति या रवैया है।[1] इसी से व्यक्तियों की आस्था, प्रतीकों और मूल्यों की ऐसी धारणा बनती है जिससे राजनीतिक क्रिया की परिस्थितियों का अर्थ मिलता है।[2] अतः स्पष्ट है कि राजनीति संस्कृति राजनीति के प्रति लोगों का निजी रूख है जिसके आधार पर वह राजनीतिक क्रियाओं के बारे में स्वयं का विचार निर्मित करता है और वस्तुतः यही विचार राजनीतिक क्रिया को अर्थ व सुचारूता प्रदान करते है।

राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा भारतीय समाज की राजनीतिक मनोवृत्ति तथा इसका व्यापक राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ रहे प्रभाव को समझने में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जहाँ तक भारतीय समाज की राजनीतिक मनोवृत्ति का प्रश्न है तो इस पर मुख्यतः दो भारतीय विचारकों का गहरा प्रभाव है। प्रथम कौटिल्य तथा द्वितीय गाँधी। इस प्रकार मुख्यतः भारत में दो राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है। प्रथमतः कौटिल्यवादी जिसे हम यथार्थवादी या मैकियावलीवादी संस्कृति भी कह सकते है तथा द्वितीय गाँधीवादी संस्कृति जिसे हम अहिंसावादी या शान्तिप्रियता की संस्कृति भी कह सकते है। वास्तव में यदि हम आजादी के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के समय से अब तक भारत की राजनीति संस्कृति में हो रहे परिवर्तन का मूल्यांकन करे तो यह पायेगें कि यह परिवर्तन इन्हीं दो मुख्य संस्कृतियों के मध्य ही हो रहा है।

भारत में राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन गाँधी जी की सर्वोत्तम राजनीतिक की खोज (जो शाश्वत एवं सत्य तथा न्याय व नैतिकता के मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित है और जिसके बिना राजनीति एक दानवी कृत्य बन जाती है) फिर जवाहर लाल नेहरू की व्यवहारिक वास्तविकता (जो इपीक्यूरियन वैयक्तिक नैतिकता के साथ–साथ धर्म–निरपेक्ष, वैज्ञानिक, समाज कल्याणवाद का सम्मिश्रण है तथा जहाँ व्यवहार सिद्धान्त से अधिक प्रभावी है तथा जहाँ अन्ततोगत्वा जनता का सुख चाहे वह किसी भी साधन द्वारा सिद्ध हो, समस्त राजनीतिक कृत्यों को न्यायिक बनाता है) से इन्दिरा गाँधी के अति मैकियावलीवादी तथा अनैतिकतावादी उपागम तक (जिसमें सफलता स्वयं ही अपना औचित्य सिद्ध करती है एवं शक्ति ही राजनीति का अन्तिम प्रमाण होती है) स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।[3]

उल्लेखनीय है कि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में गाँधीवादी रणनीति प्रमुख रूप से प्रभावकारी सिद्ध हुई थी। गाँधी की यह रणनीति सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। इसी रणनीति के तहत गाँधी जी ने सत्य और अहिंसा को राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने का उपकरण माना। इस प्रकार गाँधी जी ने एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति की नींव रखी जो कि शान्ति, सत्य, अहिंसा जैसे मूल्यों पर आधारित थी। इन्हीं मूल्यों पर चलकर गाँधी जी ने भारत को राजनीतिक स्वतन्त्रता भी दिलाई। स्वतन्त्रता के बाद गाँधीवादी संस्कृति भारतीय राजनीति में एक आदर्श के रूप स्थापित हो गई। वास्तव में भारतवर्ष में

*अतिथि प्रवक्ता, एस0पी0एम0 डिग्री कालेज, इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ0प्र0

सनातन हिन्दू, बौद्ध तथा जैन धर्म की उदारता, सहिष्णुता व शान्तिप्रियता के मूल्य सदैव से जनमानस में विद्यमान रहे है। अतः भारतवासियों ने गाँधीवादी संस्कृति को बड़ी ही सरलता से आत्मसात कर लिया।

गाँधीवादी संस्कृति के आदर्श के साथ भारत में एक व्यवहारिक तथा यथार्थपरक संस्कृति का भी जन्म हुआ। इसका आधार कौटिल्य का यथार्थवाद था। आजादी के बाद नेहरू ने सर्वप्रथम यथार्थपरक राजनीति का बेडा उठाया। नेहरू ने गाँधी के अहिंसा व साधनों की शुद्धता के स्थान पर हिंसा व साध्य को औचित्यपूर्ण ठहराया है। नेहरू का कहना है कि गाँधी जी ने साधनों की पवित्रता पर बल देकर मानवता की महान सेवा की है। किन्तु फिर भी में यह दृढ़ता से अनुभव करता हूँ कि अन्तिम दृष्टि सदैव साध्यों एवं लक्ष्यों पर ही होनी चाहिए।[4] इस प्रकार नेहरू ने लोककल्याण को सर्वोच्च मानते हुए भारतीय परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल लोकतान्त्रिक समाजवाद को इसके साधन के रूप में अपनाया जो कि गाँधीवादी राम राज्य के अपेक्षा अधिक व्यवहारिक था। कुछ भी हो नेहरू कभी भी पूर्ण यथार्थवादी नहीं बन सके और उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को सर्वोच्चता प्रदान की।

भारतीय राजनीति में यथार्थवादी राजनीति संस्कृति का वास्तविक प्रारम्भ नेहरू के बाद होता है। इस यथार्थवाद का मूल स्रोत लोकतंत्र है जिसमें व्यक्ति को एक वोट के रूप में तोला जाता है और इस प्रकार वोट बैंक की यथार्थवादी राजनीति का जन्म होता है। यह राजनीति जनता की संकीर्ण भावनाओं जैसे जाति, धर्म, भाषा, नस्ल आदि को उभारती है तथा इनका प्रयोग वोट प्राप्ति हेतु करती है। यह गाँधीवादी राजनीतिक संस्कृति की भाँति भारतीय जनमानस द्वारा स्वतः नही अपनायी गई है अपितु राजनीति के दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समाज में प्रचलित की गयी है। यह राजनीतिक संस्कृति हमें भारतीय राजनीति भ्रष्टाचार, हिंसा, व्यक्तिपूजा तथा वंशवाद आदि का बढ़ते प्रभाव के रूप में भी दिखाई देती है। वास्तव में यह यथार्थपरक राजनीति संस्कृति मूलतः संकीर्ण राजनीति को बढ़ावा देती है। राजनीति में जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता इसकी प्रमुख अभिव्यक्तियाँ है।

चुनावी राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राजनीतिक दल अपने उममीदवारों का निर्माण जहाँ चुनाव क्षेत्र के जातिगत समीकरणों के आधार पर करते है वहीं चुनाव प्रचार तथा मंत्रिमण्डल का निर्माण भी जातिगत आधार पर ही किया जाता है। इसी प्रकार भारत में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के विस्तृत आकार से विद्यालयों व कॉलेजों के प्रवेश में, छात्र राजनीति में, रोजगार अवसरों में, निजी आवासों में, स्वयत्त संस्थाओं की भर्ती प्रक्रिया में, तीन स्तरीय पंचायती राज में, विभेदात्मक शक्ति के फायदों के वितरण में, नौकरशाही के निर्णयों में जाति को सीमान्तिक भाग से कहीं अधिक स्वीकार किया जाता है।[5]

साम्प्रदायिकता भी नवीन यथार्थवादी राजनीतिक संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। स्वाधीनता के पश्चात् पंथ और सम्प्रदाय के आधार पर राजनीतिक दलों के गठन का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। इसके अतिरिक्त प्रत्याशियों का निर्वाचन करने, मतदान के समय वोट मांगने तथा मतदान करने वालों के आचरण पर सम्प्रदाय के पथिक तत्व छाये रहते है।[6] यदि साम्प्रदायिकता को व्यापक अर्थ में लिया जाए अर्थात् सम्पूर्ण हिन्दू समाज के भीतर किसी सामाजिक धार्मिक समुदाय के साथ सम्बन्ध के रूप में लिया जाए तो सभी पार्टियाँ किसी न किसी स्तर पर और कुछ न कुछ मात्रा में ऐसी साम्प्रदायिकता अवश्य मिलेगी। यहाँ तक कि कांग्रेस भी इससे मुक्त नहीं है। केरल के ईसाई समुदाय के साथ कांग्रेस का ऐसा गठजोड़ रहा है कि इसे संकुचित दृष्टि से भी साम्प्रदायिक कहा गया है। यहाँ तक कि साम्यवादियों ने भी कुछ जगहों पर कतिपय प्रयोजनों के लिए साम्प्रदायिक क्षेत्र तैयार कर लिए है।[7]

भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार लोकतान्त्रिक संस्थाओं के अस्वभाविक विकास का परिणाम है। इसका प्रभाव चुनावों में बाहुबल व धनबल के बढ़ते महत्व के रूप में सामने आया है। बाहुबल ने जहाँ राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ा दिया है वहीं राजनीति में धन के बढ़ते महत्व ने नेताओं, विधायकों सांसदों व सत्तारूढ़ मंत्रियों को गैरकानूनी रूप से धन कमाने की ओर अभिप्रेरित किया है। दोनों ही तत्वों

ने भारतीय राजनीति को भ्रष्ट करने का कार्य किया है। भारत में बड़ी संख्या में मुख्यमन्त्रियों, मन्त्रियों, उच्च स्तरीय नौकरशाहों पर लगभग सभी राज्यों में अवैध रूप से धन संग्रह और भाई–भतीजावाद अपनाने के आरोप लगे है। सरकार की लाइसेन्स प्रणाली, नियन्त्रण के नियमों और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार ने जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का विस्तार किया है।[8]

उल्लेखनीय है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले संकीर्ण तत्वों में जातिवादी व साम्प्रदायिकता प्रमुख है। ये तत्व अपने अतिवादी रूप में हिंसा को बढ़ावा देते है। हिंसा की राजनीति के अन्तर्गत आन्दोलन जुलूस, रैली, पदयात्रा, उग्र प्रदर्शन, हिंसात्मक आन्दोलन, घेराव, तोड़–फोड़, अनावश्यक भीड़ इकट्ठी करना आदि महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति के अपराधीकरण हो जाने से भी बन्द, हड़ताल, घेराव, मारपीट एवं हत्या आदि को बढ़ावा मिला है। एक राजनीतिक दल द्वारा दूसरे राजनीतिक दल के लोगों पर सुनियोजित ढंग से हमला करना, उन्हें कुछ करने से रोकना उनकी सभाओं में उपद्रव मचाना भारतीय राजनीतिक संस्कृति का अंग बन चुकी है।[9]

व्यक्तिपूजा और वंशवाद दोनों ही भारतीय राजनीति के स्थायी तत्व के रूप में उभरे हैं। लगभग सभी राजनीतिक दल व्यक्तिपूजा को महत्व देते है। कांग्रेस में जहाँ गाँधी नेहरू परिवार के नेताओं को सर्वाधिक प्रधानता दी जाती है वहीं भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी बाजपेयी, लालकृष्ण आडवानी और नरेन्द्र मोदी जैसे नेताओं के करिश्माई व्यक्तित्व को आधार बनाकर राजनीति संचालित करती हैं। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी में मायावती, द्रमुक में करूणा निधि तथा अन्नाद्रमुक में जयललिता सर्वप्रथम स्थान रखते है।

व्यक्तिपूजा की भाँति वंशवाद भी भारतीय राजनीति संस्कृति की अहम अंग बन गया है। कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व तथा 'आलाकमान' का पद सदैव नेहरू गाँधी परिवार हेतु आरक्षित रहता है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रीय दल यथा समाजवादी पार्टी, द्रमुक, शिरोमणि अकाली दल आदि में भी वंशवाद के आधार पर सत्ता का हस्तान्तरण होता है।

भारत की यथार्थवादी संस्कृति के परिवर्तनशील आयाम के रूप में एक सकारात्मक परिवर्तन भी आया है जो लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण तथा विकास की राजनीति के रूप में दिखाई देता है। भारत में लोकतन्त्र को यथार्थपरक बनाने तथा इसे तृणमूल स्तर पर पहुँचाने हेतु लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् से ही लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रयास प्रारम्भ हो गए थे परन्तु 73वें व 74वें संविधान संशोधन, पंचायती राज व नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के बाद यह स्थायी रूप से भारतीय राजनीतिक संस्कृति का अंग बन गयी है। वास्तव में सहभागी राजनीति संस्कृति के विकास में पंचायती राज का प्रयोग अत्यन्त सफल रहा है। ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन में प्रत्यक्ष भागीदारी मिलने से ग्रामीण जनों का आत्मविश्वास बढ़ता है, महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर मिलता है, विकास के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होती है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना सुदृढ़ होती है।[10]

विकास की राजनीति भी आधुनिक समय में भारतीय राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बनती जा रही है। आज लगभग सभी राजनीतिक दलों व सरकारों ने विकास को अपने मुख्य एजेंडों के रूप में स्वीकार किया है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्तर प्रदान करना तथा देश में विकास प्रशासन को बढ़ावा देने के पीछे मुख्यतः विकास की ही राजनीति है। वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था चलाने के लिए तथा देश के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास प्रशासन अत्यन्त अपरिहार्य हो गया है।[11] यही कारण है कि आज भारत के विभिन्न राज्य में ग्राम, ब्लाक व जिला स्तर पर विकास एजेंसियों की स्थापना की गई है।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक संस्कृति की यथार्थवादी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। कभी यह यथार्थवादी संस्कृति परम्परावाद का आश्रय लेकर जाति, धर्म, भाषा, व्यक्ति पूजा, वंशवाद तथा स्वार्थपरक भ्रष्टाचार जैसे संकीर्ण तत्वों को बढ़ावा देती है और कभी

ये आधुनिकतावाद को स्वीकार करके सहभागी लोकतन्त्र व विकास को राजनीति का प्रमुख विषय बनाती है। कुछ भी हो यह राजनीतिक संस्कृति भारत की उन सभी धरातलीय वास्तविकताओं को प्रदर्शित करती है जिनसे मिलकर इसका निर्माण हुआ है।

I UnHkl %

1. गेना, सी0बी0 1999; 'तुलनात्मक राजनीति', विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृ0 256
2. वही
3. सिंह, रघुवीर, 'भारत में राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीति की संस्कृति', शोधार्थी, लोकनीति (सी0एस0डी0एस0), मार्च 2006, पृ0 11
4. वही, पृ0 10 और 14
5. नारंग एस0ए0, 'भारतीय शासन एवं राजनीति', गीतान्जलि पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1998, पृ0 384
6. डॉ0 दमानी मधु, राष्ट्रीय एकीकरण', चौधरी वासुकी नाथ–कुमार युवराज (सम्पा0), 'भारतीय शासन और राजनीति', ओरियंट ब्लैक स्वान, नई दिल्ली, 2011, पृ0 501
7. जैन, पुखराज. फाडिया, बी0एल0,2008;'भारतीय शासन एवं राजनीति', साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ0 455
8. आहूजा राम, 'सामाजिक समस्याएं', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली, पृ0 436
9. डॉ0 दमानी मधु 'राष्ट्रीय एकीकरण', चौधरी वासुकीनाथ, कुमार युवराज (सम्पा0), 'भारतीय शासन एवं राजनीति', ओरियंट ब्लैक स्वान, नई दिल्ली, 2011, पृ0 518
10. 'ग्राम सभा सशक्तीकरण', कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, मई, 2013
11. नारंग एस0एस0 1998. 'भारतीय शासन एवं राजनीति'; गीतान्जलि पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृ0 205

***

cky&lxgky;k e f'k{kk % ,d lo{k.k

jkd'k flg ;kno*

वह संग्रहालय जो संग्रह, प्रलेखन, संरक्षण, प्रदर्शन, शिक्षण एवं मनोरंजन का कार्य बच्चों को केन्द्र में रखकर करता है वह बाल–संग्रहालय कहलाता है भारत में सर्वप्रथम बाल–संग्रहालय की स्थापना सन् 1955 में गुजरात राज्य के अमरेली नामक स्थान पर की गयी, जिसका नाम गिरधर भाई संग्रहालय है। इसके बाद क्रमशः राष्ट्रीय बाल संग्रहालय, नई दिल्ली (1956), मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, लखनऊ (1957), धीरज बेन बाल संग्रहालय, खेड़ा, गुजरात (1959), शंकर अन्तर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, नई दिल्ली (1968), नेहरू बाल संग्रहालय, कोलकाता (1972), चाचा नेहरू बाल संग्रहालय, केरल (1981), गांधी स्मृति बाल संग्रहालय, भावनगर, गुजरात (1982), श्रेयस कल्पना मंगलदास बालायतन, अहमदाबाद, गुजरात (1982), बाल संग्रहालय सह गुड़ियाघर, इम्फाल, मणिपुर (1989), रोटरी डाल्स म्यूजियम, राजकोट, गुजरात, (2004), स्टेलर बाल संग्रहालय, नोएडा (2012), कीडीहाऊ बाल संग्रहालय, हैदराबाद (2014) की स्थापना हुई। यहाँ पर कुछ प्रमुख बाल–संग्राहलयों की शैक्षणिक गतिविधियों की चर्चा की गई है।

उपरोक्त बाल–संग्रहालयों की स्थापना का उद्देश्य बच्चों में दृश्य माध्यमों से शिक्षा का प्रसार करने के लिए उनके अनुरुप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करके उनके अन्दर की सृजनात्मक प्रतिभा को उजागर करने के अवसर प्रदान करना है।

बाल–संग्रहालय अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र है। बाल–संग्रहालय बच्चों को निम्नलिखित दो प्रकार से शिक्षित करते हैं :–

1. वीथिका भ्रमण के द्वारा (जहाँ बच्चे देखते समझते एवं स्पर्श के माध्यम से वस्तुओं को महसूस करते हैं) (Learning by Gallery visit).
2. गतिविधियों के द्वारा (जहाँ बच्चे करके सीखते हैं) (Learning by doing).

प्रथम प्रकार में वीथिका भ्रमण के अर्न्तगत् बच्चों को समूह में विभाजित कर दिया जाता है, जिनकी संख्या 10 से 15 या 15 से 20 होती है। ज्यादातर बाल–संग्रहालयों में छोटे–2 रंगीन डायोरमा के द्वारा कलाकृति को प्रदर्शित किया गया है, जिससे बच्चों को विषय आसानी से समझ में आ जाता हैं। यदि उन्हें समझने में कठिनाई होती है तब वे गाईड से प्रश्न करते हैं, राष्ट्रीय बाल–संग्रहालय, नई दिल्ली एवं मोतीलाल नेहरू बाल–संग्रहालय, लखनऊ के द्वारा बच्चों हेतु पूरे वर्ष वीथिका भ्रमण का आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में विशेष रुप से बच्चों हेतु कुल चार वीथिकाएं हैं। प्रथम वीथिका में डायोरमा के माध्यम से रामायण एवं महाभारत के प्रसंगों को दिखाने का प्रयास किया गया है। डायोरमा के माध्यम से जब बच्चे किसी घटना का प्रदर्शन देखते हैं तो घटना सजीव प्रतीत होती है, जिसका बाल मन पर गहरा एवं स्थायी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त इसी वीथिका में अनेक पौराणिक कथाएं एवं महापुरुषों से सम्बन्धित घटनाओं को भी विषय वस्तु बनाकर प्रदर्शित किया गया है। बच्चों को वीथिका में घुमाने के लिए गाईड की व्यवस्था भी की गयी है।

दूसरी वीथिका में आरम्भ से लेकर आधुनिक समय तक मनुष्य के द्वारा किये गये विभिन्न आविष्कारों को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही मानव जीवन से

*शोध छात्र, संग्रहालय विज्ञान अनुभाग, प्रा0भा0इ0सं0 एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0

सम्बन्धित अन्य विभिन्न क्षेत्रों को भी इस वीथिका में प्रदर्शित किया गया है। जैसे कला एवं शिल्प, विभिन्न धर्म एवं उनसे सम्बन्धित धार्मिक कृत्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों को प्रदर्शित करने में श्रव्य–दृश्य उपकरणों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इन वीथिकाओं में भ्रमण के माध्यम से बच्चे अपने देश की समृद्ध संस्कृति के विविध पक्षों का सजीव ज्ञान प्राप्त करते है।

तीसरी वीथिका सूर्य वीथिका है। इस वीथिका में सूर्य की पूजा एवं महत्व को न केवल भारतीय संस्कृति के सन्दर्भ में, वरन् वैश्विक सन्दर्भ में भी प्रदर्शित किया गया है। विशेष रुप से मिश्र मेसोपोटामियाँ, चीन एवं ग्रीक इत्यादि देशों में सूर्योपासना के विविध पक्षों को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से बच्चे यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी और सौरमण्डल का क्या सम्बन्ध है? सूर्य के विभिन्न वैज्ञानिक पहलू तथा मौसम कैसे परिवर्तित होता है? दिन–रात कैसे होते हैं? जल चक्र में सूर्य का क्या योगदान है? पौधे भोजन कैसे बनाते है इन सभी तथ्यों को रूचिपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त रंगों का प्रकीर्णन तथा किस प्रकार मानव जीवन सूर्य पर आधारित है और सूर्य का अंकन हमारे धार्मिक कृत्य, रीति–रिवाज और त्यौहार में किस प्रकार होता है और हम सभी को भविष्य में किस प्रकार सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए जैसे गम्भीर विषयों को भी सूर्य वीथिका में प्रदर्शित करने की चेष्टा की गयी है। इस प्रकार की प्रदर्शनी बच्चों में कौतुहल एवं उत्सुकता पैदा करने में सक्षम होती है। यह प्रदर्शनी सच्चे अर्थो में स्कूल के पाठ्यक्रम में सहायक एवं पूरक है।

चौथी वीथिका परम्परागत कला एवं शिल्प वीथिका है यह वीथिका भविष्य की पीढ़ी के लिए थाती है वीथिका के प्रदर्श में भारत के कुशल शिल्पकारों के कार्यो को प्रदर्शित किया गया है इस प्रदर्श का मुख्य उद्देश्य भारत की लुप्त प्राय शिल्प कला को बनाये रखना हैं।

अन्य वीथिका में अस्थायी वीथिका है, जिसमें विशेष अवसरों पर अस्थायी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जैसे बाल दिवस एवं पर्यावरण दिवस से सम्बन्धित प्रर्दशनीयों का आयोजन अल्प समय के लिए किया जाता है।

नेहरू बाल–संग्रहालय के भी प्रमुख प्रदर्शो में रामायण, महाभारत के विभिन्न कथानकों को क्रमशः 1500–1500 की संख्या में छोटे–2 डायोरमा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 92 देशों के खिलौने एवं विभिन्न प्रकार के गुड़ियाँ को भी संकलित किया गया है। इस संग्रहालय में स्थानीय स्कूली बच्चे भ्रमण के लिए आते है।

मोती लाल नेहरू बाल–संग्रहालय की प्रमुख वीथिकाओं में सामाजिक विज्ञान वीथिका है। न केवल भारत के लगभग 20 प्रदेशों से सम्बन्धित 20 कक्ष हैं वरन् विभिन्न देशों से सम्बन्धित सांस्कृतिक कक्ष है जिनकी संख्या 9 है भारत के सभी राज्यों तथा विश्व के विभिन्न देशों के इतिहास, भूगोल, संस्कृति के विकास को रंगीन डायोरमा के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसकी अन्य वीथिकाओं में भूगर्भ वीथिका, समुद्र वीथिका, स्वास्थ्य वीथिका, चन्द्रतल पर मानव वीथिका, खिलौना वीथिका, गुड़िया वीथिका, संगीत विभाग, नाटक विभाग बनाया गया है। बच्चे जैसे ही वीथिका में प्रवेश करते है अपनी सुविधा एवं रूचि के अनुसार जिस भी प्रदर्श को जानना चाहते हैं, उनके सम्मुख जाकर वहाँ पर लगे हुए टच स्क्रीन को दबाते है जिससे सम्बन्धित प्रदर्श की व्याख्या उन्हें सुनाई देने लगती है। इस संग्रहालय में भी बच्चे श्रव्य–दृश्य उपकरणों के माध्यम से भ्रमण के दौरान जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बच्चे स्वतः गाइड की भूमिका में होते हैं।

बुद्ध वीथिका में बुद्ध के जीवन वृत्त एवं उपदेश बौद्ध कला एवं संस्कृति से बच्चों को अवगत कराने हेतु रूचिपूर्ण प्रदर्शन किये गये है। भूगर्भ वीथिका में बड़े सजीव तरीके से ज्वालामुखी की कहानी में इसकी उत्पत्ति, कारण एवं स्वरूप को दिखाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वालामुखी अभी–अभी प्रस्फुटित हुआ है। बच्चे इस प्रदर्श को बड़े आश्चर्य एवं कौतूहल से देखते हैं। इसी प्रकार विज्ञान वीथिका में बच्चों के अन्दर वैज्ञानिक स्वभाव को जागृत करने के लिए फन एवं लर्न के साथ–साथ टच एण्ड फील पद्धति का प्रयोग दिखलायी पड़ता है। बच्चा किसी भी प्रदर्श को सीखता है और प्रदर्श का ज्ञान हो जाने

के बाद वह किसी भी यन्त्र को बार–बार चलाना चाहता है। उसे इस कार्य को करने की स्वतंत्रता भी है। इसी प्रकार अन्य वीथिकाओं में शारीरिक सफाई के महत्व एवं मनुष्य का क्रमिक विकास, (मानव जन्म के प्रारम्भिक काल से लेकर वयस्क अवस्था तक के विकास क्रम) को दिखाया गया है।

खिलौना एवं गुड़ियाँ विभाग भी बच्चों में सृजनात्मकता एवं जागरूकता पैदा करने में पूर्ण रुप से सक्षम है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर संग्रहित खिलौने को स्वंय बनाता, बिगाड़ता एवं उसके साथ खेलता है। अस्थायी प्रदर्शनी कक्ष में बाल–क्लब है। बाल रूचि के अनुसार संगीत एवं नाटक में उनकी सहभागिता के माध्यम से बच्चों के अन्दर सृजनात्मक क्षमता का विकास भी किया जाता है।

श्रेयस कल्पना मंगलदास बालायतन संग्रहालय, अहमदाबाद की वीथिकाएं अत्यन्त विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ के विभिन्न वीथिकाओं में भारत के विभिन्न प्रदेशों – मध्य प्रदेश, सिक्किम, बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, हिमांचल, हरियाणा, पंजाब, इत्यादि के रहन–सहन, खान–पान, भेष–भूषा, धर्म हर राज्य की खास विशेषताओं को डायोरमा, शोकेस एवं माडल के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन प्रदेशों से सम्बन्धित प्रदर्शों को उसी राज्य के कलाकारों द्वारा निर्मित कराकर रीप्लिका के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। उदाहरण हेतु महाराष्ट्र प्रदेश की वीथिका में पुणे के कलाकारों को बुलाकर लैम्प का निर्माण करवाया गया है।

गांधी–स्मृति बाल–संग्रहालय, भावनगर, गुजरात की वीथिका में डाक टिकट संग्रह प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में विभिन्न देशों के डाक टिकट संग्रहित है। इन डाक टिकटों पर अंकित विभिन्न प्रकार के फल–फूल, जीव–जन्तु, जल–चर, नभ–चर अंकित है। अंकित प्रतिकों के माध्यम से बच्चे विभिन्न देशों के चिन्ह एवं जीव–जन्तु से परिचित होते हैं।

शिक्षा के दूसरे प्रकार में प्रत्येक बाल–संग्रहालय बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देता है जिसमें कुछ प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं – सृजनात्मक विभाग का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सृजनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को स्वयं अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान कर उनके सृजनात्मक एवं सौन्दर्य बोध का विकास करना है। इस प्रकार उनके अन्दर छुपी हुई रचनात्मक प्रतिभा को उभार कर उन्हें कला एवं शिल्प के विभिन्न तकनीकियों से अवगत कराना है। इस विभाग की प्रमुख सृजनात्मक गतिविधियों में – चित्रकला, हस्त–शिल्प कला, सिलाई–कढ़ाई, मिट्टी का काम, बुनाई, लकड़ी का काम, जिल्दसाजी इत्यादि आते हैं।

प्रदर्शन विभाग के अन्तर्गत् बाल–संग्रहालय बच्चों की अभिव्यक्ति एवं कल्पना को साकार रूप देने के लिए तथा स्वयं की प्रतिभा को पहचानने के लिए प्रदर्शन कला की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता है जैसे – नृत्य, नाटक एवं संगीत इत्यादि।

शारीरिक शिक्षा विभाग के अर्न्तगत् बाल–संग्रहालय में खेल और शारीरिक गतिविधियाँ हर उम्र के बच्चों को प्रिय होती है। अतः शारीरिक शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों के लिए अनेक प्रकार की खेल गतिविधियाँ जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबाल, क्रिकेट, बास्केटबाल, योग, जुड़ो, स्केटिंग इत्यादि को सिखलाया जाता है।

विज्ञान विभाग का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना है। विज्ञान शिक्षा केन्द्र के विभिन्न उपविभाग है जो बच्चों को प्राकृतिक विज्ञान एवं दैनिक जीवन से सम्बन्धित विज्ञान से परिचित कराते है। इस अनुभाग के कार्य कलापों में रेडियो, इलेक्ट्रानिक्स, एअरोमाडलिगं, मशीन माडलिंग, तारामण्डल, कम्प्यूटर, मछलीघर, छोटा चिड़ियाँ घर, क्यों और कैसे क्लब, पर्यावरणीय जैसे विषयों पर फिल्म शो एवं विभिन्न शिविरों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है।

लगभग सभी बाल–संग्रहालयों में पुस्तकालय का भी प्रावधान है। पुस्तकालय में कला शिल्प, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, गणित, व कम्प्यूटर आदि विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें हैं। पुस्तकों के संग्रह में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अलावा उर्दू तथा बंगला में भी पुस्तकें उपलब्ध है। बच्चों के लिए पत्रिकाएं भी खरीदी जाती है जो बच्चों को समसामयिक घटनाओं एवं नई खोजों से अवगत कराती है। बच्चे अपने रूचि के अनुसार पुस्तकों एवं पत्र–पत्रिकाओं का उपयोग करते हैं।

उपर्युक्त अध्ययन हमारे स्वंय के सर्वेक्षण पर आधारित है। निश्चित रुप से बाल–संग्रहालय बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बच्चे जो हमारे देश के भावी कर्णधार हैं, उनके सर्वांगीण विकास के द्वारा ही हमारे देश का भी बहुमुखी विकास सम्भव होगा। इसलिए आज के समय में बाल–संग्रहालयों की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो जाती है।

I UnHk% %

1. विस्वास, टी. के. : म्यूजियम एण्ड एजुकेशन न्यू एज इण्टरनेशनल प्रा0 लि0, 1996, पृष्ठ संख्या 77
2. स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर दिनांक 25/02/2012 मोतिलाल नेहरू बाल–संग्रहालय, लखनऊ, उ0 प्र0।
3. स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर दिनांक 3/03/2012, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय, नई दिल्ली।
4. मधु पन्त, वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय बालभवन, नई दिल्ली, 2004–2005, पृष्ठ संख्या 32।
5. मधु पन्त, वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय बालभवन, नई दिल्ली, 2004–2005, पृष्ठ संख्या 35
6. मधु पन्त, वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय बालभवन, नई दिल्ली, 2004–2005, पृष्ठ संख्या 38
7. गणेशन, आर : भारत के विविध संग्रहालय, पिलग्रीम प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी, 2006 पृष्ठ संख्या 121
8. गणेशन, आर : भारत के विविध संग्रहालय, पिलग्रीम प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी, 2006 पृष्ठ संख्या 122
9. स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर दिनांक 05/01/2014, गिरधरभाई संग्रहालय, अमरेली, गुजरात।
10. स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर दिनांक 08/01/2014, गांधी स्मृति बाल–संग्रहालय, भावनगर, गुजरात।

***

lLd`r lkfgR; esa cqUnsy[k.M {ks= % ,frgkfld o lkekftd foopu

vf[kys'k dqekj*
M,0 deys'k dqekj Fkkid**

आर्यों के आने से पहले नर्मदा, चम्बल और बेतवा घाटी में जो जनजीवन था, वह आर्यों की तुलना में भिन्न था तथा सब प्रकार से आर्यों को आकर्षित करने वाला था, इसलिए उन्नत अवस्था में था। वैदिक संस्कृति सार्वदेशिक मानी जाती है, इस समय के बुन्देलखण्ड की कल्पना यमुना और नर्मदा के बीच के क्षेत्र से की जाती है, जिस पर नागों और असुरों का ही आधिपत्य इस समय तक था। बुन्देलखण्ड में निवासित जातियों एवं लोग आर्यों के गठन और द्रविड़ों की भूमध्य सागर से आने वाली दूसरी शाखा के मनुष्यों के समान हैं, इन द्रविड़ लोगों को सिन्धु मनुष्य या इंडस पीपुल भी कहते हैं। अगस्त्य ऋषि का विन्ध्याचल से विशेष सम्बन्ध रहा है, ऋग्वेद के सूक्तों में अगस्त्य की प्रभुता का वर्णन है।[1] आर्यों की जिस शाखा का अगस्त्य प्रतिनिधित्व करते हैं, वह मध्य भारत होती हुई विन्ध्याचल तक आई थी। आर्यों ने नदियों और बस्तियों के नामकरण भी किए हैं। बुन्देलखण्ड की कालीसिन्ध को सिन्ध, जमुना को अंशुमती, चम्बल को चर्मवती, बेतवा को बेत्रवती, रेवा को नर्मदा, टोंस को तमसा, धसान को दशार्ण आदि नाम आर्यों की देन है।

बुन्देलखण्ड के गहन वनों में नीग्रो नृवंश के लोग अपना जीवनयापन करते रहे हैं। निषादों और अहियों, पणियों के शान्तिपूर्ण जीवन का उल्लेख वेदों में आया है। इसी युग में कारूष मानव वंश के दर्शन हुए, ये मनु के दश पुत्रों में एक थे।[2]

वैवस्वत मनु की पुत्री इला से एल या चन्द्रवंश का आदि पुरूष पुरू उत्पन्न हुआ, इसके राज्य में बुन्देलखण्ड भी था। पुरूरवा की चौथी पीढ़ी में ययाति आता है, जिसके पुत्र यदु को चर्मवती, बेत्रवती तथा शुक्तिमती के बीच का भाग (बुन्देलखण्ड) प्राप्त हुआ था। यदु के वशंज यादव कहलाये।

त्रेतायुग में विन्ध्याचल पर्वत पर ऋषि मुनियों का निवास हो गया था। महर्षि बाल्मीकि स्वयं बुन्देलखण्ड के निवासी थे। दशरथ पुत्र राम स्वयं इनके समकालीन थे। परशुराम के बाद कार्तवीर्य अर्जुन के पौत्र तालजंघ के समय में हैहयों का उत्कर्ष फिर हुआ। तालजंघ के अनेक पुत्रों में से वीतिहोत्र और कुंडिकेर विन्ध्याचल में (वर्तमान बुन्देलखण्ड में) फैली पर्वत माला में रहे थे।[3]

श्री एन.एल.डे. के मतानुसार इस समय चेदिराज्य में सगर के समकालीन राजा विदर्भ के पुत्र कोशिक ने राज्य किया। इसी के समीप ''निषध'' प्रान्त था।

महर्षि बाल्मीकि का निवास तमसा (बुन्देलखण्ड में स्थित टोंस) के किनारे माना जाता है। राम और रावण की संस्कृति में शैलायुधों और उच्च आयुधों का प्रयोग मिलता है। राम के जीवन का सर्वोत्तम काल मध्यदेश के बुन्देलखण्ड में ही बीता था।

द्वापर युग में अयोध्या की शक्ति मंद पड़ गई थी। भारत की राजनीति में पौरव वंश का उत्कर्ष हुआ। चेदि जनपद में यादवों के स्थान पर पौरवों का राज्य हो गया था। पौरवों में राजा वशु या कसु ने चेदि राज्य पर राज्य करते हुए ''चेद्योपरिचर'' की उपाधि धारण की थी।[4] राजा कृष्ण के समय में यहाँ शिशुपाल का राज्य हुआ, बाद में वह राजसूय यज्ञ में मार डाला गया था। महाभारत के युद्ध में वत्स, काशी,

*शोधार्थी, संस्कृत विभाग, म0गाँ0चि0 ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, म0प्र0
**एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, म0गाँ0 चि0 ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना ,म0प्र0

चेदि, करूष, दशार्ण और मत्स्य अर्थात् वर्तमान बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड की सीमाओं के जनपदों के राजा अपनी सेनाओं के साथ पाण्डवों की तरफ से लड़े थे।[5] इस युग का अंतिम राजा परीक्षित माना जाता है।

बुन्देलखण्ड में पुलिन्द, दण्डक, द्रुह, शबर, विन्ध्यमालीय, कुरूमी, निषाद, कोल आदि ऐसी जातियों की प्रधानता थी, जो आर्यों के साथ पूर्णतः समायोजित नहीं हो पायीं थी।

मौर्ययुग के पहले मध्य देश में नागवंश का साम्राज्य रहा है। मध्यदेश में चेदि, वत्स, मत्स्य और सूरसेन की गणना की जाती है।

मौर्यकाल में जैनधर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव, शैव, पाशुपत और शाक्त उपासनाओं के उल्लेख मिलते हैं। बुन्देलखण्ड में दुर्गा पूजा विशेष प्रसिद्ध हुई। उमा, अष्टाध्यायी[6] में भवानी, शर्वाणी, रूद्राणी के तथा महाभारत में विजया एवं महिषमर्दनी के रूप में उल्लेखित हुई, हरिवंश पुराण के अनुसार वहीं विन्ध्यवासिनी देवी बनी, इनके साथ शैव उपासना, स्कन्द उपासना स्वाभाविक थी। वन्य जातियों में वृक्ष, चैतय, शाल वृक्ष, सिद्ध साध्य, गन्धर्व नदी तथा काल वाची नक्षत्र देवता भी पूजित रहे हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विभिन्न जातक इसके प्रमाण हैं।

पण्डित द्विवेदी ने भरत, वात्सय जीवक व्याडि, वररूचि, वात्स्यायन, चाणक्य को मध्य भारत की विभूतियों में दर्शाते हुए चाणक्य को बुन्देलखण्डवासी बताया गया है। प. द्विवेदी के अनुसार विष्णुगुप्त (चाणक्य) का जन्मस्थान वर्तमान बुन्देखण्ड के पन्ना नगर से 25 मील दक्षिण पूर्व तथा नागौद से 15 मील पश्चिम स्थित वर्तमान ''नचना'' नामक जनरल कनिंघम द्वारा पहचाना गया ''चणक''[7] ग्राम है। चणकोडाभिजनोयस्य चाणक्यः'' से यह सिद्ध भी है।

गुप्तकाल की वेशभूषा तथा सामाजिक परिवेश के विषय में कालिदास के साहित्य में तत्कालीन सामाजिक परिवेश का परिचय मिलता है। पुरूषों की वेषभूषा और स्त्रियों की वेशभूषा प्रसाधन आदि का रघुवंश महाकाव्य में सुन्दर वर्णन आया है।[8]

अधिकांश वाकाटक राजाओं के शैव होने के कारण अन्य देवों की अपेक्षा भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण अधिक संख्याओं में हुआ होगा।[9]

समुद्रगुप्त से हर्षकाल तक समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन उच्च वर्ग माने गए थे। शूद्रों की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रह्मगुप्त, आर्य भट्ट और वराहमिहिर इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, गणितज्ञ हैं। कालिदास का साहित्य एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प. द्विवेदी ने कालिदास को मध्य देश का माना है। इस युग में धार्मिक सहिष्णुता के साथ–साथ एक राष्ट्रीय संस्कृति को विकसित होने का अवसर था। धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर समन्वय की भावना विशेष थी। विवाह, खानपान, संस्कारों आदि में निषेध कठोर नहीं हुए थे। अन्त्यज की दशा शुद्रों से भी बुरी थी, दास प्रथा का प्रचलन था। स्त्रियों की दशा में भी परिवर्तन आ गया था। गुप्त कालीन स्मृति ग्रंथों में वैदिक शिक्षा केवल उच्चकुलों की स्त्रियों तक सीमित हो गई थी, सती, पर्दा प्रथा का कहीं–कहीं प्रचलन था। बुन्देलखण्ड की अनार्य जातियों में कठोर नियमानुशासन विद्यमान था।

गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन को भारतीय इतिहास तथा बुन्देलखण्ड दोनों में विशेष महत्व का माना गया है। बुन्देलखण्ड में हर्शवर्धन का शासनकाल अत्यन्त महत्व का माना जाता है। उन्होंने हूणों के आक्रमण को विफल किया था। हूणों का मुखिया तोरमाण था[10], उसने कुछ समय के लिए एरण (बुन्देलखण्ड की प्राचीन नगरी) पर राज्य किया था। एरण[11] के लेख में तथा अन्यत्र भी उसके बुन्देलखण्ड में भयभीत करने वाले शासन का उल्लेख है।

संस्कृत ग्रंथ हर्षचरित में कुछ विशेष महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं, जिनसे उसके बुन्देलखण्ड में रहने और तत्कालीन जीवन के संबन्ध में कहा जा सकता है जैसे हर्ष की बहन राज्य श्री का अपने पति की मृत्यु पर क्षुब्ध होकर विन्ध्य पर्वत पर चला जाना, हर्ष द्वारा उसकी खोज करना और विन्ध्य प्रदेश के जीवन में कृषि और अहेर का उल्लेख आना[12] आदि ऐसे साहित्यिक साक्ष्य हैं जो हर्षकालीन बुन्देलखण्ड के जीवन की झाँकी प्रस्तुत करतें हैं। हर्षचरित में गाँव और जंगल के जीवन में समानता[13] बताई गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है की जातीयता का विशेष बोलबाला न था।

नवीं शताब्दीं में बुन्देलखण्ड प्रतिहारों में नागभट्ट के अधीन रहा है। मिहिरभोज का अल्पकालीन शासन बुन्देलखण्ड को कुछ नहीं दे पाया। इसी की परंपरा में महीपाल दसवीं शताब्दीं और उसके बाद विनायक पाल भी थोड़े समय तक बुन्देलखण्ड में टिक पाये।

बुन्देलखण्ड में तीन शासकों के कुलों का विशेष प्रभाव रहा। ये तीनों जेजाक भुक्ति के चन्देल, डाहल के चेदि और ग्वालियर के कच्छपघात विभिन्न प्रकार से जन समाज और संस्कृति को एक खास जीवन देते हैं।

कलचुरियों के शासन काल के समय में समाज में नीति, मर्यादा, धर्मनिष्ठा के साथ युद्धों की बहुलता रही, जिससे समाज में उथल–पुथल की स्थिति रही। बुन्देलखण्ड में ज्ञान साधनों के केन्द्रों के रूप में अनेक मठों का निर्माण हुआ। गुर्णी और बिलहारी के मठ और मंदिर इस समय के प्रसिद्ध साधना केन्द्र हैं। कलचुरियों के समय में साहित्य और अन्य विधाओं की अभूतपूर्व उन्नति हुई। युवराज देव के शासन काल में साहित्य के क्षेत्र में कवि राजशेखर बुन्देलखण्ड में आये हुए थे तथा उन्होंने विद्धशालभंजिका नाटक, कर्पूरमंजरी तथा बालरामायण की रचना की, जो तत्कालीन साहित्यिक वातावरण को प्रस्तुत करती है। कलचुरिवश लगभग तीन सौ वर्ष तक दक्षिण बुन्देलखण्ड का शासक रहा।

चन्देलकाल में जाति विभाजन के दो पहलू थे–व्यवसायिक और विवाह जन्म, जो बाहरवीं शताब्दी तक स्थिर नहीं रह सके। जातीय वर्ग विश्रृंखलन सभी वर्णों में घटित हुआ। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए समाज को ब्राह्मणों की ओर देखना पड़ता था। ब्राह्मण तीन वर्णों के कार्य करने को स्वतन्त्र थे। मध्य युग तक वैश्य केवल कृषि का कार्य करते थे, परन्तु वे कालन्तर में कृषि कार्य से एकदम विरक्त हो गए और शुद्रों के साथ ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने इसे हस्तगत कर लिया और वे ही आज के प्रमुख कृषक हैं।[14] केशव प्रसाद मिश्र के मतानुसार विवाह जैसे संस्कार में भी ब्राह्मण को अन्य वर्ण (क्षत्रिय, वैश्य) की कन्या से विवाह करने की स्वतन्त्रता थी, शूद्र कन्या से विवाह वर्जित था।

नारियों की दशा चन्देल काल में सम्मान जनक नहीं थी, विदेशी आक्रमणकारियों तथा मुसलमानों के कारण बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। शूद्रों की दशा दिन प्रतिदिन गिरती गयी। मद्यपान को समाज में निन्दित माना जाता था, फिर भी वह प्रचलन में था। वस्त्रों में पैजामा, पगड़ी, मिरजई का चलन था। आभूषण सभी स्त्री पुरूष पहनते थे।

सामाजिक रीति रिवाज में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता था। कृषि कार्य में वैशाख शुदी तीज को कृषि वर्ष का आरम्भ माना जाता था। देवशयन आषाढ शुदी एकादशी को और देव जागरण कार्तिक सुदी एकादशी को मानना कृषि सम्बन्धी पूजा की रीति थी। सामान्य लोगों में कर्म और उनके फलों का विश्वास था[15] पर अनार्य जातियों में, विशेषकर गौड और सौरों में भूतप्रेत में विश्वास दृढ़ था। फलस्वरूप ये अनेक काल्पनिक, देवताओं की पूजा करके धर्म भावना की तृप्ति करते थे। भाव जगत, जतारा, झाड़ फूँक पर लोगों को औषधियों से भी अधिक विश्वास था। यह तात्रिकों में अघोर पंथियों का युग था।

वर्तमान समय में बुन्देलखण्ड में जिन ग्राम देवताओं (खेर माता, मिड़ोहिया, घटोइया, गौड बाबा, मसान बाबा, नट बाबा, छीद) का प्रचलन है तथा जिन महामारियों की देवियों और शक्तियों की पूजा प्रचलित है वह इन्हीं की देन है।[16]

महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाने लगा व वैदिक कर्मकाण्ड का प्रचलन कम हो गया तथा हिन्दू घर में मूर्ति स्थापित करके पूजा करने लगा। मंदिरों का जीर्णोद्धार तालाब तथा कूप निर्माण करवाना पुण्य का कार्य माना जाता था। चन्देलकाल में संस्कृत साहित्य में उपदेशात्मक साहित्य, सोमदेवकृत कथासरित्सागर, त्रिविक्रमभट्ट कृत नलचम्पु, कृष्णमिश्र रचित प्रबोध चन्द्रोदय (नाटक) तथा धार्मिक साहित्य पर भाष्य लिखे गये। ललित कलाओं, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि पर ग्रंथों का प्रणयन हुआ।

बुंदेला शासनकाल में बुन्देलखण्ड का समाज पूर्णतः धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में शासकों का मुखापेक्षी हो गया था। इस समय का समाज अनेक जातियों और उपजातियों में विभक्त

हो गया था। इनके निर्माण का मुख्य कारण व्यवसाय था। सोने का काम करने वाला सुनार, लोहे का काम करने वाला लुहार, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, चमड़े का काम करने वाला चमार और ताम्बुल का व्यवसाय करने वाला तंमोली आदि से स्पष्ट होता है।[17] हिन्दुओं की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था उत्तरोत्तर कठोर होती गयी। समस्त राजपरिवारों की एक मात्र देवी विन्ध्यवासिनी थी, उनके दो सिंहों के कारण उन्हें सिंह वाहिनी भी कहा जाता था। इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोध, अहीर, कुरमी और चमारों की जनसंख्या इस राज्य में विशेष रही।[18] जाति प्रथा अत्यन्त रूढ़ हो गई थी। छत्रशाल के वैभव एवं शौर्य की चर्चा शिवाजी के सामानान्तर की जाती है। सम्पूर्ण राज्य युद्धों में संलग्न था फलतः बुन्देलखण्ड की सीमाओं का विस्तार हुआ था। इस विषय में कृष्णकवि ने लिखा है–

br teuk mr ueink] br pEcy mr Vk lA
N=lky lk yju dh] jgh u dkg gk lAA[19]

परवर्ती बुन्देला समाज में ब्राह्मणों की व्यवस्था प्रायः अपदस्थ हो गयी थी। समस्त ब्राह्मण कई वर्गों में विभक्त हो गये थे जो सारस्वत, गौर, कान्यकुब्ज, जुझौतिया, सरयुपारी आदि हैं। बुन्देलखण्ड में अधिकतर जिझौतिया ब्राह्मण[20] ही मुख्य रहे हैं। कान्यकुब्ज, सरयूपारीण सनाढ़य और अन्य ब्राह्मण के वर्ग एक शताब्दी से पूर्व यहाँ नहीं थे। प्रारम्भ में इनका मुख्य कार्य देवालायों में पूजा अर्चना करना था और राजाओं के मंत्री होना था, बाद में जागीरें और सनदे मिली तो ये कृषि नौकरी आदि में भी प्रवृत हुए। ब्राह्मणों को विप्र. द्विज, वॉमन, श्रोत्रिय, महाराज आदि विशेषण इनके साथ जोड़े जाते हैं।

ब्राह्मणों के बाद बुन्देलखण्ड की दूसरी जाति क्षत्रिय है, जिनके 36 प्रकार यहाँ पाये जाते हैं। रसैल का कथन है कि उनकी कुलीनता के संदर्भ में यह बताना कठिन है, कि शुद्ध रक्त के कौन है? बुन्देलखण्ड में अधिकांशतः परमार, विसेन, बुन्देला, वनाफर चन्देल, भदौरिया, कछवाह, तोमर, चौहान, धाकड़, हैहयवंशी, कलचुरि आदि ही प्रमुखता से पाये जाते हैं। इन्हीं के साथ दॉगी, लोधी, कुरमी भी अपने को ठाकुर कहते हैं। ये मध्य युग तक कृषि करने वाले माने गये है।[21]

वैश्य जिनके अनेक नाम बनिया, वणि, महाजन, सेठ, साहूकार आदि प्रचलित हैं। ये वास्तव में सुदूर अतीत में अनाज, घी और अन्य मनिहारी का सामान बेचने वाले थे। वैश्य–बनिया, अग्रवाल, गहोई, केसरवानी, महेश्वरी, नेमा आदि उपनामों ये जाने जाते हैं। हिन्दू बनिया पूर्णतः वैष्णव होते हैं।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मूलतः आर्यों के साथ जुड़े हैं और शेष जातियों की अनार्य उत्पत्ति मानी जाती है।[22] इनमें सामाजिक स्तर के अनुसार शूद्र सबसे नीचे और उनके ऊपर अन्य सभी व्यावसायिक तथा कामगार जातियाँ आती हैं। सबसे निचले स्तर पर चमार, मोची, कोरी, तेली, बसोर, पासी, कलार, कुम्हार आदि की गणना की जाती है। इनसे ऊपर कहार, केवट, ढ़ीमर माने जाते हैं। इनकी गतिशीलता से कही अधिक घोसी, धोबी, गड़रिया, गूजर आदि की होती है। सुनार, लुहार ठठेरा, बढ़ई, कसेरा को अन्य दर्जा मिला है। जबकि बनजारा कुजड़ा, भड़भूँजा, बनिया, खत्री आदि को उनके कार्य के आधार पर स्तर दिया गया है। कचेरा, लखेरा, माली, काछी, चौरसिया या बढ़ई की भी इसी प्रकार स्थिति मानी गई है। आधुनिक युग में इन सभी जातियों का महत्व कम हो गया है। अनेक निचले स्तर के कहे जाने वाले नौकरी करने लगे हैं और वर्ण की व्यवस्था प्रायः नगरों में कम हो गयी है।

lUnHk%

1. ऋग्वेद 1.166–191
2. पार्जिटर एफ.ई. (1972) ऐन्शियंट इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, पृ. 84 वाराणसी
3. मत्स्य पुराण 43. 148–49, वायु पुराण 44.51–52
4. वायु पुराण 11.20.20
5. द्विवेदी प. हरिहर निवास पूर्व निर्देशित पृ. 121 उदधृत–तिवारी बी. (1995) बुन्देली समाज और संस्कृति (प्राचीन एवं मध्यकालीन संदर्भ) पृ. 54
6. अष्टाध्यायी 4.1.49

7. जायसवाल के.पी. (1995) –अंधकार युगीन भारत पृ. 153
8. रघुवंश महाकाव्य, सर्ग 16 श्लोक 43
9. मिराशी, बी.बी. (प्र.सं.); वाकाटक राजवंश और उसके अभिलेख, पृ. 73.74.75
10. एविग्राफिया इण्डिका ,जिल्द 1, पृ. 238 तथा रायसन्स इण्डियन कौइन्स प्लेट नं. 4 नं. 16, उदधृत तिवारी बी. (1995) बुन्देली समाज और संस्कृति (प्राचीन एवं मध्य कालीन संदर्भ), पृ. 62
11. बाजपेय, कृष्णदत्त; –सागर थ्रु एजेज, पृ. 62
12. हर्षचरित, पृ. 11–12
13. हर्षचरित, पृ. 225–229
14. वैध, सी.वी., (1926); हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिन्दी इंडिया, भाग–2, पृ. 182, पूना
15. प्रबोध चन्द्रोदय, पृ. 141, (प्रायः सुकृति नामर्थे देवायान्ति सहायताम्)
16. मिश्र, के.सी. (सं. 2056); चन्देल और उनका राजत्वकाल, पृ. 197–198
17. इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, भाग 12 पृ. 440
18. इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, भाग19, पृ. 402, 403, 404
19. कृष्णकवि (प्र.सं.) श्री वीरचरितामृत, पृ. 246–47
20. स्मिथ वी.ए. (तृ.सं.) अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ. 376
21. रसेल आर.वी., पूर्व निर्देशित भाग 4 पृ. 55, उदधृत तिबारी बी. (1995) बुन्देली समाज और संस्कृति प्राचीन एवं मध्यकालीन संदर्भ, पृ. 76
22. डा. वी. (प्र.सं.) इण्डियन कास्ट टाइप, प्रेस एण्ड मैसर्स ब्लैकबुड, पृ. 88

***

xkM tutkfr dh lkekftd&vkfFkd ,o lkLdfrd fLFkfr % ,d v/;;u

vityh x<oky*

जनजाति मानवीय समाज का वह वर्ग है, जो एक निश्चित भू–भाग में निवास करते हैं, एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते हैं, आदिकालीन धर्म प्रथा तथा परम्परा को मानते हैं, आदिकालीन, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत निवास करते हैं। जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य बोली का व्यवहार करता है और जो एक सामान्य प्रदेश में रहता है अथवा रहने का दावा करता है और प्रायः अन्तर्विवाह करने वाला नहीं होता, चाहे आरम्भ में उसमें अन्तर्विवाह करने की प्रथा रही हो। डी. एन. मजूमदार ने जनजाति की इस परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ''एक जनजाति परिवारों अथवा परिवार समूहों का ऐसा समुदाय है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक सामान्य भू–भाग में रहते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ वर्जनों का पालन करते हैं और उन्होंने परस्पर आदान–प्रदान और कर्तव्यों की पारस्परिकता की एक अच्छी तरह जांची हुई व्यवस्था विकसित कर ली है।

जनजाति को आदिवासी, वनवासी, आदिम जाति एवं वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पुकारा जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में इनकी संख्या लगभग 840 है, लेकिन इनमें से 541 जनजातियों को ही अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता मिली हुई है, शेष जनजातियाँ या तो बहुत छोटी हैं अथवा वे इतनी पिछड़ी हुई नहीं हैं कि उन्हें निर्धारित कसौटियों के आधार पर अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी जाए। प्रस्तुत शोध पत्र में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति की सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डाला जा रहा है।

गोंड मध्यप्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय है, यह जनसंख्या एवं क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नर्मदा नदी के दोनों ओर विन्ध्य और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका संकेन्द्रण अधिक है। हिस्लॉप महोदय के अनुसार 'गोंड़' शब्द की उत्पत्ति तेलगु भाषा के 'कोंड़' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है 'पर्वत' अर्थात वह जनजाति जो पर्वतों में निवास करती है। वास्तविकता यह है कि गोंड जन अपने आप को गोंड नहीं 'कोयतार' कहते हैं।[1] इनकी शारीरिक संरचना नीग्रीटों स्कन्ध से मिलती जुलती है।

ये जनजाति मध्य भारत के उत्तरी भाग को छोड़कर बैतूल,रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, शहडोल, मंडला, सागर, दमोह एवं छत्तीसगढ़ अंचल के सरगुजा और बस्तर आदि जिलों की प्रमुख जनजाति हैं। मण्डला जिला गोंड़वाना राज्य था, छत्तीसगढ़ में 1947 के पूर्व छोटी रियासत गोंड़ों की थी।[2]

As History opened its pages avert region came to be known as chhttisgarh, the Baster region developed its connection with the region on its northen boundaries Baster, Kanker and Lohar are perhaps the most ancient states but the most important of its feudatory states was Khairagarh it had 585 villages "mostly lying in the richest parts of the chhatisgarh plains the original possessions of the family which is of the Raj Gond Casts and descended from the royal family of Garha Mandla were confined to the small forest tracks known as Khalwa at the foot of salatek in range.[3]

*सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय ,रेहटी, जिला रायसेन, म.प्र.

Another group of Chhatisgarh states, associated with gond histroy, included Nandgaon, Khairagarh, Chhuikhadan, Pandaria, Kawardha, Pendra and Matani. These are in the north Korba and Kowaina are in the last. Chhatisgarh eventually came to spreadover 31,000 sq. miles, Containing 14 states.[4]

गोंडों की शारीरिक संरचना सुगठित होती है। इनका चेहरा चपटा, माथा चौड़ा, कुछ लंबा नाक, कुछ चपटी, नथुनी चौड़े होते हैं। इनकी आँखें काली पलकें पुष्ट एवं बाहर की ओर औसतन भरी होती हैं। गोंड स्त्रियाँ प्रायः काली पुष्ट और चपल होती हैं। स्वभाव से गोंड पुरुष कुछ लजीले सुस्त किन्तु सहृदय होते हैं।[5] प्रायः सभी आदिवासियों का शरीर ठिगना होता है, नसें तार सरीखी कड़ी होती हैं। शरीर सुगठित और मजबूत होता है। रंग सांवला, चेहरा, चपटा और माथे में उभार नहीं होता। गोंड कन्याओं के माथे पर अर्द्धचन्द्र या त्रिशूल का गुदना गुदाया जाता है। ये शैव है। अधिकांश स्त्रियाँ देह भर में गुदने गुदवाती हैं, विश्वास है कि मृत्यु होने पर जब शरीर छूट जाता है, गुदने साथ जाते हैं।[6] पुरुष लंगोटी लगाते हैं या छोटी धोती पहनते हैं, भगवान ने गोंड पुरुष को बड़ी धोती दी थी। गोंडों ने थोड़ा कपड़ा रखा। बाकी अनावश्यक काटकर भगवान को वापस कर दिया। वे देह में बंडी पहनते हैं। थोड़ा सा कपड़ा पगड़ी का काम देता है, धनवानों के कपड़े कुछ अच्छे और अधिक होते हैं, एक लबादा सा ओढ़ लेते हैं। वर्षा और शीत में गले से कम्बल बांध लेते हैं, जाड़े में यात्रा करते समय रजाई, कम्बल का बोझा नहीं ढोते। रात को कोदों के पैरा की खर में ही लुक जाते हैं। रात भर जाड़ा नहीं लगता।

स्त्रियाँ लाल रंग की साड़ी और काले रंग की कंचुकी पसंद करती हैं। पतले कपड़ों में रुचि नहीं है। स्त्रियों के आभूषण सामाजिक स्थिति के अनुसार होते हैं। पैर की अंगुलियों में चुटकी, गले में पोतों का छूता एक या अधिक रुपये गुथे रहते हैं, कान में तरकी या ढारे, केशकलाप में पीछे फुन्दरा और कंघी, कंघी के दांते अलग–अलग रहते हैं। तार या सूत , सूत से गूंथे जाते हैं। सिर ढ़कना आवश्यक नहीं। गोंडों में परदा प्रथा नहीं है।

गोंड प्रातः करीब आठ बजे पेय पीते हैं। तीसरे पहर मरैया पेय पीते हैं। रात को भोजन कुछ अच्छा होता है। पेज, कुदई, कुटकी, चावल या मकई का बनता है। जंगली पत्तों की भाजी और नमक का ही सालन होता है। रोटी रोज नहीं खाते है। माँस खाने के रुचि रहती है।[7]

गोंड लोग प्रायः सूती वस्त्र पहनते हैं और पास के कसबे से कपड़ा खरीदकर सिलाई स्वयं करते हैं। अपने पशुओं से ऊन भी प्राप्त करते हैं, जिनसे वे कंबल तैयार करते हैं। स्त्रियाँ मूँगा और नकली मोतियों से बने आभूषण गले और हाथों में पहनती हैं। एल्यूमीनियम की बालियाँ भी पहनती हैं। गोंड़ में मुख, हाथ एवं जाँघ को गुदाने का अत्यधिक प्रचलन है। परधान और ढोल्या गोदने का कार्य करते हैं। सुई से गोदने के बाद ऊपर से नील या शोरा मल दिया जाता है।[8]

प्राचीन गोंडों का प्रमुख धंधा शिकार करना और मछली मारना था। लेकिन शिकार पर कानूनी बंदिश लग जाने के कारण तथा अधिकांशतः या वन प्राणीयुक्त वनों को अभ्यारण घोषित कर दिये जाने के बाद, वन्य पशुओं का शिकार चोरी छिपे ही संभव है। फिर भी वे नदियों के किनारे पक्षियों और मछलियों का शिकार काफी मात्रा में करते हैं।[9]

गोंडों के घर प्रायः मिट्टी घासफूस के होते हैं।[10] एक झोपड़ियाँ, मकान बनाने के लिए मिट्टी, पुआल, लकड़ी, बाँस, खपरैल व छींद की अत्यन्त आवश्यकता होती है। नींव खोदने से पूर्व गोंड नारियल, घी, गुड़ से पूजा करना कभी नहीं भूलते।[11]

वेरियर एल्वीन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गोंड़ आग के चारों ओर बैठते हैं, नृत्य करते हैं और गाना गाते हैं–In the forest of seoni the scene of kiplings Jungle books the gonds sing a song as they sit rourd hte fire at night.As as of corn is good to eat, so should a child be born to young parants mother and child can then play together. But when the graian is with/ered,A child should not be born. The people of the forest love their children and no wonder ! you will not find any were more beautiful and teresting boys and girls are just as wel come in gond family as boys.[12]

गोंड जनजाति से अगरिया, ओझा, प्रधान, कोइला, भुतिस, एवं सोलाहस जैसे समूह पैदा हुए हैं (व्यवसायिक आधार पर)। गोंडों की दो उपजातियाँ एक राजगोंड (भू स्वामी) एवं दूसरे 'धुरगोंड (साधारण) है। गोंड जनजाति में परिवार 'पितृसत्तात्मक' होता है। बच्चे अपने पिता के कुल या वंश के नाम को ग्रहण करते हैं। विवाह की कई प्रथाएं प्रचलित हैं, किन्तु सहमति विवाह को सबसे उचित माना जाता है। इसके अलावा पलायन विवाह को यह लोग 'लामझना' कहते हैं। 'वधु मूल्य' का प्रचलन अधिक है, जिसे दूधबन्ध भी कहा जाता है। जो परिवार वधु मूल्य देने की स्थिति में नहीं होते, वे कन्या के पिता के यहाँ नौकर के रूप में कुछ समय तक काम करते हैं। इस तरह उसके द्वारा किये गये श्रम को ही 'वधु मूल्य' स्वीकार कर कन्या का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया जाता है। श्रम/सेवा के रूप में वधु मूल्य चुकाने वाला यह व्यक्ति 'लामनाई' कहलाता है।

इस जनजाति में अन्तर्विवाह और बहिर्विवाह के नियमों का भी कठोरता से पालन किया जाता है। अन्तर्विवाह में मारिया, मुरिया एवं राजगोंड, धुरगोंड आपस में विवाह नहीं करते हैं। इसी प्रकार बहिर्विवाह नियमों के अनुसार एक टोटम समूह के लोग आपस में विवाह नहीं करते। गोंड जनजाति के विवाह सम्बन्धी सभी कार्य हिन्दुओं की वैवाहिक रीतियों से मिलते–जुलते हैं। इस जनजाति में विवाह विच्छेद (तलाक) एवं पुनर्विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। आमतौर पर एकल विवाह की प्रथा प्रचलित है, किन्तु धनी एवं सम्पन्न गोंड बहुपत्नि विवाह भी करते हैं। गोंड़ जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा बहन का लड़का और भाई की लड़की में विवाह का प्रचलन है, जिसे यह लोग ''दूध लौटावा'' कहते हैं।[15] ऐसे विवाह के पीछे मान्यता यह है कि जिस परिवार में लड़की दी गयी, इसी परिवार में लड़की वधु के रूप में भी ली जाय। सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसे विवाहों से परिवार के अधिक संगठित रहने की आशा की जाती है। इस जनजाति में नातेदारी का विशेष महत्व होने के कारण ऐसे सभी परिवार एक–दूसरे से पृथक होने के बाद भी भावनात्मक आधार पर एक संयुक्त परिवार की तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।

गोंड़ों की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा है। विभिन्न प्रकार के संस्कार, पर्व, त्यौहार, कलाकृतियां, लोकगीत, मौखिक गाथाएं (पांडवानी, गोड़वानी, रामायणी आदि) इनकी सांस्कृतिक परम्परा के अंग रहे हैं। ये जनजातीय जन पूर्वजों की आत्माओं में (जीववाद) विश्वास रखते हैं। सम्भवतः इसीलिए मृतक के स्मारक के रूप में लकड़ी के शानदार खम्भे बनाते हैं और इन खम्भों पर मृतक की रुचियों की आकृतियाँ बनायी जाती हैं।[13] इन खम्भों पर नर्तक चावल से बनी हुई मदिरा बाँटती हुई महिलाएँ शिकार के दृश्य तथा दैव कृत्यों में ओझा व शमन आदि की आकृतियाँ देखी जा सकती हैं। इनका मुख्य देवता 'बारादेव' है।

ये लोग अपने कृषि औजारों तथा अन्य हथियारों की भी पूजा करते हैं। गोंड जनजाति में धर्म के अलावा जादू में भी विश्वास किया जाता है। यह अपनी परेशानियों, चिंताओं और बीमारियों आदि को जादू के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह की तांत्रिक प्रक्रियाओं को करन के लिए एक विशेष व्यक्ति होता है, जिसे यह लोग 'ओझा' कहते हैं। 'घोटुल' भी मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है। इसके अतिरिक्त त्यौहार एवं उत्सव भी गोंड़ जनजाति की सांस्कृतिक संरचना के प्रमुख अंग हैं। फाल्गुन माह (मार्च) में यह जनजाति मेघनाथ त्यौहार मनाती है, जिसमें मेघनाथ की मूर्ति बनाकर उसके लिए मुर्गे अथवा बकरे की बलि दी जाती है। बलि चढ़ाने का काम साधारणतयः स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है।[14] बिदरी, टोड़ादिया, बागदीया, भुतआ, बकपंथी, हरदिली, नवाखानी, जवारा, मड़ई तथा धोरता इस जनजाति द्वारा मनाये जाने वाले दूसरे त्यौहार हैं।

गोंड जनजाति में मनोरंजन की एक प्रमुख संस्था 'घोटुल' है, जो इसकी सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र भी है। गाँव के अविवाहित युवकों और युवतियों को 'घोटुल' में ही अपनी संस्कृति, धार्मिक विश्वासों और नैतिक मर्यादाओं का प्रशिक्षण मिलता है। यौनिक संयम का प्रशिक्षण देने तथा नयी पीढ़ी को मनोरंजन देने का कार्य घोटुल में ही होता है।

गोंड जनजाति के लोग हविडियन प्रजाति के माने जाते हैं। इस जनजाति में मृत्यु के पश्चात दफनाने की प्रथा थी, किन्तु हिन्दु सभ्यता के सम्पर्क में आने के बाद अब मृतक का दाह संस्कार (अग्निदाह) करते हैं।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता हैं कि गोंड जनजति में सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टि से उन सभी पर्व–त्यौहारों, विवाह, रीति–रिवाजों आदि का अपना पृथक महत्व है। परिवार पितृसत्तात्मक हैं, ईश्वर के प्रति आस्था उन्हें गलत करने से भयभीत करती थी। आर्थिक दृष्टि से वे सभी वनोपज एवं पशुपालन पर निर्भर थे। सामान्यतः उनमें सामाजिक एकता भरपूर रूप में विद्यमान थी। इस प्रकार इनका सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन अनूठा एवं निराला है।

lUnHkZ %

1. हसनैन, नदीम.2007; जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, पृ. 119
2. नायडू, पी. आर. 1997; भारत के आदिवासी (विकास की समस्याएं) , पृ. 15
3. बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, विलासपुर, म.प्र. सरकार 1975, पृ. 108–109
4. मेहता, बी. एच. 1984;'गोंड्स ऑफ द सेन्ट्रल इंडियन हाइलेंड्स', नई दिल्ली, पृ. 64–65
5. नायडू, पी. आर. 1997; भारत के आदिवासी (विकास की समस्याएं) , पृ. 25
5. अग्रवाल, रामभरोसे, 'गढ़ा मण्डला के गोंड़ राजा', संवत् 2018 पृ. 150
6. वही, पृ. 150–151
6. तिवारी, शिवकुमार शर्मा एवं श्रीकमल. 1994; मध्यप्रदेश की जनजातिया समाज एवं व्यवस्था, पृ. 85
7. वही, पृ. क्र. 87
8. मध्यप्रदेश संदेश – 10 फरवरी 1992, पृ. 39
9. वेरीयर एलविन, 'लीव्ज फ्रॉम द जंगल' 1958, पृ. 14–15
10. अग्रवाल, जी. के. 2009; जनजातीय समाज का समाजशास्त्र, साहित्य भवन , आगरा, पृ. 201
11. हसनैन,नदीम.2007; जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, पृ. 120
12. अग्रवाल, जी. के. 2009; जनजातीय समाज का समाजशास्त्र, साहित्य भवन , आगरा, पृ. 203
13. हसनैन,नदीम.2007;जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, पृ. 119–120

***

ikdfrd vkinkvk d ifr ek/;fed Lrj d f'k{kdk dh tkx#drk dk v/;;u

vUt f=ikBh*

प्रकृति हमारी आवश्यकताओं की पूरा करने में सक्षम है। परन्तु लालसाओं को नही।[1] मानव की घोर भौतिकवादी ऐषणा के विकास ने प्रकृति की मूल संरचना एवं व्यवस्था में असंतुलन पैदा कर दिया है जिसके परिणामस्वरुप हमें बाढ़, सूखा, भूकम्प, तापमान वृद्वि, ओजोन छिद्र, अम्लीय वर्षा, प्रलयकारी समुद्री तूफान, विशाल पर्वतों की धंसती हुई घाटियों के स्थानों पर पृथ्वी के नीचे लगने वाले भंयकर भूकम्प के झटके, ज्वालामुखी के उद्गार की आशंका एवं मानव निर्मित अन्तरिक्ष प्रयोगशालाओं द्वारा नरसंहार की आंतक, बढ़ेतें हुए प्रदूषण द्वारा व्यक्त की गयी विनाश की आशंका और न जाने कितने ही विभिन्न रोगों के रुप से दिखायी दे रहे है।

भारतीय सन्दर्भ में आवश्यक है कि हमारे शिक्षकों में आपदा के प्रति जागरुकता होनी चाहिए। हमें अपने गाँव, नगर, राज्य तथा राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर जनसाधारण का ध्यान भी इस ओर लाना होगा वे प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के लिए तैयार रहें, साथ ही उनमें रुचि पैदा कर उनकी जिम्मेदारी निश्चित करनी होगी तथा व्यक्तिगत स्तर पर समस्याओं से जूझने हेतु दायित्वपूर्ण भावना उत्पन्न कर संस्कार आरोपित किया जा सकें।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर यह शोधपत्र पूर्ण करने का संकल्प लिया गया तथा माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरुकता का अध्ययन किया गया है।

v/;;u d mnn';%&

शोधपत्र में निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु कार्य किया गया है –

1– कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के अध्यापकों की प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरुकता का अध्ययन

2– ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरुकता का अध्ययन

3– पुरुष एवं महिला अध्यापकों की प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरुकता का अध्ययन

ifjdYiuk,%&

1– कला एवं विज्ञान वर्ग के अध्यापकों की प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर नही है।

2– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अध्यापकों की प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर नही है।

3– पुरुष एवं महिला अध्यापकों की प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर नही है।

midj.k%&

उपकल्पनाओं की जाँच की लिए इस शोधपत्र में स्वनिर्मित प्राकृतिक आपदा जागरुकता मापनी का प्रयोग किया गया हैं। प्रयुक्त मापनी में पाँच आयाम निर्धारित किये गये है जो निम्नलिखित है।

1. आपदा का अर्थ, 2. आपदा का प्रभाव, 3. आपदा का कारण, 4. आपदा से हानि, 5. आपदा से बचाव।

U;kn'k%&

इस अध्ययन हेतु न्यादर्श का प्रयोग करते हुए प्रतापगढ. शहर के 10 विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों से कला एवं विज्ञान वर्ग के 80 अध्यापकों एवं 80 अध्यापिकाओं का न्यादर्श के रुप में चयन किया गया है।

*प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग,स्वामी करपात्री जी इण्टर कालेज, रानीगंज, प्रतापगढ़, उ0प्र0

vkdMk l ikIr ifj.kke %& समूहों में अन्तर ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी का प्रयोग करते हुए टी मूल्य ज्ञात किये गये है प्राप्त परिणामों का प्रस्तुतिकरण एवं उनकी व्याख्या निम्न रुप से प्रस्तुत है–

1- dyk ox ,o foKku ox d v/;kidk dh ikdfrd vink d ifr tkx#drk dh rqyuk

lkj.kh l[;k&1

क्र.सं.	आयाम	कला वर्ग		विज्ञान वर्ग		टी मूल्य	0.5 स्तर पर सार्थकता
		मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन		
1.	आपदा का अर्थ	41.80	4.62	41.93	5.06	0.14	सार्थक अन्तर नहीं है।
2.	आपदा का प्रभाव	40.04	4.02	41.70	4.82	2.37	सार्थक अन्तर है।
3.	आपदा का कारण	35.70	4.93	36.63	5.64	0.95	सार्थक अन्तर नहीं है।
4.	आपदा से हानि	35.14	3.81	36.51	4.39	1.81	सार्थक अन्तर है।
5.	आपदा से बचाव	40.66	4.71	40.58	4.59	.093	सार्थक अन्तर नहीं है।
	कुल योग	194.25	12.75	194.67	16.32	0.95	सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रस्तुत सारिणी से स्पष्ट होता है कि केवल आपदा की प्रभाव की जानकारी में विज्ञान वर्ग के अध्यापकों एवं कला वर्ग के अध्यापकों की जागरुकता में सार्थक अन्तर है। इसका कारण यह है कि विज्ञान के अध्यापक अधिक रुचि के साथ इस क्षेत्र में शिक्षण करवाते है ।

अग्रदर्शित सारणी से स्पष्ट है कि स्पष्ट होता है कि केवल आपदा का अर्थ, आपदा का प्रभाव, आपदा से हानि की जानकारी में ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों एवं शहरी क्षेत्र के अध्यापकों की जागरुकता में सार्थक अन्तर है इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र का अध्यापक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुडा होने के कारण आपदा से ज्यादा सम्पर्क में रहता है इसी कारण उसे आपदा का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आता है लेकिन शहरी क्षेत्र का अध्यापक समाचार पत्र एवं दूरदर्शन के माध्यम से आपदा के प्रभाव एवं हानि की जानकारी अधिक रख पाता है। 2- xkeh.k ,o 'kgjh {k= d v/;kidk dh ikdfrd vink d ifr tkx#drk dh rqyuk

lkj.kh &2

क्रमांक	आयाम	ग्रामीण		शहरी		टी मूल्य	0.5 स्तर पर सार्थकता
		मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन		
1.	आपदा का अर्थ	42.87	3.94	40.80	5.29	2.81	सार्थक अन्तर है।
2.	आपदा का प्रभाव	40.37	3.64	41.45	3.89	1.80	सार्थक अन्तर है।
3.	आपदा का कारण	35.51	4.36	36.38	5.85	1.07	सार्थक अन्तर नहीं है।
4.	आपदा से हानि	34.98	3.71	36.025	4.29	1.63	सार्थक अन्तर है।
5.	आपदा से बचाव	41.08	4.10	40.18	5.19	1.21	सार्थक अन्तर नहीं है
	कुल योग	194.85	12.14	194.85	15.37	0.004	सार्थक अन्तर नहीं है।

3- i#"k ,o efgyk v/;kidk dh ikdfrd vkink d ifr tkx#drk dh rqyuk

Lkkj.kh&3

क्रमांक	आयाम	पुरुष		महिला		टी मूल्य	0.5 स्तर पर सार्थकता
		मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन		
1.	आपदा का अर्थ	41.39	3.93	42.28	5.45	0.84	सार्थक अन्तर नहीं है।
2.	आपदा का प्रभाव	40.90	3.36	40.92	4.77	0.27	सार्थक अन्तर नहीं है।
3.	आपदा का कारण	35.20	4.95	36.70	5.26	1.31	सार्थक अन्तर नहीं है।
4.	आपदा से हानि	35.40	4.20	35.61	4.051	0.23	सार्थक अन्तर नहीं है।
5.	आपदा से बचाव	40.95	4.05	40.32	5.24	0.57	सार्थक अन्तर नहीं है।
	कुल योग	193.84	11.55	195.85	15.75	0.92	सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट होता है कि महिला एवं पुरुषों की आपदा के विभिन्न आयामों के बारें में भी समान ही जानकारी है।

fu"d"k %& उपर्युक्त तालिकाओं से निम्नाकित निष्कर्ष से प्राप्त हुए–

1. कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के अध्यापकों की प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है। केवल आपदा के प्रभाव की जानकारी में विज्ञान वर्ग के अध्यापकों के एवं कला वर्ग के अध्यापकों की जागरुकता में सार्थक अन्तर है इसका कारण यह है कि विज्ञान के अध्यापक अधिक रुचि के साथ इस क्षेत्र में शिक्षण करवाते है ।

2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अध्यापकों की प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर नही पाया गया। केवल आपदा के अर्थ एवं आपदा से हानि की जानकारी में ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों एवं शहरी क्षेत्र के अध्यापकों की जागरुकता में सार्थक अन्तर है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र का अध्यापक आपदा के ज्यादा सम्पर्क में रहता है इसी कारण से उसे आपदा का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आता है। लेकिन आपदा से हानि के बारे में शहरी अध्यापक ज्यादा जागरुक है ।

3– पुरुष एवं महिला अध्यापकों की प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है । महिला एवं पुरुषों की आपदा के विभिन्न आयामों के बारे में भी समान जानकारी है ।

'kf{kd fufgrkFk %&

यह शोधपत्र शिक्षा जगत में शिक्षकों के विचारों को दिशा प्रदान करने के लिए एक प्रयास है, समाज के प्रत्येक इकाई के लिए संदेश प्रदान करने वाला है। शोध पत्र के द्वारा समस्त शिक्षक वर्ग को यह संदेश प्राप्त होता है कि वे अपने दायित्व में प्रकृति के प्रति अपने सम्बोध एवं व्यवहारिक ज्ञान को आगामी पीढ़ी को प्रदान करने का कार्य अवश्य करें ।

lUnHk %

1. अग्रवाल, एस0 श्रीवास्तव ;1986; प्राकृतिक प्रकोप, एन0वी0; अनुवाद के, ज्वाइंट असिस्टेंट सेन्टर, गुडगाँव
2. बनारस, ए0पी0 ; डेवलपमेंन्ट, डिजास्टर्स एण्ड डिस्प्लेसमेन्ट, जनवरी 2002
3. रिपोर्ट आफ द नेशनल फूड कमीशन, ऊर्जा एवं सिचाईं मंत्रालय, भारत सरकार
4. बुल रॉस; 1987; डिजास्टर इकोनोमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेन्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन्स डिपार्टमेन्ट, हयूमेन्टेरियन अफेयर्स, जेनेवा
5. कार्टर, डब्ल्यू जिक; 1991; डिजास्टर मैनेजमेन्ट और डिजास्टर मैनेजर्स हैण्डबुक, एशियन डेवलपमेन्ट बैंक, मनीला
6. चोपडा, अश्विनी कुमार; इण्डियन पालिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेन्ट , ए0सी0बी0 पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
7. चोपड़ा, बी0 डी0; डिजास्टर मैनेजमेन्ट एण्ड डेवलपमेन्ट, ए0सी0बी0 पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

***

Kku dh vo/kkj.kk vkj mldk f'k{k.k&vf/kxe e vuqi;kx

MkO jktho ekyoh;*

Kku dh vo/kkj.kk %

ज्ञान क्या है? यह प्रश्न अत्यन्त कठिन एवं जटिल है। भारतीय और पाश्चात्य विचारकों ने 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया है। सामान्यतः ज्ञान शब्द का प्रयोग 'समझ' के अर्थ में किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समझ का मूल निष्कर्ष जानने से होता है। कीथ लेहरर ने ''जानने'' शब्द का तीन अर्थ बताया है। प्रथम अर्थ के अनुसार जानने शब्द का प्रयोग किसी काम को करने की योग्यता से लगाया जाता है। दूसरे अर्थ के अनुसार जानने से आशय किसी चीज से परिचय प्राप्त करने से सम्बन्धित होता है। तीसरे अर्थ के अनुसार जानने का सम्बन्ध किसी सूचना की प्राप्ति से सम्बन्धित होता है। शिक्षण–अधिगम के क्षेत्र में ज्ञान अथवा जानने की प्रक्रिया में भी ज्ञान के इन्हीं तीनों अर्थों को प्रयोग में लाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि ज्ञान किसी चीज को जानने या परिचय प्राप्त करने, किसी कार्य को करने की योग्यता अर्जित करने तथा किसी सूचना की प्राप्ति से अर्न्तसम्बन्धित होता है। प्रो0 मैनी (1990) ने मूल्यपरक शब्दकोष में 'ज्ञान' के अर्थ को छः रूपों में व्यक्त किया है–

क. चेतन अवस्था में इन्द्रियों आदि के द्वारा बाहरी वस्तुओं का मन में होने वाला बोध या परिचय ज्ञान है।

ख. विविध चीजों, वस्तुओं, बातों को देखने सुनने से मन में जो धारणा या भावना बनती है वह ज्ञान है।

ग. शरीर की चेतना शक्ति, जिससे मनुष्य को अनुभूति होती है– जानने समझने की योग्यता, वृत्ति या शक्ति ज्ञान है।

घ. स्नायविक क्रियाओं के कारण मस्तिष्क में होने वाली जानकारी का एकत्रीकरण एवं उसके अनुरूप क्रियान्वयन ही ज्ञान है।

ङ. अध्ययन, अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा किसी विषय के सम्बन्ध में होने वाली तथ्यपूर्ण वास्तविक जानकारी ज्ञान कहलाता है।

च. आध्यात्मिक रूप में आत्मा–परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध, वास्तविक स्वरूप आदि की ऐसी जानकारी, अनुभूति जो मोक्ष की ओर मनुष्य को अग्रसर करती है वही ज्ञान है।

राष्ट्रीय पाठ्यचार्या की रूपरेखा 2005 में कहा गया है कि–सोचने, समझने, महसूस करने तथा कार्य करने के परिणामस्वरूप जो जानकारी, समझ प्राप्त होती है, वह ज्ञान कहलाता है।''

Kku vkj lpuk dk fo|ky;h f'k{k.k&vf/kxe e vuqi;kx %

इस ब्रह्माण्ड में मनुष्य को एक विचारवान, चिन्तनशील एवं प्रभावी प्राणी के रूप में प्रतिष्ठित करने में ज्ञान और सूचना का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान और सूचना से मनुष्य में अन्तः प्रज्ञा का जागरण होता है, संवेगों का विकास होता है, बुद्धि और अनुभव जाग्रत होता है, जिससे मनुष्य में क्रियात्मकता सृजनात्मकता का विकास होता है। ज्ञान और सूचना मानव के अभ्युदय और विकास का मूलाधार है इसी कारण हर युग में सर्वदा ज्ञान और सूचना की अनिवार्यता महसूस किया गया और इसकी प्राप्ति हेतु मनुष्य को उत्प्रेरित किया गया। ज्ञान और सूचना से मनुष्य में नव–चेतना, कुछ करने की उत्कंठा का जागरण होता है। व्यक्ति अपने समक्ष उचित चुनौतियों का सक्षमता से समाधान करने में समर्थ होता है। वास्तव में भारतीय एवं पाश्चात्य अनेकों विचारकों ने ज्ञान को मनुष्य का आभूषण या गहना बताया है। जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञान का

*एम.डी.पी.जी. कालेज, प्रतापगढ़, उ0प्र0

अवगाहन करता है, वह उतना बड़ा विद्वान एवं मनीषी बनता है। जो समाज में विद्वान, ज्ञानी, मनीषी बन जाता है, जनसामान्य उसके पद–चिन्हों का अनुकरण करने लगता है। इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। समाज में आदर होता है। इसीलिए हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान का उपासक एवं आराधक बनना चाहिए।

भारतीय मनीषियों में श्रेष्ठ वेद व्यास का कथन है कि–''ज्ञान मनुष्य को जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता है, बल्कि यह उसे बोलना, चलना और व्यवहार करना सिखाता है।'' आचार्य कौटिल्य का कथन है कि–''अज्ञान के समान मानव का कोई दूसरा शत्रु नहीं है।'' पाश्चात्य विचारकों में अग्रणीय प्लेटो ने कहा है कि– ''अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है।'' बेकन का मत है कि–''ज्ञान ही सर्वोच्च शक्ति है।''

एस.डब्लू. टेम्पिलने लिखा है कि–''अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु और ज्ञान सबसे बड़ा मित्र है।''

प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि शेक्सपीयर ने लिखा है कि–''अज्ञान अंधकार का प्रतिरूप है।''

अतः स्पष्ट है कि भारतीय और पाश्चात्य अनेकों विचारकों ने ज्ञान की मुक्त कंठ से प्रशंसा किया है और इसे मानव जाति की सबसे बड़ी आवश्यकता बतलाया है। वास्तव में ज्ञान एक अर्जित संस्कार है। इसकी प्राप्ति से व्यक्ति साहित्य कला, संगीत, विज्ञान की दिशाओं में अग्रसर होता है। ज्ञान मूलतः निर्णय पर आधारित होता है अर्थात् निर्णय ज्ञान की एक इकाई है। अनेक निर्णय मिलकर जब इकठ्ठे होते हैं तो वही ज्ञान–कोष कहा जाता है। ज्ञान–कोष हर क्षेत्र में हर परिस्थिति में व्यक्ति का पथ–प्रदर्शन करके उसे आगे बढ़ने में सहायक होता है। ज्ञान–कोष के निर्माण में सूचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति अपने जीवन–काल में अनेक प्रकार की सूचनाए तथ्य, आँकड़े के रूप में प्राप्त करता रहता है। इन प्राप्त सूचना रूपी तथ्य एवं आँकड़े को किसी निर्णय की कसौटी पर जब व्यक्ति एक प्रक्रिया के तहत प्रक्रमण करता है तो वही ज्ञान–कोष के रूप में जाना जाता है। इसलिए शिक्षण–अधिगम के दौरान शिक्षक और शिक्षार्थी को सूचना के महत्व को समझकर उसके प्रक्रमण की बारीकियों को जानना परमावश्यक है। प्रत्येक शिक्षक अपने शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में अपने शिक्षार्थी को सूचना ही देता है। शिक्षार्थी प्राप्त सूचना की विशिष्टता, उपादेयता को दृष्टि पथ में रखकर उसे एक प्रक्रिया के द्वारा प्रक्रमण करके उसे ज्ञान के रूप में आत्मसात् करता है। अतः शिक्षक को पढ़ाते समय सत्य, विश्वसनीय एवं प्रमाणित सूचनाएँ विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। इससे शिक्षार्थी सार्थक ज्ञान की प्राप्ति में समर्थ हो सकेंगे।

आधुनिक समय में ज्ञान और सूचना की अधिकतम् प्राप्ति करके ज्ञानवान समाज की स्थापना पर अधिकतम् बल दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विद्यालयी व्यवस्था में शिक्षण–अधिगम का प्रबन्धन ज्ञान एवं सूचना से आबद्ध किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षक और शिक्षार्थी जितना अधिक ज्ञान एवं सूचना की प्राप्ति में सक्षम होंगे, वे उतना ही अधिक अपने विचारों एवं भावनाओं को संगठित, अनुशासित एवं नियंत्रित करने में सफल होंगें। वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सक्षमता के साथ मुकाबला करने में सक्षम बन सकेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में वर्णित है कि बच्चों में स्वभाव से ही सीखने एवं ज्ञान की प्राप्ति की क्षमता होती है। इसलिए उनमें अर्थ निकालने, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना एवं कार्य आदि अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलूओं पर शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा अधिकाधिक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए उन्हें सीखने हेतु अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीजें सीखने व स्वयं बनाने, प्रयोग करने से, पढ़ने, विमर्श करने, पूँछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने तथा गतिविधियाँ लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में ज्ञान एवं सूचना को अधिकतम् उपलब्धि के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अन्तः क्रिया का अवसर प्रदान करें। सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के आधुनिक साधनों से अधिक से अधिक ज्ञान एवं सूचना की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों को अपने आस–पास उत्प्रेरित करें। इसके अलावा विद्यार्थियों, को प्रकृति की विशालता की अनुभूति करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। विद्यालय में समय–समय पर भ्रमण का आयोजन किया जाना चाहिए। बच्चों को घूमने–फिरने, खोजने, अकेले काम करने, अपने सहपाठियों एवं वयस्क लोगों के साथ काम करने, अपनी बात करने का

अवसर भी दिया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी अधिक से अधिक ज्ञान एवं सूचना की प्राप्ति करके लाभान्वित हो सकेगें और उनमें सृजनशीलता का अंकुरण हो सकेगा।

यह खेद का विषय है कि वर्तमान समय में विद्यालयी शिक्षा की शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया आज भी मूलतः शिक्षक–केन्द्रित ही है। कक्षागत परिस्थिति में विद्यार्थियों को अन्य स्रोतों एवं साधनों से ज्ञान एवं सूचना की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित नहीं किया जाता है। यदि कोई विद्यार्थी कहीं से अद्यतन ज्ञान एवं सूचना की प्राप्ति कर लेता है और उसे शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है तो वह शिक्षक द्वारा अपमानित किया जाता है। या तो उसकी प्रामाणिकता को असंदिग्ध ठहरा दिया जाता है। अतः शिक्षक को इस प्रकार की दूषित परिपाटी से बचना चाहिए। अपने शिक्षार्थी को बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और वह जहाँ से नवीन ज्ञान एवं सूचनाएँ अर्जित किया है उस साधन एवं स्रोत तक पहुँचकर अपने विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान एवं सूचना की प्राप्ति हेतु ललक एवं जिज्ञासा की उत्पत्ति होगी।

बच्चे जब किसी विषय पर संगठित अनुभव प्राप्त करते हैं तो उसी को विषयगत ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान भाषा, विचार–श्रृंखला, या अवधारणा की संरचना में अत्यन्त सहायक होता है। इससे विषयगत संकल्पनाओं के बारे में जब बच्चे अर्थ–बोध कर लेते हैं तभी वे उससे उच्च स्तरीय संकल्पनाओं की खोजने की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसलिए ज्ञान एवं सूचना के अधिकतम प्राप्ति के लिए शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को पहले बच्चों को विषयगत बारीकियों का अर्थ–बोध कराके उच्चतम ज्ञान की खोज हेतु प्रेरित करना चाहिए।

शिक्षक को ज्ञान एवं सूचना की अधिकतम् प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। उच्च स्तरीय पुस्तकों को पढ़ाने हेतु उत्प्रेरित करना चाहिए। अन्तः प्रज्ञा ज्ञान की प्राप्ति हेतु तुलनात्मक विधि का प्रयोग करने का गुण विद्यार्थियों में उत्पन्न करना चाहिए। तर्क, विधि, संवाद विधि, खोज विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि का उपयोग करके शिक्षक को विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान एवं सूचनाओं को एकत्र करने का अवसर देना चाहिए। इससे विद्यार्थी नवीन ज्ञान एवं सूचना से अलंकृत होकर अपना उत्कर्ष करते हुए ज्ञानवान समाज के नवनिर्माण में अपना सार्थक योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेगें।

lUnHkZ %

1. Ayer A.J. 1990; The problem of knowleged : Pelican books, London
2. Mukerji A.C. 1970; self thought and Reality : Indian Press ,Allahabad
3. भट्ट, गोवर्धन. 1987; दार्शनिक विश्लेषण, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना
4. पाण्डेय, आर.एस. 1961; वरट्रेण्ड रसेल का शिक्षा दर्शन; मैकमिलन कं0, दिल्ली
5. सेठ; एस. के एवं मिश्र एन.2011; ज्ञान–दर्शन, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
6. दयाकृष्ण. 1972; ज्ञान–मीमांसा, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर
7. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005; NCERT, दिल्ली, 2005

***

pnjh dh f'kYi ,o dyk % ,d uohu v/;;u

MkO Jherh vfirk frokjh*

कला देश तथा युग विशेष संस्कृति की परिचायक होती है, इन ऐतिहासिक रचनाओं में अन्य सांस्कृतिक तत्वों की भाँति कला के विविध सांस्कृतिक संस्थान भी प्रतिबिम्बित है, जिनके आधार पर चन्देरी के तद्युगीन सांस्कृतिक पक्ष को भलीभाँति हृदयंगम किया जा सकता है।

okLrqdyk % चन्देरी की अधिकाँश इमारतें माण्डू के सुल्तान के समय की है। अतः निःसंदेह प्रचलित शैली कई मायनों में माण्डू की पठानी शैली से मिलती जुलती है, जिसकी विशेषता उसकी सादगी, विस्तृत रूपरेखा और सुखद समानुपात है। छते गुम्बदनुमा मेहरावदार और समतल है, गुम्बद अर्धगोलाकार है, जो कि पठानी शैली से मिलते जुलते है और सामान्यतः अष्टभुजी आधार रखते है। घुमावदार मेहरावें लम्बी चौड़ी और ओजी (0 आकार की) जाली का मिश्रण है। पुनः मेहरावों के किनारे सीधी रेखा में नीचे की तरफ खींचे गये है। मेहरावों की सजावट के लिए सामान्य गुलाब को नियोजित किया गया है। दो तरह के ब्रेकेटस मिलते है – 1. लहरदार व कटावदार 2. सपाट और चौकोर। नक्काशीदार झुमर दोनों ही शैलियों में समान है। स्तंभ के मुठिया ठोस और समतल है। खम्बे का पतला हिस्सा ठोस और सुगम है, आधार अक्सर साधारण सजावटी आकृतियों से ढ़के हुए है।[1]

ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मध्ययुगीन स्मारक नष्ट हो गए है, अथवा पूर्णतः परिवर्तित हो चुके है। अतः इसके मस्जिदें, मकबरे स्कूल और सराय विलुप्त हो चुके है, फिर भी पर्याप्त प्राकृतिक प्रतिरूप और नमूने मिलते है, जो दर्शाते है कि चन्देरी वास्तुकला पूर्णतः विकसित थी, जिसमें साम्प्रदायिक इमारते, समाधियाँ भवन, जनोपयोगी इमारते, दरवाजे आदि है। इसके समकालीन जौनपुर की वास्तुकला यहाँ की मस्जिदों से मिलती है। माण्डू की वास्तुकला मुख्यतः शाही जरूरतों और रूचि को समर्पित थी। चन्देरी में मस्जिद, मकबरा या महलों के महत्व का कोई बंधन नहीं है, महत्व है तो वह निश्चित रूप से जनउपयोगी और अवसरात्मक निर्माण पर है। तालाब और बाबड़ी प्रचुर मात्रा में है। वे गुजरात के सार्वजनिक कार्यो से प्रभावित है किन्तु नकल नहीं है। चन्देरी में मौलिकता है। चन्देरी के दरवाजे का विचार स्वदेशी तोरण से लिया गया है, परन्तु चन्देरी के दरवाजे तोरण से पूर्णतः नये अंदाज में बने है। खम्भों की जगह पर इनमें फिरोजियन शैली के जैसे–गुम्बदनुमा कंगूरों का इस्तेमाल इसके स्वयं के तत्वों जैसे जालीनुमा मेहराव जो उचित रूप से रेखाचित्र में समाहित होती है। यह इसकी कला का एक अनोखा रूप है, एवं उतना विशेष है, जितना कि फतेहपुर सीकरी के हमाम की कला का।

चन्देरी में अपनाई गई योजना कल्पनाशीलता की समृद्धि और हुनर के सही निर्वाह के गुण को दर्शाती है। यद्यपि इसके विस्तृत गुम्बद माण्डू में इसके प्रतिरूप से मिलते–जुलते है। छतों के विविध प्रकार जो चन्देरी में अपनाए गए है, वह शिल्पकार की बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा दिलाते है। जामा मस्जिद में रीढ़दार, पीपानुमा गुम्बद को तीन गुम्बदों के मध्य में उपयोग किया है और कौशक महल में पत्थर के विपरीत गुम्बद और तिरछी छत का उपयोग किया है। यह दर्शाता है कि शिल्पकार को केवल पारम्परिक सीधी छतों की ही जानकारी नहीं थी, बल्कि विशेष गुम्बदनुमा मुस्लिम छतों को बनाने में भी महारथ हासिल थी। कौशक महल में एक सिर के उँचाई की कल्पना जिसको ठोस महरावों से सहारा दिया गया है, मीनार की मेहराव की स्थिति परिवर्तन के लिए उपयोग किया गया है, फिर भी चन्देरी की मीनारों की मेहरावे एक समझौता है धनुषाकार और गोल गुम्बद निर्माण पद्धति से पत्थरों के लटकन के उपयोग करने का। दिल्ली की मीनार

*चंदेरी, जिला–अशोकनगर, म0प्र0

की मेहरावे विशाल ठोस है, जबकि चन्देरी की मेहरावे नाजुक लालित्यपूर्ण प्रकृति कि है। मध्यकालीन कला की पारम्परिक आकृतियों में भी चन्देरी की पृथक विशिष्ट छाप है।[2]

चन्देरी की लगभग प्रत्येक इमारत में ओजी (जाली) का उपयोग किया गया है। वास्तव में ये (ओजी) यहाँ पर इतनी प्रसिद्ध थी कि मेहरावों में इनकी एक भिन्न श्रेणी लगने लगी। इनका उपयोग यहाँ पर पत्थर की मेहरावों में किया जाता था, जो कि बनावट के रूप में भी थी और सजावट के रूप में थी। ओजी को विद्धतापूर्वक इसके अनुरूप बनाया गया है, जो कि वास्तव में इसके उपयोग के अनुरूप नहीं थी, मेहरावों के विपरीत जो कि इसके आकार पर ऊपर लटकते पत्थरों पर निर्भर थी। इसके लालित्यपूर्ण घुमार्ण लगातार उत्तल अवतल क्रम में मिलते थे और शिखर पर एक नुकीला सिरा छोड़ते थे। आधार की समस्या जो कि इस तरह के निर्माण में स्वाभाविक थी, को भारी चौकोर पत्थरों से सुलझाया गया, जो चन्देरी में बहुलता से उपलब्ध थे। स्ट्रट अथवा पतले सर्पाकार ब्रेकेट जो संरचना से ज्यादा सजावटी थे, का उपयोग चन्देरी में बहुलता से किया गया है। शहजादी का रोजा और जामा मस्जिद में ज्यादा प्रभावशाली तरीके से स्ट्रट का प्रयोग किया गया है। ओजी की तरह ही स्ट्रट भी कला का एक विशिष्ट गुण है। चन्देरी पत्थरों की नक्काशी और जालियों की अत्यधिक अलंकृत शैली से यह बात प्रमाणित होती है कि यह गुजराती कला है।[3]

चन्देरी के कलाकारों ने सीढ़ियों पर भी ध्यान दिया है जो कि न केवल आरामदायक है, बल्कि इमारत में पूर्णतः का प्रभाव भी देती है। यह माण्डू की प्रवेश की मुख्य विधि थी, लेकिन साररूप से यह पानी के कार्य जैसे तालाब बावड़ी की वास्तुकला है जिसमें आवश्यकता अनुसार अत्याधिक सरल और आरामदायक सीढ़ियाँ चबूतरों और मंजिलों में बँटी हुई है। यह दूसरी संरचनाओं में भी प्रभावशाली रूप से उपयोग की गई है। चन्देरी में 'सारदुला' की आकृति भी एक अनोखी आकृति है जो कि माण्डू अथवा जौनपुर में नहीं है, दिल्ली में भी हुमायूँ से पहले नहीं थी। यह एक प्रतीकात्मक शुद्ध और साधारण प्रस्तुतीकरण है। इसके वर्णनचित्र दर्शाते है कि चन्देरी के मुस्लिम शासक भी अपने विषयों के अंधविश्वासों को स्वीकार करते थे और आध्यात्मवादियों के विरोध की बहुत कम चिंता करते थे।

चन्देरी वास्तुकला का सजावटी रूप इतना अच्छा नहीं है जितना कि बनावटी। यहाँ पर न तो कलाकृति है और न ही चूने के पलस्तर की कारीगरी विशिष्ट आंतरिक पच्चीकारी। चन्देरी की सजावट पत्थर की नक्काशी के विभिन्न डिजायनों तक ही सीमित है। अतः विशिष्ट अरेविक और ज्यामितिय शैली नक्काशी पैनल में दिखती है। चन्देरी में जाली की अधिकता है लेकिन सभी ज्यामितिय पैटर्न पर एक सीधी लाइन में बनी है। कमल के तमगों का उपयोग बड़ी मात्रा में हुआ है। दीवारों की समतल एकरूपता को कैसे तोड़े यह हर युग के वास्तुशिल्पियों के लिए एक पहेली रही है। कुछ भी अत्याधिक करना प्रभाव को वैसे ही बिगाड़ता है जैसे कि अत्याधिक काम करना। समाधानात्मक सजावट को बहुत ही न्यायोचित रूप से उपयोग किया जाता है और चन्देरी में इस उद्देश्य के लिए महरावदार आला एक प्रिय कलात्मक आकृति है, एक आकृति जो इस मुगल तकनीक को एक शताब्दी तक आगे ले जाती है।

सामान्यतः चन्देरी के महल, मस्जिदें, मकबरे, तालाब और बावड़ियाँ ठोस, प्रभावशाली और साधारण है। कुछ मकबरों में परिष्कृत खुदाई है, जो पत्थर के आवरण पर रंगबिरंगा ज्यामितिय खाका है बाद के राजपूत बुन्देला राजाओं के महल इंडोस्लामिक शैली में है।

fp=dyk %& घोड़ा पछाड़ नदी के तट पर स्थित गुफायें भरकी, ओणछा, सेरदौत, हाथी दाँत, आमखो आदि में चित्रकला के पर्याप्त नमूने देखने को मिलते है, इन सभी गुफाओं के चित्रों में समानता है, पर राजा की गुफाओं में हाथी घोड़े पर बैठे हुए लोग शस्त्र धारण किये है एवं पैदल सैनिक दोनों हाथों में शस्त्र थामें हुए है। मढ़ी चन्देरी, चिरौली, आमखों आदि गुफाओं में आदिमानव द्वारा एक ही रंग एवं एक ही शैली में चित्र बनाये गये है, इन गुफाओं में मुख्यतः हाथी, शेर, बारहसिंहा, हिरण, मानव, शूकर, बैल, बंदर, नेवला, सर्प, मछली, मगरमच्छ, मोर, ऊँट एवं अन्य में पद्मासन मुद्रा में एक तीर्थकर प्रतिमा उत्कीर्ण है। साहित्यिक प्रमाणों से ज्ञात है कि यह मंदिर प्रसिद्ध श्रेष्ठी पाड़ाशाह ने 12 वी शताब्दी में निर्मित करवाया था। यहीं पर एक मंदिर में शीशविहीन लगभग 21 खड़गासन तथा 3 पद्मासन प्रतिमाएँ वर्तमान में विद्यमान है जिनकी अधिकतम अवगाहना 4 फुट है।[4]

चौबीसी जैन मंदिर में वर्ण (रंग) के अनुरूप प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित है। इसमें दो प्रतिमाएँ सफेद रंग की, दो काले, दो हरे रंग, दो लाल रंग की एवं 16 प्रतिमाएँ सोने के रंग जैसी है। खंदारगिरी में एक पहाड़ी को काटकर 6 गुफाओं में जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई है। भगवान आदिनाथ की लगभग 34 फुट ऊँची मूर्ति चट्टान को काटकर बनायी गयी है। यह देखने में अत्यंत सुंदर है। गुफा नं. 4 एवं 5 की मूर्तियाँ दर्शनीय एवं श्रेष्ठ है। खंदारगिरी की जैन मूर्तियाँ ग्वालियर दुर्ग की उरवाई घाटी की मूर्तियों से मिलती है। इस क्षेत्र का मूर्तिशिल्प 12वीं से 16वीं सदी तक का माना जाता है। इस गिरि की अधिकांश प्रतिमाएँ खड़गासन मुद्रा में तथा कुछ प्रतिमाएँ पद्यासन में है। बूढ़ी चन्देरी में जर्मन पुरातत्वेत्ता डॉ0 क्लाउस ब्रून ने 55 मंदिरों के अवशेष खोजे थे। यहाँ पर कई मूर्तियाँ खंडित अवस्था में पाई गई।

राजा के महल के पास स्थित बड़े गणेश मंदिर की गणेश जी की मूर्ति 12 फीट लम्बी है चार भुजा व चेहरा आध्यात्मिक है। नटराज की प्रतिमा नवीं शताब्दी की सीतामढ़ी (थूबोन) से प्राप्त है। उनका बाँया पैर समपाद स्थिति में पीठिका अवस्थित है तथा दायाँ पैर कुन्चित अवस्था में नन्दी के पृष्ठ पर अवस्थित है। थूबोन के मंदिर क्र.1 के गर्भगृह में स्थित प्रतिमा में शिव ललितासन में बैठे है। थूबोन के समीप करधना नामक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे उमा–महेश्वर की एक भव्य अलंकृत प्रतिमा अवस्थित है। इसमें चतुर्भुजी शिवजी ललितासन में बैठे है तथा उनके वाम पार्श में उमाजी आसीन है। ए.एस.आई म्यूजियम से नीचे दाँयी ओर चतुर्भुजी कार्तिकेय मोर पर आसनास्थ है। योगासन मूर्तियों में विष्णु (2123) पद्यासन मुद्रा में कीर्तिमुख के समान पीठिका पर आसीन है। चतुर्भुजी प्रतिमा की दो भुजाओं योग मुद्रा में गोद में रखी हुई है। शेष दायी भुजा में गदा तथा बाँयी भुजा में चक्र धारण किये है। विष्णु जी ध्यानमग्न अवस्था में प्रदर्शित है। सिर पर करण्ड मुकुट, कुण्डल, ग्रैवेयक, हार, यज्ञोपवीत धारण किये है। यह प्रतिमा लगभग 10वीं शताब्दी की प्रदर्शित होती है। कई प्रकार के पक्षी बनाये गये है, इन सभी चित्रों को प्रायः गहरे लाल रंग व हल्के लाल रंग से बनाया गया है, परन्तु शेर के दाँत में कुछ चित्र हरे व सफेद रंग से बनाये गये है।[5] चन्देरी में राजा के महल की दीवारों पर कई चित्र बने हुए है इसके अतिरिक्त कई ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करते हुए चित्र पुरातत्व संग्राहलय में सुशोभित है।

I UnHki %

1. गर्दे, एम.बी.; 'ए गाइट टू चन्देरी',पृ. 16–17
2. आर, नाथ. 1979; द आर्ट ऑफ चन्देरी, अम्बिका पब्लिकेशन, नई दिल्ली,
3. वही; पूर्वोक्त पृ. 57
4. अंसारी मुजफर अहमद; पृ. 63
5. जैन, अल्पना एवं अविनाश.; श्रमण संस्कृति का अमर तीर्थ, अप्रकाशित, पृ. 55–58

***

d.My ugj lR;kxg % vkfnokfl;ksa ds l?k"kZ dh xkFkk

vrqy xIrk*

ब्रिटिश शासकों के विरूद्ध आदिवासियों का संघर्ष प्रायः उतना ही पुराना था जितना कि ब्रिटिश शासन। वस्तुतः अंग्रेजों के उपनिवेशवादी शोषण का कहर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर ही सबसे ज्यादा बरसा। अंग्रेजी शासन द्वारा अर्थव्यवस्था प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली में जिस तेजी से परिवर्तन किये गये, उससे आदिवासियों में असंतोष उपजा। इन परिवर्तनों ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में उथल पुथल उत्पन्न कर दी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार और शोषण रूपी हथियारों से लैस ब्रिटिश शासन ने जब आदिवासियों के इलाकों में घुसपैंठ की तो उनमें घोर असंतोष व्याप्त होना स्वाभाविक ही था। साधाराणतः आदिवासी शेष समाज से अपने को पृथक रखते थे लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें पूर्णतः औपनिवेशिक शासन के दायरे के भीतर अपने शिकंजों में कसकर आदिवासी अंचल के सरदारों को जमीदारों के स्तर पर स्थापित किया तथा लगान की नई पद्धिति अपनाई। आदिवासियों द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनोपज एवं अन्य वस्तुओं पर नित्य नये कर आरोपित किये गये। वनान्चलों में इसाई मिशनरियों के प्रचार–प्रसार को भी शासन ने बढ़ावा दिया और आदिवासियों से लगान वसूली के लिए महाजन और व्यापारियों के एक ऐसे वर्ग को उन पर थोपा जो बिचौलिये का कार्य करते थे इस प्रकार आदिवासियों की भूमि पर साहूकारों ने अधिकार स्थापित कर उन्हें कर्ज के जटिल जाल में उलझा लिया।

आदिवासियों की आदिम सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया । जमीन हाथ से निकलती गई एवं वे किसान से खेतीहर मजदूर हो गये, जंगलों से अटूट रिश्तों को तोड़ दिया गया भोजन, ईंधन, पशुओं का चारा ,इन्हें जंगल से ही प्राप्त होता था। कृषि पर पाबंदी लगा दी गई, वन भूमि व वनोपज पर तरह–तरह के प्रतिबंध लगाये गये। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने सब कुछ बदल दिया पुलिस और अन्य छोटे मोटे अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों शोषण वेगार और जबरिया उगाही ने आदिवासियों का जीना दूभर कर दिया। इस कारण आदिवासियों में असंतोष घर करता गया अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्होंने शोषण का प्रतिरोध किया ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पीड़ित इन जनजातिय जनों ने कई बार सशस्त्र संघर्ष किया उपर्युक्त शोध आलेख में जंगल सत्याग्रह की पृष्ठभूमि का निर्माण करने वाले या कहें तो जंगल सत्याग्रह के अग्रज कण्डेल नहर सत्याग्रह का विवरण उपलब्ध श्रोतों के अध्ययन अनुशीलन एवं सर्वेक्षण के आधार पर दिया जा रहा है।

सन् 1920 का वर्ष भारत के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है 1920 के कुछ वर्ष पूर्व ही गाँधी जी ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश लिया था उन्होंने अपने कार्यो, विचारों तथा आदर्शो से एक नये युग का सूत्रपात किया, स्वाधीनता आंदोलन को एक नया आयाम दिया। अहिंसा असहयोग तथा सत्याग्रह के अमोधा अस्त्रों की सहायता से उन्होंने सदियों से गुलामी का अभिशाप भोगने वाली विवश और असहाय जनता में एक नये आत्मविश्वास का सृजन किया, यही कारण है कि भारतीय जनता निर्भीक होकर उस साम्राज्य को चुनौती देने में समर्थ रही जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था, इस समय वर्तमान छत्तीसगढ़ अंचल भी देश के स्वाधीनता संग्राम की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ था।

रायपुर जिले के धमतरी तहसील में कण्डेल ग्राम स्थित है। 1920 के नहर सत्याग्रह से कण्डेल ग्राम का महत्व देशव्यापी हो गया, महात्मा गाँधी ने कण्डेल नहर सत्याग्रह को दूसरा बारडोली कहकर परिभाषित किया।[1] धमतरी के पास महानदी के तट पर रूद्री नामक स्थान है तथा माद्म सिल्ली ग्राम के पास सन् 1914

*अतिथि विद्वान, इतिहास विभाग, शास. छत्रसाल महा. पिछोर, जिला–शिवपुरी, म.प्र.

में सैलरिया नदी में एक बड़ा बाँध बनाया गया है। महानदी नहर का शुभारम्भ समारोह सर बी रावर्टसन द्वारा किया गया। इस नहर योजना और निर्माण कार्य का श्रेय श्री हैरियट को जाता है। वे सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता थे।[2]

ध्यातव्य है कि भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है अतः यह कृषि उत्पादन के लिए कृत्रिम सिंचाई भी आवश्यक है। ब्रिटिश शासन ने महानदी से नहर का निर्माण किया जो आज भी मौजूद है इस नहर द्वारा ही तहसील के गाँव में सिंचाई कार्य किया जाता था। अतः शासन को नहर से सिंचित ग्रामों में अतिरिक्त कर भी वसूल करना पड़ा।

बाँध एवं नहरों के निर्माण में शासन का अधिक धन व्यय हुआ था। 'नहर कर' से पर्याप्त आय नहीं हो पाती थी। नहर विभाग के अधिकारियों ने 10 वर्षीय नहर अनुबंध किसानों से तैयार किया तथा लगान की दर प्रति एकड़ निर्धारित दर से अधिक वसूल करना आवश्यक समझा, किसान इस अतिरिक्त कर को देने में असमर्थ थे। अतः इस समझौते से ग्रामवासी असन्तुष्ट हुए थे। उनका सुझाव था कि 10 वर्षो में सिंचाई के लिए गाँव की नहर आवपासी(अनुबंध) के लिए जो धन व्यय करना होगा, उससे अपने गाँव में हमेशा के लिए सिंचाई हेतु एक विशाल तालाब निर्मित कर सकते हैं। अतएव् बहुत कम ग्राम इस अनुबंध हेतु सहमत हुऐ जिनमें से कण्डेल ग्राम के आदिवासी कृषक भी थे।[3]

नहर विभाग का कार्य संतोषप्रद नहीं था। अतः अनुबंध अधिक नही हो रहे थे परिणामस्वरूप नहर विभाग ने कण्डेल गाँव को जाने वाली शाखा नहर की नाली को काटकर उस गाँव के खेतों में पानी देने का निर्णय लिया, ऐसी परिस्थिति में उस गाँव के किसानों पर चोरी से पानी ले जाने का झूठा आरोप लगाकर व जुर्माना सहित नहर पानी का लगान वसूल करने का मार्ग साफ हो जाता है।[4]

इस योजना के क्रियान्वयन की रात्रि कण्डेल ग्राम एवं आसपास के गाँव में इतनी घनघोर वर्षा हुई कि कोई यह नहीं कह सकता था कि इस घनघोर वर्षो के बाबजूद नहर काटकर गाँव वालों को खेतों की सिंचाई करने की आवश्यकता हुई होगी।[5]

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने गाँव के सभी किसानों पर पानी ले जाने का आरोप लगाया था कि उन्होंने नहर से सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया है। गाँव वालों ने इस झूठे आरोप का खण्डन किया, किन्तु अंग्रेजों की नौकरशाही ने गाँव वालों की एक न सुनी और उन पर 4303 रूपये का कर वसूली के लिए कुर्की वारंट जारी कर दिया।[6] गाँव वालों के साथ सम्पूर्ण धमतरी तहसील की जनता में इस कार्यवाही से असंतोष की आग भड़क गई और सभी ने संगठित होकर इस अन्याय के विरूद्ध संघर्ष करने का निर्णय लिया।

सितम्बर 1920 के आरम्भ में ग्रामवासियों और तहसील के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पं. सुन्दर लाल शर्मा, श्री नारायण राव मेघा वाले तथा श्री बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अंग्रेजों की इस मनमानी की कटु आलोचना की। इसी सभा में निर्णय लिया गया कि नौकरशाही के विरूद्ध सत्याग्रह का शुभारम्भ किया जाये और किसी भी स्थिति में नहर कर अदा न किया जाये। इस कार्य में आने वाले व्यवधान का प्रखर विरोध करने के लिए गाँव वाले संगठित थे।[7]

अब अंग्रेज नौकरशाहों द्वारा गाँव वालों पर दमनचक्र आरम्भ हुआ। शासन ने सबसे पहले उनकी सर्वाधिक उपयोगी और प्रिय वस्तु मवेशियों पर अधिकार किया। गरीब किसानों के पास इन मवेशियों के अतिरिक्त और कोई सम्पत्ति भी नहीं थी जिसे जब्त किया जा सकता। नियमानुसार इन मवेशियों को नीलाम करके यह रकम वसूल की जानी थी। नीलामी के लिए मवेशियों को सर्वप्रथम धमतरी के इतवारी बाजार में लाया गया। यहाँ के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के प्रचार से एक अद्भुत बात देखने में आई कि बाजार में कोई बोली लगाने वाला ही नहीं था। कोई माटी के मोल भी इन मवेशियों का लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, फिर भी अधिकारियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन मवेशियों को दूसरे बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया, किन्तु स्थिति यथावत रही। इसके पश्चात तो इन मवेशियों को गाँव–गाँव में ले जाया गया और वहाँ के बाजारों में उन्हें नीलाम करने का प्रयास किया गया, किन्तु जहाँ भी नीलामी के लिए अधिकारी जाते, सत्याग्रही

वहाँ पहुँच जाते। अतः नीलामी के पूर्व तहसील के नेताओं द्वारा यह बात सभी को समझा दी जाती थी। परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण तहसील में कहीं भी कोई ग्राहक इन मवेशियों को क्रय करने को तैयार नहीं हुआ और सरकार की रकम वसूल न हो सकी।[9]

शासन के कर्णधारों ने जब देखा कि सम्पूर्ण तहसील ही देश भक्ति से ओतप्रोत है तो उसने कण्डेल ग्राम के माल गुजार छोटे लाल श्रीवास्तव और उनके चचेरे भाई लालजी बाबू एवं प्रमुख किसानों तथा तहसील के सक्रिय देश भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।[10]

कण्डेल नहर सत्याग्रह जिस समय अपने उग्र व चरम उत्कर्ष पर था उस समय इस सत्याग्रह के नेताओं ने यह आवश्यक समझा कि सत्याग्रह के मूल प्रणेता महात्मा गाँधी से इस संदर्भ में परामर्श लिया जाये तथा आवश्यक हो तो उसे अखिल भारतीय कांग्रेस के समझ प्रस्तुत किया जाये। कण्डेल नहर सत्याग्रह के प्रमुख संचालक पण्डित सुन्दर लाल शर्मा 02 दिसम्बर 1920 को गाँधी जी से परामर्श के लिए कलकत्ता गये। पं. सुन्दरलाल शर्मा ने उन्हें कण्डेल नहर सत्याग्रह का परिचय दिया एवं उनसे धमतरी आने का अनुरोध किया। इस प्रकार वे पं. सुन्दर लाल शर्मा के साथ 20 दिसम्बर 1920 को कलकत्ता से रायपुर पहुँचे।[11]

परिस्थितियां अब तक गंभीर हो चुकी थी पाँच माह तक यही क्रम चलता रहा और यहाँ के आदिवासी किसान अपने उद्देश्य पर कृत संकल्प रहे। शासन की कुम्भकर्णी निद्रा भंग हुई। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को जांच के लिए तुरंत घटना स्थल पर भेजा गया। नहर विभाग के उच्च अधिकारी भी भागे–भागे वहाँ पहुँचे। डिप्टी कमिश्नर ने कण्डेल ग्राम पहुँचकर जांच पड़ताल की उन्हें भी ऐसा आभास हुआ कि पर्याप्त वर्षा होने के पश्चात भी ग्रामवासियों द्वारा नहर में नाली काटकर पानी अपने खेत में ले जाने की बात का कोई औचित्य नहीं है। अतः सिंचाई विभाग का आरोप निराधार है। निरीक्षण करने के पश्चात् अधिकारी इस नतीजे पर पहुँचे कि गाँव वाले किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है तब उन्होंने रकम की वसूली रद्द कर दी और तदनुसार घोषणा कर दी गई। रायपुर जिले का यह नहर सत्याग्रह महात्मा गाँधी के आगमन के पूर्व ही पूर्ण सफलता के साथ सम्पन्न हुआ।[12]

lUnHkZ %

1. छत्तीसगढ़ में गाँधी जी; रविशंकर विश्वविद्यालय प्रकाशन, गाँधी शताव्दी समारोह, 1920, प्रस्तावना।
2. रूद्री बराज के उद्घाटन पट्टिका से उद्धत।
3. छत्तीसगढ़ में गाँधी जी; रविशंकर विश्वविद्यालय प्रकाशन, गाँधी शताब्दी समारोह, 1920, पृष्ठ–9।
4. देवांगन, शोभाराम; कण्डेल का ऐतिहासिक नहर सत्याग्रह, महाकोशल परिशिष्टांक 17 ,मई 1972
5. छत्तीसगढ़ में गाँधी जी; रविशंकर विश्वविद्यालय प्रकाशन, गाँधी शताब्दी समारोह 1920 पृष्ठ क्र. 11–12
6. मध्य प्रदेश और गाँधी जी; दूसरी यात्रा रायपुर तथा धमतरी में पृष्ठ 9
7. मध्य प्रदेश और गाँधी जी; दूसरी यात्रा रायपुर तथा धमतरी में पृष्ठ 10
8. छत्तीसगढ़ में गाँधी जी; रविशंकर विश्वविद्यालय प्रकाशन, गाँधी शताब्दी समारोह, 1920 ,पृष्ठ क्र. 12
9. देवांगन, शोभाराम; कण्डेल का ऐतिहासिक नहर सत्याग्रह, महाकोशल परिशिष्टांक 17, मई 1972
10. देवांगन शोभाराम; धमतरी नगर और तहसील का स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन पृष्ठ 19
11. मध्य प्रदेश और गाँधी जी; दूसरी यात्रा रायपुर तथा धमतरी में, पृष्ठ 10
12. देवांगन शोभाराम; धमतरी नगर और तहसील का स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन, पृष्ठ 64, 65

***

i#"k opLo dk pukrh % e=;h i"ik d dFkky[ku e

MkO Hkkjrh ik.M;*

मैत्रेयी जी की कृतियाँ 'कालजयी कृतियाँ' हैं। कालजयी इसलिए कि उन्होंने जिस परिवेश को, जिस समाज को, जिन पात्रों को और जिन परिस्थितियों को चुना है, वह कभी नहीं बदलते, बदल सकते भी नहीं क्योंकि 'परपीड़न' ही सदियों से समाज का मूल्य बनता आ रहा है। यह 'परपीड़न' किसका? उसी स्त्री समाज का जो पुरुष समाज की जन्मदात्री है।

मैत्रेयी जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से इस जीवन–संग्राम में इसी पुरुष समाज के वर्चस्व को चुनौती दी है। उनके बेतवा बहती रही, चाक, इदन्नमम, कही ईसुरी फाग, अल्मा कबूतरी आदि उपन्यास स्त्री समाज के द्वारा नये मूल्यों का सृजन तो कर ही रहे हैं तथा जीवन के अनेक क्षेत्र में पुरुष प्रधान समाज को चुनौती दे रहे हैं।

विवाह करके जहाँ कन्या का मायका पक्ष उसके प्रति अपने कर्तव्यों से इति श्री समझ लेता है लेकिन जब ससुराल पक्ष भी उसकी रक्षा करने में असमर्थ होता है तब उस स्त्री की दशा मझधार में डूबी नैया की तरह हो जाती है। बेतबा बहती रही में उर्वसी कहती है–''आज फिर''क्या हुआ घर? उसका कोई घर नहीं। वह घर तो उसके पिता का है। घर उसके पति का था और घर है उसके भाई का। शायद हर औरत झूठे व्यामोह रच लेती है। जहाँ भी बैठती है, चौड़े उजाड़ में भी बसने के सपने देखती है...मरीचिका के पीछे भागती रहती है।''[1] यह प्रश्न है समाज के उस पुरुष वर्ग से जो स्त्री को किस घर में अधिकार देता है? पिता बनकर पुरुष का एक रुप यदि परिवार में सुरक्षा देता है तो वहीं कभी–कभी अपने अधिकारों को दुरुपयोग असुरक्षा और मर्यादा देते हैं। 'बेतवा बहती रही' में मैत्रेयी जी पिता के इसी रुप को चुनौती देतीं हैं। पिता के दुराचरण पर मीरा कहती है–

''भइया तुम क्यों नहीं कहते कुछ? ये हमारे बड़े है? जो आचार–व्यवहार की शिक्षा देते हैं और खुद....? तुम अभी चोरी करो, डाका डालो सह लेंगे ये?''[2] मैत्रेयी जी अपनी उन नारी पात्रों से भी पुरुष अत्याचारों के खिलाफ क्रांति करवा लेती हैं जो बचपन से इन अत्याचारों के बड़ों का आदेश मानकर चुप रहतीं है। 'बेतवा बहती रही'में उर्वशी उदय के लिये विजय की विधवा बहू का विवाह निश्चित कराने का साहस करती है–

''बेटा नहीं रहौ तो बहू बिरानी हो गयी? धक्का मारदाऔ वया ? हमारे रहते जा अनरथ नहीं हो सकत.... एक से हजार तक नही....''[3]

मैत्रेयी जी की एक खास विशेषता यह है कि वह केवल नारी पात्रों के द्वारा ही पुरुष प्रधान समाज को नहीं ललकारतीं अपितु जहाँ कहीं भी पुरुष एक–दूसरे से आहत होते हैं तो वे भी चीत्कार कर उठते हैं। 'बेतवा बहती रही' में शशिरंजन की बहिन के विवाह में दहेज की कमी से बारात वापिस लौट जाती है–''शशिरंजन देखते रह गये। आश्चर्य में दर्द की तहें उतरनें लगीं। प्रताड़ित भाव से आहत खड़े रहे। आश्चर्य में थे वर और पिता तो निजी स्वार्थ में ऐसा कर गये लेकिन साथ. आये बाराती ? केवल सुअर की नाई खाने भर को आये थे? वे आदमी नहीं थे क्या? फिर कौन थे? वाक्विहीन पशु? विवाह के साक्षी नहीं थे वे ?''[4]उदय अपने पिता से कहते हैं–''इस घर में रहेंगे, तो हम सवाल भी करेंगे और उत्तर भी मांगेंगे। बाप हौ तो अँधेर मचाओगे, मनमानी करोगे?''[5] जहाँ यह स्पष्ट है कि पुरुष वर्चस्व समाज में अनेक कुरीतियों को जन्म भी देता है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह इसी वर्चस्व के कारण खत्म नहीं हो पा रहे हैं। 'चाक' में श्रीधर मास्टर सारंग से कहते है–''यह बताओ,जब घर–परिवार में औरत का दखल हो सकता है तो राजकाज में क्यों नही?

*दुर्गा चौक, जमनियाँ, गाजीपुर, उ0प्र0

तुम पढ़ी लिखी हो, खूब जानती हो, हमारे संविधान में औरत को बराबरी का दर्जा मिला है। तुम कब तक औरत के पत्नी होने की दुहाई देते रहोगी?''[6]

'चाक' में सारंग केवल ग्रामीण समाज से नहीं अपितु संपूर्ण समाज के विरोध में नयी क्राँति करती है– ''सारंग पुरानी रीतियों, कुरीतियों, रुढ़ियों से लड़ती तो शायद यह टकराव न होता। उसका रास्ता दूसरा है, जो बेहद टेढ़ा और शूलों भरा है, समझाया जाए उसे कि देखो, परंपराओं मे रहकर रीतियों के मानकर तुम सुखी और सुरक्षित रहोगी। तुम ऐसी सत्ता से लड़ना चाहती हो, जिससे अब तक जो कोई जीता नही। रंजीत का विरोध करके तुम खुद ही चुर–चूर हो जाओगी।'' चाक में मैत्रेयी जी के नारी पात्र किसी आवेश या उत्तेजना से भरकर क्राँति नही करते हैं बल्कि सारे परिवेश को समझकर, अनुभूत कर उससे संघर्ष करने का साहस करते हैं। क्योंकि यदि अपने लिए नया मार्ग खोजना है तो सबसे पहले उस पुराने मार्ग से जुझना होगा। मैत्रेयी जी इस नारी भावना को भी चुनौती देती हैं कि यदि पति स्वयं ही अत्याचारी हो या विकास यात्रा में व्यवधान बने तो कहाँ तक अपनी पत्नी होने के संस्कार से नारी दबी रहेगी? 'चाक'में सारंग विवाहित होने के बाद भी श्रीधर मास्टर को समर्पित होती है–''सारंग चुपचाप सेवा कर रही है या प्यार उँडेल रही है? मेरा मन जिद्दी है श्रीधर। कहता है, जिस मर्द के साथ तेरे पिता ने विदा कर दिया, उस मालिक से वापिस माँग ले अपनी देह। जीती–जागती पाँच इंन्द्रियों के संग तो जानकर बेचे जाते हैं। उन्हीं का रस्सा पकड़ाया जाता है दूसरे के हाथ। यह बात रेशम के मन में भी आई होगी, तभी उसने धर्म बिगाड़ लिया। गुरुकुल वाली साथिनों ने भी त्याग कर दिया था देह–धर्म का विधान, उन पर सजा के कोड़े बरसे। लौंगसिरी बीबी की अम्मा ने भी नहीं माना, बीबी ने कील दी उनकी जवानी। चाक नारी का देह धर्म क्या है? क्या समाज की स्वीकृति से पति को समर्पित होना ही देह धर्म है? और अपनी देह के साथ क्या अपनी इच्छा कोई औचित्य नहीं रखतीं? मैत्रेयी जी सामाजिक मर्यादाओं को स्वीकार तो करती हैं किन्तु जहाँ यह मर्यादा सच्चे प्रेम में बाधक हो वहाँ इसका विरोध भी करतीं हैं–'' ...मन में बड़ी धिक्कार उठती हैं, मैंने क्यों नहीं रोका था गुलकंदी को? बिसुनदेवा के संग न भागती, तो जान से हाथ धोते तीनों प्राणी? और फिर लगता है, अरे! हम इसी तरह हवन करते रहेंगे अपनी देहों का? हमें मारकर ही इनकी आनबान का झंडा फहरेगा? भँवर, कैसे लोग हैं ये? इनके पास अपना कुछ भी नहीं ! घर–बार की खुशी, शान–शौकत हमारे घूँघट के नाम लिख दी है। यह सवाल है उस पुरुष प्रधान समाज से कि क्या परिवार की मर्यादा के लिए केवल नारी जाति ही उत्तरदायी है? नारी उस मर्यादा रुपी लक्ष्मण रेखा के अंदर खड़ी रहे। यह लक्ष्मण रेखा खींचने वाला भी पुरुष और पार करने पर सजा देने वाला भी रावण जैसा ही पुरुष! आखिर उस नारी का वर्चस्व कहाँ है जो इन्हीं पुरुषों की जन्मदात्री और पोषिका रहती है ?

इदन्नमम' में मंदा की अम्मा प्रेम, मिलने के लिए सोनपुरा आती हैं। तब सारा गाँव उनके दूसरे विवाह पर मजाक उड़ाते है। तब मंदा कहती है–''गाँव में छः,आठ ऐसे जोड़े हैं, जिन्होंने दूसरा विवाह किया है। माना कि पुरुष हैं, तो क्या अम्मा स्त्री होने के नाते दंड की, मखौल की, हेय दृष्टि की भागीदार हैं? यदि ऐसा नहीं है तो उन पुरुषों से अटपटे प्रश्न क्यों नहीं पूछता कोई ? उन्हें क्यों नही निकाल देता घर से कोई? उनकी निगाह नीची क्यों होती? वे अस्पताल जैसी सार्वजनिक जगह में रात काटने को क्यों विवष नहीं किये जाते?''[7] कोई स्त्री जब सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन कर अपने जीवन का निर्णय स्वंय करती है तो उसे सामूहिक बहिष्कार और तिरस्कार का केन्द्र बनना पड़ता है लेकिन पुरुषों के लिये कोई सामाजिक वर्जनायें नहीं होतीं। मैत्रेयी जी ने इदन्नमम में प्रेम के नीवन रुप की व्याख्या करते हुये नयी दृष्टि की खोज की है। मैत्रेयी पुष्पा ने प्रायः अपनी हर कृतियों में कमजोर नारी को सशक्त बनाया है और हर अत्याचार के खिलाफ नारी को ही खड़ा किया है।

lUnHk %

1. मैत्रेयी पुष्पा; बेतवा बहती रही, पृ. 109
2. मैत्रेयी पुष्पा; बेतवा बहती रही, पृ. 102
3. मैत्रेयी पुश्पा; बेतवा बहती रही, पृ.142
4. मैत्रेयी पुष्पा; बेतबा बहती रही, पृ. 74
5. मैत्रेयी पुष्पा; बेतवा बहती रही, पृ. 125
6. मैत्रेयी पुष्पा; बेतवा बहती रही पृ. 400
7. मैत्रेयी पुष्पा; इदन्नमम, पृ. 311

***

Mk- Hkhejko vEcsMdj ds fopkj /keZ ds lUnHkZ esa

MkO lUrk"k dqekj f=ikBh*

युग पुरुष डॉ. बाबा भीमराव अम्बेडकर सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत थे उनका संपूर्ण जीवन सदियों से शोषित दलित मानवता के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने समाज में व्याप्त रुढ़िवादी मान्यताओं और विषमताओं के लिए जीवन पर्यन्त संघर्ष किया।[1]

एक अछूत घर में जन्म लेने वाले भीमराव जी अम्बेडकर की शिक्षा देश और विदेश में होने के बावजूद वे जीवन पर्यन्त भारतीयता और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहे विदेशों की चकाचौंध ने उन्हें कभी पथ से विचलित नही किया।[2] डॉ. अम्बेडकर विचार और व्यवहार में संतुलन बनाकर चलने वाले व्यक्ति थे, उनके गतिशील विचारों का आधार यह था कि इस संसार में कुछ भी जड़ और शाश्वत नहीं और न ही कुछ सनातन है, यहाँ हर चीज परिवर्तनशील है, परिवर्तन मानव और समाज का धर्म है, वे मानते थे कि मानव की पीड़ा में सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा हाथ होता है उनका सपना एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करता था जो समानता, स्वतंत्रता एवं बधुत्व पर आधारित हो, एक ऐसा समाज जहाँ विभिन्न वर्गों के बीच आपसी मेल–मिलाप व सहयोग की भावना हो। अपने व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से समाज में अछूतों की विशेष स्थान दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। वे समाज के सभी वर्गों का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में समान स्थान चाहते थे, जिससे सभी को ऊपर उठने का अवसर मिले। उनके प्रत्येक सामजिक संघर्ष के पीछे मौलिक भावना थी जो कि अछूतों ने उनके नेतृत्व में जातीय एवं सांप्रदायिक अत्याचारों के विरोध में छेड़े थे।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर अपनी बौद्धिकता और विद्वता के बावजूद एक धार्मिक व्यक्ति थे, परंतु उनकी धर्मिकता में कर्मकांड और रुढ़ियों का स्थान नहीं था 1917 से अपना सार्वजनिक जीवन शुरु करने के साथ ही हिन्दू धर्म के सुधार के लिए वे प्रयत्नशील रहे। वे हिन्दू धर्म को अधिक व्यापक बनाना चाहते थे जिसमें अछूतों को स्वीकार किए जाए तथा उन्हें मानवीय अधिकार मिले। उनका मानना था धर्म मानव की भूख है, यह उसकी आवश्यकता है,यह समाज के संचालन एवं संगठन का महत्वपूर्ण तत्व है। डॉ. अम्बेडकर धर्मरहित राजनीति को अच्छा मानते थे। अपने ऐतिहासिक अध्ययनों एवं सर्वेक्षण के द्वारा उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि धार्मिक क्रांति समाज में मौलिक परिवर्तन लाती है जबकि राजनीतिक क्रांति अस्थाई बदलाव का प्रतीक है, इसलिए राजनीतिक सत्ता परिवर्तन अथवा क्रांति के पूर्व धार्मिक परिवर्तन या धार्मिक क्रांति को युग परिवर्तन के लिए आवश्यक मानते थे, जैसा कि बुद्ध, महावीर, मुहम्मद साहब तथा गुरुनानक ने धार्मिक क्रांति के द्वारा ऐतिहासिक परिवर्तन किए थे।

डॉ. अम्बेडकर धर्म और संस्कृति के महत्व को स्वीकार करते थे, उनका मानना था कि ''धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं।''[3] इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ''मैं धर्म चाहता हूँ धर्म के नाम पर पाखंड नहीं।'' वे धर्म का समर्थन परन्तु जिस धर्म का उन्होंने समर्थन किया वह किसी कर्मकांड, प्रपंच, शोषण, अन्याय या भेदभाव पर आधारित नहीं अपितु वह मानव संबंधों में नैतिकता पर आधारित है। धर्म के नाम पर पाखंडवाद के वे प्रबल विरोधी थी। वे धर्म को अफीम मानते थे, ऐसा अफीम जो गरीब और अमीर के बीच की खाई को चौड़ा करती है और कमजोरों को अभावग्रस्त जीवन जीने का आदि बनाती है, किंतु उनकी दृष्टि में धर्म मानवता के लिए आवश्यक है। उनका मानना था कि धर्म के समाप्त होने पर समाप्त होने का भय है।

*पी0डी0एफ, समाजशास्त्र विभाग, बी.एच.यू., वाराणसी, उ0प्र0

डा. अम्बेडकर अपने जीवन के कटु अनुभवों से इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि हिंदु धर्म असमानता और अन्याय की विचारधारा पर आधारित हैं। यह व्यक्ति की गरिमा और उत्साह के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता, इसके चतुर्वण्य से अधिक निकृष्ट कोई सामाजिक संगठन नहीं हो सकता, यह वह व्यवस्था है जो लोगों को मृत पशु तथा आशक्त बनाकर अच्छा कर्म करने से रोकती है उनका कहना था कि संसार के इतिहास में मानवता के अंदर कहीं भी ऐसी विषमता नही है जैसे हिंदू धर्म में है जिसमें छुआछूत एक विशेष उपज है, वे मनुवर्गीय को समाज में असमानता का कारण मानते थे, इसी कारण 1935 में यर्वला नासिक में मनुस्मृति को सार्वजनिक रुप से जला दिया गया और उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि ''मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि यह मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर नहीं मरुँगा।''[4]

धर्म परिवर्तन के विषय में डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा यदि हम लोग इसाई या इस्लाम धर्म को स्वीकार करें तो इससे हमारी भारतीयता में अन्तर आ जाएगा। हमारे सिर मक्का एवं मदीना की ओर झुकने लगेंगे। मुसलमानों के लिए मजहब सर्वोपरि होने के कारण उन्हें जनतंत्र की कल्पना समझ में नहीं आ सकती। उनकी राजनीति मजहब प्रधान है अपने प्रतिगामी विचारों के साथ ही वे सारे विश्व में पहचाने जाते हैं। उनका बंधुत्व केवल मुसलमानों तक ही सीमित होता है।[5]

डॉ. अम्बेडकर की धार्मिक आस्था भारतीय मूल्यों पर आधारित नहीं थी। चूंकि उनकी शिक्षा पाश्चात्य जगत में हुई थी, अतः पाश्चात्य उदारवादी दर्शन का उन पर गहरा प्रभाव था। भारतीय दर्शनों में बुद्ध दर्शन को सामाजिक एकता का प्रतीक मानते थे। डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को मार्क्स के विकल्प के रुप में चुना। वे समझते थे कि धर्म ही मानव जीवन में समानता ला सकता है और मानव तथा समानता के लिए 'धम्म' सबसे अनुकूल है, वे बौद्ध धर्म को अधिक लोकतांत्रिक, नैतिक और समतावादी मानते थे, इसलिए वे बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ मानते थे और सही कारण था कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, उन्होंने धर्मातरण के लिए ''धम्म दीक्षा विधि'' तैयार की ''दि बुद्ध एंड हिज धम्म'' ग्रंथ की रचना की। धर्म का उद्देश्य समझाते हुए वे कहते थे कि व्यक्ति के सद्गुणों का विकास ही सच्चे धर्म का अन्तिम उद्देश्य होना चाहिए। बौद्ध धर्म को वे सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे, उनके अनुसार–जाति प्रथा और वर्ग संघर्ष से मुक्ति पाने का यही एक विकल्प था। इस सबके बावजूद वे राज्य को धर्म पर आधारित करने के पक्ष में नहीं थे, वे एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना चाहते थे। एक ऐसा राज्य जो किसी एक धर्म का समर्थन न करें और नहीं किसी धर्म का विरोध करे। राज्य द्वारा किसी धर्म को संरक्षण न दिया जाए तथा नागरिकों को किसी अंकुश धर्म को अपनाने या त्यागने के लिए बाध्य न करे। अपने इसी धारणा के तहत भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी के रुप में उन्होंने भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य बनाया।

इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि मानवीय प्रगति तभी संभव हो सकती है जबकि लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए, बिना इन स्वतंत्रता के आदर्श समाज की स्थापना नहीं हो सकती है।

lUnHk

1. अम्बेडकर, संपूर्ण वाङ्मय–2005, डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान।
2. डॉ. पुरुषोत्तम नागर; आधुनिक भारतीय समाज एवं राजनैतिक विचारक, पृ. 75
3. पी.के. चड्ढाः प्रमुख राजनीतिक विचारक, आदर्श प्रकाशन, जयपुर, पृ. 295
4. एच.एल पांडेय, 2001; गाँधी, नेहरु, टैगोर एंव अम्बेडकर, इलाहाबाद, पृ.123
5. सी.ई.एल्युड 1971; सामाजिक इतिहास, कर्नाटक, पृ. 112
6. पी.के. चड्ढाः प्रमुख राजनीतिक, विचारक, आदर्श प्रकाशन, जयपुर; पृ. 298

***

efgyk cky Jfed dh lkekftd&vkfFkd n'kk

Mk0 fLerk*

प्राणी जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जिसकी तुलना अन्य उपहारों से नहीं की जा सकती है। इन प्राणियों में ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है ''मनुष्य''। मानव समाज को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक ढ़ाँचे के रूप में स्वीकार किया गया है। इस ढ़ाँचे का निर्माण विभिन्न संस्थाओं तथा इकाइयों के आंतरिक सम्बन्धों से होता है। इस संरचना की सभी इकाईयाँ जब सुचारू रूप से काम करती हैं तो इसमें संतुलन बना रहता है, परन्तु यदि जरा सी भी किसी इकाई में त्रुटि उत्पन्न होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि यह संतुलन बिगड़ जाएगा और इस समाजशास्त्रीय ढ़ाँचे में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वर्तमान समय में इन उत्पन्न समस्याओं में सबसे जटिल समस्या है ''बाल श्रम''।

विश्व में बाल श्रम की समस्या अत्यंत भयावह रूप में विद्यमान है। खासकर की एशिया महाद्वीप के देशों में यह अधिक फैला हुआ है। इसी क्रम में भारत में भी बाल श्रम की समस्या विद्यमान है। भारत में बाल श्रम की समस्या प्राचीन समय से ही मौजूद है। आज यही समस्या देश के प्रत्येक गांव, कस्बे, नगर व छोटे–बड़े शहर में विभिन्न रूपों में, विभिन्न व्यवसायों में विद्यमान है। अलग–अलग कारण है जिसके वजह से बालकों को बाल श्रमिक बनने पर मजबूर होना पड़ता है। इन बाल श्रमिकों में एक बहुत बड़ा हिस्सा महिला बाल श्रमिकों का है।

महिला बाल श्रमिक से तात्पर्य ऐसी बालिका से है जो 14 वर्ष से कम उम्र की हो और वेतन लेकर या बिना वेतन लिए अपने परिवार के साथ अथवा अकेले कार्य करती हो। वर्तमान भारतीय समाज में महिला बाल श्रम कलंक के रूप में विद्यमान है। महिला बाल श्रम की समस्या आज की ज्वलंत समस्याओं में से एक है। घरेलू कार्यों तथा कुछ विशेष उद्योगों हेतु महिला बाल श्रमिकों का ही नियोजन किया जाता है। महिला बाल श्रम न केवल बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है, अपितु बालिकाओं की सम्यक वृद्धि में भी रूकावट पैदा करता है। बाल श्रम में लिप्त होने के कारण बालिकाओं की सामाजिक व आर्थिक वृद्धि अवरूद्ध होती है।

सामाजिक व आर्थिक स्थिति मानव जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जिनका मानव के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये दोनों स्थितियाँ मनुष्य के व्यक्तित्व तथा उसकी मनोवृत्तियों के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्थितियों को परिवर्तन एवं गतिशीलता के सम्बन्ध में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अनेक शोध किए है। जैसे– सोरोकिन, एंडरसन, दुर्खीम आदि। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि मानव की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं गतिशीलता में गहरा सम्बन्ध है। इस प्रकार यह कहना तनिक भी अनुचित नही होगा कि महिला बाल श्रमिकों की स्थिति एवं स्तर को प्रभावित करने में सामाजिक व आर्थिक स्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

महिला बाल श्रमिक की सामाजिक स्थिति के बारे में जानने के लिए उनकी जाति, धर्म, लिंग, आयु, परिवार की संरचना आदि के विषय में जानना आवश्यक है। सरकारी व गैर सरकारी संगठनों ने इन विषयों पर कई गणनाएँ की हैं और अपने आँकड़े प्रस्तुत किए हैं जो महिला बाल श्रमिकों की स्थिति को दर्शाती हैं। इन आँकड़ो के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि सामान्य जाति की अपेक्षा पिछड़े और अनुसूचित जाति/जनजाति के महिला बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है। इन आँकड़ों के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि महिला बाल श्रमिकों में 10–14 वर्ष के बाल श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। लिंग का निर्धारण भी सामाजिक स्थिति को जानने का एक प्रमुख मापदण्ड है।

*प्रवक्ता, समाजशास्त्र, पी0डी0पी0आर0 महाविद्यालय, फैजाबाद, उ0प्र0

भारत देश में सबसे अधिक लोग हिन्दू धर्म के हैं और इसके बाद मुसलमानों की संख्या है। इसलिए इस बात से ही यह पता चलता है कि हिन्दु और मुस्लिम महिला बाल श्रमिक सिक्ख व ईसाई की अपेक्षा अधिक हैं, परन्तु इसमें भी मुस्लिम महिला बाल श्रमिक की संख्या जनसंख्या की दृष्टि से हिन्दुओं की अपेक्षा प्रतिशत में अधिक है। संयुक्त परिवार में एकांकी परिवार की अपेक्षा महिला बाल श्रमिकों की यह संख्या थोड़ा अधिक होती है क्योंकि मुखिया पर भार अधिक होता है तो बालिकाओं को उनका हाथ बँटाने के लिए विवश होना पड़ता है। इसी प्रकार जिस परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है उस परिवार की बालिकाओं को भी परिवार के भरण–पोषण के लिए मजबूर होकर श्रमिकों का जीवन निर्वहन करना पड़ता है।

महिला बाल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति के विषय में ज्ञात करने के लिए उनकी आय, रहन–सहन के स्तर, खान–पान के विषय में, भौतिक सुविधा, व्यवसाय आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करके किया जा सकता है। आँकड़ों पर दृष्टि डालने पर इनकी स्थिति का आकलन स्वयं ही हो जाता है। ज्यादातर परिवारों की मासिक आय इतनी नहीं होती है कि वो अपने परिवार का भरण–पोषण ठीक ढंग से कर सकें। व्यवसाय की दृष्टि से अधिकतर परिवार मजदूरी को ही अपना पेशा बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं परन्तु कुछ परिवार ही ऐसे होते हैं जो किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं या उनका स्वयं का कार्य होता है जिसकी सहायता से वे कमाई करते हैं।

इन श्रमिकों के रहन–सहन का स्तर काफी निम्न होता है। इनका परिवार भौतिक सुख–सुविधाओं से वंचित रहता है। इनका मकान भी कच्चा होता है। कुछ झुग्गी–झोपड़ी में रहते हैं तो केवल कुछ के नसीब में ही पक्के मकान में रहने का सुख प्राप्त होता है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ये बालिकाएं विवश होकर श्रमिक बन जाती हैं और शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इन श्रमिकों की व इनके परिवार की स्थिति चिकित्सा के लिहाज से भी ठीक नहीं होती हैं क्योंकि ये चिकित्सीय सुविधा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। धनाभाव के कारण ही इन महिला बाल श्रमिकों का बचपन अंधेरे में डूब जाता है और ये बचपन की खुशियों से दूर रह जाती हैं।

महिला बाल श्रम का मुद्दा पूर्णतया मानव समाज की आश्चर्यजनक और दुःखी तस्वीर को उजागर करता है। एक तरफ तो बालिकाओं को राष्ट्र की धरोहर समझा जाता है वहीं दूसरी ओर वे विभिन्न व्यवसायों में अपना श्रम बेचने को मजबूर हैं। वे माता–पिता के दुलार से वंचित रहती हैं। कहीं–कहीं तो इन बालिकाओं के परिवारों द्वारा दिये गए नाम गुमनामी के अन्धकार में लुप्त हो गए हैं और समाज इनको छुटकी, मोटी या नाटी आदि नामों से पुकारता है। बाल श्रम ने इन बालिकाओं से न सिर्फ उनका बचपन छीन लिया है, बल्कि उन्हें अपना एक प्यारा सा नाम रखने के अधिकार से भी वंचित कर दिया है। कड़वा सच यह है कि हमारे देश की ये तमाम बालिकाएं अल्पायु में ही अपने बचपन को गिरवी रखकर कागज के चन्द टुकड़ों से खरीद लिए जाने पर बँधुआ मजदूर बनकर जीवनयापन करती हैं। अब समय आ गया है कि समाज के हर वर्ग को इसके विरूद्ध कदम उठानें होगें वरना यह समस्या हमारे लिए एक अभिशाप बन जायेगी।

lUnHkZ %

1. जबी, कु0 जोहरा. 2013; महिला बाल श्रमिक, राधा पब्लिकेशन्स, दिल्ली
2. मीणा, कान्ता. 2011; बाल श्रम, आदी पब्लिकेशन्स,
3. राजोरा, सुरेश चन्द्र. 2010; समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान
4. पाण्डेय, बालेश्वर. 2011; श्रम कल्याण, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2011
5. शर्मा, सुभाष. 1997; भारत में बाल मजदूर, प्रकाशन संस्थान, दिल्ली
6. राजकुमार, आनन्दधर. 2004; फीमेल चाइल्ड लेबर, ए0पी0एच0 पब्लिकेशन,
7. श्रम मंत्रालय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली

***

bfrgkl y[ku dh ekDl0kknh ijEijk % ,d v/;;u

dchj dkyh*

इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण के दार्शनिक ''इति+ह+आस'' इन तीनों शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है– निश्चित रूप से ऐसा हुआ।' इतिहास शब्द का विश्व में प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है– l ogrh fn'kkvu0;pyrA rke bfrgkl'p ijk.k p xkFkk'pA ukjk'kslh pu0;pyrA

'हिस्ट्री' शब्द का इतिहास के लिए सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के 'हेरोडोटल' (Herodotus) द्वारा किया गया था। हेरोडोटस (480+130) ई.पू. ने ही (History) शब्द को गवेषण एवं अनुसन्धान के सातत्व के प्रतिपादित कर सर्वप्रथम इतिहास चिंतन की आधारशिला का निर्माण किया था। इसलिये हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक माना जाता है।

इतिहासकार अतीत के तथ्यों पर उस काल की घटनाओं का एक परिकल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। अतीत के यथार्थ को कल्पना के सहारे इतिहास के रूप में सजाता है। विद्वानों ने इतिहास को जिन अर्थो में देखा, उसी के अनुरूप इतिहास को परिभाषित करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि इतिहास अनेक परिभाषाएँ होने के बावजूद भी कोई सर्वमान्य परिभाषा निश्चित नही की जा सकी है।

रोनियर के अनुसार ''इतिहास सभ्य समाज की सन्निवासित मानवीय अनुभावों की कहानी है।''[1] ई. एच. कार महोदय ने ''इतिहास को इतिहासकार और तथ्यों के बीच अन्तक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया माना है।''[2]

उक्त विद्वानों की परिभाषाओं से हमें ज्ञात होता है,कि इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है।

'kks/k i}fr % प्रस्तुत शोध पत्र इतिहास लेखन की मार्क्सवादी परम्परा के अध्ययन के ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जायेगा तथा द्वितीयक स्त्रोतों की मदद लिया गया है।

आज से ठीक पहले तक की घटना प्राय इतिहास में सम्मिलित हो जाती है, इन घटनाओं को जीवित रखने हेतु अनेक इतिहासकार साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का रूप देते है। ये साक्ष्य माला के बिखरे मोतियों की तरह होते है, जिन्हे माला की तरह गूंथ कर इतिहास को सजाया जाता है। इतिहासकारों की सोच विचारधारा एवं लेखन की शैली–भिन्न होती है। घटना को देखने एवं विश्लेषण करने का नजरिया भी अलग–अलग होता है। जो इतिहासकार जिस प्रकार की दृष्टि से घटना का अवलोकन करता है, उसी आधार पर वह उस घटना को प्रस्तुत करता है।

इतिहास को समझने व विश्लेषण करने के लिऐ मार्क्सवादी विचारधारा अतिमहत्वपूर्ण है। इस विचारधारा के जनक जर्मन निवासी '' कार्ल हेनरिक मार्क्स'' (1883) है। मार्क्स की' समाजपरक सोच ही मार्क्सवादी इतिहास लेखन का मूल आधार है, मार्क्स ने आर्थिक आधार पर समाज के सन्दर्भ में जो भौतिकवादी ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत की, उसका अपार स्वागत हुआ।

मार्क्स के 20 वर्षो के अध्ययन का निष्कर्ष ''दास कैपिटल'' में सुरक्षित है। मार्क्स इसका पहला भाग ही प्रकाशित कर पाया, दूसरा व तीसरा भाग मार्क्स के बाद ऐंगिल्स ने मार्क्स की टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया।

*एम.ए. इतिहास , बी.एड., नेट (जून 2015), पिछोर, शिवपुरी, म0प्र0

मार्क्स का चिंतन दार्शनिक होने के साथ–साथ वैज्ञानिक भी है। मार्क्स ने जो समाजवादी चिंतन प्रस्तुत किया वह इतिहास अध्ययन पर आधारित है। इस संदर्भ में केटलिन ने लिखा है कि'' मार्क्स का क्रांतिकारी कदम वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त पर निर्मित है। वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल्य के आर्थिक व्याख्या पर और यह व्याख्या मार्क्स हीगेल के द्वन्द्ववाद पर तथा द्वन्द्ववाद भौतिकवादी अध्यात्मविद्या पर आधारित है।'' वे यह सिद्ध करने का प्रयास करते है कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु द्वन्द्वरत है और भौतिक जगत में यह द्वन्द्व निरन्तर चलता रहता है। इस प्रकार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का निरूपण वर्ग संघर्ष में परिज्ञात होता है। वर्ग संघर्ष से तात्पर्य–यदि हम समाज का सूक्ष्मपरक अध्ययन करते है तो हम पाते है कि सम्पूर्ण समाज अनिवार्यतः दो वर्ग मौजूद है। इन वर्गो के बीच अन्तविरोध से ही समाज में तनाव उत्पन्न होता है, और यही तनाव समाज को गतिशीलता प्रदान करता है यही वजह है, कि गतिशीलता आदिकाल से आज तक विद्यमान है। इस प्रगतिशील समाज का समृद्वशाली इतिहास हमें गौरवान्वित कर रहा है, अनेक इतिहासकारों ने इस इतिहास को वखूबी सजाया व सॅवारा है। इस संबंध में कार्ल मार्क्स जी कहते है कि '' दार्शनिकों ने अब तक समाज की व्याख्या ही की है, परन्तु असली प्रश्न समाज को बदलने का है''।[3] मार्क्स ने इतिहास को मात्र घटनाओं के संकलन के रूप में नही देखा अपितु समाज के आन्तरिक संगठन तथा बदलाव को अनावृत करने के रूप में देखा।

यदि इतिहास को टटोलने की कोशिश करें तो हम पाते है कि प्राचीन समय में उत्पादन के साधना अत्यन्त अविकसित थे, मनुष्य अपने भोजन की आपूर्ति फल व मॉस खाकर करते थे, इन सब पर मनुष्य का सामूहिक स्वमित्व था। जिसे ''आदि साम्यवाद'' के नाम से जाना जाता है। कालान्तर में उत्पादन के साधनों में वृद्धि हुई, लोग भूमि का महत्व समझने लगे और भूमि स्वामी बने। भूमि स्वामीयों को दासो की आवश्यकता पडी तभी सें स्वामी वर्ग और दास वर्ग में संघर्ष का आरम्भ हुआ। कभी इसे दास एवं स्वामीयों का संघर्ष तो कभी पूँजीपति और श्रमिकों को संघर्ष तो कभी शासक और शासितों में संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। कार्ल मार्क्स के इसी विचारधारा को ''मार्क्सवादी इतिहास लेखन ''कहा जाता है। इसकी पुष्टी कार्ल मार्क्स घोषणा पत्र में भी होती है।[4]

कार्ल मार्क्स ने विभिन्न कालों में अलग–अलग वर्गो में संघर्ष की व्याख्या की है, जो इस प्रकार है– प्राचीन काल में उत्पादक और स्वामीयों में संघर्ष, मध्यकाल में दास एवं स्वामीयों में संघर्ष, आधुनिक काल में शासक और शासितों में संघर्ष एवं वर्तमान लोकतंत्र में देखे तो सर्वसम्पन्न वर्ग एवं दलितों में संघर्ष दृष्टिगोचर होता है।

हीगल से मार्क्स ने यह विचार ग्रहण किया कि' इतिहास का निरन्तर और तर्कयुक्त विकास हो रहा है।''[5] जो वर्ग संघर्ष का परिणाम है।

समाज का एक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखता है,उसे जमींदार या पूँजीपति वर्ग कहते है। दूसरा इन पूँजीपतियाँ पर आश्रित रहने वाले कृषक व मजदूर वर्ग है। पहला वर्ग बगैर किसी परिश्रम के दूसरे वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है। समाज में ये शोषित व शोषित वर्ग सभ्यता के आरम्भ से रहे है, जो कार्ल मार्क्स के अतिरिक्ति मूल्य उन दो मूल्यों का अन्तर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है।[6]

मार्क्स मानते है कि विश्व की उत्पति में मूल तत्व पदार्थ है। मानव समाज का विकास किसी देवीय परिस्थितियों के कारण नही, अपितु भौतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण होता है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के दो प्रमुख सिद्धान्त है पहला'' प्रकृति के विकास की ही तरह सामाजिक विकास के निश्चित नियम है और दूसरा सामाजिक विकास के रूप में निर्धारण में भौतिक व आर्थिक परिस्थितियां प्रमुख होती है''[7] अर्थात् समाज के विकास, समृद्धी एवं गतिशीलता में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्ल मार्क्स की मार्क्सवादी परम्परा का भारत के इतिहास लेखन पर भी पर्याप्त प्रभाव पडा। भारतीय मार्क्सवादी इतिहास करों ने कृषकों कबीलों एवं मजदूरों के आन्दोलनों तथा पूँजीपति वर्ग एवं जमींदारों के साम्राज्यवाद एवं राष्ट्रवाद से सम्बंधों पर भी प्रकाश डाला है।[8]

मार्क्सवादी इतिहासकारों की शुरू की पीढी यह मानती थी कि भारत को मात्र अंग्रेजों से मुक्त करा देना ही काफी नही है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के साथ ही सामाजिक परिवर्तन भी जरूरी है, जिससे समाज में समानता देखी जा सके। भारत के सम्पूर्ण इतिहास को इन्होंने मार्क्स के चश्में से देखने का प्रयास किया है।

भारत में मार्क्स के एक प्रमुख अनुयायी के रूप में राहुल सांकृत्यायन को देखा जा सकता है, जिसने मार्क्सवादी इतिहासदृष्टि का उपयोग कर विश्व की रूप रेखा, मानव समाज 'दर्शन दिग्दर्शन'' एवं वैज्ञानिक भौतिकवाद इन चार प्रमुख कृतियों का सृजन किया। राहुल सांकृत्यायन के ही शब्दों में'' मेरी चारों पुस्तक मानव जाति के आज के अर्जित ज्ञान को संक्षेप में देने की कोशिश कर रही है, किन्तु उनका ज्ञान सिर्फ विश्व को जानने के लिये नही है बल्कि उसे बदलने को लिये है।''[9]

1990 के पश्चात भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की ओर रूझान बढ़ा। भारतीय मार्क्सवादी विद्वानों को 'पास्ट एण्ड प्रजेण्ट'' जैसी पत्रिका, संक्रमण पर बहस और हिल, हाब्सन तथा भाम्सन जैसे इतिहास कारों की रचनाऐं सर्वाधिक प्रेरणात्मक प्रतीत हुई।

भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परम्परा में सर्वाधिक सहत्वपूर्ण स्थान दामोदर धर्मानन्द कोसांबी का है। इनकी दो कृतियाँ'' एन इण्ट्रोडक्शन टू दि स्टडी आफ हिस्ट्री'' (1956) एवं '' कल्चर एण्ड सिविलाइजेशन ऑफ एन्सिएण्ट इण्डिया (1964) को मार्क्सवादी दृष्टि से लेखन के कारण इतिहास जगत में महत्वपूर्ण स्थान है।

डी.डी. कोंसाबी की मान्यता है कि आर्य जनजातियों द्वारा गैर आर्य दासों का सामूहिक रूप से शोषण किया जाता था। उनके कृतित्व के महत्व को रेखांकित करते हुये सतीश चन्द्र ने लिखा है कि ''मार्क्सवादी इतिहासकारों में डी.डी. कोसांबी ने निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ रहे हैं और उन्होंने बहुत से युवा इतिहासकारों के चिंतन को शक्तिशाली रूप से प्रभावित किया है।[10] कोसांबी मार्क्सवादी होते हुए भी एक स्वतंत्र चिंतक थे, उन्होंने स्वतः लिखा है कि 'निस्संदेह इतिहास लिखने की बजाय बदलना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार जैसे मौसम के बारे में केवल बात करने की बजाय उसके संबंध में कुछ करना बेहतर है।[11]

भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परम्परा में कोसांबी के बाद रामशरण शर्मा जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार का नाम प्रमुखता के साथ लिया जा सकता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ–'प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं', प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति और सामाजिक संस्थाऐं', सामन्तीय समाज और संस्कृति', 'शुद्राज इन एन्शिएट इण्डिया एवं भारतीय सामन्तवाद' आदि में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की झलक देखी जा सकती है। कोसांबी महोदय के साथ रामशरण शर्मा भी भारत में सामन्तवाद के विकास को क्षेत्रीय प्रभावशाली व्यक्तियों के एक शक्तिशाली वर्ग के उदय के रूप में देखते हैं जो ग्रामीण अधिशेष का निपटारा करता था और यही सामंतवादी वर्ग भारत में शक्तिशाली वर्ग बना।[12] रामशरण शर्मा आगे लिखते हैं, कि ''प्रारम्भ से ही मनुष्य दो प्रकार के संघर्षों में लगा हुआ है– मनुष्य का एक संघर्ष प्रकृति के द्वारा उत्पन्न अवरोधों को हटाने के लिए होता है, मनुष्य का दूसरा संघर्ष मनुष्य से ही होता है। उत्पादन प्रणाली में अतिरिक्त उपज के सिद्धांत का अधिकाधिक महत्व है, क्योंकि इसी के कारण वर्ग की संरचना होती है और इस सारी प्रक्रिया के कारण इतिहास का रूप बनता जा रहा है। भारतीय सामन्तवाद जैसी कृति में उन्होंने लिखा है, कि ''कैसे श्रीमंत वर्ग अपने उच्चतर अधिकारों के द्वारा उपटन का सारा अतिरिक्त हिस्सा हड़प लेता था और किसानों के पास उतना ही छोड़ता था जितना खा पीकर वे उस उस वर्ग के लाभ के लिए आगे भी मेहनत मशक्कत करते रह सकें।[13]

इसके अलावा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जिन इतिहासकारों ने मार्क्सवादी इतिहास लेखन किया है, उनमें इरफान हबीब का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। वे मार्क्स के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्याधिक प्रभावित थे, उनका मानना था कि मार्क्स को समझने के लिए भी एक वृहद वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इरफान हबीब ने मार्क्स के पक्ष को स्पष्ट करते हुए लिखा है

''मार्क्स के कुछ अनुयायियों ने सर्वभौमकाल विभाजन तय किये जाने पर जोर देकर (साम्यवाद, दासता, सामन्तवाद, पूंजीवादी) और सभी समाजों का वर्गीकरण इन्हीं के बाद एक घटित होने वाली सामाजिक संरचना के अनुसार किये जाने पर बल देकर, मार्क्स का अहित किया है।''

रेसनर एवं रजनी पाम दत्त ने ''इण्डिया टुडे'' में मत व्यक्त किया कि ''आधुनिक युग के पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के विकास की सम्भावनाएं मौजूद थी और इस तरह के मूल तत्वों ने जातियों के उदय में योगदान दिया जो मुगल साम्राज्य के विघटन की सहकारी कारण बनीं।'' इस तारतम्य में जगदीशनारायण तिवारी लिखते हैं–''प्रतिभशाली इतिहासकारों के मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण से मैं भी प्रभावित हूँ और मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में अनेक उत्कृष्ट शोध मार्क्सवादी विद्वानों की देन है।''[14] विपिनचन्द्र लिखते हैं, ''बहुत से मार्क्सवादी इतिहासकार भी राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीति, कार्यक्रम, विचार धारा, उसने किस सीमा तक आम जनता को लामबंद किया है तथा राजनीति एवं कार्यनीति संबंधी दांव पेच आदी की वास्तविक, विस्तृत और ऐतिहासिक छानबीन नहीं करते हैं। वास्तव में मार्क्सवादी इतिहास लेखन मात्र कुछ सिद्धांतों से जुड़ा हुआ नहीं है अपितु उसका गहरा संबंध इतिहास की विषयवस्तु को और विस्तृत बनाने से है।[15]

इस प्रकार हम देखते हैं कि, पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परम्परा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परम्परा के साथ डी. डी. कोसांबी, रामशरण शर्मा, इरफान हबीब, रजनीपाम दत्त एवं विपिनचन्द्र जैसे अनेकानेक ख्याति प्राप्त इतिहासकारों का नाम जुड़ होना, इतिहास के क्षेत्र में मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि के महत्व का सूचक है। जगदीश नारायण तिवारी तो यहाँ तक स्वीकार करते हैं, कि ''हाल के दशकों में इतिहास विषय की गंभीरता बनाये रखने और इसके अध्ययन अध्यापन तथा शोध के उच्च प्रतिमान स्थापित करने में इतिहासकारों का निश्चित योगदान है और उन केन्द्रों में प्रायः इतिहास के अध्ययन और शोध को अधिक गंभीरता से लिया जाता है जहां मार्क्सवादी दृष्टि का भी सम्मान है।''[16]

lUnHkZ %

1. डॉ.एस.सी. पांचाल/प्रो. हेतसिंह बघेला–इतिहास के सिद्धांत एवं पद्धतियां, रिसर्च पब्लिकेशन, 1997, पृष्ठ क्रमांक–171
2. राधेशरण 2010; इतिहास और इतिहास लेखन, म0प्र0 हिन्दी हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ क्रमांक–561
3. वही
4. वही, पृष्ठ क्रमांक–562
5. डॉ.एस.सी.पांचाल/प्रो. हेतसिंह बघेला–इतिहास के सिद्धांत एवं पद्धतियां, रिसर्च पब्लिकेशन्स, 1997, पृष्ठ क्रमांक–172
6. राधेशरण 2010; इतिहास और इतिहास लेखन, म0प्र0 हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ क्रमांक–563
7. वहीं, पृष्ठ क्रमांक–563
8. वहीं, पृष्ठ क्रमांक 563
9. श्रीवास्तव, बी.के. 2005; इतिहास लेखन : अवधारणा, विधाऐं एवं साधन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृष्ठ क्रमांक–229
10. वही, पृष्ठ क्रमांक–229
11. राधेशरण 2005; इतिहास और इतिहास लेखन, म0प्र0 हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2010, पृष्ठ क्रमांक 564
12. श्रीवास्तव, बी.के. 2005; इतिहास लेखन : अवधारणा, विधाऐं एवं साधन साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृष्ठ क्रमांक–230
13. राधेशरण 2010; इतिहास और इतिहास लेखन, म0प्र0 हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ क्रमांक–565
14. श्रीवास्तव, बी.के. 2005; वही, पृष्ठ क्रमांक–232
15. वहीं, पृष्ठ क्रमांक–566
16. वहीं 12 के अनुसार, पृष्ठ क्रमांक–232

***

Xkk/kh th ,o mudk vkfFkd fpUru

MkO lxho flg*

प्रस्तुत शोध पत्र में गाँधी जी एवं उनका आर्थिक चिन्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। महात्मा गाँधी के बावत प्रो. एल्बर्ट आईन्स्टीन कहते हैं,''आने वाली पीढ़ी आश्चर्य करेंगी, वे विस्मय पूर्व पूछेगी, क्या कोई ऐसा हाड़– माँस वाला व्यक्ति कभी किसी युग में इस धरती पर चलता–फिरता भी था? व मुश्किल से यह विश्वास करेगी कि आदमी के शरीर में देवता, सन्त अथवा देवदूत का होना कभी सम्भव हुआ।''[1]

4 अप्रैल,1921, न्यूयार्क के कम्युनिटी चर्च में तत्कालीन अमेरिकी समाज के सबसे निर्भिक वक्ता, चिन्तक डॉ. जे. मच. होम्स ने विश्व के महानतम व्यक्ति व्याख्यान माला में बोलते हुए गाँधी जी को संसार के श्रेष्ठतम व्यक्तियों में स्थान देते हुए उनकी तुलना महात्मा ईसा से की थी। यही नहीं सुप्रसिद्ध अमेरिकन समाज दार्शनिक पिटरिम ए सोरोकिन ने 1948 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'रिकन्ट्रक्शन ऑफ हूमैनिटी' गाँधी जी को समर्पित की थी और उन्हें डेथलेस अर्थात् मृत्युहीन बतलाया था।[2]

मिस्त्र के अरब चिन्तक, विचारक, मनीषी, जन्मांध कवि फारुक शाही के विरुद्ध मिस्त्री क्रान्ति के सूत्रधार डॉ. ताहा हुसैन चौरीचौरा काण्ड के पश्चात् गाँधी जी द्वारा आन्दोलन वापस लेने पर कहा था।[3]

गाँधी के सार्वभौम व्यक्तित्व का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि जिन अंग्रेज शासकों विरुद्ध वे संघर्ष कर रहे थे। वे उनका कितना सम्मान करते थे। संयुक्त प्रान्त के गवर्नर सर हैरिस प्रान्तीय प्रशासन सलाहकार समिति में बोलने को खड़े हुए और कहे[4]।

'Then Gandhi Said….

'say Mr. Gandhi, What do you meean by Gandhi Said.

समिति के सदस्य पं मोतीलाल नेहरु ने बीच ही में उन्हें टोक कर कहा।

सर हैरिस मुस्कराये, Shall I address christ address Mr. Christ? और कहना न होगा कि पंडित मोतीलाल नेहरु जैसा प्रत्युन्नमति व्यक्ति निरुत्तर हो गया। गाँधी जी का स्वराज दर्शन वृहद अर्थ कहना न होगा कि पंडित मोतीलाल नेहरु जैसा प्रत्युन्नमति व्यक्ति निरुत्तर हो गया।

गाँधी जी का स्वराज दर्शन वृहद अर्थ में उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सोच का समुच्चय है। गाँधी जी ने स्वयं इसके गाम्भीर्य को समझाया है।

वस्तुतः तत्कालीन भारतीय क्रम में गाँधी जी को यह बोध हुआ कि वे क्रान्तिकारी स्वराज के अत्यन्त सीमित अर्थ को ही स्वीकार करते हैं।उनके लिए अंग्रेजों की राजनीतिक दास्ता से भारतीयों की युक्ति ही स्वराज है–गोरे शासकों की जगह काले शासकों का वर्चस्व।

गाँधी जी क्रान्तिकारियों की इस संकीर्ण दृष्टिको नकारने के साथ–साथ उनके हिंसात्मक तरीकों को भी अस्वीकारते थे। गाँधी जी का स्वराज सत्य, निष्ठा, प्रेम और अहिंसा पर आधारित था। उनके स्वराज के पाँच अर्थ माने जाते हैं।[5] पहला अर्थ है–अंग्रेजी दासता से मुक्ति ।

जिससे विदेशी परन्तन्त्रता से मुक्ति तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता की स्थापना हो सके। इस अर्थ में गाँधी जी सोच व्यापक थी। वह केवल शासकों के चेहरे बदलने से सहमत नहीं थे । इस रुप में परम्परा से प्राप्त स्वराज को नया आयाम दिये ।

गाँधी जी के स्वराज का दूसरा अर्थ है– राजनीतिक स्वतन्त्रता। जिसके अन्तर्गत विचारों की स्वतन्त्रता, उनकी निर्बाध अभिव्यक्ति, शासन की आलोचना–प्रत्यालोचना, राजनीतिक रुप से वैकल्पिक

*वरिष्ठ प्रवक्ता, इतिहास, राम सहाय इण्टर कालेज, मेरठ, उ0प्र0

आदर्शों की तलाश, उनको रुपायित करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण, कानून के समक्ष समानता और कानूनी संरक्षण पाने का समान अधिकार इत्यादि। यही नहीं गाँधी जी उक्त आदर्शों को जीवंत बनाने हेतु सदैव जनता को सक्रिय रहने का सुझाव भी देते हैं।

गाँधी जी के स्वराज का तीसरा अर्थ –आर्थिक स्वतन्त्रता है। गाँधी जी की आर्थिक स्वतन्त्रता मात्र उपभोग की स्वतन्त्रता नहीं है। वस्तुतः वे मुक्त बाजार व्यवस्था को प्रतिद्वन्द्विता पर आधारित मानते थे । जहाँ बाजार स्वतः पूँजीपतियों एवं अमीरों के हाथ चला जाता है। फलतः Haves, एवं Haves not की स्थिति बन जाती है। जबकि 'साधन सम्पन्न तथा साधन वंचित व्यक्तियों में प्रतिद्वन्दिता हो ही नहीं सकती। उनका आर्थिक चिन्तन Need base था न कि Greed base उनकी आर्थिक स्वतन्त्रता 'नैतिक अनुशासन में बँधी है। इस अर्थ में स्वराज की आर्थिक अवधारणा न तो भारतीय क्रान्तिकारियों के समक्ष थी और न ही अन्य किसी राष्ट्रीय नेता के समक्ष। स्वराज की चौथी अवधारणा है– सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति हेतु सांस्कृतिक स्वराज की रुप रेखा वर्णित किये हैं। तत्कालीन समाज को यह भी भ्रम हुआ कि गाँधी आदिम व्यवस्था अथवा आदिम सांस्कृतिक जीवन की ओर लोटना चाहते थे। जिस हेतु बड़ी प्रतिक्रियायें भी देखने को मिलती हैं। किन्तु आज अधिकांश विचारक गाँधी के कृतित्व तथा दर्शन के उस केन्द्रीय तत्व को पहचान रहे हैं जो मनुष्य और मनुष्य के सम्बन्ध को प्रेम, संवेदना और सहानुभूति के सूत्र में बाँधता है। ये बन्धन विचार और वैचारिक से श्रेष्ठ है। हिन्द स्वराज में गाँधीजी इसी सत्य को रेखांकित किये हैं। वह है–सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा तथा सहानुभूति पर आधारित संस्कृति दासता से मुक्त मानव सम्बन्ध। स्वराज की पाँचवीं अवधारणा है–आत्मानुशासन। दूसरे शब्दों में लोकतन्त्र का अर्थ है–स्वशासन अर्थात् जनता अपना शासन स्वयम् करे। दूसरे शब्दों में जनता शासक भी है और शासित भी। इस क्रम में गाँधी जी का यह कथन महत्वपूर्ण है–

Do not Consider this Swaraj to be like a dream. Here there is not idea of sitting stell. The Swaraj that I wish to picture before you and me is such that, afler once realised it, we will endeavour to the end of our life time ot persuade other to do like wise. But such Swaraj has to be experience by each one himself."

यद्यपि गाँधी जी आत्मानुशासन के मार्ग को सरल नहीं मानते हैं। स्वयम् गाँधी जी कठोपनिषद् के ''क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गपथस्तत्कवयो वदन्ति'' की उक्ति स्मरण करते हुए आत्मानुशासन को स्वीकारना छुरे की धार पर चलना मानते हैं। गाँधी जी आत्मानुशासन को दुर्गम तो मानते हैं परन्तु असाध्य नहीं समझते। उनके आत्मानुशासन से तात्पर्य सामाजिक जीवन का परित्याग नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के कर्मों को दुर्गुणों से मुक्त करना है। वे सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आत्मानुशासन के अभ्यास को आवश्यक मानते हैं। यही तप और अभ्यास सत्याग्रही के लिए भी निर्देशित है। इस तरह गाँधी जीवन की झाँकी कृतित्व तप और त्याग की व्यवहारिक अनुभूति है।

गाँधीजी का आर्थिक दर्शन स्वराज के मार्ग पर चलने की जीवन पद्धति है। इसीलिए गाँधी जी की आर्थिक स्वतन्त्रता नैतिक अनुशासन में बँधी हुई है। उनकी आर्थिक स्वतन्त्रता में 'अन्तिम व्यक्ति' के विकास को मुख्य आधार बनाकर 'श्रम' के महत्व को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया गया है। उनकी अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार व्यवसाय पर आधारित नहीं थी क्योंकि उसमें जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं वे मुक्त अर्थव्यवस्था में क्रमशः कमजोर होते जायेंगे। उनका मानना था कि साधन सम्पन्न और साधनविहिन व्यक्तियों में प्रतिद्वन्द्विता नैतिक नियमों के प्रतिकूल है। मुक्त अर्थव्यवस्था उपभोग की तृष्णा को उद्दीप्त करती हैं इसकी सन्तुष्टि के लिए अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन होगा।

परिमाणतः एक तरफ व्यक्ति ऐन्द्रिक उपभोग की अधिकता के कारण क्षरित होता है तो दूसरी तरफ अनावश्यक उत्पादन हेतु प्रकृति का अनावश्यक दोहन होता हैं फलस्वरुप दो अपेक्षित सन्तुलन टूटते हैं। एक मनुष्य और मनुष्य के बीच क्योंकि उनका सम्बन्ध मुनाफाखोरी के दायरे में सिमट जाता है तथा दूसरा मनुष्य और प्रकृति का पहला सन्तुलन टूटने से सामाजिक असन्तोष तथा दूसरा सन्तुलन टूटने से पर्यावरण की क्षति। इन दोनों ही सन्तुलनों के टूटने का अन्तिम परिणाम विकास नहीं बल्कि विनाश होगा।

वस्तुतः गाँधी जी के अनुसार पूँजीवाद में जीवन के आदर्श, बौद्धिकता, संस्कृति, साहित्य सभी कुछ अर्थ सम्बन्ध (कैश–नेक्सस) में ढल जाते हैं। इसके अन्तर्गत मात्र आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं बल्कि कृत्रिम आवश्यकताओं का उद्दीपन होता है। जिसे गाँधीजी ऐन्द्रिक परतन्त्रता कहते हैं क्योंकि उनका उचित प्रयोग से है। गाँधी जी श्रम की प्रक्रिया में मनुष्य की ऊर्जा एवं क्षमता के विकास पर बल देते हैं। इसीलिए गाँधी जी के चिन्तन में श्रम शक्ति से वंचित मनुष्य को आर्थिक रुप से स्वतन्त्र न मानकर परतन्त्र माना गया है। क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य को मशीन गुलाम नहीं होना चाहिए।

'हिन्दी स्वराज' में मशीनों का जो विरोध है, उससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वे मशीन विरोधी थे, बल्कि वे मनुष्य की जन्मजात नैसर्गिक क्षमता को बढ़ाने पर बल देना चाहते थे अतएव मशीनों के दुरुपयोग को रोकना चाहते थे जिससे मनुष्यों में श्रम विहिनता की स्थिति न आ जावे। जिसे इवान इलिट–शारीरिक क्षमता में ह्रास मानते थे यद्यपि कि वे ऐसे बाध्यकारी श्रम के प्रबल विरोधी थे जो मनुष्य को गुलामी के रुप में करना पड़ता है। उनके अनुसार स्वेच्छा से किया गया श्रम आवश्यक उत्पादन के निमित्त होना चाहिए तथा जहाँ तक सम्भव हो मशीनों का प्रयोग कम से कम हो। इस अर्थ में गाँधी की अर्थव्यवस्था आवश्यकता की पूर्ति करती है न कि लालच की सन्तुष्टि।

I UnHk% %

1. उमाकान्त मालवीय, विदेशी साहित्य में गाँधी' (लेख) दस्तावेज, अंक 100, जुलाई–सितम्बर 2003, पृष्ठ 147,
2. वही, पृष्ठ 146
3. वही, पृष्ठ 147
4. वही, पृष्ठ149
5. प्रो. रामकृष्ण मणि त्रिपाठी, लेख 'गाँधी के साथ : इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर', पृष्ठ 99–104

***

Hkkjr e uxjhdj.k ,o lEcfU/kr leL;k,

MkO xfjek jkt*

भारत में नगरों का विस्तार तेजी से हो रहा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद त्वरित गति से नगरीकरण हुआ। देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसने निजीकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि से नगरीय क्षेत्र में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप लोग रोजगार की तलाश में नगरों की ओर आकर्षित हुए परिणामस्वरूप नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में 11.4 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय थी जो कि 2001 में 28.53 प्रतिशत हो गई और 2011 में 31.16 प्रतिशत हो गई।

नगरीकरण एक सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत जनसंख्या का बड़ा भाग नगरों में केन्द्रित होता रहता है। भारत में नगरीकरण का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। इसका प्रमाण है कि सिन्धु घाटी सभ्यता के अन्तर्गत विकसित मोहनजोदड़ों और हड़प्पा जैसे बड़े और नियोजित नगर। इस काल के अन्य नगर लोथल, रूपड़, वाणावली (हरियाणा), काली बांगन (राजस्थान) आदि प्रमुख है। सिन्धु घाटी सभ्यता के ह्रासोन्मुख होने के उपरान्त देश में नगरीकरण का आरम्भ आर्यों के उपरान्त शुरू हुआ। तक्षशिला, इन्द्रप्रस्थ, काशी, मथुरा, अयोध्या, हस्तिनापुर आदि नगर जन्म हुए। बौद्ध काल में भारत राजनीतिक दृष्टि से 16 महाजनपदों में विभक्त था। इन महाजनपदों की राजधानियाँ, इस युग के प्रमुख नगर थे। मध्य युग के दौरान मुस्लिम शासकों द्वारा दिल्ली, फिरोजाबाद, जौनपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, अकबरपुर आदि कई नगरों की स्थापना की गई। औपनिवेशिक काल में भी नगरों का विकास किया गया। बीसवीं सदी में औद्योगीकरण के कारण नगरों का काफी विकास हुआ। जतशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, जैसे कई औद्योगिक नगरों का विकास हुआ।

देश में 1901–2001 के दौरान नगरीकरण को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है–

1. मन्द नगरीकरण वर्ष 1901–31 तक का काल
2. मध्यम नगरीकरण वर्ष 1931–61 तक का काल
3. तीव्र नगरीकरण वर्ष 1961 के बाद

lkj.kh&1

Hkkjr uxjhdj.k dk iofÿk

o"k	uxjh; tul[;k ¼nl yk[k e½	n'kdh; of) (%)	uxjhdj.k (%)
1981			9.3
1891			9.4
1901	25.85		11.0
1911	25.95	0.35	10.4
1921	28.09	8.27	11.3
1931	33.46	19.12	12.2
1941	44.15	31.97	14.1

*डी0फिल0, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ0प्र0

1951	62.44	41.42	17.6
1961	78.93	25.41	18.3
1971	109.09	38.22	20.2
1981	156.19	46.02	23.7
1991	217.61	39.32	25.7
2001	286.12	31.48	27.8
2011	377.11	31.80	31.2

स्रोत–Census of India 2011

उपर्युक्त सारणी के आंकड़ों द्वारा बीसवीं शताब्दी में नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि तथा प्रतिशत नगरीकरण दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि सन् 1931 तक देश में नगरीकरण की गति काफी धीमी थी। 1931–41 के दशक में नगरीकरण कुछ तीव्र हुआ। परिणामस्वरूप नगरीय जनसंख्या में लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1941–51 के दशक में नगरीय जनसंख्या में 41.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका प्रमुख कारण देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों का नगरों में बसाव रहा। 1951–61 के दशक में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुछ धीमी (26.41) पड़ गई। इसका प्रमुख कारण 1961 की जनगणना में 803 नगरों के वर्गावनत किये जाने से नगरों की संख्या में भारी कमी का होना था। 1961 के पश्चात् भारत की नगरीय जनसंख्या और नगरीकरण अनुपात में तीव्रता से वृद्धि हुई। 1971–81 के दशक में नगरीय जनसंख्या और नगरों की संख्या में बीसवीं सदी का सर्वाधिक विकास देखा गया है।

1981–2011 के दौरान नगरीय जनसंख्या और नगरीकरण में वृद्धि की गति में मन्थरता आई। इसका प्रमुख कारण नगरों में बढ़ता प्रदूषण, रोजगार के घटते अवसर इत्यादि है।

भारत में नगरीकरण सकारात्मक परिणाम देता अगर नगरीकरण नियंत्रित एवं नियोजित होता। आवश्यकता से अधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इन समस्याओं में प्रमुख समस्या है–स्थानाभाव की समस्या, आवासीय समस्या, मलिन बस्ती में वृद्धि, गिरता जीवन स्तर, परिवहन की समस्या, जलापूर्ति की समस्या एवं पर्यावरण में ह्रास।

विभिन्न नगरीय सुविधाओं, जैसे–रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि से आकर्षित होकर लोग भारी मात्रा में गाँवों से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं जिससे नगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बढ़े हुए जनसंख्या को अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। इससे कृषि भूमि पर दबाव बढ़ता है और साथ ही भूमि के मूल्य में वृद्धि होती है। नगरों का विकास गाँवों की ओर होने लगता है। जिस भूमि पर पहले शाक–सब्जियों, फूलों और फलों की खेती होती थी उन पर नगरीय कार्य प्रारम्भ हो रहे हैं। भारत जैसे देश के लिए यह दशा शोचनीय है। नगरीय विस्तार के कारण उपजाऊ और कृषि योग्य भूमि पर अगर मकान बना लिए जायेंगे तो खाद्य समस्या के साथ कई अन्य प्रकार की समस्यायें जन्म लेंगी। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण आवासों की कमी देखी जा रही। लोग आय का बड़ा भाग मकान के किराये पर खर्च कर रहे हैं। मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली जैसे महानगरों में मलिन बस्तियों और सड़क के किनारे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।

भारत में लगभग 30 करोड़ जनसंख्या नगरों में रहती है। नगरीय क्षेत्र में इनके सान्द्रण से मलिन बस्तियाँ बढ़ती है। मलिन बस्ती में जीवन के स्तर के गिरावट की चरमावस्था पाई जाती है। यहाँ के आवास मानव के जीवन बसर लिए अनुपयुक्त होते है। यहाँ इतना गिरा हुआ जीवन स्तर पाया जाता है कि यह स्वास्थ्य और नैतिक मूल्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। मलिन बस्तियों में त्रुटिपूर्ण डिजाइन, जनातिरेक, वायु संचार एवं प्रकाश का अभाव, स्वास्थ्य, सुविधाओं का अभाव एवं सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। इस असुरक्षित माहौल में आपराधिक मनोवृत्ति का विकास होता है इस वजह से नगरीय क्षेत्र में अपराध का ऊँचा दर पाया जाता है। जगह–जगह पर गन्दा जल फैला रहता है। एक या एक से

अधिक परिवार एक ही कमरे में रहते है। यहाँ पर स्नानगृह या शौचालय का अभाव रहता है अथवा यह गन्दगी से भरपूर रहते है। गलियों में कहीं भी कूड़े का ढ़ेर पाया जाता है जिस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है। यहाँ पर सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव पाया जाता है जिस कारण बीमारी अधिक पायी जाती है यहॉ पर घनी जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर नगर के सबसे निम्न आय वर्ग के लोग पाये जाते है। अल्प आय वाले मजदूर, रिक्शा या टैक्सी चालक, गांवो से नगर की ओर रोजगार की तलाश में प्रवासित मजदूर पाये जाते है। ये मलिन बस्तियाँ अधिकाशंतः केन्द्रीय व्यापार क्षेत्र के पीछे अथवा कारखानों के समीप पाये जाते हैं।

बढ़ते हुए नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं में एक प्रमुख समस्या है जलापूर्ति की समस्या। नगर की विशाल जनसंख्या के लिए शुद्ध पेय जल की आपूर्ति कर पाना कठिन होता जा रहा है। नगर में स्थापित विविध उद्योगों के लिए भी काफी जल की आवश्यकता होती है। नगरों में स्थानीय स्त्रोतों नदियों, नहरों, झीलों आदि से अथवा भूमिगत जल भण्डार द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है। इन सभी स्त्रोतों से जल प्राप्त करने की एक सीमा होती है। ग्रीष्म ऋतु तथा शुष्क काल में नगरों में जलाभाव की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। भारत के दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी आदि नगरों में ग्रीष्म काल में विद्युत कटौती तथा जलापूर्ति एक गंभीर समस्या बन जाती है।

तेजी से बढ़ते नगरीकरण के कारण नगरों में उद्योगों और वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप धारण कर ली है। भारत के कई महानगरों में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप से है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ जैसे नगर में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है।

नगरीकरण से बाजार क्षेत्र में असमानता में वृद्धि हो रही है। तीव्र नगरीय जनसंख्या के बढ़ते हुए उपभोक्ता वस्तु की माँग से प्राथमिक सेक्टर पर दबाव पड़ रहा है।

अन्त में हम कह सकते हैं कि अन्धाधुन्ध नगरीकरण जनसंख्या से सम्बन्धित हर समस्या को जन्म देती है। नगरीकरण से बड़े नगर विकराल रूप ले रहे हैं और छोटे नगरों का कोई विकास नहीं हो रहा है। इसके लिए मानक निर्धारित कर नियोजन किया जाना चाहिए। अन्धाधुन्ध नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन कर सन्तुलित प्रादेशिक विकास किया जाना चाहिए।

lUnHkZ %

1. Bala, Raj, 1986 : Trends in Urbanization in India Rawat Publication, Jaipur.
2. Burgess, E.M., 1927 : The Determination of Gradients in the Growth of the City, Processing's of the American Sociological Society, Vol. 212, pp. 178-184.
3. Bose, Ashish, 1973 : Studies in India's Urbanization, 1901-71, New Delhi.
4. Misra, R.P. and Misra, K. (eds.) 1988: Million Cities of India, sustainable Development Foundation, New Delhi, Vols. I & II, 789 pp.
5. Mumford, L., 1938 : Culture of Cities, Macmillan & Co., London.

***

xk/kh n'ku e /ke dh vo/kkj.kk

MkO dey'k ;kno*

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का दर्शन सत्य एवं ईश्वर जैसी धारणाओं से ओतप्रोत है। वे अन्य राजनेताओं की भाँति नास्तिक और भौतिकवादी नहीं है, बल्कि वे एक ऐसे विचारक और कर्मवादी नेता हैं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म की भूमिका को स्वीकार करते हैं। गाँधी जी ने अपने धर्म के बारे में विस्तार से विवेचन किया है।[1]

उनका वास्तविक धर्म हिन्दू धर्म से भी ऊपर उठा हुआ था। यद्यपि वे स्वयं को हिन्दू ही मानते थे और स्वयं को सनातनी हिन्दू कहते थे।[2] उन्होंने कहा ''मेरा धर्म हिन्दू धर्म है, जो मेरे लिए मानवता का धर्म है और उसमें सभी धर्मो के सर्वोत्तम तत्व हैं। मैं अपने इस धर्म तक सत्य और अहिंसा के माध्यम से पहुँचा हूँ। इस धर्म का दैनिक सामाजिक जीवन पर प्रभाव देखता हूँ। सत्य का साक्षात्कार जीवन के अनन्त महासागर के साथ तादात्म्य किये बिना नहीं किया जा सकता, अतः समाजसेवा से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है।'' गाँधी जी ने अपने सम्पूर्ण जीवन दर्शन का आधार उपनिषदों के मूल मन्त्र ''ब्रह्म सत्यम् जगत् मिथ्या'' को स्वीकार किया है। उन्होंने वेदान्तिक दर्शन की इस आस्था को स्वीकार किया कि यह सम्पूर्ण संसार ब्रह्म की आध्यात्मिक चेतना से परिव्याप्त है और इस संसार में जो कुछ भी है, वह इसी ब्रह्म का प्रतिबिम्ब मात्र है और इस दृष्टि में ब्रह्म के अलावा सभी अपूर्ण हैं तथापि वह स्वयं में ब्रह्म के अंश को समाविष्ट करते हैं। हम लाठी, तलवार, बन्दूक सब छोड़े और ईश्वर को अपने साथ लेकर चल दें। उनका धर्म वृक्ष की तरह एक है जिसकी विभिन्न धर्मो के रुप में अनेक शाखाएँ हैं। उन सभी धर्मों का स्रोत एक है। ईश्वर तक ले जाने के मार्ग है।[4] यद्यपि विभिन्न धर्मो में ईश्वर के अलग–अलग नाम बताये गये हैं किन्तु गाँधी जी के विचार में वे उसके व्यक्तित्व की भिन्नता को नहीं अपितु गुणों की भिन्नता को दर्शाते हैं। विभिन्न धर्म एक ही बिन्दु पर मिलने वाले भिन्न–भिन्न पथ है। सभी धर्मों का एक ही नैतिक आधार है जिसे हम विश्व–धर्म कह सकते हैं।

एक बार प्रार्थना–प्रवचन के अवसर पर गाँधी जी ने कहा था कि–''मै कहता हूँ कि मैं हिन्दू हूँ, इसलिए मैं मुसलमान भी हूँ, सिक्ख भी हूँ, पारसी भी हूँ, ईसाई भी हूँ, यहूदी भी हूँ। जितने मजहब हैं मैं सबको एक ही पेड़ की शाखायें मानता हूँ। मैं किस शाखा को पसन्द करुँ और किसको छोड़ दूँ? किसकी पत्तियाँ मैं लूँ और किसकी पत्तियाँ मैं छोड़ दूँ सब मजहब एक हैं। ऐसा मै बना हूँ उसका मैं क्या करुँ? सब लोग अगर मेरी तरह समझने लगे तो हिन्दुस्तान में पूरी शान्ति हो जाये।[5]

गाँधी जी ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि वे एक निष्ठावान हिन्दू हैं।

इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि–''उनका हिन्दुत्व उन्हें अनिवार्य रुप से इस बात की प्रेरणा देता है कि वे दूसरे धर्मावलम्बियों के प्रति भी स्नेह और सहिष्णुता का भाव रखें।'' उन्होंने कहा–''यदि मैं किसी मुसलमान या ईसाई को संकट में पड़ा देखूँ अथवा उसके विरुद्ध कोई अन्याय होते देखूँ और संकट से उसका त्राण न करुँ अथवा उसके अन्याय का प्रतिकार करने के लिए अपने प्राणों को भी दाव पर न लगा दूँ तो इससे मेरी हिन्दुत्व का अपमान होगा।''

गाँधी जी ने यह भी कहा है कि– ''मेरा हिन्दू धर्म सर्वव्यापी है। यह दूसरे धर्मों के प्रति विरोध का समर्थन नहीं करता। सभी धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए है। कोई भी व्यक्ति प्रत्येक धर्म में अच्छे

*प्रधानाचार्य, जनता राष्ट्रीय इण्टर कालेज, करहाँ, मऊ, उ0 प्र0

सिद्धांत खोज सकता है। किसी भी एक धर्म को दूसरे धर्म को ऊँचा मानना, संतुलित धार्मिक दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता। वास्तव में सभी धर्म शाश्वत सिद्धान्तों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हैं। अतः किसी एक धर्म के विशिष्ट लक्षण को दूसरे धर्म का निषेध नहीं माना जा सकता। सही दृष्टिकोण तो यह होगा कि किसी विशिष्ट धर्म के विशिष्ट लक्षण शाश्वत सिद्धान्तों के अनुकूल हो, उन्हें व्यक्ति को अपने स्वयं के धार्मिक विश्वासों के साथ ही पवित्र मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए।[6]

हिन्दू धर्म को श्रेष्ठ धर्म क्यों मानते है? इसका कारण स्पष्ट करते हुए गाँधी जी ने यंग इण्डिया में लिखा है कि–''मै जितने धर्मों को जानता हूँ, उन सबमें हिन्दू धर्म सबसे अधिक सहिष्णु है। इसमें कट्टरता का जो अभाव है, वह मुझे बहुत पसन्द आता है, क्योंकि इससे उसके अनुयायी को आत्माभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलता है। हिन्दू धर्म एकांगी धर्म न होने के कारण उसके अनुयायी न सिर्फ अन्य धर्मों का आदर कर सकते हैं, परन्तु दुसरे धर्मों में जो कुछ अच्छाई हो उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं और उसे हजम भी कर सकते है। अहिंसा सब धर्मों में समान है, परन्तु हिन्दू धर्म में वह सर्वोच्च रुप में प्रकट हुई है और उसका प्रयोग भी हुआ है।मैं जैन धर्म या बौद्ध धर्म को हिन्दू धर्म से अलग नहीं मानता। हिन्दू धर्म न केवल मनुष्य मात्र की बल्कि प्राणी मात्र की एकता में विश्वास रखता है। मेरी राय में गाय की पूजा करके उसने दया धर्म की विकास में अद्भुत सहायता की है। यह प्राणी मात्र की एकता में और इसलिए पवित्रता में विश्वास रखने का व्यावहरिक प्रयोग है। पुनर्जन्म की महान धारणा इस विश्वास का सीधा परिणाम है। अन्त में वर्णाश्रम धर्म का आविष्कार सत्य की निरन्तर शोध का परिणाम है।[7]

गाँधी जी के मान्यता के अनुसार सर्वोपरि धर्म मानव –मात्र की सेवा करना है और वैष्णव के गुणों को धारण करना है। सन् 1947 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि – ''जबकि मुझे हिन्दू होने का सचमुच गर्व है, मेरा हिन्दू धर्म न तो अनुदार है, न असहिष्णु है और न न्यारा है। जैसा मैं हिन्दू धर्म को जनता हूँ। हिन्दू धर्म सभी धर्मो में जो अच्छाईयाँ हैं उन्हें अपने अन्दर आत्मसात करता है। हिन्दुओं का यह विश्वास है कि हिन्दुस्तान में कोई गैर हिन्दू बराबरी और इज्जत के साथ नहीं रह सकता और मुसलमानों को अगर वे हिन्दूस्तान में रहना चाहते हैं तो घटिया हैसियत कबूल करनी पड़ेगी और मुसलमान यह समझते है कि पाकिस्तान में सिर्फ मातहत की जाति से ही हिन्दू रह सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हिन्दू धर्म और ईस्लाम दोनों का खात्मा हो जायेगा।[8]

गाँधी जी की यह चेतावनी आज के इस तनावपूर्ण परिवेश में सत्य प्रतीत हो रही है। जहाँ भारत आज भी गाँधी जी की नीतियों पर चलता हुआ सब कुछ सहन कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के बढ़ते हौसले एक भयावह तस्वीर की ओर स्पष्ट संकेत दे रहे है।

lUnHkZ %

1. त्रिपाठी, शम्भूरत्न; गाँधी धर्म और समाज पृ0.22
2. गाँधी,एम0 के0; माई रिलीजन
3. पूर्वोक्त; पृ0.152
4. हरिजन, 17 अप्रैल 1937
5. हिन्द स्वराज्य, अध्याय10
6. प्रार्थना प्रवचन, 19 अक्टूबर 1947
7. हरिजन बन्धु, 19 मार्च 1933
8. यंग इण्डिया, 20 अक्टूबर 1927

***

Lor=rk io f'k{kd if'k{k.k dk bfrgkl

t;'kdj flg*
MkO l/kk'k flUgk**

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के वर्तमान स्वरूप का इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं है फिर भी भारत के सन्दर्भ में यह प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है।

1- ikphu ¼oSfnd dky½ % प्राचीन काल में शिक्षकों की दोहरी भूमि थी। उन्हें सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों तरह के ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान करने होते थे। अतः शिक्षक अर्थात् गुरू का पद अत्यन्त सम्मान, श्रद्धा एवं गुरूतर दायित्व का पद था। एक तरफ गुरू से यह अपेक्षा थी कि वह अपने विषय क्षेत्र का महारथी होगा। दूसरी तरफ उससे यह भी अपेक्षा थी कि वह नैतिकता के ऊँचे मानदंडों के अनुरूप उसका आचरण एवं चरित्र होगा। ऋग्वेद प्रतिज्ञा रूप में अध्यापक की योग्यता के बारे में कहा गया है कि यदि कोई विद्वान अध्यापक बनना चाहता है तो उसको प्रथम तो स्वीकृत पाठ्यक्रम का भली प्रकार से अध्ययन करना चाहिये और दूसरे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी के सब नियमों का पालन करना चाहिये।

शिक्षक को अनेक विषयों का ज्ञाता होना चाहिये उसे लोभरहित, दंभ न करने वाला, विनम्र एवं मृदुस्वभाव का होना चाहिये। वैदिक कालीन शिक्षण की विधियाँ एवं प्रविधियाँ सरल थी। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक पर निर्भर रहना पड़ता था। कुछ समय पश्चात् शिक्षक से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश सामने आये जिनका मुख्य उद्देश्य पारम्परिक ज्ञान प्रदान करने पर था। शिक्षक प्रशिक्षण का कोई औपचारिक स्वरूप स्तित्व में नहीं था। शिक्षकों के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं महसूस की गयी। शिक्षक का ज्ञान, आचरण, और अनुभव ही शिक्षक बनने के लिए पर्याप्त था। 25 वर्ष हो जाने पर जो छात्र गृहस्थ आश्रम जीवन जीने के लिए अपने घरों को नहीं जाना चाहते थे। वे आश्रम में ही रह जाते थे और शिक्षा देने का कार्य करने लगते थे।

2- cks) dky esa v/;kid f'k{kk ¼bZlk iwoZ 501&1200 bZ0½ % 500 ई0पू0 तक शिक्षण एक वंशानुक्रमित प्रक्रिया थी। इस काल में यह धारणा बनी कि शिक्षण का व्यवसाय केवल ब्राह्मणों की ही धरोहर नहीं है। अपितु किसी भी वर्ग या समुदाय का कोई भी योग्य व्यक्ति प्रशिक्षणोपरान्त शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण की शुरूवात इस काल में हुई। इस काल की शिक्षा बुद्ध की धर्म शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए थी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भिक्षु होते थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। प्रबज्जा या पब्बजा और उपसम्पदा जैसे संस्कार होते थे। वरिष्ठता और श्रेष्ठता के आधार पर आचार्य या उपाध्याय स्तरीय योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद ही भिक्षुओं को अध्यापन का अधिकारी समझा जाता था। संघ में वरिष्ठ व श्रेष्ठ छात्र अध्ययन अध्यापन कार्य में आचार्य की सहायता करते थे। इनको पिथिचार्य (Pithiacharya) या पित्तुलाचार्य (Pittulacharya) या सहायक शिक्षक कहते थे। यही अग्र शिष्य प्रणाली (Monotorial System) औपचारिक शिक्षा के रूप में मानी गयी।

3- eqfLye dky esa v/;kid f'k{kk ¼1200 bZ0&1700 bZ0½ % इस काल में औपचारिक रूप से अध्यापक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। Monotorial System को कोई महत्व नहीं दिया गया। शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः धार्मिक था। व्यवहारिक शिक्षा से अधिक धार्मिक कुरान की शिक्षा को महत्व दिया

*शोध छात्र, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, तिलकधारी स्नातकोत्तर महा0,जौनपुर, उ0प्र0
**वरिष्ठ प्रवक्ता, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, तिलकधारी स्नातकोत्तर महा0, जोनपुर, उ0प्र0

जाता था। मौलवी ही अध्यापक का कार्य करते थे। शैक्षिक संख्याओं में केवल मुस्लिम वर्ग के ही व्यक्ति मुकलिस और मदरसों में पढ़ाने के योग्य समझे जाते थे।

fcfV'k dky % देश में अध्यापक शिक्षा में निरन्तर तो नहीं परन्तु समय7 समय पर प्राथमिक शिक्षा में इस काल में देखा जा सकता है। स्थानीय शिक्षण पद्धति और ब्रिटिश शिक्षण पद्धति में चयन के सम्बन्ध में ईस्ट इंडिया कम्पनी एवं बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के बीच पत्राचार होते रहे। तमाम कमियों के बावजूद इस काल में प्राथमिक शिक्षा में तेजी से परिवर्तन हुए। शिक्षकों द्वारा निरीक्षण की बजाय प्रश्न पत्र तैयार करना महत्वपूर्ण परिवर्तनों में एक था।

19वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रचलित होने के कोई प्रमाण नहीं दिखते है। किसी सरकार या प्रशासक ने इस समय तक कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। हालाकि स्थानीय मानीटर पद्धति के निश्चित रूप से कुछ लाभ थे। शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं निगरानी में, मानीटर, जो छात्रों में अधिक तेज एवं समर्थ थे चुने जाते थे। कक्षा नियंत्रण, कक्षा प्रबन्धन, विद्यालय संगठन एवं शिक्षण इत्यादि सीखने का अवसर पाते थे।

जब सभी विद्यार्थी एकत्र हो जाते थे तो उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उन्हें विभिन्न वर्गों में बाँटा करते थे। निम्न स्तर के समूह की देखरेख मानीटर करते थे जबकि उच्च स्तर के समूह की देखभाल हेड मास्टर किया करते थे जिन्हें कक्षा के साथ–साथ पूरे स्कूल पर नजर रखनी होती थी।

4- vkSipkfjd f'k{kd izf'k{k.k dk;Øe % 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रचलित होने के कोई प्रमाण नहीं दिखते हैं। किसी सरकार या प्रशासक ने इस समय तक कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। हालाकि स्थानीय मानीटर पद्धति के निश्चित रूप से कुछ लाभ थे। शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं निगरानी में, मानीटर जो छात्रों में अधिक तेज एवं समर्थ थे चुने जाते थे। कक्षा नियंत्रण, कक्षा प्रबन्धन, विद्यालय संगठन एवं शिक्षक इत्यादि सीखने का अवसर पाते थे।

उत्तरोत्तर ब्रिटिश शासन ने भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता महसूस की। इस सम्बन्ध में कई पत्राचार इस बात के सबूत हैं। इस सन्दर्भ में Court of Directors us Governor General of Bengal को लिखा–

"By training, therefore a class of teachers you provide for the eventual extension of improved education to a potation of the native of India for excceding that which any elementary instruction, that could be immediately bestowed would have any chance of reaching." (Despatch March 9, 1825, p 20)

ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा बोर्ड बम्बई, मद्रास और कलकत्ता ने पहली बार अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता महसूस की उन्होंने कुछ प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना की जहाँ प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक प्रशिक्षण लेते थे। 1912 में कलकत्ता में कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना हुई जिसने Monotorial System पर शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान बनाया। 1825 तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए रु0 500 मासिक सहायता देती थी।

प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले गये। लार्ड स्टेनले ने कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। 1857 के शक्ति स्थानान्तरण के पश्चात् भारतीय प्रशासकों के लिए भारत के सचिव के आदेशों की अवहेलना करना संभव नहीं रह गया था फलतः शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा में उत्साहजनक कार्य हुए। 1882 तक प्रत्येक प्रोविन्स (राज्य) में प्रशिक्षण कालेज स्थापित हो चुके थे। 1891 तक सरकारी नार्मल स्कूलों की संस्था 106 हो गयी थी। इसमें 3886 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। नार्मल स्कूलों में ट्रेनिंग लेने वालों को सर्टिफिकेट दिया जाने लगा साथ ही शिक्षा कार्य की नौकरी की गारंटी दी गयी। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले गये।

Hkkjrh; f'k{kk vk;ksx ¼1882½ % शिक्षा आयोग ने स्कूलों के विस्तार के साथ–साथ प्रशिक्षण संस्थाओं के विस्तार की बात की तथा प्रथम बार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा की संस्तुति की।

इस प्रकार भारत में नियमित रूप से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूवात भारतीय शिक्षा आयोग (1882) की संस्कृति से हुई। 19वीं सदी के अन्द तक भारत में मद्रास, लाहौर, इलाहाबाद, कुरूसंग (कर्सयांग), राजमुडी और जबलपुर इत्यादि 06 प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा 50 प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना हुई।

chloh 'krkCnh& f'k{kk uhfr ij ljdkjh fcy ¼1904½ % शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कर्जन ने कहा– "यदि विद्यालयी शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना है तो अध्यापकों को पूर्ण प्रशिक्षित होना चाहिए।"

1913 में बिल पारित हुआ कि बिना सर्टिफिकेट प्राप्त किये शिक्षक को पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

lMyj vk;kx ¼1919½ % सैडलर आयोग ने माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रम पर विश्वविद्यालयों की भूमिका पर बल दिया। परिणामस्वरूप भारतीय अध्यापक शिक्षा के प्रावधानों में निम्नलिखित परिवर्तन आये–

a). विश्वविद्यालयों में M.Ed. का प्रारम्भ।

b). इण्टरमीडिएट एवं बी0ए0 स्तर पर शिक्षा की विषय के रूप में प्रारम्भ।

c). शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की भौतिक स्थिति में सुधार।

d). प्रशिक्षण कालेजों से सम्बद्ध प्रायोतिगक हाईस्कूल की स्थापना।

परन्तु राजनीतिक उथल पुथल एवं प्रथम विश्वयुद्ध के कारण इस दिशा में उस समय ज्यादा कुछ नहीं हुआ।

gVkx lfefr ¼1929½&

हर्टांग समिति ने प्राइमरी स्कूल के शिक्षक प्रशिक्षण के सन्दर्भ में कुछ संस्तुतियाँ की।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्री–प्राइमरी के लिए 2 वर्ष, जूनियर बेसिक/प्राइमरी के लिए 2 वर्ष, सीनियर बेसिक/मीडिल हेतु 3 वर्ष, गैर स्नातक हाईस्कूल हेतु 2 वर्ष और स्नातक हाईस्कूल के लिए 1 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि निर्धारित की।

lt~UV vk;kx ¼1944½&

सर्जेन्ट आयोग ने भी अपने रिपोर्ट में हर्टांग समिति की संस्तुतियों को दुहराया। इस प्रशिक्षण के लिए लघु पाठ्यक्रम, संध्याकालीन कक्षा, ग्रीष्म कालीन स्कूल इत्यादि के रूप में प्रचलित हुआ। स्नातकों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने के लिए सरकार या विश्वविद्यालयों को उत्तरदायी बनाया गया।

इस प्रकार हर स्तर पर प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले गये, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया। लेकिन सारे उपायों के बावजूद प्रशिक्षित शिक्षकों की माँग एवं पूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर बना रहा। माँग की तुलना में पूर्ति हमेशा कम रही। दुर्भाग्य से यह स्थिति वर्तमान तक विद्यमान है।

lUnHkZ %

1. सारस्वत, मालती, 2005, भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामाजिक समस्यायें, आलोक प्रकाशन, इलाहाबाद.
2. गुप्ता, एस.पी., 1998, भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
3. लाल, रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्यायें, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.
4. अग्निहोत्री, रवीन्द्र, 2007, आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएँ और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर.
5. कपूर, उर्मिला, 1989, भारतीय शिक्षा : इतिहास व समस्यायें, साहित्य प्रकाशन, आगरा.

***

ty icU/ku % lkef;d vko';drk

MkO fi;dk flg*

प्रकृति ने हमें कई अनमोल नियामतें दी है, जल उनमें से एक हैं। हवा के बाद मनुष्य के लिए दूसरी महत्वपूर्ण जरूरत जल की होती हैं। क्योंकि कहा गया है, ''जल ही जीवन है''। प्राचीन काल से भारत नदियों का देश रहा है। सिन्धु, सतलज, झेलम, रावी, व्यास, चेनाव, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, गोमती, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने न केवल यहाँ की धरती को सींचा बल्कि यहाँ की संस्कृतियों और परम्पराओं का भी पोषण किया। लेकिन आज क्या स्थिति है? विश्व आज एक अभूतपूर्व जलसंकट के दौर से गुजर रहा है। हमने प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल भेंट को संभाल कर नहीं रख पाया है।

विश्व बैंक के भूतपूर्व उपाध्यक्ष इस्माइल सेरेगेल्डीन ने काफी पहले कहा था कि अगली सदी के युद्ध पानी के लिए हुआ करेगें। पानी की समस्या 21वी सदी की एक सामयिक समस्या के रूप में उभरी है यदि समय रहते इसके प्रबन्ध पर ध्यान नहीं दिया गया तो पेट्रोल की बजाय पानी के लिए युद्ध लड़े जाएंगे। पर्यावरण विशेषज्ञ श्री गार स्मिथ का यह कहना है कि, ''जल दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है। एक औसत व्यक्ति तीन दिन से अधिक प्यासा नहीं रह सकता। पूरी दुनिया में भूमिगत जल स्तर प्रतिवर्ष औसतन दस फुट गिरता जा रहा है। इसलिए प्राकृतिक जल स्त्रोतों पर कब्जा करने के लिए सैन्यशक्ति का भी प्रयोग किये से इंकार नहीं किया जा सकता है।''

विश्व स्तर पर स्वच्छ जल का उपभोग 1900 से 1995 के बीच छः गुना बढ़ गया है और यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो 2025 तक पृथ्वी पर रहने वाले हर तीन लोगों में से दो को जल की समस्या का दंश झेलना होगा। हाल के विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक कुल संभावित 9.3 अरब जनसंख्या में से 2–7 अरब लोगों को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इस समस्या का रूप अत्यधिक भयावह होगा इसके बावजूद, विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि विकासशील देशों ने 1990–98 के बीच उद्योग, कम्प्यूटर, यातायात और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में जितनी अधिक पूँजी लगाई है उसकी तुलना में जल समस्या एवं प्रबन्धन से जुड़ी समस्याओं के निदान में किया गया खर्च नगण्य है।

आश्चर्य किन्तु सत्य है कि भारत जैसे जल संसाधन से सम्पन्न देश में भी जल संकट पैदा हो रहा है। हमारे देश में कुल भूगर्भ जल लगभग 450 घेन कि.मी. अनुमानित किया गया है। वर्तमान में इसकी खपत लगभग 200 घन कि.मी. है, जो कि वर्ष 2025 में बढ़कर 350 घन कि.मी. होने का अनुमान है। भारत में जल दिनों दिन एक दुर्लभ संसाधन बनता जा रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में रोजाना विभिन्न इसका अंधाध ुंध और अकुशल उपयोग जारी है। विश्व स्तर पर गंभीर जल विवाद हैं लेकिन साथ ही भारत में भी ये विवाद गंभी रूप धारण किए हुए हैं। कावेरी जल विवाद भारत के दो राज्यों के बीच है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। यह जल विवाद काफी पुराना है। अब यह बहुत स्पष्ट है कि पिछले तीन दशकों से इसका समाधान नहीं हो पाया है और इस वजह से दोनों राज्यों के बीच राजनैतिक वाद–विवाद आये दिन होते रहते हैं।

भारत की प्राकृतिक संरचना सबसे बेहतर है कि इसे औसत रूप में पर्याप्त जल उपलब्ध है, किन्तु इसका विभाजन समान रूप से नहीं है। श्री माधव गाडगिल व रामचन्द्र गुहा की पुस्तक ''इकोलॉजी एण्ड एक्विटी'' में आकलन किया गया कि मानसून व हिमालय से प्राप्त होने वाले पानी को मिलाकर भारत को प्रतिवर्ष औसतन 4200 अरब घन मी. जल प्राप्त होता है। जो एक संतोषजनक स्थिति है परन्तु यह अधिकांश जल मानसून के महीनों में प्राप्त होता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जल संरक्षण तथा प्रबन्धन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इसमें कोई शक नहीं कि पानी का बेहतर संरक्षण और प्रबन्धन करने से ही इस सदी के मध्य तक तो कमी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी मानव को पानी प्राप्त होता

*प्रवक्ता, के.पी. ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद (संघटक महाविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद), उ0प्र0

रहे, ऐसे उपाय करने होगें। जल संसाधनों के विकास एवं नियोजन हेतु वैज्ञानिक एवं परम्परागत प्रबन्धन को एक ठोस आयाम देने की सामयिक आवश्यकता है।

वित्त वर्ष 2002–2003 में 1 अप्रैल को भारत के 28 राज्यों और पाँच केन्द्र शासित प्रदेशों ने नई जल नीति तय करके जीवन की एक महत्वपूर्ण नियामत के सदुपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक में कहा ''वर्तमान हालात हमें जल सुरक्षा को तत्काल राष्ट्रीय लक्ष्य मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं। यहलक्ष्य सिर्फ खाद्यान्न सुरक्षा से ही नही बल्कि जल की उपलब्धता के स्वतंत्र लिहाज से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।''

भारत में जल संकट से निबटने के लिए कुशल प्रबन्धन और विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ऐसे कई उदाहरण है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उचित प्रबन्धन ही समस्या हल करने में सहयोगी है। भारत में अभी तो इस संकट का भयावह रूप नही है लेकिन आने वाले समय में यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बेहतर प्रबन्धन के कारण ही कोरिया, इजराइल, जोर्डन जैसे देशों में प्रति व्यक्ति सालाना जल उपलब्धता भारत की अपेक्षा कम होने के बावजूद सभी के लिए भरपूर जल उपलब्ध है।

जल संग्रहण और विभिन्न क्षेत्रों के बीच इसके वितरण तथा उपयोगकर्ताओं को इसकी आपूर्ति के प्रबन्धन के क्षेत्र में मौलिक सुधारों की जरूरत है। फिलहाल जल संसाधनों का प्रबन्धन आपूर्ति पर आधारित है। इसे माँग आधारित बनाने की आवश्यकता है।

इसलिए राजस्थान जैसे राज्यों में जल संग्रहण तथा उनका उचित प्रबन्धन के सार्थक प्रयास हो रहे है। श्री राजेन्द्र सिंह के नाम से कौन अपरिचित है जिन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए वर्ष 2001 का रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। इन्होंने जयपुर के पास भीकमपुर गाँव में पानी की भारी किल्लत देखी जिसे उन्होंने गाँव के लोगों के साथ मिलकर जोहड़ों की प्राचीन परम्परा का उपयोग किया। जोहड़ों में बरसात के पानी को इकट्ठा करके इसे सीधे सिंचाई, पीने तथा अन्य घरेलू कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। जोहड़ों के लिए स्थान के चुनाव से लेकर संरचना के डिजाइन, निर्माण लागत में भागीदारी और इसके बाद रख–रखाव तक के सभी कार्यों में ग्रामीण जन की सक्रिय भूमिका रही है। इनका फायदा यह हुआ कि जहाँ पानी की इतनी दिक्कत थी वहीं पानी इफरात हो गया है। अधिक पानी का मतलब है बेहतर फसल, जमीन की बेहतर स्थिति, शिक्षा का उन्नयन और खुशहाल सामुदायिक जीवन। राजस्थान में ही जयपुर के पास एक गाँव है निम्बी वहाँ भी इसी प्रकार के प्रयास से जन–जीवन खुशहाल हुआ है।

राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भी सर्वश्रेष्ठ जल प्रबन्धन के मिसाल सामने आये हैं। मध्य प्रदेश में जल प्रबन्धन हेतु अक्टूबर 1994 में 'राजीव गाँधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन कार्यक्रम' प्रारम्भ किया गया। मध्य प्रदेश के जिला 'पूर्व नियाड' के ग्राम तोरणी अपनी सम्पूर्ण जल प्रबन्धक की उपलब्धियों के कारण अपना विशिष्ट स्थान बना सका है।ग्राम तोरणी सम्पूर्ण जल प्रबन्धन की नवीन अवधारणा को शब्दशः साकार करने में जुट गया है। जलग्रहण के सिद्धान्त के अनुसार 'जल चले, न कि दौड़े' किन्तु सम्पूर्ण जल–प्रबन्धन के सिद्धान्तानुसार ''पानी न तो दौड़े, न ही चले, बल्कि रेंगे तथा धरती में शनैः शनैः समाकर हमें दीर्घकाल तक कुओं तथा तालाबों के माध्यम से उपलब्ध हो।'' इस योजना के शुरूआती परिणाम दिखने लगे हैं। और आने वाले समय में वर्तमान का विकासशील ग्राम 'तोरणी', 'विकसित तोरणी' कहलाएगा।

मध्यप्रदेश में उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील का एक छोटा सा गाँव बालौदा लखा को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इस गाँव को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ''जलतीर्थ'' का नाम दिया है। यहाँ के ग्रामीण लोग कृषि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय जलग्रहण मिशन कार्यक्रम के साथ चलकर अपनी तकदीर बदलने का सफल प्रयास किया है। यहाँ के लोगों ने गाँव से बहकर जाने वाले सभी नालों के बचे पानी को रोकने के लिए आपसी सहयोग से एक बड़ा तालाब बना लिया। उन्होंने इस तालाब का नाम मुक्ति धाम सागर रखने का निर्णय लिया है जो उन्हें पानी की समस्या से मुक्ति दिलाएगा।

डेढ़ साल पहले तक सूखे की जबर्दस्त मार झेल रहा दीगोद गाँव मध्य प्रदेश के ही शिवपुरी जिले के कोलारस विकासखण्ड का गाँव है। जलग्रहण मिशन के कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीणों ने यहाँ पर आधुनिक तकनीक से बीस तालाब बनाये हैं जो पानी से पूरे लबालब भरे हुए है, जिससे सूख गए कुँए भी अब भर गये है।

उपरोक्त सभी उदाहरण ऐसे है जिनसे ग्रामीणों के सहयोगी रवैया जल प्रबन्धन के क्षेत्र में कायाकल्प कर दिया। इससे यह कहावत चरितार्थ होती है कि ''जहाँ चाह वहाँ राह''।

यह बात निर्विवाद सत्य है कि समय रहते सिकुड़ते स्वच्छ पानी के स्त्रोतों पर ध्यान नहीं दिया गया तो तेजी से गिरती प्रति व्यक्ति पानी उपलब्धता के कारण एक महा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए पूरी दनिया के देश सीमाओं के दायरे से निकलकर पानी के प्रबन्धन, नियोजन एवं उचित उपयोग में सक्रिय सहयोग दें। पानी के प्रबन्धन के लिए दो बातें विशेष महत्वपूर्ण है– जल संरक्षण व जल स्वच्छता या शुद्धता। यही कारण है कि जल प्रबन्धन करना इस सदी की सबसे बड़ी सामयिक आवश्यकता के रूप में उभरा है। सफल प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित बातों को अपनाना होगा–

1. हर संभव प्रयास करके पानी को प्रदूषित होने से बचाएँ।
2. भूजल के अत्यधिक दोहन के नियंत्रण पर बल दिया जाए।
3. उपलब्ध जल की घटती गुणवत्ता को रोकने के लिए समन्वित प्रयास किया जाए।
4. वाटरशेड विकास कार्यक्रम के साथ बेहतर तालमेल होना चाहिए।
5. जल संसाधन के विकास व नियोजन हेतु वैज्ञानिक व परम्परागत प्रबन्ध हो।
6. जल प्रबन्धन के लिए सभी लोगों की संचेतना आवश्यक है।
7. सरकारी साधनों की निर्भरता की बजाय सामाजिक स्तर पर इसको बढ़ावा दिया जाय।
8. यह समय की माँग है कि हमारी एक राष्ट्रीय जल नीति हो। इस नीति में सबसे ज्यादा ध्यान वर्षा के पानी के संग्रहण और सदुपयोग पर दिया जाय।
9. प्रकृति प्रदत्त वर्षा के पानी को वरूण देवता का प्रसाद समझ उसे संरक्षित व स्वच्छ रखने का उत्तरदायित्व निभाएं।
10. जल ही जीवन है, इसका पाठ पढ़ाया जाए और जन–जागरण के द्वारा इसे शुद्ध व संरक्षित रखने का अभियान आरम्भ किया जाए।
11. स्कूलों के पाठ्यक्रम में जल के अपव्यय को रोकने से सम्बन्धित विषय वस्तु होनी चाहिए। जिससे वे जल का दुरूपयोग न स्वयं करें, न करने दें।
12. अध्यापकों को समय–समय पर जल संसाधन, प्रदूषण आदि पर पोस्टर, वाद– विवाद प्रतियोगिताएँ आदि आयोजित करानी चाहिए।
13. बच्चों को नदियों के घाटों पर ले जाकर विभिन्न प्रकार से फैलनी वाली गंदगियों के बारें में प्रत्यक्ष जानकारी करानी चाहिए।
14. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत जल प्रबन्धन तथा जल प्रदूषण से सम्बन्धित सामुदायिक कार्य कराने चाहिए। जो लोग उसमें सम्मिलित हैं उनको कई तरीके से समझा सकते हैं जैसे नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, व्यक्तिगत बातचीत के द्वारा।
15. वास्तविक एवं बनावटी पानी की आवश्यकता का अन्तर जानना जरूरी है।
16. पानी की बर्बादी रोकने के लि 'रेनु वाटर हार्वेस्टिंग' तकनीक लागू की जाए।
17. दूरदर्शन तथा आकाशवाणी जल आपूर्ति तथा उसके प्रबन्धन के बारें में महत्वपूर्ण संदेश प्रसारित करने के लिए दृश्य–श्रव्य कार्य बनाए।
18. जल प्रबन्धन सिर्फ सेमिनार का विषय न रहे, अपितु जन–आन्दोलन का विषय बनकर उभरे।

जल प्रबन्धन के लिए विद्यालय, विश्वविद्यालय, सामुदायिक सहभागिता, के स्तर पर जागरूकता की महती आवश्यकता है। शुरूआत तो व्यक्तिगत स्तर पर हो सकती है।

इस प्रकार भावी जल संकट का सामना करने के लिए परियोजना एवं प्रबन्धन पर विशेष बल देने की जरूरत है। इसके लिए जमीन से जुड़ी ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है, ऐसे सद्प्रयासों के उत्साही परिणाम हमारे सामने हैं। यदि समय रहते इस दिशा में समुचित व सामूहिक प्रयास नहीं किए गए तो पानी की कमी पूरी दुनिया के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर सकती है। इसीलिए कहा गया है कि ''जल है तो कल है।''

lUnHkZ %

1. नारायण, सुनिता, बदलनी ही होगी जल की अर्थव्यवस्था, हिन्दुस्तान (दैनिक समाचार पत्र), 16 जून, 2007
2. मोदी, अकिता, बढ़ते जल संकट के गम्भीर चुनौतियाँ, कुरूक्षेत्र, मई, 2007

***

ukjh foe'k d lnHk e efgyk dgkuhdkjk dh dgkfu;k

MkO cnuk oek*

महिलाओं की कथा रचना की श्रृंखलाबद्ध शुरुआत 1922 ई.से हुई। महिलाओं की इच्छा, रुचि व बौद्धिक क्षमताओं के विकास को ध्यान में रखते हुए जब 'चाँद' और 'माधुरी' जैसी पत्रिकाओं के प्रकाशन का आरंभ किया गया। महिला लेखन में उल्लेखनीय योगदान श्रीमती शिवरानी प्रेमचंद द्वारा हुआ जिनकी पहली कहानी साहत 1927 में' चाँद'में प्रकाशित हुई। सन्1915 से लेकर सन्1927 तक का यह समय लेखिकाओं के नाम से बिल्कुल खाली तो नहीं पर विशेष रुप से उल्लेखनीय नाम भी कोई है नहीं''[1]

प्रेमचंद की सक्रिय रचनात्मक भूमिका के उस दौर में भले ही महिला रचनाकार कम हैं, लेकिन स्त्री की क्रमशः उभरती हुई चेतना और स्त्री अस्मिता से जुड़े संदर्भ कहानी के प्रमुख सरोकार बनते हैं। कथा साहित्य में प्रेमचंद से बड़ा स्त्री विमर्श का रचनाकार और कौन हो सकता है? स्वाधीनता आंदोलन के साथ राजनीति में स्त्री की हिस्सेदारी, स्त्री शिक्षा और नारी उत्थान संबंधी प्रयास उनकी लेखकीय चिंता में शामिल हैं। फिर भी 1930 से 1940 के बीच स्त्री के मन को मुखर करती हुई कुछ महिला लेखिकाएँ हैं–उषा देवी मित्रा, सत्यवती मल्लिक, कमला चौधरी, सुभद्राकुमारी चौहान, होमवती देवी, सुमित्रा कुमार सिन्हा, लीला अवस्थी और चंद्रकिरण सोनरेक्सा आदि। इनकी भी चर्चा कभी 'महिला–लेखन' नाम से नहीं की गई, बल्कि सामान्यतः कहानी की आलोचना में भी इनकी उपेक्षा ही रही। जबकि स्वाधीनता आंदोलन की घटनाओं, मध्यवर्गीय समाज का अंतरंग चित्रण और नारी जीवन के उल्लेखनीय पहलुओं पर इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं।

स्वातंत्रयोत्तर युग में जब 'नई कहानी'का पहला आंदोलन उभरता है, तो इसकी तमाम रचनात्मक उपलब्धियों के साथ अलग से महिला कहानीकारों को गिना जाता है– जो नई कहानी की संवदेना और भाषा के भीतर स्त्री चेतना की अभिव्यक्ति कर रही थीं। हिन्दी कहानी की आधी शताब्दी की यात्रा में जितनी महिला कहानीकार पैदा नहीं हुई, उतनी दस–बारह वर्षों के इस कथा आंदोलन के बीच पैदा हुई। कृश्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियग्वदा, सोमावीरा, शिवानी, शशिप्रभा शास्त्री, विजय चौहान आदि–अकेले इस दौर में सामने आयीं। ''निःसदेह समाज में स्त्री की बदलती हुई स्थिति के कारण ही यह संभव हो सका। इन लेखिकाओं ने अपनी दृष्टि से अपने जीवन को देखा और कदाचित पहली बार हिंदी में स्त्रियों के जवान और उसकी समस्याओं को प्रमाणिक और विश्वसनीय अभिव्यक्ति मिल सकी।''[2]

आलोचक मधुरेश लिखते हैं–''हिंदी में नई कहानी के बाद कहानियों की एक क्षीण–सी ही सही, ऐसी धारा भी प्रवाहित हुई–बेशक उसकी शुरुआत नई कहानी से हुई थी– जिसमें आत्मापरकता बहुत थी। प्रतीक बहुल सांकेतिक भाषा में प्रेम और स्त्री–पुरुष संबंधों का बारीक अंकन ही इन कहानियों की प्रिय रचनावस्तु थी। शुरु में वस्तुतः ऐसी कहानियों की पहचान के लिए 'महिला लेखन' जैसे पद का इस्तेमाल किया गया। कविता में वह अकविता का दौर था और आधुनिकता एवं पश्चिम के नारी मुक्ति आंदोलन के उत्साहातिरेक में अनेक युवा लेखिकाएँ उस ओर आकृष्ट हुई।''[3]

महिला कहानीकारों के साठोत्तरी लेखन को साहसिक कहकर प्रशंसा भी हुई।

''लेकिन नई चुनौतियों और सामाजिक दबावों के कारण यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहने वाली नहीं थी। मृदुला गर्ग, ममता कालिया और मृणाल पांडे ने शुरु की अपनी कहानियों में इस साहसिकता को ही अपनी उपलब्धि माना जिसकी परिणति 'चित्तकोबरा'और 'छुटकारा'की अनेक कहानियों में देखी जा सकती है। मणिका मोहिनी की अधिकांश कहानियाँ आज भी यौन विकृतियों को ही जीवन का सबसे बड़ा सच मानती दिखायी देती हैं।''[4] इस दौर की अनेक लेखिकाओं ने अपनी रचनावस्तु की सीमाओं को समझा और समय रहते सुधारों और अभूतपूर्व विस्तार भी किया।

*छित्तूपुर, बी.एच.यू ,वाराणसी, उ0प्र0

दलित विमर्श के समानांतर स्त्री विमर्श की बहस, कथा साहित्य में परवान चढ़ रही है। महिलाओं की एक बड़ी संख्या एक बार फिर लेखन के जरिए अपनी पहचान खोज रही है। पहले से सृजनरत और इधर नयी पीढ़ी की कथा लेखिकाओं के नामों की सूची लंबी है–ममता कालिया, चित्रा मुद्गल, मृदुला गर्ग, मेहरुन्निसा परवेज, मैत्रेयी पुष्पा, राजी सेठ, सूर्य बाला, नमिता सिंह,नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा, चंद्रकांता, अलका सरावगी, सारा राय, संजना कौल, मालती जोशी, दीपक शर्मा, गीतांजलि श्री, सुरमि पाण्डेय, कमल कुमार, उषा चौधरी उर्मिला शिरीष,मीरा सीकरी, नीलिमा सिन्हा, मुक्ता, निर्मला भुराड़िया, अल्पना मिश्र, शरद सिंह आदि। इसमें बहुत से नए नाम शामिल नही है, जिसने अभी–अभी कहानी में अपनी उपस्थिति दर्शायी है।

आज की कहानियों में स्त्री विमर्श के बहुआयामी रुप अपनी परंपरा से भी सुत्रबद्ध हैं और समकालीन दृष्टि में तत्वतः भिन्न भी है। आज की स्त्री की एक दुनियाँ पुरुष वर्चस्व वाले समाज में अनुकूल स्थिति पाने के लिए उत्कंठित और संघर्ष करती स्त्री है तो दूसरी ओर मीडिया और विज्ञापन का भ्रमजाल स्त्री को उपभोग की वस्तु बना देने पर तुला है। अब भूमंडलीकरण के युग में स्त्री मुक्ति के प्रश्न बीस साल पहले के प्रश्नो से पर्याप्त भिन्न हैं। एक तरफ संविधान द्वारा प्रदत्त स्त्री अधिकारों और समानता का दर्जा पाने के लिए सामाजिक अंतर्विरोधों से जूझती स्त्री है तो दूसरी तरफ नारी चेतना की स्वतः आकांक्षा से बलवती नारी की मुक्ति है। सामाजिक यथार्थ के ऐसे अनेक पहलू है जो केवल स्त्री होने की नियति से जुड़े हैं। आज की नारी की उलझनों, विवशताओं और जटिलताओं को जितनी सूक्ष्मता और संवेदना से महिला कहानीकारों ने लिखा है, उतना पुरुषों ने नहीं लिखा। अपने प्रस्थान और प्रक्रिया से होकर आया 'स्त्री विमर्श' इधर की महिला कहानीकारों की कहानियों में एक खास 'परिपाटी'बन कर उभरा है– निःसदिह वह अपने युग संदभों से गहरे जुड़ा है और स्वयं स्त्रियों द्वारा अपनी देखी–भोगी दुनियाँ का आख्यान है।

अब नारी शोषण और यातना की सिर्फ मूक शिकार नहीं रह गई है। वह अपना प्रतिवाद भी अलग–अलग ढंग से दर्ज कराती है। मैत्रेयी पुष्पा की 'गोमा हँसती है' कहानी की गोमा अपने बेमेल विवाह की विवशता का प्रतिकार बलिसिंह से विवाहेत्तर संबंध बनाकर करती है। ताकि 'परिवार'और 'विवाह'दोनों ही के छद्म को उनके भीतर रहकर तोड़ सके। यह पश्चिमी नारीवाद से भिन्न है। परंतु स्त्री का मार्ग इतना आसान नहीं है। उसके सामने जटिल परिस्थितियाँ हैं। ममता कालिया की 'बोलने वाली औरत'में एक ऐसी बहु की स्थिति दर्शायी गई है जो परिवार की चिरपरिचित भूलभुलैंया में उलझकर रह गई है क्योंकि अगर वह मुँह खोलेगी तो उसे 'बोलने वाली औरत' करार दिया जाएगा।

इस दौर की कहानियों में मौजूद स्त्री तमाम तरह की सामाजिक उपेक्षा के बावजूद अपनी गरिमा बचाए रखने के प्रति सजग दिखायी देती है। ''लेकिन मौजूदा दौर की महिला कथाकारों की कहानियों में 'स्त्री होने का भय'एक स्थायी भाव बनाकर उभरा है। नवधनाढ्य वर्ग की अपसंस्कृति और उपभोक्ता समाज ने स्त्री के जीवन को लेकर कुछ नए भय पैदा किए हैं। लगता है कि आज की महिला कथाकार इन भयों की सापेक्षता में स्त्री के जीवन को देखने की कोशिश कर रही हैं। यह उनके अनुभव का विशिष्ट इलाका है, जहाँ पुरुष की पहुँच व्यावहारिक रुप में संभव नहीं है और यही वह बिन्दु है, तमाम समानताओं के बावजूद, जिसके आधार पर कथा–लेखिकाओं की कलम को अलग से पहचाना जा सकता है।''[5] इस संदर्भ में चित्रामुद्गल की 'प्रेतयोनि'क्षमा शर्मा की 'घर–घर'और 'जिन्न,कमल कुमार की अंतर्यात्रा, उषा चौधरी की 'धूमकेतु',ममता कालिया की 'खिड़की',गीतांजलि श्री की 'बेलपत्र',अलका सरावगी की 'लाल मिट्टी की सड़क जैसी कहानियों की मिसाल काफी होगी।

lUnHk %

1. वर्तमान साहित्य (शताब्दी कथा विशेषांक), जनव री–फरवरी 2000, पृ. 184 (आलेख–बीसवीं सदी की हिंदी कहानी का स्त्री अध्याय–अर्चना वर्मा)
2. मधुरेश; हिन्दी कहानी का विकास, पृ. 68
3. मधुरेश; हिन्दी कहानी का विकास, पृ.189
4. मधुरेश; हिन्दी कहानी का विकास, पृ. 103
5. शर्मा, डॉ. जानकी प्रसाद; कहानी का वर्तमान, पृ. 75

***

nfyr pruk vkj ck) /ke dh opkfjd vk/kkjHkfe

onuk flg*

प्रस्तुत शोध पत्र मे दलित चेतना और बौद्ध धर्म की वैचारिक आधार भूमि को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

बुद्ध के समय से ही भारत में संस्कृति के दो धाराए स्पष्ट रही है। एक धारा वह है जो वर्णाश्रम धर्म को अक्षुण्ण रखना चाहती है। जिसका विश्वास वेदों, पुराणों, स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में है और धर्म के स्मृति रूपों में श्रद्धा रखती है, मंदिर, मूर्ति ,तीर्थ और व्रत में विश्वास करती है। इस धारा के आचार्य मनु, शंकर तथा उनके कवि कालिदास, जयदेव, विद्यापति और तुलसीदास है। दूसरी धारा वह है जो बुद्ध के कमंडल से निकलकर बौद्ध आचार्यों से होकर सरहपा, नाहपा आदि सिद्धों में पहुंची और उनके कवि कबीर, नानक, दादू है।[1]

छठी शताब्दी ई0 पू0 में बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था। इसके बारे में बताते हुए भारत की प्रमुख इतिहासकार रोमिला थापर का मानना है कि –'' भारत में जन्में किसी भी अन्य ऐतिहासिक व्यक्ति ने विश्व का बलात् इतना अधिक ध्यान आकृष्ट नहीं किया है, जितना बुद्ध ने किया है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बुद्ध ने अपने समय के तेजी से बदलते समाज का विश्लेषण करने तथा मनुष्य जाति के लिए एक स्थायी समाजदर्शन प्रदान करने का अत्यंत गहन और व्यापक प्रयास किया था। बौद्ध धर्म ने एक वैकल्पिक समाज का भी खाका खड़ा कर दिया था। उसने उस समय अपनी जड़ जमाती श्रेणीबद्ध असमानतावादी विचारधारा और व्यवहारों से भिन्न सिद्धांतों पर आधारित समाज को संगठित करने की संभावना खड़ी कर दी थी।''[2]

गौतम बुद्ध के बारे में बताते हुए बाबा साहेब डॉ0 अंबेडकर कहना है कि–''प्रथम समाज–सुधारक और उनमें सबसे महानतम गौतम बुद्ध थे। समाज सुधार का इतिहास ही बुद्ध से शुरू होता है और कोई भी इतिहास उनकी उपलब्धियां बताए बिना अधूरा रहेगा।''[3]

बौद्ध धर्म के योगदान को रेखांकित करते हुए डॉ0 अंबेडकर का कहना है कि–'' बुद्ध ने जाति प्रथा की निदां की। असमानता का सिंद्धात जो कि जाति प्रथा का आधार है, उस सुस्थापित हो गया था और इसी सिद्धांत के विरूद्ध बुद्ध ने एक निश्चयात्मक और कठोर संघर्ष छेड़ा। अन्य वर्गों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों के मिथ्याभिमान के वह कितने कट्टर विरोधी थे और उनके विरोध के आधार कितने विश्वासोत्पादक थे, उसका परिचय उनके बहुत से संवादों से प्राप्त होता है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अम्बट्ठ सुत के रूप में माना जाता है।''[4]

इस देश में वेद विरोधी लोगों का दल बहुत बड़ा हो गया था और जो बातें मुसलमानों के आगमन के बाद कबीर ,दादू, नानक ने कहीं उन उपदेशों का सिक्का बौद्ध संत (सिद्ध लोग) जनता के मन पर पहले ही (सातवीं, आठवीं, नौवीं सदियों में) बिठा चुके थे। जिसने सिद्धों के पद पढ़े हैं वह त्रिकाल में भी यह नहीं मान सकता कि नानक,कबीर,दादू के प्रादुर्भाव का एकमात्र कारण इस्लाम था। इस्लाम और सूफियों का प्रभाव इन संतों पर अवश्य पड़ा किंतु उनके वास्तविक पूर्वज मुस्लिम सूफी नहीं प्रत्युत बौद्ध सरणी के सिद्ध संत थे जिन्होनें धर्म के ब्रह्माचार पर उतने ही भीषण प्रहार किए थे, जितने भीषण प्रहार आगे चलकर निर्गुणियां संतों ने किए। कबीर की बहुत सी बातों में हम सिद्धों की उक्तियों की आवृत्ति पाते हैं।[5]

*शोध छात्रा, समाजाशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उ.प्र.

हमने ऊपर विद्वानों के मतों के आधार पर यह देखने का प्रयत्न किया है कि संतों की दलित चेतना का मुख्य कारण वह ब्राह्मण और वैदिक संस्कृति विरोधी चेतना है जो बुद्ध से प्रवाहमान होकर नाथों–सिद्धों से होती हुई यहाँ तक आई है।

संक्षेप में, हम कह सकते है कि बुद्ध और उनके बाद उनके अनुयायियों ने ब्राह्मणवाद विरोधी विचारों का ही प्रचार किया था। उन्होंने जाति–प्रथा, भेदभाव, असमानता और ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। ये सभी बातें सदियों से शोषित दलितों के हितों में ही गई। उनकी चेतना में बदलाव आया। वे 'कर्मफल' के सिद्धांत की वास्तविकता को समझ पाए और अपने होने का अहसास वे कर पाए। एक प्रकार से यह दलित चेतना की बिखरी हुई लेकिन युगांतकारी शुरूआत थी। यह उस सैद्धांतिकी के प्रथम अध्याय का प्रथम पन्ना था जो नाथों–सिद्धों से लगातार बढ़ता रहा और कबीर से होकर फुले, पेरियार के बाद बाबा साहेब डॉ0 अंबेडकर तक आया। यही कारण है कि जहाँ–जहाँ दलित आंदोलन, साहित्य और सामुहिक संघर्ष की बात होती है वहाँ गौतम बुद्ध के विचार भी होते है। दलितों के शादी–ब्याह में ब्राह्मण रीति–रिवाज की जगह बौद्ध रीति–रिवाज आने लगे हैं। हालाँकि आज इसका प्रारंभिक दौर है लेकिन यह दलितों की तरफ से उस महान विचारक को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा देने का सूत्रपात किया।[6]

lUnHkZ %

1. 'दिनकर', रामधारी सिंह, संस्कृति के चार अध्याय, पृ0 342
2. थापर, रोमिला, 2001 प्राचीन भारत, पृ0 35
3. बाबा साहेब डॉ0 अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय,खंड– डॉ0 बी0 आर0 अंबेडकर, डॉ0 अंबेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
4. वही, पृ0 75
5. 'दिनकर' रामधारी सिंह,संस्कृति के चार अध्याय, पृ0 13
6. बडत्या, सूरज, 2010, सत्ता संस्कृति और दलित सौंदर्यशास्त्र, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0) लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ0 79

***

;okvk ij ck.MM mRiknk d foKkiu dk iHkko

vk'krk"k dekj f=ikBh*

विज्ञापन वह मनमोहिनी कला है, जो उपभोक्ता को तब तक जकड़े रहती है जब तक कि उसके जेब का धन निर्गमित न हो जाये। आज का युग चमक–धमक का युग है। प्रत्येक उत्पादन के बनावट के साथ मनोवैज्ञानिक तथ्य भी जुड़े रहते हैं, जो वस्तु के विज्ञापन पर ही केवल लागू नहीं होती है, बल्कि उपभोक्ता के दिमाग में उस वस्तु के प्रति एक स्पष्ट भावनात्मक तस्वीर बनती है जो उस वस्तु के गुणवत्ता से जुड़ी रहती है। वे उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग करते हैं जो उस वस्तु से उपभोक्ता का एक भावात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है। यह मनोस्थिति उपभोक्ता के मन मस्तिष्क में वस्तु के प्रति एक भावना का उभरना है या मनोवैज्ञानिक रूप से वस्तु के खोज की प्रेरणा विकसित होना है जो ब्राण्ड इमेज कहलाती है।

ब्राण्ड की छवि इस तथ्य पर निर्भर करती हैं कि वह ब्राण्ड उपभोक्ता के साथ किसी उत्पाद से किस सीमा तक अलग किस्म की छवि बना लेता है जिस ब्राण्ड के बारे में उपभोक्ता हमेशा जागरूक रहता है उस ब्राण्ड के कौन–कौन से उत्पाद बाजार में आ रहे हैं।

उपभोक्ता जब एक ब्राण्ड के प्रति विश्वास रखता है तो वह विशेष ब्राण्ड की वस्तु की मॉग करता है तथा उसके प्रतिस्पर्धा ब्राण्ड की वस्तु को खरीदने से मना करता हैं तथा बिना किसी प्रकार की संदेह किये वह हमेशा उसी ब्राण्ड की वस्तु के प्रतिनिष्ठा होती है, जो उपभोक्ता को निर्माता के प्रति विश्वास दिलाता है और उपभोक्ता उसी ब्राण्ड की वस्तु का उपयोग करता है। वस्तु की गुणवत्ता और निरन्तर बिक्री बनाये रखना, ब्राण्ड बनाये रखना ब्राण्ड की छवि के लिए आवश्यक होता है।

किसी भी ब्राण्ड की छवि बनाने में उस ब्राण्ड की पैकेजिंग उसका बाजार, सृजनात्मक, विज्ञापन और वस्तु की गुणवत्ता और लम्बे समय तक उसका उत्पादन, गुणवत्ता एवं विशिष्ट स्थिति प्राप्त कर लेती है जो कि ब्राण्ड के निर्माण में बहुत सहयोगी होती है उदाहरण जेसे– ड्रैमलर क्रिसलर का मार्सिडिज कार, लिमोजीन का वर्साचे का कलर कलेक्शन जैसे भारत में कलर प्लस एल0एन0सोनी, टाइटन, महिन्द्रा सहारा, लिबर्टी इत्यादि। ब्राण्ड की छवि उसके रंग, खुश्बू, स्वाद और गुणवत्ता के आधार पर धीरे–धीरे बनता है। जिसके लिए विज्ञापन का ही प्रमुख योगदान होता है इसलिए उत्पाद के लिए ब्राण्ड इमेज बताना आवश्यक होता है। इसके लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। जिसके लिए एक अच्छी विज्ञापन योजना की आवश्यकता होती है। उस ब्राण्ड के उत्पाद को बाजार में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके और उसे ब्राण्ड के छवि को हमेशा बनाएं रख सके।

ब्राण्डेड उत्पादन का केवल प्रोडक्ट के उत्पादन एवं मुनाफे का मूल्य ही नहीं होता वरन् उसकी ब्राण्ड की छवि की मूल्य होता है, जो एक विशिष्ट वर्ग को स्थापित करता है।

ब्राण्डेड उत्पादन के ग्राहक अभिजात्य वर्ग एवं विशिष्ट आय वर्ग से सम्बन्धित होते हैं। जिसमें उनकी परिवकृत कलात्मक रूचि एवं सौन्दर्य शास्त्रीय बोध अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज ब्राण्डेड वस्तुओं का इस्तेमाल करना स्टेटस सिम्बल को दर्शाता है। बाजार में उपलब्ध शानो–शौकत की चीजों के उन खरीददार भारतीयों की तादात तेजी से बढ़ रही है जिनके पास अप्रत्याशित समृद्धि हो गयी।

ऐसे में डैमलर क्रिसलर जैसे कम्पनियों में मैबेक जैसी कार भारतीय बाजार में उतारने की योजना बना रही है तो इसमें आचरण क्या? पिछले पाँच साल से भारत में लक्जरी कार का बाजार तीन गुणा अधिक हो गया है। पिछले महीने लक्जरी स्पोर्टस कार निर्माता पोर्श में 911 करेरा टर्बो, बॉक्सटर और केने नाम के अपने तीनों मॉडलों के साथ भारतीय बाजार में कदम रखा। इनकी कीमत 40 लाख रूपये से लेकर 86 लाख रूपये के बीच है। कम्पनी के एशिया के विपणन प्रबन्धक आमॉरी ला फोंटा कहते हैं

*पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी, उ0प्र0

''भारत का लक्जरी कार बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब ज्यादा लोग चुनिंदा कारों की ओर लालायित हो रहे हैं, हमने मॉग देखकर भारत आने का फैसला किया।''

देश में धनी लोग (जो साल में 20,000 डालर खुलकर खर्च कर सकते हैं) तो कुल आबादी महज एक प्रतिशत ही है लेकिन एक अलग आबादी से करीब एक करोड़ लोगों का उपभोक्ता वर्ग हैं जो किसी बाजार के लिए अच्छी–खासी संख्या है। इनसे कुछ ऐसे भी जिन्हें वैश्विक भारतीय कहा जाने लगा है यानी जो एक इशारे से झट से विदेश चले जाते हैं (पिछले साल 45 लाख भारतीय ने विदेश यात्रा की, इस साल यह ऑकड़ा 55 लाख होने की सम्भावना है।)

ब्राण्डों में दुनिया के कुछ बेहतरीन ब्राण्ड है, मसलन, फेंडी और लूई विटल, कनाली और बुलगारी, कातिए और ह्यूगों बॉस, डोल्चे एण्ड गबाना और किस्म–किस्म की स्विस घड़ियॉ, जो हीरे के जेवरात से टक्कर लेती है। जेगर–लीकूत्रे ने 20.08 लाख रूपये की अपनी ब्राण्ड रिवर्सों बाजार में उतारी जबकि और ऊँची चीज के शौकीनों के लिए कातिए की मध्य टैंक फ्रैंकायसे तो है ही और आर्डर पर इनमें उतने हीरे जड़े जा सकते है जितने साल में दिन भी न हों और कीमत 2.63 करोड़ रूपये। विविध भव्यता वाले, डिजाइनर लेबल हागों बॉस के प्रमुख ब्रुनों सील्जर कहते हैं, ''उच्च तकनीक क्षेत्र में आए उफान के साथ–साथ विदेशी निवेश बढ़ने के साथ समृद्ध स्थानीय भारतीयों का दायरा बढ़ा है जो सर्वाधिक विलासिता वाले सामान को खरीदने की क्षमता और आकांक्षा रखते है। विलासिता के सामान के मामले में भारत का बाजार अभी भी पश्चिमी बाजारों के मुकाबले कमतर हैं लेकिन यह तेजी से विकसित हो रहा है और अब विलासिता कोई खराब शब्द नहीं है, मसलन, टाटा समाज विज्ञान की डॉ0 गौरांग सहाय कहते हैं ''विलासिता सामाग्रियों का उपयोग पूँजीवादी समाज का एक वृहद प्रतीक है। आधुनिकता तथा पश्चिमी चेतना की एक उपज हैं। भारी दौलत रखने वाले चमक–दमक से प्रभावित लोग विलासिता का ऐसा समान खरीदना चाहते हैं, जिससे वे भीड़ से अलग दिखें।''

आज भारत में निम्न वर्ग के बच्चे भी लेबाइस और ली ब्राण्ड धारण करने लगे हैं इसलिए ब्राण्ड शौकीन, लकदक दिखने के उतावलें लोगों के लिए विदेशी स्वारोस्की जड़े सेवन फॉर ऑल मैनकाइन्ड जींस खासकर भारतीय बाजार में उतारे गये।

खुदरा प्रबन्धक कम्पनी के एस टैकनौपैक का आंकलन है कि भारत में लक्जरी वस्त्रों का बाजार 1,000 करोड़ रूपये का और एक्सेसरीज (इसमें 75 प्रतिशत घड़ियॉ और बाकी जूते वगैरह हैं) का बाजार 1,000 करोड़ रूपये का है।

एनट्रेक के अध्यक्ष दिलीप जोशी जो भारत में कैनाली और मोब्लांक जैसे ब्राण्डों के प्रतिनिधि हैं, का मानना है कि भारत आज वहाँ खड़ा है जहाँ चीन 10 साल पहले था,'' भारतीय बाजार के दीर्घकालीन प्रतिबद्धता की जरूरत हैं। आज उपभोक्ता के लिए भारत में कनाली सूट उसी कीमत पर उपलब्ध है जो मिलान य ा न्यूयार्क में से चुकानी पड़ती है। हम उपभोक्ताओं की सेवा के लिए कम मुनाफे लेने की सोच रहे हैं।

यदि निम्नलिखित सुझाव पर अमल किया जाय तो ब्राण्डेड उत्पादनों के विज्ञापनों का युवाओं पर सकारात्मक पड़ेगा। जो देश व राष्ट्र दोनों के लिए हितकर साबित होगा।

1. ऐसे ब्राण्डेड उत्पादनों के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास किया जाये जो युवाओं के नैतिक आचरणों को प्रभावित करता है।
2. अश्लील विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये जो ब्राण्डेड उत्पादनों में प्रयोग किये जाते है।
3. धुम्रपान एवं नशीले विज्ञापनों पर प्रतिबन्धित किया जाये जो रोल माडलों से कराये जाते है, जिसका युवाओं पर बुरा असर पड़ता है।
4. भ्रामक एवं अतिश्योक्ति वाले ब्राण्डेड विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये जिससे प्रभावित होकर युवा वर्ग दिग्भ्रमित होते है।

lUnHkZ %

1. तिवारी, डॉ0 अर्जुन. 2005; आधुनिक विज्ञापन : कला और व्यवहार, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
2. वोहरा, अनुपमा. 2005; एडवर्टाजिंग ऑन टेलिविजम, वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली
3. केवल, जे0कुमार. 2014; मॉस कम्यूनिकेशन इन इण्डिया, जाको पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली

***

Hkkjr e Ñf"k foi.ku

Mk0 vo/k'k flg Hknkfj;k*

कृषि उपज के विपणन का आशय उन सभी क्रियाओं से है जिनके द्वारा कृषि उपज किसान के खेत से चलकर उन उपभोक्ताओं तक पहुँचती है जो निश्चित मूल्य का भुगतान कर उसे प्राप्त करते हैं।[1] अतः कृषि विपणन के अन्तर्गत कृषि उपज का एकत्रीकरण, किस्म के आधार पर श्रेणीकरण, परिवहन द्वारा उपज को गाँव से मण्डी तक पहुँचाना, सुरक्षा के लिए उपज को गोदामों में रखना, उपज का थोक व्यापार, फुटकर व्यापार और इन क्रियाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करना आदि महत्वपूर्ण प्रक्रियायें सम्मिलित होती हैं।

वर्तमान में भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था निम्नलिखित है :–

1. भारतीय किसान अपने उत्पादन का बड़ा भाग गांवों में ही महाजन या व्यापारी के हाथ बेच देता है। गांव का महाजन या व्यापारी किसान की ऋणग्रस्तता का पूरा लाभ उठाता है और उसे सस्ती कीमत पर ही उपज बेचने के लिए बाध्य करता है। प्रायः वह थोक व्यापारी के एजेण्ट के रूप में भी किसानों से कृषि वस्तुओं को खरीदता है।
2. गांवों में अब भी सप्ताह में एक या दो बार बाजार लगता है। इन बाजारों में खेतिहर मजदूर तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय करने वाले व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। किसान अपने उत्पादन का छोटा–सा भाग इस प्रकार के बाजारों में भी बेच लेते हैं। इसके अलावा इन बाजारों में शहर के थोक व्यापारियों के एजेण्ट पहुंचकर कृषि वस्तुओं की खरीद करते हैं।
3. अनेक गांवों के बीच किसी कस्बे या शहर में एक मंडी होती है। इन मंडियों में थोक व्यापारी होते हैं जिन्हें आढ़तियाँ कहते हैं। किसान दलालों की सहायता से अपना माल आढ़तियों को बेचते हैं। प्रायः दलाल आढ़तियों से मिले रहते हैं और किसान को उपज का ठीक मूल्य नहीं मिलता। आढ़तिए सामान्यतः कृषि उपज को फुटकर व्यापारियों को बेच देते हैं। परन्तु धान, कपास तथा तिलहन विधायन क्रिया के लिए मिलों को बेच दिए जाते हैं। गन्ने की विपणन व्यवस्था अन्य वस्तुओं की विपणन व्यवस्था से भिन्न है। अब राज्य द्वारा प्रतिवर्ष गन्ने का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है और मिलों को निर्धारित मूल्य पर गन्ना मिलता है, जिससे किसान को उपज का अच्छा मूल्य मिल जाता है।
4. कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली की कार्यकुशलता का स्तर ऊँचा करने और किसानों को मध्यस्थों के कपटपूर्ण व्यवहार से बचाकर उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी विपणन पर जोर दिया गया है। सहकारी विपणन समितियां और बहुउद्देश्यीय समितियां सदस्यों के थोड़े–थोड़े विपणन आधिक्य को एकत्रित कर मंडियों में थोक व्यापारियों के साथ प्रतियोगिता करते हुए बेच सकती है। इस प्रकार किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है। सहकारी विपणन समिति अपने सदस्यों से उत्पादन इकट्ठा करके उसे सामूहिक रूप से मण्डी में बेच देती है। इससे सदस्यों की सौदा–शक्ति बढ़ती है और वे अपने उत्पादन की बेहतर कीमत प्राप्त करने में सफल होते हैं।

*विजय नगर, सेक्टर नं0 2, केशो बाग, ग्वालियर, म0प्र0

5. भारत में धार्मिक रीति–रिवाजों से सम्बन्धित अनेक मेलों का आयोजन किया जाता है। ये मेले विभिन्न गांवों, कस्बो और शहरों में लगते हैं किसान इन मेलों में अपने कृषि उत्पाद का विक्रय करते है। अनुमान है कि पूरे देश में वर्ष भर में लगभग 2000 मेलों का अयोजन होता है।[2]

Ñf"k foi.ku dh leL;k;sa

भारत में कृषि उत्पादों के विपणन में किसानों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है–

1. भारतीय किसानों के पास अपनी उपज को सुरक्षित रखने के लिए पक्के गोदामों का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में संग्रहण की उपलब्ध सुविधायें इतनी दयनीय हैं कि 10 से 20 प्रतिशत तक संग्रहित खाद्यान्न सड़–गलकर नष्ट हो जाती है या चूहे व कीटाणुओं द्वारा खा ली जाती है।
2. गावों में यातायात की दशायें अत्यधिक खराब हैं। सभी साधनों से सम्पन्न धनी किसान भी मण्डियों में अपनी उपज ले जाना पसन्द नहीं करते। गाँव की अधिकांश सड़के कच्ची हैं। ये सड़कें वर्षा के मौसम में प्रयोग के योग्य नहीं रह जाती।
3. भारत में कृषि उपज की विपणन व्यवस्था में मध्यस्थों की संख्या इतनी अधिक रही है कि कई बार किसान को उपभोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले मूल्य का लगभग 50 प्रतिशत भाग ही मिल पाता है।
4. मंडियों में आढ़तिए और दलाल किसान की अज्ञानता का लाभ उठाकर उसके साथ विविध प्रकार से कपट करते हैं। तराजू और बाटों की गड़बड़ी, प्रामाणिक वजनों का प्रयोग न करना, उपज का एक अंश नमूने के रूप में लेकर वापस न करना, कपड़े के नीचे हाथ के इशारों से मूल्य निर्धारित करना, रामलीला, पाठशाला, गौशाला, प्याऊ, तुलाई, आढ़त, बोराबन्दी आदि के लिए अनुचित कटौती काटना, मंडियों की कुछ प्रचलित कपटपूर्ण रीतियां हैं।[3]

Ñf"k foi.ku esa l/kkj gsrq ljdkjh iz;kl %

कृषि उपज की विपणन व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से नियोजन काल में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। सभी शहरों और मण्डियों में गोदामों का निर्माण करने के लिए 'अखिल भारतीय गोदाम निगम' की स्थापना की है। गांवों में संग्रहण की सुविधायें बढ़ाने के लिए 'सहकारी समितियों' को आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। किसानों की वित्तीय दशा सुधारने, उन्हें साहूकार के चंगुल से बचाने तथा उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए साख समितियों द्वारा साख की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकारी विपणन की व्यवस्था किसानों को मध्यस्थों के शोषण से मुक्ति दिलाने के विचार से आरम्भ की गई।[4] पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण यातायात को महत्व दिया गया है तथा इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है। नियंत्रित मण्डियाँ चालू की गई हैं, जिनके माध्यम से किसानों के हितों को सुरक्षा प्रदान की गई है। बाजार सम्बन्धी सूचनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु उपाय किए गए हैं। 'कृषि मूल्य आयोग' की सिफारिशों के आधार पर सरकार प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन–मूल्य निर्धारित करती है। भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम आदि एजेन्सियों के माध्यम से कृषि पदार्थों की सरकारी खरीद आरम्भ की गई है। बाटों और मापों को प्रमापीकृत किया गया है। कृषि पदार्थों के श्रेणीकरण एवं मानकीकरण की सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं। कृषि पदार्थों के विक्रय के विषय में प्रशिक्षण देने के लिए कई प्रशिक्षण संस्थायें खोली गयी है। नागपुर की प्रशिक्षण संस्था में मार्केटिंग विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह हैदराबाद सांगली और लखनऊ में नियमित बाजारों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2005–06 में कृषि थोक बजारों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ने के लिए कृषि विपणन सूचना नेटवर्क को स्थापित किया गया है। इसके अन्तर्गत 31 मार्च 2010 तक 1900 से भी अधिक बाजारों को इन्टरनेट से जोड़ा जा चुका है। कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए कृषि विपणन से सम्बन्धित मॉडल कानून बनाया है। इस मॉडल कानून में निजी बाजार, प्रत्यक्ष क्रय केन्द्र, किसानों के लिए बाजार जिसमें वे सीधा उपभोक्ताओं को सामान बेंच सकें आदि स्थापित करने हेतु प्रावधान किये गये हैं।[5]

सरकार द्वारा किये गये उपरोक्त प्रयासों के बावजूद भी वर्तमान में केवल एक चौथाई बाजारों में सामान्य शोषक प्रांगण हैं; केवल 63 प्रतिशत बाजारों में दुकानों के आगे गोदाम, प्लेटफार्म इत्यादि है। जिन बाजारों में शीघ्र खराब होने वाली कृषि उपज लायी जाती है उनमें शीतगारों की आवश्यकता है परन्तु केवल 9 प्रतिशत बाजारों में ही शीतगार उपलब्ध है। श्रेणी विभाजन की सुविधायें केवल एक तिहाई बाजारों में ही उपलब्ध है। मूलभूत सुविधायें 80 प्रतिशत से अधिक बाजारों में उपलब्ध हैं। खुले निलामी स्थल केवल दो तिहाई नियंत्रित मण्डियों में उपलब्ध हैं। इससे स्पष्ट है कि मण्डियों के प्रांगणों में उपलब्ध सुविधायें आवश्यकता की तुलना में बहुत कम हैं। अतः बाजार आधारिक संरचना के व्यापक आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

lUnHk %

1. एस0के0 मिश्र व वी0 के0 पुरी 2010; भारतीय अर्थव्यवस्था , हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई, पृ0 332–337।
2. डॉ0 चतुर्भुज मामोरिया 2003 ; भारतीय अर्थव्यवस्था साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा0लि0 आगरा, पृ0 386–394।
3. अग्रवाल ,ए0एन0 1981; भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा0लि0, नई दिल्ली, (द्वितीय भाग) पृ0 163–179।
4. मिश्र, डॉ0 जय प्रकाष 2010; भारतीय अर्थव्यवस्था, विजडम बुक्स, वाराणसी, पृ0 99–104।
5. टी0आर0 जैन, मुकेश ट्रेहान एवं रंजू ट्रेहान 2012; भारतीय आर्थिक समस्यायें, बी0के0 ग्लोबल पब्लिकेशन, प्रा0लि0, नई दिल्ली, पृ0 208–214।

***

fgUnh efgyk dFkk y[ku e vfHk0;fDr dk Lo#i

Mk- vUt flgkj*

सन् 1952 में नर–नारी समता के पक्ष में हवा बही। सन् 1792 मे मेरी बाल्स्टन क्राफ्ट ने 'ए विंडिकेशन ऑफ वीमेन' कृति के जरिए महिलाओं के प्रति गलत एवं असमान व्यवहारों के विरुद्ध आवाज उठाई। हृदय की भावुक, भावों की नजाकतें' जैसे सुंदर मुहावरे गढ़े गए थे, जो नारी को दुर्बल सिद्ध करते गए। मानो पुरुष की दुनियाँ में यह 'अन्या' थी और उनकी दुनियाँ की वह पूरक–भर। उसकी जो जीवन–कथा थी उसमें उसका रोल गौण या प्रासंगिक था। कभी देवी तो कभी दानवी रुपों में प्रतिष्ठित की जाती रही, लेकिन मानवी रुप उसका कभी नहीं दिखा था। प्रश्न खुद बताते हैं कि क्या महिला जैविक रुप में दुर्बल है? क्या महिला पुरुष का भेद प्राकृतिक है? क्या वह आर्थिक–सामाजिक प्रकिया की परिणति है? क्या उनके पास पुरुष से नितांत भिन्न एक संस्कार या स्वभाव है? क्या उसके पास स्वतंत्रता की योग्यता है या वह स्वतंत्र होने योग्य या करने योग्य है? मैत्रेयी पुष्पा मर्दो को लेकर कहती है कि ''वे अपनी आजादी औरतों के जरिए चाहते है, वे अपना अहं औरतों के दम पर संतुष्ट करना चाहते है।''[1] उन्हें मानवीय जीवन की सबसे अनमोल वस्तु 'प्रेम' करने की इजाजत भी नहीं है। मधु काँकरिया की पीड़ा इस तरह उभरती है–''हम जैसी लड़कियों प्रेम नहीं कर सकतीं क्योंकि हमारा प्रेम करना घरवालों के साथ विश्वासघात होगा.... जिसका परिणाम मुझसे बड़ी बहन एवं आने वाली स्त्री पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा।''[2]

और वह देहरी, समाज, लोक–लाज ? लाँघ भी जाए तब गीतांजलि के शब्दों में–''कौन जाने सच ही जो औरत अलग मन–जीवन जीने लगती है, औरताना आकर्षण खो देती है। कोई आकार, जो औरत है, उसके बाहर फट पड़ती है। उसे देखकर आदमी की न पिपासा जगती है, न वासना। न मन में वात्सल्य उठता है, न तन में मांसल इच्छा।''[3] महात्मा बुद्ध जैसे अपने संघ में महिला प्रवेश के खिलाफ थे और महान् वैज्ञानिक अलबर्ट आइंस्टाइन ने भी अपनी पत्नि मिलेवा मेरिक को लेकर कुछ नियम–आचार रखे थे। परिणति हुई,वे उन्हें 1941 में छोड़ गई।

दरअसल, सौ बरस दबी–कुचली, हताश महिला मर्द के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकती थी, क्योंकि अपनों के विरुद्ध कैसे जा सकती थी वह ! उसका काम था कि उसे दी गई समूल व्यवस्थाओं को समूल नष्ट कर नए सिरे से रिश्तों–व्यवहारों को परिभाषित करना। ये कार्य उसने कलम उठाकर किया। पुरुष ने अपने प्रकृति–प्रदत्त शरीर बल तथा गर्भधारण करने की विमुक्ति इन दो मूलभूत विशेषताओं से अपने को मनुष्य जाति के अर्द्धभाग 'स्त्री' का स्वामी बनाया था। जबकि वह ये अच्छी तरह जानता था कि आदर्श गृहस्थ जीवन में प्राचीन काल से ही महिला स्वामीनी ही नही सम्राज्ञी भी है। धीरे–धीरे स्वार्थ और स्वत्व के चलते पुरुष की पकड़ गहरी और कड़ी होती गई। महिला शोषण की स्थितियाँ सांस्कृतिक आधार से हटने और नैतिक मूल्यों पर भोग–मूल्यों को प्रधानता देने के परिणामस्वरुप उसके व्यापक सामाजिक विघटन का अंग है। महिलाओं की पीड़ा को लेकर उनकी विशेषज्ञ और अनुभवी लेखिका आशारानी ऐसी परिस्थितियों में पुरुषों के इस सामूहिक चरित्र–स्खलन को रोकने में महिलाओं की जिम्मेदारी मानती हुई लिखती हैं–''स्थितियाँ धीरे–धीरे पकती हैं,तभी उनमें विस्फोट होता है।''[4] महिला लेखन ने ये अहसास पहली बार कराया है कि महिलाओं के अंतःपुर का संसार जो पुरुषों और उनक लेखन से ओझल ही नही, अपितु रुढ़िवादिता से ढ़ँका–कसा था, वंचना और निष्ठुरता के पाषाण–सा असहाय और पीड़ित था वह खुली धूप और हवा में सांस लेने लगा। नदी की तरह इतिहास और परंपरा ने भी मार्ग

*अतिथि विद्वान, हिन्दी विभाग, शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर, शिवपुरी, म0प्र0

बदला और नारी छटपटाहट की भाषा से मुक्त हुईं। खुद की मुक्ति ही नहीं चाहिए थी उसे, सामाजिक रुढ़ियों, वर्जनाओं को तोड़कर राष्ट्र की सामारिक उन्नति का अहसास भी था उसमें। उसने अपने लेखन से बद्धमूल कुसंस्कार की बेड़ियों से समाज को मुक्त भी कराया।

महिला 'अबला जीवन' के घनीभूत कोहरे से निकलकर 'नीर भरी दुख की बदली'से ऊपर उठी, फिर जैनेन्द्र की 'सुनीता' ने देह–बंधन तोड़े 'नदी के द्वीप' की रेखा यौन–व्याकुलता को त्यागकर, 'गुनाहों के देवता' की अपनी मंजिल पा लेती है, मुझे चाँद चाहिए' की वर्षा वशिष्ठ देहभोग से निजात पाकर मर्दवादी फाइल या उसका घोषणा–पत्र बंद कर देती है। वह बड़ी बेबाकी से पुरुष–सत्ता से टकराकर अपने रिक्त को भरना चाहती है। उसकी आकांक्षा नई दुनियाँ बसाने की नहीं बल्कि मर्दवादी दुनियाँ के भीतर अपनी सार्थकता, अपने होने और बराबरी की है। यहाँ मर्द से दूरी बढ़ाकर भी नहीं, मातृत्व जीवन से भागना नहीं, नारी सुलभ संस्कारों के चलते पारिवारिक जीवन से मुँह मोड़ना नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है।

मृदुला गर्ग की चिंता और आश्वस्ती दोनों इस रुप में दिखती है–क्या मैं भी कहूँ यह कहानी नहीं है।.....कोई विश्वास नहीं करता....बरसों बरस उलट–पलटकर देखता रहे तब भी नजरिया अपना ही रहेगा, हर पहलु से वास्ता अपने बारे में लिखे तो भी, सबसे कम हम अपने बारें में जानते हैं।''[5]

स्वतंत्रता की बात जब आती है तो सवाल खड़ा होता है किसके विरुद्ध? दूसरे सृजनकता या लेखक महिला या पुरुष कहाँ रह जाता है? वजह यह रही कि पुरुष लेखकों ने लांछनों से उसे लाद दिया। महिला लेखन को दोयम दर्जे का घोषित किया गया। यह अहसास कराया है इन महिला लेखिकाओं ने कि लेखन भी एक मात्र पुरुष का अधिकार नहीं वरन् महिलाएँ भी पूर्ण जिम्मेदारी से सार्वभौमिक सच को उजागर कर सकती हैं। आज स्वतंत्रता के बाद महिला–लेखन अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह कर रहा हैं। कृष्णा सोवती, अमृता प्रीतम, मन्नू भण्डारी, उषा प्रियवंदा, मालती जोशी, चित्रा मुद्गल, राजी सेठ, मृदुला गर्ग,सुधा अरोड़ा, मैत्रेयी पुष्पा, मेहरुन्निसा परवेज, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, कात्यायनी, अल्का सरावगी, ममता कालिया, तेजी ग्रोवर, क्षमा शर्मा,जया जादवानी आदि परम्परा और ऐतिहासिक बोध को भंग कर अपनी नई–दृष्टि से मानवीय रिश्तों की नई भाव –सृष्टि रचती रही हैं। आज महिला लेखन से अधूरे हिन्दी लेखन का कैनवास पूरा भरा–पूरा है।

तब देखेते हैं कि महिला–लेखन की अभिव्यक्ति किस तरह होती रही है। कृष्णा सोबती की 'मित्रों मरजानी' की 'मित्री' नामक पात्रा देहरी लाँधकर बाहर आती है, जहाँ मन की हलचलों उद्वेगों, घटनाहीनता तथा रिश्तों की मरम्मत करती है वह।

मैत्रेयी पुष्पा की 'खुली खिड़कियाँ, नासिरा शर्मा की औरत के लिए औरत' तथा मनीषा का हम सभ्य औरतें पुस्तकों से स्पष्ट होता है कि पुरुष–सत्ता के हद में महिला–अस्मिता के प्रश्न को धर्म, संस्कृति समाज, राजनीति मीडीया आदि के संदर्भ मे नए अंदाज में देखने की चेष्टा हुई है। मैत्रेयी जब 'चाक',अल्मा कबूतरी' और 'विजन' रचती हैं तब पितृसत्तात्मक समाज में महिला अस्मिता के बरक्स महिला नियति की टकराहट से स्त्री व्यक्तित्व को रचती हैं। वे भारतीय पारंपरिक समाज में महिला अस्मिता की तलाश करती हुई संघर्ष गाथा रचती हैं। कि वह उच्च शिक्षित होने के बावजूद सामाजिक स्तर पर हाशिए पर ही खड़ी मिलती है। वहीं मधु कांकरिया को बुद्ध, मार्क्स और नीत्शे सब अधूरे सत्य नजर आते हैं।'' अनामिका तो स्वीकारोक्ति करा ही देती हैं 'अवान्तर कथा' में कि–''उन्होंने वरण कर लिया है– अपने स्वाबलम्बन–स्वाभिमान का और अपनी स्वाधीनता का।''[6] यह लेखिकाएँ पुरुष–सत्ता का प्रतिपक्ष रचकर एक पाखंडी मुखौटे को बेपर्दा करती हैं, जहाँ उसे माँसल, कारुणिक और सौदर्य की देवी से अभिहित कर ठगा जाता रहा जाता था। लेखन की इस सतत प्रक्रिया में ऐसी स्थितियाँ भी आती रही हैं जब पुरुष का विरोध के लिए ही किया गया। होना चाहिए कि उन रुपों और परिस्थितियों को विश्लेषित कर उनकी पहचान कराई जाए। दरअसल, विचार करें तो पाते हैं कि महिला को नैसर्गिक 'प्यार' और 'अधिकार ' नहीं मिल पाते या सारे जीवन में इसकी अधिकारिणी वह बहुत ही कम हो पाती है। पुरुष अपने साहित्य, अपने इतिहास में भी देह में भटकता रहता है।

स्वतंत्रता के बाद 69 वर्ष हो गए महिला लेखन को लेकर, इस सच्चाई को स्वीकारना ही होगा कि हिन्दी कथा–लेखन की समृद्धि में इन महिला लेखिकाओं ने अपना अति महत्वपूर्ण अवदान दिया है। न केवल उन्होंने पुरुष के स्पेस को भरा , बल्कि साहित्य को भरा, बल्कि साहित्य को ऊँचाईयाँ और आयाम देकर नई विषय–वस्तु और नये मुहावरे सिरजे । एक ऐसे समय में यह लेखन इसीलिए महत्वपूर्ण हो उठता है जबकि हम अपने देश और समय से आँख मुँदे अपनी–अपनी विचारधाराओं, माँदों ,खोहों, गुफाओं में भटक रहे हों। यह कथा कहती हैं उन मर्दवादी वर्चस्व और परिस्थितियों जो पीढ़ियों के अन्तराल में वैचारिक–व्यावहारिक विरोधों के बीच अनासक्त हुए बगैर खुद निर्णय लेने की जद्दोजहद नहीं उठाना चाहता। यह भी सुखद स्थिति है कि महिला लेखक पुरुषवादी वर्चस्व के खिलाफ खड़ी तो होती है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध से आधुनिक हुए बगैर हमारे यहाँ की परंपरा जो सड़–गल गई है उससे आक्रान्त हुए बगैर, अलग हटकर अपना रास्ता खुद बनाती है, पुरुषवादी समाज और घर में जिससे उसे मोह है और जो उसका अपना है।

LkUnHk %

1. मैत्रेयी पुष्पा; ''विजन'' पृ0 41
2. मधु कांकरिया; ''खुले गगन के लाल सितारे, पृ0 42
3. गीतांजलि श्री; ''तिरोहित'', पृ0 113
4. आशारानी व्होरा; ''नारी शोषण : आइने ओर आयाम'', पृ0 13
5. मृदुला गर्ग; ''कथादेश'' (मंजूर–नामंजूर कहानी), नव 2000

***

ijkrkfRod ijkLFkyk ls iklr flycVV d idkj ,o mi;kfxrk

uhye pk/kjh*

fly&cVVk %

सिल–बट्टा, चक्की जैसे उपकरण कृषि कार्य व घरेलू प्रयोग दोनों में ही काम आते थे। इन उपकरणों का भारतीय कृषि प्रधान जन–जीवन में अत्यधिक महत्व है क्योंकि आज भी हिन्दू विवाह की विभिन्न रस्मों में ''मातृ–पूजा'' के अवसर पर सिल–बट्टा, चक्की, मूसल की पूजा होती है तथा पूजनकर्ता दम्पत्ति सिल–बट्टे पर उदड़ नामक दाल को पिस कर इस रस्म का प्रारम्भ करते हैं। साथ ही विवाह के अवसर पर वर को ''वरयात्रा'' के प्रारम्भ में पहले स्नान बैल के जुए पर बैठाकर किया जाता है जो परोक्ष रूप से इन उपकरणों की भारतीय जीवनशैली महत्ता को परिलक्षित करते हैं।

पुरास्थलों से प्राप्त पकी मिट्टी के सिल–बट्टे मिट्टी को अच्छी प्रकार से गूँथ कर हाथों के द्वारा बनाए गये प्रतीत होते है, इसके पश्चात् इन्हें थोड़ा सूखाने के पश्चात् खुली भट्ठी में पकाया गया है कुछ सिल–बट्टों पर खुरचकर अलंकरण भी बनाए गये है।

पुरास्थलों से प्राप्त सिल–बट्टों के आकार को देखते हुए इन्हें दो भागों में बाँट सकते है–

1. बेलनाकार सिल–बट्टा
2. मक्के के आकार का सिल–बट्टा

cyukdkj fly&cVVk %

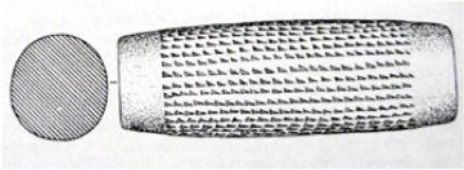

प्रहलादपुर[1] पुरास्थल से उत्तरी काल चमकीली मृदभाण्ड संस्कृति के चरण से बेलनाकार सिल–बट्टा प्राप्त हुआ है जो मिट्टी द्वारा निर्मित है इसमें प्रस्तर के चिप्पड़ लगे हुए है तथा इसे अच्छी प्रकार से पकाया गया है, इसी प्रकार का सिल–बट्टा राजघाट[2] पुरास्थल में शुंग–कुषाण कालीन चरण से प्राप्त हुआ है। जिसकी सम्पूर्ण सतह पर गहरा त्रिभुजाकार उत्कीर्णन किया है तथा इसे पकड़ने के लिए इसके किनारों को चिकना बनाया गया है। इस चरण से प्राप्त एक दुसरा सिल–बट्टा प्राप्त हुआ है जो बेलनाकार है। इसके ऊपर उर्द्धावाधर गहरी रेखाएँ उत्कीर्ण हैं तथा इनके दोनों किनारों को पकड़ने के लिए समतल किये गये है। यह लाल रंग से लेपित है। इसी चरण से प्राप्त दूसरा सिल–बट्टा जिसके ऊपर त्रिभुजाकार खाँचे क्षैतिज रूप से सम्पूर्ण सतह पर उत्कीर्ण किये गये है।

eDdk d vkdkj dk fly&cVVk %

चिरांद[3] पुरास्थल के उत्तरी काली चमकीली मृद्भाण्ड संस्कृति से प्राप्त सिल–बट्टा मक्के की तरह है, इसकी सतह पर उभार युक्त खाँचे निर्मित किये गये है, इसी चरण से प्राप्त दूसरा सिल–बट्टा देखने में पूर्ववर्ती के समान प्रतीत होता है परन्तु सतह पर किसी नुकीली वस्तु से कूरेदकर उत्कीर्णन किया गया है।

*पूर्व शोध छात्रा, प्रा0भा0इ0सं0 एवं पुरातत्त्व विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0

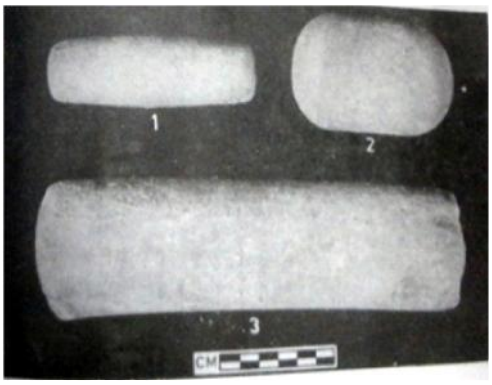

उपरोक्त चरण से प्राप्त दूसरा सिल–बट्टा पूर्ववर्ती के समान है इसकी सतह पर चारों तरफ प्रस्तर के छोटे–छोटे खण्डों को लगाया गया है तथा किनारे का भाग पकड़ने के लिए चिकना बनाया गया है, अकथा[4] पुरास्थल से मौर्य–शुंग कालीन चरण से मक्के के आकार का सिल–बट्टा प्राप्त हुआ है जिसकी बेलनाकार सतह पर त्रिभुजाकार खोचे का उत्कीर्णन किया गया है इसके किनारों को चिकना बनाया गया है इसकी लम्बाई 16.7 सेमी0 एवं व्यास 5.7 सेमी0 है। उपरोक्त पुरास्थल के विवेच्य चरण से प्राप्त एक अन्य सिल–बट्टा पूर्ववर्ती के समान प्राप्त है। इसके साथ ही पिपरहवा–गनवरिया[5] पुरास्थल के शुंग कालीन चरण से पूर्ववर्ती के समान सिल–बट्टा प्राप्त हुए हैं तथा उस पर तारेनुमा अलंकरण किया गया है। सरायमोहना[6] पुरास्थल के कुषाण कालीन चरण से प्राप्त सिल–बट्टा जिसकी सतह पर त्रिभुजाकार उत्कीर्णन किया गया है, इसके भी दोनों सतहों को चिकना बनाया गया है। श्रावस्ती[7] पुरास्थल के उपरोक्त चरण से प्राप्त दो प्रस्तर सिल–बट्टे प्राप्त हुए हैं जिसमें से एक के सतह को चिकना बनाया गया है। इसी प्रकार के साक्ष्य हमें शुंग कालीन स्थापत्य में भी देखने को मिलते हैं सांची स्तूप के उत्तरी द्वारपर इस प्रकार के सिल–बट्टे का उत्कीर्णन मिला है।

lkph Lrii ofndk ls ikIr

मध्य गंगा घाटी के विभिन्न पुरास्थलों से सिल–बट्टे प्राप्त हुए है, यह सिल–बट्टे पकी मिट्टी तथा प्रस्तर से निर्मित किये गये है, जिनमें से मिट्टी के बने सिल–बट्टे के ऊपर (पीसने वाले सतह) पर प्रस्तर के चिप्पड़ लगे हुए हैं जैसा कि हम जानते है आज भी सिल–बट्टे आम जन के घरों के पाक गृहों में मसाले पीसने के कार्य में प्रयोग में लाए जाते है परन्तु आज ये उपकरण हमें केवल प्रस्तर के प्राप्त होते है जिन पर मसाले व औषधियाँ आसानी से पिसी जा सकें, प्राचीन कालीन सिल–बट्टे जो हमें विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। इस पर भी प्रस्तर के चिप्पड़ लगाने का यही मुख्य कारण रहा होगा।

lUnHkZ %

1. नारायण अवध किशोर एवं त्रिभुवन नाथ राय, 1968, दी एक्सकेवेशन ऐट प्रह्लादपुर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
2. त्रिपाठी, विभा, अशोक कुमार सिंह एवं प्रभाकर उपाध्याय, (2005–2006) एक्सकेवेशंस एट अगियाबीर 2005, भारती, अंक 30, एंसिएण्ट, इण्डियन हिस्ट्री, कल्चर एण्ड आर्कियोलॉजी, बी.एच.यू. वाराणसी।
3. सिन्हा, बी0पी0 एवं बी0एल0वर्मा, 1977, सोनपुर एक्सकेवेशंस, पटना,
4. सिन्हा, बी0पी0 एवं0 सीताराम राय, 1969, वैशाली एक्सकेवेशंस, पाटलिपुत्र।
5. नारायण, ए0के0 एवं टी0 एन0 राय0, 1968, दी एक्सकेवेशंस ऐट प्रह्लादपुर, बी0 एच0 यू0 वाराणसी।
6. सिंह, पी0 1994, एक्सकेवेशन ऐट नरहन (1984–89), बी0एच0यू0 वाराणसी।
7. सिंह, वीरेन्द्र प्रताप एवं अशोक कुमार सिंह, 2004, एक्सकेवेशन ऐट सरायमोहना, 1967–68, सेटेलाइट सेटलमेंट आफ एंशियंट वाराणसी, भारती, अंक 27, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

***

Hkkjr esa dsUnz jkT; lEcU/k dh uhfrxr fLFkfr dk leh{kkRed v/;;u

jkt'k dqekj ;kno*

lkjka'k%

भारत में केन्द्र राज्य सम्बन्ध के नीतिगत स्थिति के विश्लेषण में यह दृष्टिगत होता है कि संविधान में केन्द्र व राज्यों के मध्य विभिन्न आर्थिक व स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर योजनाओं में स्थान दिया गया है किन्तु केन्द्र व राज्यों के मध्य टकरावों के परिप्रेक्ष्य में सुझाव हेतु समीतियों का भी गठन किया गया और उनके महत्वपूर्ण सुझावों को योजनाओं के निर्माण के समय ध्यान में रखकर क्रियान्वयन किया गया। इन समितियों में राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग एवं पुंछी आयोग के सुझाव महत्वपूर्ण है जो देश की केन्द्र–राज्य सम्बन्ध की नीतिगत स्थिति के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।

Hkwfedk %

भारतीय संविधान के संदर्भ में मद्रास के मुख्यमंत्री अन्नादुराई का यह कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि वर्तमान संविधानिक व्यवस्था उत्तरदायित्वों में भाग लेने की दृष्टि से संघात्मक है किन्तु संसाधनों की प्राप्ति की दृष्टि से एकात्मक है। इससे यह आशय प्राप्त होता है कि भारतीय संघ में राज्य सरकारों के आर्थिक साधन इतने सीमित है कि अपने निर्धारित कार्यों का सम्पादन करने के लिए वे केन्द्र सरकार का मुंह देखती है और यदि केन्द्र सरकार उन्हें आर्थिक सहायता न दे तो राज्य सरकारों का चलना ही कठिन हो जायेगा। कभी–कभी इन्हीं स्थितियों के कारण केन्द्र व राज्यों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। केन्द्र व राज्यों के मध्य नीतिगत नियोजन के लिए 1950 से ही नियोजन आयोग का निर्माण करके सम्पूर्ण देश के लिए आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने और उसके लिए धन की व्यवस्था करने का कार्य सौप दिया गया था। इस आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है और उस पर ही पूरे देश के लिए नियोजन का प्रभुत्व होता है। देश के प्रथम आम चुनाव से लेकर 15वीं लोक सभा तक योजना आयोग द्वारा ही नियोजन का कार्य किया गया किन्तु 16वीं लोकसभा में इसका नाम परिवर्तन कर नीति आयोग कर दिया गया। अतः भारत में संघीय ढांचा इस लिहाज से भी दुनिया के तमाम संघीय ढांचे से अलग है क्योंकि भारत मे संघ निर्माण न तो राज्यों के समर्पित विलय से हुआ और न ही राज्यों से कोई समझौता ही है।

एक एकाकी राज्य के तौर पर भारत में समय और राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आते गये। केन्द्र की शक्ति एवं व्यवस्था के समान्तर भारत की विकासशील राजनीति खुद को राज्यों के निर्माण का अवसर उपलब्ध कराया है और राज्य बनते गये है। प्रथम राज्य निर्माण का दौर अर्थात 1956 के बाद 1960, 1972, से 2013 तक राज्यों क गठन का एक बड़ा इतिहास है। आज 2014 में राज्यों के संघ भारत के पास कुल 29 राज्य है एवं 8 केन्द्र शासित प्रदेश है। बहरहाल जब ये स्पष्ट हो चुका है कि देश की बदलती राजनीति एवं बहुदलीय लोकतंत्र के विकास ने संघीय संसद के राज्यों की स्वतंत्रता को मजबूती दी तो इस बात की गुंजाइस ही बनती है कि बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक हितो के टकराव से व्यवस्था एवं तंत्र का टकराव उत्पन्न हो जाता है लिहाजा विधायी शक्तियों का बटवारा सूचीबद्व करके करने का प्रयास किया गया। हालाँकि संवैधानिक तौर पर संघराज्य न होने

*शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवां, मध्यप्रदेश।

की वजह से भारत में केन्द्रीय सत्ता यानी संघ सूची को राज्य के सम्बन्ध में विशेष अधिकार प्राप्त है। राजनीतिक कारणों ने भले ही कालांतर में भारत की शासकीय व्यवस्था को संघीय ढांचे के अनुरूप व्यवस्थित किया हो लेकिन संवैधानिक तौर पर इस राज्य की आत्मा एकात्मकता में ही बसती है। चूंकि परम्परागत रूप से बहुदलीय लोकतंत्र में छोटे राजनीतिक दलों की क्षेत्रीय महत्वकांक्षायें भी होती है लिहाजा वे क्षेत्रों से जुडे मुददों पर अपनी बात रखते है। परिणामतः कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति करने वाले दलों से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

हाल ही केन्द्र एवं राज्य के बीच टकराव का एक बड़ा मुददा तेलंगाना सीमान्ध्र बंटवारें का आया है। दरअसल राज्यों के बटावारें को लेकर अन्तिम निर्णय केन्द्र का होता है। इस सन्दर्भ में 28 अगस्त 1957 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में स्पष्ट किया था कि राज्यों के पृथक्करण की स्थिति में राज्यो की स्थिति महज परामर्श देने तक सीमित है अन्तिम निर्णय केन्द्र की संसद को है। हाँ इस सन्दर्भ में एक बात जरूर है कि अगर राज्य की विधानसभा में पृथक्करण के खिलाफ एकमत हो संसद निर्णय नही ले सकती लेकिन अगर राज्य के विभाजन पर विधानसभा दो फाड़ हो तो ऐसे में केन्द्रीय संसद से विभाजन को मंजूरी दी सकती है। तेलांगना मसले में भी यही हुआ, हालाँकि बहुदलीय लोकतंत्र के बदले परिवेश में अगर राज्यों के हाथों राज्य विभाजन की अन्तिम शक्ति दे दी गयी हो तो राजनीतिक महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तमाम गैर जरूरी राज्यों का बंटवारा होने लगेगा। हमें इस बात को नही भूलना चाहिए कि भारत के भूक्षेत्र में स्थित ये राज्य संघ के राज्य नही बल्कि भारत ही राज्यों का संघ है। लिहाजा यहाँ से हर हाल में राज्यों का विभाजन एक राजनीतिक मांग की पूर्ति के फलस्वरूप ही हुआ है और होता रहा है। राजनीति के बदलते दौर ने भारत के शासकीय व्यवस्था से जुड़े ढांचे को अपने हिसाब से ही बदलने का काम किया है। लिहाजा राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस बात का मूल्यांकन करना भी अनिवार्य होगा कि आखिर केन्द्र एवं राज्य के सम्बन्धों का वर्तमान परिस्थति के लिए प्रथम आम चुनावों के अब तक की कौन कौन सी राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी है।

dUn: jkT; lEcU/k dh uhfrxr fLFkfr %

भारतीय संविधान में केन्द्र राज्य की नीतिगत स्थिति का आकलन करने हेतु योजना आयोग मुख्य रूप से नियोजन का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र राज्यों के मध्य समन्वय हेतु विभिन्न समितियों का भी गठन किया जाता रहा है। इसमें मुख्य रूप से राजमन्नार समिति एवं सरकारिया आयोग प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पुंक्षी आयोग का गठन भी केन्द्र राज्य के मध्य संसाधनों एवं विवादस्पद मुद्दों के निस्तारण हेतु सुझाव के लिए किया गया था। इनका कार्य केन्द्र व राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना था।

1- ;kstuk vk;ksx %

योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है इसका प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है और इसकी स्थापना एक कार्यकारणी आदेश द्वारा की गयी थी किन्तु विगत दशकों में इस आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था पर इतना अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया है कि इसे सुपर कैबिनेट का दर्जा प्राप्त हो गया है। यद्यपि योजना आयोग की स्थापना के बाद से राज्यों की आर्थिक प्रगति तीव्रगति से हुई है और उनकी समस्याओं एवं उपलब्धताओं का विभिन्न स्थितियों में आकलन किया गया है। किन्तु इस पर पक्षपात पूर्ण व्यवहार एवं संघीय दबाव की स्थिति का आरोप भी लगता रहा है। योजना आयोग सम्पूर्ण देश के लिए योजनाओं का निर्माण एवं उनकी प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है तथा उसके लिए धन की व्यवस्था करता है। यद्यपि इसका अधिकार केवल परामर्श देने तक सीमित है किन्तु केन्द्र सरकार इसकी संस्तुतियों का मूल रूप में स्वीकार कर लेता है। इस संदर्भ में डॉ0 अशोक चन्द्रा का कहना है कि– भारत में नियोजन आयोग ने समानान्तर सरकार का रूप धारण कर लिया है।

देश की समस्त आर्थिक समस्याओं का निराकरण योजना आयोग द्वारा किया जाता है और सम्पूर्ण देश के आर्थिक विकास की दिशा का निर्धारण भी योजना आयोग भी करता है। विभिन्न योजनाओं को बनाने में राज्य सरकारों का कोई विशेष योगदान नहीं है। यद्यपि 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था जिसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इनके समक्ष विभिन्न योजनाओं

को रखा जाता है किन्तु इनके सुझावों का व्यवहारिक प्रभाव योजनाओं पर कम ही पड़ता है। योजना आयोग का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें कला साहित्य और क्रीड़ा जैसे क्षेत्रों को भी खण्डित किया गया है। विभिन्न योजनाओं के निर्माण के समय स्थानीय आवश्यकताओं एवं समस्याओं का ध्यान न देने के कारण इसकी विभिन्न राज्यों द्वारा आलोचना व टकराव भी होता रहता है। योजना के प्रभाव से केन्द्र व राज्यों के मध्य नियंत्रण व आर्थिक प्रभुत्व को लेकर निरन्तर टकराव की स्थिति बनी रहती है।

2- l jdkfj;k vk;kx %

केन्द्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों चाहे वे संस्थागत हो अथवा कार्यात्मक या आर्थिक से सम्बन्धित के निस्तारण हेतु 1980ई0 में कांग्रेस सरकार के आधिपत्य के परिणाम स्वरूप गैर काग्रेसी राज्य सरकारों द्वारा स्वायत्ता की मांग तीव्र हो गयी जिसके परिणामस्वरूप जून 1983 में केन्द्र सरकार ने न्यामूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की जिसे केन्द्र राज्य सम्बन्धों को सुधारने और विपक्षी दलों द्वारा स्वायत्ता के मांग के विभिन्न पक्षों पर विचार करने का कार्य सौपा गया। सरकारिया आयोग ने पांच वर्षो के विचार विमर्श के बाद 1987 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार केन्द्र राज्य सम्बन्धों में सुधार हेतु इसी संरचनात्मक परिवर्तन की अवश्यकता महसूस नहीं की गयी। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए केन्द्र सरकार को शक्तिशाली बनाना अत्यधिक आवश्यक है। निःसंदेह हमें मजबूत केन्द्र की सक्त जरूरत है इसके बिना सबकुछ बिखर जायेगा। आयोग ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 258 ऐसा उपकरण है जिसके उदारता पूर्ण प्रयोग करने से संघ व्यवस्था आदर्श की पूर्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की नियुक्ति व राज्य विधान सभाओं में बहुमत निर्धारण व अनुच्छेद 355, 356 के अनुप्रयोग, न्यायधीशों के स्थानान्तरण व राज्यों के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किये।

3- iqUNh vk;kx %

केन्द्र राज्य सम्बन्धों में विवादस्पद स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2007 में केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जो केन्द्र राज्य के मध्य विवाद के कारणों व इसके निस्तारण के सम्बन्ध में सुझावों को संदर्भित कर गठित किया गया था। पुंछी आयोग ने केन्द्र व राज्यों के मध्य विभिन्न मुद्दों जैसे न्यायिक विवाद, आपातकालीन उपबंध, संवैधानिक संशोधन, भाषा, मंत्रिमण्डल का गठन व राज्यों में केन्द्रीय सेनाओं व अखिल भारतीय सेवाओं जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सहकारिता और उद्योग के संदर्भ में भारतीय सेवा गठन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिया जिसके लिए विभिन्न राज्यों के योग्य अधिकारियों के एक समूह निर्माण एवं उनके नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था का सुझाव भी महत्वपूर्ण था किन्तु इस आयोग की सुझावों पर समीक्षा व इसे लागू करने का कार्य अभी शेष है।

lUnHkZ %

1. के संथानम, 1963, यूनियन–स्टेट रिलेशन्स इन इण्डिया, मुम्बई एशिया पब्लिशिंग हाउस।
2. सिंघवी एल0एम0 एवं अन्य, 1969 यूनियन–स्टेट रिलेशन्स इन इण्डिया, नई दिल्ली इंस्टीट्यूट आफ कांस्टिट्यूशनल ऐंड पार्लियामेंटरी स्टडीज।
3. गुप्त डी0सी0, 1972 इण्डियन गवर्नमेन्ट एण्ड पालटिक्स, नई दिल्ली विकास पब्लिसिंग हाउस।
4. जैन एस0एन0 एवं अन्य, 1972 द यूनियन एण्ड द स्टेट, नई दिल्ली, नेशनल पब्लिसिंग हाउस।
5. परांजपे, एच0 के0, 1975, सेन्टर स्टेट रिलेसन्स इन प्लानिंग, दिं यूनियन एण्ड स्टेट्स नेशनल पब्लिसिंग हाउस।
6. रिपोर्ट आफ द सेन्टर स्टेट – रिलेशंस इन्क्वायरी कमेटी गवर्नमेंन्ट आफ तमिलनाडु 1971.
7. लीलाराम गुर्जर, 1997, बीसवीं शदी के राजनीतिक विचारक मनोहर पब्लिर्स दिल्ली।
8. बसु, डी0डी0, भारत का संविधान।
9. विनय कुमार ओझा, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, परीक्षा मंथन, तासकन्द मार्ग, इलाहाबाद
10. एस0एम0 सईद, 2013 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।

***

Ykkdr= ij vEcMdj d fopkj

MkO jked".k ik.M;*

अम्बेडकर का राजनीतिक चिन्तन उनके सामाजिक व शैक्षणिक जीवन के प्रभावों की अभिव्यक्ति है। अम्बेडकर ने न केवल तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रभावों कों देखा था वरन् उसके दुष्प्रभावों को भी सहा था। भारतीय समाज के साथ–साथ अध्ययन हेतु अपने विदेश प्रवास के दौरान उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को भी देखा था अपने इन अनुभवों के आधार पर अम्बेडकर ने निष्कर्ष निकाला कि सदियों से चला आ रहा भारत का सामाजिक संरचना का ढ़ांचा ही भारत के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पिछड़ेपन का कारण है। भारत की सामाजिक संरचना के बारे में उनका कहना कहना था कि जिस प्रकार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवद है उसी प्रकार भारतीय समाज में एक सामाजिक व उपनिवेशवाद हैं इसे व्यवस्था ने मानवीय मूल्यों को न केवल निम्नतर स्तर पर पहुँचा दिया था वरन् समाज व राष्ट्र के विकास को भी क्षति पहुँचायी थी।

अतः अम्बेडकर तत्कालीन भारतीय सामाजिक संरचना का पुनर्निर्माण चाहते थे।नयी सामाजिक संरचना में अम्बेडकर समाज, धर्म व राज्य के केन्द्र में व्यक्ति को रखकर सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र की व्याख्या में स्वतन्त्रता को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है तथा समानता का स्थान गौण हो जाता है। साथ ही स्वतन्त्रता और समानता के मध्य जो उपयुक्त संतुलन होना चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए भी राजनैतिक लोकतंत्र में कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया जाता है। परिणामस्वरुप स्वतन्त्रता, समानता को लगभग विनष्ट कर देती है और राजनैतिक लोकतंत्र एक छलावा बनकर रह जाता है। अम्बेडकर के अनुसार स्वतन्त्रता को जो स्थान राजनैतिक लोकतंत्र में प्राप्त है, समानता को वही स्थान सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र में। अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र में धागे हैं जिनसे राजनीति लोकतंत्र रुपी वस्त्र का निर्माण होता है। ये जितने मजबूत होंगे राजनीति लोकतंत्र उतना ही शक्तिशाली होगा।

अम्बेडकर मानते थे कि भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में अभी समय लगेगा क्योंकि जिन मूल्यों की अपेक्षा लोकतंत्र करता है वह भारत की सामाजिक संरचना में वास्तविक रुप में नहीं पाये जाते हैं। अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र किसी भी देश में तभी स्थायित्व पा सकता है जब उसकी नींव सामाजिक लोकतंत्र पर खड़ी हो। अतः भारत में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना ही लोकतंत्र का उददेश्य है और सामाजिक लोकतंत्र का उद्देश्य जाति विहीन, वर्ग विहीन और शोषण विहीन समाज की रचना है यह तभी हो सकता है जब समाज में व्यक्तियों को स्वतन्त्रता, समानता व न्याय प्राप्त हों, उनमें भातृत्व की प्रबल भावना हो अन्यथा प्रजातंत्र केवल छलावा बनकर रह जायेगा।

अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है जो स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व को सामाजिक जीवन के तीन आधारभूत सिद्धान्त के रुप में मानती है इन तीनों मूल्यों का महत्व इतना है कि इनमें से किसी एक को दूसरे से पृथक करने या प्रयास करना लोकतंत्र के उदेश्य को क्षति पहुँचाना है। अम्बेडकर के अनुसार न तो स्वतन्त्रता को समानता से और न ही समानता को स्वतन्त्रता से पृथक किया जा सकता है और न तो इन दोनों को भ्रातृत्व से । अम्बेडकर के अनुसार यदि समानता नहीं रहेगी तो स्वतन्त्रता के द्वारा कुछ लोग अधिक लोगों पर वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। दूसरी तरफ यदि स्वतन्त्रता का अभाव होगा तो केवल समानता की भावना व्यक्ति में स्वविवेक से कार्य करने की उसकी

*असी. प्रो., शिक्षाशास्त्र विभाग, महाराजा बलवंत सिंह पी0 जी0 कालेज, गंगापुर, वाराणसी, उ0प्र0

क्षमता को समाप्त कर देगी। इसी प्रकार भ्रातृत्व का अभाव स्वतन्त्रता व समानता के मूल्य को सामान्य सामाजिक व्यवहार में भी स्थान नहीं दिला पायेगा। वस्तुतः अम्बेडकर मानते थे कि भारतीय समाज में दो सिद्धान्तों समानता और भ्रातृत्व का वास्तविक रुप में अभाव है। भारत का समाज वास्तव में श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धान्त पर निर्मित है। समाज में कुछ लोगों का जन्म के आधार पर ही उच्च तथा अन्य को निम्न स्थान प्राप्त है। आर्थिक स्तर पर यदि देखा जाये तो कुछ लोगों के पास प्रचुर सम्पत्ति है जबकि शेष घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

इसी आधार पर अम्बेडकर कहते हैं कि 26 जनवरी, 1950 को (संविधान के लागू होने का दिन)हम एक अन्तर्विरोधों से युक्त जीवन में प्रवेश कर रहे है। राजनीतिक जीवन में हम सभी में समानता होगी जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन में हममें पूर्व की तरह ही असमानता विद्यमान रहेगी दूसरे शब्दों में यदि कहें तो राजनीतिक जीवन में हम 'एक व्यक्ति एक मत' तथा 'एक मत एक मूल्य'के सिद्धान्त को मान्यता देंग, जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन में सदियों से चले आ रहे सामाजिक आर्थिक ढ़ांचे के कारण हम एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धान्त को नहीं अपनायेगें। यह एक प्रकार से अन्तर्विरोध होगा और यदि यह अन्तर्विरोध बना रहा तो राजनीतिक लोकतंत्र किसी भी स्थिति में सफल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अम्बेडकर ने राजनीतिक प्रजातंत्र के स्वरुप, मान्यताएं, अंग तथा सफलता के लिए पूर्व दशाओं की भी चर्चा की है। अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र के लिए पूर्व दशाओं की भी चर्चा की है। अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र के लिए पूर्व दशाओं की भी चर्चा की है। अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र राज्य में राजनीतिक संबंधों के नियमन एवं राजनैतिक गतिविधियों के संचालन की एक विधि है जो स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के सिद्धान्तों पर आधारित होती है। अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र में यद्यपि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व इन तीनों मूल्यों का होना आवश्यक है तथापि स्वतंत्रता को इसमें अधिक महत्व दिया जाता है। समानता केवल एक व्यक्ति एक मत मूल्य'की होली है।

अम्बेडकर के अनुसार राजनैतिक प्रजातंत्र चार मान्यताओ पर निर्भर करना है जो निम्नलिखित है–

1. व्यक्ति स्वयं में साध्य है
2. व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो अपृथक्करणीय होते हैं इन अधिकारों को संविधान द्वारा अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए।
3. व्यक्ति पर इस प्रकार की शर्त नहीं थोपी जानी चाहिए कि किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए उसके अपने किसी संवैधानिक अधिकार को छोड़ना पड़े।
4. राज्य शासन करने का स्वयं का अधिकार किसी या किन्हीं व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

ये मान्यताएं अम्बेडकर के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को व्यक्तिमूलक सिद्ध करती है। अम्बेडकर व्यक्ति के कार्यों और अधिकारों में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप चाहते थे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के रुप में अम्बेडकर संसदीय प्रणाली का समर्थन करते है। अम्बेडकर ने लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ पूर्व शर्तें भी बतायी हैं। अम्बेडकर के अनुसार समाज में अधिक विषमता नहीं होनी चाहिए क्योंकि अत्यधिक विषमता असंतोष को जन्म देती है और वह असंतोष क्रान्ति को जन्म दे सकता है। इसी प्रकार अम्बेडकर ने राजनैतिक दलों की उपस्थिति को संसदीय लोकतंत्र में आवश्यक माना है। इनके अनुसार यं जनमत के निर्माण, अभिव्यक्ति और क्रियान्वन का अभिकरण होते हैं। साथ ही अम्बेडकर का यह भी मानना था दलों की संख्या कम से कम दो होनी चाहिए जिससे एक दल विपक्ष की भूमिका निभा सके और सत्ता पर नियंत्रण रखा जा सके तथा शासकों को स्वेच्छाचारी बनने से रोका जा सके।

अम्बेडकर को यह भी कहना था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए समाज में चेतना होनी चाहिए ताकि व्यक्ति गलत कार्यों या अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सके। व्यक्तियों को न केवल सैद्धान्तिक रुप से वरन् व्यवहारिक रुप से कानून और प्रशासन की दृष्टि से भी समान माना जाना चाहिए। अतंतः अम्बेडकर का कहना था कि जनता और शासन दोनों के द्वारा संवैधानिक नैतिकता का पालन किया जाना

चाहिए। अम्बेडकर का कहना था कि इंग्लैण्ड और अमेरिका में लोकतंत्र की सफलता का मुख्य करण लोगों का अपने नागरिक दायित्वों के प्रति जागरुकता और संविधान, विधियों तथा नियमों का सम्मान करना है। अतः यह कहना कि लोकतंत्र की अम्बेडकर ने एक शासन प्रणाली के रुप में कम और जीवन पद्धति के रुप में तथा विकास के साधन के रुप में अधिक स्वीकारा है गलत नहीं होगा। लक्ष्य के रुप में अम्बेडकर ने जिस सामाजिक लोकतंत्र की बात की वह सामाजिक संरचना के पननिर्माण के लिए न केवल उस समय आवश्यक था बल्कि आज भी आवश्यक है। अम्बेडकर का सामाजिक लोकतंत्र का विचार हर उस समय में प्रासंगिक रहेगा जब समाज होगा और समाज में विषमता होगी।

lUnHkZ %

1. दास, भगवान (संकलन). 1968; द स्पोक अम्बेडकर (खण्ड–2) बुद्धिस्ट पब्लिशिंग हाउस, जालंधर
2. दास, भगवान (संकलन). 1968; द स्पोक अम्बेडकर (खण्ड–1) बुद्धिस्ट पब्लिशिंग हाउस, जालंधर,
3. सिंह, राम गोपाल. 2002; डॉ. अम्बेडकर का विचार दर्शन्, मध्य प्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, मध्य प्रदेश

***

miU;kldkj d #i e EK=;h i"ik

MkO lUnhi dekj feJ*

मैत्रेयी की सच्ची पहचान बनती है उनके 'इदन्नमम्' (1994) के प्रकाशन के बाद। लेखिका बुन्देलखंड के समग्र परिवेश को बड़ी कुशलता से चित्रित करती हैं। वहाँ की परम्पराएँ सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों से उनका गहरा सरोकार है– इस उपन्यास में एक विजन है जो लेखिका के बुन्देलखंडी जीवन के प्रमाणिक और अन्तरंग अनुभव, पहाड़ी अंचल की धरती और बीहड़ पहाड़ के जीवन के सामाजिक यथार्थ तथा गहरी मानवीय संवेदना से सम्पन्न हैं, अपने पूर्ववर्ती उपन्यासों में मैत्रेयी ने बुदिलखंड की अहीर कन्याओं की करुण नियति कथा, जो किसी ने किसी रुप में नारी मात्र की नियति कथा है, गहरी संवेदना के साथ प्रस्तुत की है, पर 'इदन्नमम' में यह कथा करुणा की सीमा का अतिक्रमण करती हुई जुझारु हो गयी है।''[1]

इस उपन्यास में बुन्देली–भाषा की प्रचुरता के साथ–साथ यदाकदा ब्रजभाषा के सम्यक् प्रयोग के माध्यम से लेखिका ने कथा को आंचलिक स्वरुप देने का प्रयास किया है, किन्तु कथा की मानसिकता और आन्तरिकता सार्वभौम भले ही न हो, कम से कम भारतीय चरित्र की दिग्दर्शिका तो है। श्री राजेन्द्र यादव कहते है–'महानगरीय मध्यवर्ग की संघर्ष करती और पाँवा के नीचे जमीन तलाशती कथा–नारियों के बीच गाँव की मन्दा एक अजीव निरीह, निष्कपट निश्छल, संकल्प–दृढ़ नारी का व्यक्तित्व लेकर उभरती है–बाढ़ के बीच धीरे–धीरे उगते एक टीले या द्वीप की तरह, मगर वह द्वीप नहीं है, उसके साथ है एक भरी–भरी दुनियाँ–रुढ़ियों, परम्पराओं अभावों, आकांक्षा और–ईर्ष्याओं से भरी.... एक दूसरे के अधिकार झपटते–कुचलते चूसते और अन्याय की रक्षा करते लोगों की जिंदगी। मन्दा को इन्हीं के बीच रहना और रास्ता निकालना है। उसकी लड़ाई दुहरी है, औरत होने की ओर वंचितों के अधिकारों की रक्षा की।...'[2]

इदन्नमम् मैत्रेयी जी का ग्राम समाज के यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाला सशक्त उपन्यास है जिसकी गिनती हिन्दी के श्रेष्ठ ग्रामीण उपन्यासों में की जाने लगी है। पहली बार किसी महिला कथाकार ने गांव पर अपनी पैनी दृष्टि डाली है।

इस उपन्यास की पढ़ते समय विद्वान समीक्षकों को 'मैला आँचल,गोदान,'राग दरबारी' और अन्य ऐसे उपन्यासों की बहुत याद आई, जिनकी पृष्ठभूमि में 'यादों से रचा गाँव', या 'आंचलिकता दिखाई–सुनाई पड़ता है, ऐसे में हिन्दी ही नहीं, अंग्रेजी उपन्यास 'द विलेज'(मुल्क–राज आनंद–1939) की भी याद आना स्वाभाविक ही है। अगर वे सारे उपन्यास 'पुरुष प्रतिभाओं की 'कलात्मक कृतियाँ है तो 'महाभोज (मन्नू भंडारी) और 'जिदंगीनामा' (कृष्णा सोबती) के नामों को कैसे भुलाया जा सकता है? 'इदन्नमम् भरे ही रेणु की याद दिला देता है, लेकिन इसे 'रेणु' से आगे कहना निसंदेह अपने आप से झूठ बोलना है। जो अत्यंत आत्मघाती और खतरनाक है, यह मात्र 'एक अधूरी अहीर कथा' भी नहीं है। मूल्यांकन का सही मापदंड इतना व्यक्तिगत और पूर्वाग्रही न हो सकता है और न ही होना चाहिए। आलोचना/ समीक्षा की यह कौन–सी और कैसी एकांगी उत्तर–आधुनिकतावादी अंधी समझ है, जो जाने–अनजाने साहित्य–संस्कृति में महानता या अंत के शब्दबीज बो रही है? और जिसके लिए गीता माहभारत पुनर्वा (लोरिक चंदा) से लेकर मैला आँचल', 'डूब' या 'गोदान' तक मानवीय विकास या संघर्ष की दस्तावेजी कृतियाँ नहीं सिर्फ 'अहीर कथाएं' हैं।'[3]

*असि0 प्रो0, हिन्दी विभाग, मड़ियाहूँ पी0जी0 कॉलेज, मड़ियाहूँ

इस उपन्यास की प्रमुख पात्रता मंदाकिनी के माध्यम से लेखिका ने ग्रामीण चेतना को जिन रुपों में प्रस्तुत किया है वह सराहनीय है। मन्दा सदियों से दलित अपनी हीन–भावना ग्रस्त लोगों को कायरला त्यागकर संगठित संघर्ष के लिए ललकारती हैं। रचनाकत्री मैत्रेयी जी कहती हैं, सुनते–सुनते, विचारते और धोकते किसान वर्ग का कुचला हुआ दर्प लोटपीट कर खड़ा हो गया। धीरे–धीरे आत्माभिमान जागने लगा और चैतन्य हो आये सोनपुरा के लोग। इस सभा की चार्च गोंती, डिकौली, खमा, झखनवरा, गोपालपुरा, नरसिहंगढ़ तक जा पहुँची। महाराज का दिया मन्त्र हर गाँव के मुखियों ने, जागरुक मानसिकता के लोगों ने ताबीज की तरह सीने से चिपका लिया। मन्दाकिनी को आश्चर्य हुआ कि ये लोग अभी तक मुर्दो की तरह क्यों पड़े थे। और अब! जब वे जीवित हो गये हैं तो केशर मालिकों से संघर्ष स्वाभाविक था। भारतीय ग्राम आज स्वतंत्र है लेकिन फिर भी वहाँ का समाज अभी भी रुढ़ि और रीतियों के भँवर जाल में फँसा हुआ है–

इदन्नमम की संपूर्ण कथा–यात्रा एक प्रकार से मंदा के जीवन की संघर्षयात्रा है। इसमें नारी की तीन पीढ़ियों का कथाचित्र है, मुख्य रुप से दलित–चेतना के परिष्कार में मंदा के चरित्र और व्यक्तित्व की भूमिका का सर्वाधिक योगदान है। सुख्यात साहित्यकार राजकिशोर इदन्नमम के कथानक के संबंध में अपना मन्तव्य व्यक्त करते हैं, यह भारतीय गाँव की बिडम्बनाओं का, गाँव के विद्रोह का लगभग महाकाव्यात्मक आख्यान है, किन्तु इसमें गाँव का झूठा आदर्शीकरण नहीं किया गया है। इसमें भारत–मोह की जगह भारत–प्रेम है। इसके पूर्व अमूर्त या समाज शास्त्रीय नहीं, वास्तविक गाँव है। अस्तु! इदन्नमम की गाथा को दलित–पीड़ित जनों की व्यथा और उससे उबरने के प्रयासो का जीवन्त अभिलेख कहा जा सकता है। मन्दाकिनी! संक्षिप्त रुप में मंदा के चरित्र चित्रण के माध्यम से स्वतंत्रता के उत्तरकाल में एक क्षेत्र विशेष में चलने वाले मानवीय व्यापार के वास्तविक स्वरुप को, उसके साँचे–खरे ढ़ंग से कहने का सफल प्रयास लेखिका मैत्रेयी पुष्पा ने किया है।'[4]

इस उपन्यास का कथानक लेखिका ने आँचलिक बनाया है बुंदेली परिवेश, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएँ बेहिचक प्रस्तुत की हैं इतना साहस मैत्रेयी जैसी लेखिका ही कर सकती है।

उपन्यास के कथानक के दो वैचारिक आधार–बिंदु हैं एक 'जब तक मनुष्य आत्मरत रहता है, अपने दुःखों से उबर पाता। समष्टिगत प्रेम मानव को दुःखों से बाहर खींचता है। ''दूसरा'' अपने हिस्से की लड़ाई जब तक हम दूसरों से लड़वाते रहेंगे तब तक उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी।'' अपने गाँव सोनपुरा में इन्हीं दो संकल्पों के सहारे मंदाकिनी शोषितों और वंचितो के साथ जुड़ जाती है वह शोषितों की नेता नहीं बनती बल्कि स्वयं की पीड़ा झेलती है और स्त्री होने की यातना भी सहती हैं। टूटती भी है, लेकिन संभल जाती है और धुल झाड़कर खड़ी हो जाती है इस दृष्टि से देखें तो कुसुमा भाभी के चरित्र में अविश्वसनीय प्रत्यय है, लेकिन मंदाकिनी के चरित्र में विकासगति की सहजता है वह धीरे–धीरे उभरती है और प्रतिरोधी परिस्थितियों को अपनी राह से हटाती हुई कहीं भी विजय का बिगुल नहीं बजाती, प्रेम की अकथ्य पीड़ा झेलने वाली इस नारी के सामने अंत तक चुनौतियों खड़ी रहती हैं, समाज जितने स्तरों के अंतर्विरोधों से निर्मित है और शोषण के जैसे गुंजलक में कसा हुआ है, उसे एकाएक छिन्न–विच्छिन्न कर सकना आसान भी नहीं है।''[5]

मैत्रेयी पुष्पा जब लिखती है तो वे अपने उपन्यास की नायिका के साथ एक है। मैत्रेयी पुष्पा ने इदन्नमम् के माध्यम से मंदा के चरित्र को स्त्रियों को प्रतिनिधि का चरित्र बनाकर उपस्थित किया है उसके संघर्ष ग्राम समाज की नारियों के संघर्ष है।

lUnHkZ %

1. प्रेमचंद और उनके परवर्ती उपन्यास :तुलनात्माक अध्ययन, डॉ. अरुण मिश्र, पृ.299
2. इदन्नमम् (आमुख से)
3. हंस, फरवरी 1997,पृ.67
4. स्वातंत्रयोत्तर हिन्दी उपन्यासों में दलित चेतना का अध्ययन, अंजना राठौर, पृ.177
5. हंस –इदन्नमम आंचलिक संदर्भो में उभरती नारी चेतना का आख्यान–रामधारी सिंह दिवाकर का लेख, 1994, पृ. 64

***

Xkkek/kkfjr ykdr= % if'peh mnkjoknh ykdr= dk fodYi

t;o)u*

गाँधी पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के मुखर विरोधी थे। लोकतंत्र के आन्तरिक संकटों को उन्होंने ''सभ्यता का संकट'' माना।[1] उल्लेखनीय है कि इस शताब्दी के प्रारम्भिक काल में गाँधी ने 1909 में ही इण्डियन ओपीनियन पत्र में अनेक लेखों में ''पाश्चात्य सभ्यता के संकटों''को रेखांकित किया। इन संकटों को गाँधी ने चुनौती माना तथा उनके निराकरण का एक मात्र विकल्प जनशक्ति पर आधारित सर्वोदयी समाज। गाँधी की दृष्टि में लोकतंत्र का संकट एक राजनीतिक संकट मात्र नहीं, बल्कि सभ्यता का सार्वदैशिक संकट था। सभ्यता के इस संकट को गाँधी ने ''शैतानी सभ्यता''के रुप में अभिव्यक्त किया। गाँधी के मत में उक्त सभ्यता मूलतः मानवीय मूल्यों के विरुद्ध ऐसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दर्शन पर आधारित है जो मनुष्य को उपभोक्ता संस्कृति का दास बनाती है एवं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप में इस सभ्यता पर गंभीर आक्षेप हैं। पश्चिमी लोकतंत्र के प्रति गाँधी के दृष्टिकोण का बुनियादी आधार पश्चिमी सभ्यता के मूल्यांकन द्वारा हिन्द स्वराज्य (1909) में अभिव्यक्त हुआ।[2]

हिन्द स्वराज्य में पश्चिमी सभ्यता की अपर्याप्तता तथा परिसीमित में गाँधी ने ऐसी प्रवृत्तियाँ देखीं, जो घातक हीं नहीं वरन् अनिष्टकारी भी थीं।

भारत द्वारा इस प्रकार की प्रवृत्तियों का अनुकरण, अनुसरण राष्ट्रीय अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के विनाश की दिशा में अनावश्यक, निरर्थक चरण भी था। भारत की भिन्न व्यवस्था की संरचना की ओर इंगित कर गाँधी ने नवसृजन की दिशा का आहवान किया।

आदर्श कथन के साथ ही गाँधी ने मूलभूत अवधारणात्मक तथा प्रक्रियात्मक विकल्प भी प्रस्तुत किये। पश्चिमी प्रतिलिपि में तथा प्रक्रियात्मक विकल्प भी प्रस्तुत किये। पश्चिमी प्रतिलिपि में तथा कथित सम्पन्नता तथा उपयोगितावादी सिद्धान्त से परे, गाँधी ने उपभोक्तावादी विकास को परिवर्तन का पर्याय नहीं माना। व्यक्ति, समुदाय, समाज तथा व्यवस्था को मानवीय एवं गुणात्मकता से जोड़ कर देखा। नीति–केन्द्रित सभ्यता को ही सुसभ्यता तथा लोक शक्ति, लोक निर्णय और लोक सम्भावनाओं को ही गाँधी ने सत्यापित लोकतंत्र माना,जिसमें राज्य, शासन, दल, चुनाव, कानून, कृत्रिम आरोपित संविधान तंत्र की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

गाँधी ने ''लोक''के निर्माता ''व्यक्ति'' को प्राथमिक केन्द्र बिन्दू माना। इसी आधार पर, गाँधी विचार में नैतिकता, मानवीय सद्वृत्ति तथा साधनों की प्राथमिकता एवं शुद्धि का कोई विकल्प स्वीकृत नहीं। मानवीय लोकतंत्र की इसी आस्था, संरचना, तथा दायित्व प्रतिबद्धता को गाँधी ने सनातन संकल्प माना।[3]

गाँधी ने पश्चिम में विकसित सभ्यता को एवं लौकिक आवश्यकताओं की स्थिति को संक्रमणकालीन तुष्टि मात्र माना, क्योंकि उससे चाहे अनवरत भौतिकता का पोषण हुआ, किन्तु जीवन की गुणवत्ता के आयामों का भीतर ही भीतर अपक्षय भी हुआ। लौकिक की वरीयता नैतिकता की धरोहर को विकृत करने में सफल रहीं हैं अवश्य ही गाँधी पश्चिमी सभ्यता के आवरणीय गुरुत्वाकर्षण से परिचित थे उसके सम्मोहनी सामर्थ्य से सशंकित थे। किन्तु उसकी उपभोक्तावादी ह्रास प्रवृत्ति के प्रति सजग थे।[4]

प्रतिलिपिवादी दृष्टि का विरोध कर गाँधी ने चेतावनी दी कि पश्चिमी लोकतंत्र ''लोक'' तथा ''नीति'' पक्ष की घोर अवमानना है न कि विकास प्रक्रिया के प्रति मानवीय उपलब्धियों का संयोजन। भय

*वरिष्ठ प्रवक्ता, इतिहास, किसान इण्टर कालेज, मुहीउद्दीनपुर, मेरठ, उ0प्र0

अतिक्रमण, दलगत स्वार्थ परायणता ''लाभ–संचयन'', विज्ञान–तकनीक, उद्योग प्रविधि की गतिरोधी प्रशस्ति को गाँधी ने पश्चिमी शक्ति केन्द्रित, संस्थात्मक, प्रक्रियात्मक दुराग्रहों से परिपूरित माना। मात्रात्मक को ही निर्णायक मानकर, पश्चिमी सभ्यता की तथाकथित उपलब्धियाँ गाँधी के लिए वास्तव में प्रवंचना मात्र हैं।[5] आधुनिक सभ्यता सकल रुप से भौतिकवाद की पूजा है। फलतः शोषण, अन्याय, अनाधिकृत आरोपण एवं विच्छिन्न से उत्पन्न ''विमानवीकरण'' (डिहयूमेनाइजेशन) का वर्चस्व ही स्वाभाविक स्वीकारोक्ति बनता गया है।[6]

गाँधी पश्चिमी लोकतंत्र को अप्रभावी एवं परिसीमित संरचना, संगठन एवं प्रक्रिया मानते थे जो उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की विकृति, सामरिक कुचक्रों तथा विमानवीकरण के कारण बने। गाँधी के अनुसार पश्चिमी सभ्यता के मूल में अर्जन, संचय, सम्पत्ति के वर्धन की असीम चाह है। भैतिक सुविधावाद के पीछे व्यक्ति की असीमित क्षमता पर नियंत्रण ही हुआ है। व्यवस्था में दमन, अन्याय तथा असमानता से उत्पन्न स्थिति भयावह हो जाती है। इसीलिए गाँधी ने 1909 में हिन्द स्वराज्य में चेतावनी दी कि पश्चिमी भोगवादी सभ्यता, विकास की आड़ में दुनियाँ को विनाश की ओर ले जा रही है।[7]

विशेषतः, गाँधी पश्चिमी देशों में प्रचलित संसदीय लोकतंत्र के मुखर आलोचक थे। उन्होंने उदारवादी विचार में निहित पूँजीवाद, साम्राज्यवाद् शोषण व्यवस्थात्मक अस्थिरता और व्याप्त अनैतिकता, दुर्बल नेतृत्व तथा अन्त्राराज्य एवं अन्तरराज्य विरोधाभासों के प्रति संशय व्यक्त किया।

गाँधी ने माना कि पश्चिमी लोकतंत्र के पूँजीवादी समाज व्यवस्था का प्रसार होता है। पूँजीवादी समर्थकों द्वारा शनैः–शनैः लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर प्रसार होता है जिससे सम्पूर्ण शासन–व्यवस्था पिछड़ों, दलितों और वंचित वर्ग के खिलाफ बनती चली जाती है। मेहनतकशों का राज–व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। गाँधी की मान्यता थी कि इस प्रकार की पूँजीवादी राज–व्यवस्था अपने वास्तविक स्वरुप को छिपाने के उद्देश्य से कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का छद्म ताना–बाना ओढ़ लेती है और इस व्यवस्था के कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का छद्म ताना–बना ओढ़ लेती है और इस व्यवस्था के समर्थक शनैः–शनैः कृत्रिम सभ्यता के गुलाम बनते चले जाते है।

पश्चिम में विकसित उदारवादी लोकतंत्र के दो चेहरे हैं। एक, कल्याणकारी राज्य के रुप में दिखाई देता है, और दूसरी तरफ पूँजीवादी वर्ग के हितों का संरक्षण करने वाले तत्वों द्वारा निरंकुश राज्य–व्यवस्था की स्थापना करता है। चूँकि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पूँजीवादी समर्थित समूह का कब्जा होता है, इस कारण राज्य इन समूहों के हितों को रक्षित करने वाले कानून और नीतियों का निर्माण करता है। तदनरुप उन नीतियों तथा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए राज्य शक्ति और संगठिन हिंसा का प्रयोग करता है। राज्य की हिंसक शक्ति के प्रयोग को गाँधी निरंकुशता का समरुप मानते हैं।[8]

गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त प्रजातीय भदेभाव की नीति की प्रमुख आलोचना ही नही उसके विरुद्ध प्रभावी अहिंसक संघर्ष भी किया। वे अहिंसा द्वारा ही सच्चे लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। लोकतंत्र की आड़ में अमानवीय एवं निरंकुश प्रवृत्तियों को नकार कर गाँधी ने राजनीति में विरोधी के साथ सम्यक व्यवहार को ही लोकतंत्र माना। गाँधी सच्चे अर्थों मे लोकतंत्र को भ्रष्टाचार और हिंसा से रहित एवं लोकशक्ति के रुप में परिभाषित, व्यावहारिक मानते थे। उनका विचार था कि अगर भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो उसके पश्चिमी प्रतिमान को अस्वीकार कर सच्ची लोकसत्ता की स्थापना के लिए संघर्ष अनिवार्य दायित्व है। उनकी दृष्टि में समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता का सत्य के साथ के साथ समन्वय ही सर्वोदय का प्रथम चरण है।[9]

गाँधी पश्चिमी पद्धति की राजनीतिक एवं व्यवस्थापिकाओं के अन्दर सरकारी पक्ष एवं विरोधी पक्ष के बँटवारे को अनुशासन एवं लोकतंत्र दोनों के लिए अहितकारी मानते थे। परन्तु, ब्रिटिश संसद की असफलता का मुख्य कारण वे प्रतिनिधि संस्थाओं की अपूर्णता को नहीं बल्कि सिद्धान्तों, अर्थात आधुनिक सभ्यता के मूल्यों को मानते थे। गाँधी ने माना कि इस विकृति में अंग्रेजों का विशेष दोष नहीं है, दोष उनकी, यूरोप की, आधुनिक सभ्यता का है। वह सभ्यता ''असभ्यता'' है और उससे यूरोप की जनता बरबाद होती जा रही हैं।[10]

गाँधी ने माना कि संसद का मोह त्यागना कठिन है। चमड़ी उतारना,जीवित व्यक्ति को आग में झोंकना, लोगों के कान और नाक काटना, निःसन्देह जंगलीपन था, लेकिन चंगेज खॉ, तैमूरलंग और ऐसे ही अन्य लोगों के अत्याचारों की अपेक्षा संसद का अत्याचार बढ़–चढ़ कर है। इसी कारण हम उसमें फँस गये हैं। आधुनिक अत्याचार मोह जनित है, इस कारण वह अधिक घातक है। एक व्यक्ति के अत्याचार के सामने टिका जा सकता है, परन्तु जनता के नाम से जनता पर किये गये अत्याचार का सामना करना कठिन है। ऐसा लगता है कि पहले कुछ शासक मूर्खराज होते थे और कुछ बुद्धिमान निकल आते थे। यदि हम पर केवल एडवर्ड ही शासन करते तो ठीक होता, परन्तु हम पर और तुम पर अंग्रेज मात्र राज्य करता है। इस वाक्य के अर्थ पर विचार करना आवश्यक है। यहाँ मैं लोगों के संसार मोह की बात नहीं करता। भारत में साधारणतः तो यही माना जाता है कि संसार एक पाखण्ड है। असाधारण बुद्धि का व्यक्ति पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंग कर संसद में मोहग्रस्त हो जाता है।

lUnHk %

1. के.पी. करुनाकार, डेमोकेसी इन इण्डिया,नई दिल्ली इन्टेलेक्चुअल, 1978, 25 एवं ए, अप्पादुराई सब्सटेन्स ऑफ पोलिटिक्स, लन्दन, आक्सफोर्ड, युनिवार्सिटी प्रेस,1961
2. सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, खण्ड.10. नवम्बर,1909, मार्च1911, 217–218, इण्डियन ओपिनियन, 2–4–1910 में गाँधी ने पश्चिम की सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा है और इसे सभ्यता का संकट माना है। खण्ड 48. सितम्बर 1931–जनवरी 1932 के पत्र में पृ.407 पर सभ्यता के लिए ''शैतानी शब्द प्रयुक्त किया है।
3. मिडिलटन मरी; रिलेक्शन्स ऑन हिन्द स्वराज, बम्बई थियोसोफी कम्पनी, 1948. पृ.45
4. गाँधी (अनुवादक अमृतलाल ठाकोरदास नाणावटी) हिन्द स्वराज्य, अहमदाबाद, नवजीवन, 1989, पृ.44–45
5. नोट–2,37
6. नोट–2,143, पाश्चात्य सभ्यता के दोष इण्डियन ओपिनियन, 22–1–1910
7. हलचल, ''चुनौती गाँधी को'', गाँधी मार्ग, सितम्बर–अक्टूम्बर 1990, अंक 9–10, पृ.54–55
8. प्यारे लाल महात्मा गाँधी, पूर्णाहुति, अहमदाबाद, चतुर्थखण्ड, नवजीवन, 1973, पृ.314
9. नोट–7, अनुराग रत्ने, ''रेलेवेन्स ऑफ दि गाँधीयन मॉडल ऑफ डेमोक्रसी'', गाँधी मार्ग, अप्रैल 1988, अंक–5, पृ.34
10. नोट–2,18
11. नोट 2.219, डॉ. हरीभाई पटेल द्वारा सम्पादित, महात्मा गाँधी जी के पत्रों से तथा रावजी भाई पटेल द्वारा लिखित गुजराती पुस्तक गाँधी जी के साधना, का अंश।

***

efLye fof/k d vUrxr fookg lEcU/kh vf/kdkj

food tk;loky*

प्राचीन काल में महिलाओं को कोई सम्मानजनक स्थान नहीं प्राप्त था। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाह पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति पर निर्भर करता है यद्यपि की स्त्री की इच्छा के अध्याधीन ही हुआ करती थी। इसका एक कारण यह है कि मुस्लिम विधि शास्त्री यह मानता है कि मुस्लिम अपने शारीरिक एवं बौद्धिक वरिष्ठता के कारण उसे एक प्रभावकारी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। अतः स्त्री को उसकी इच्छा के अध्यधीन होना पड़ता है।

डॉ0 मोहम्मद उल्लाह एस0 जंग के अनुसार –

''विवाह सारतः एक संविदा होते हुए भी एक श्रद्धात्मक कार्य है, जिनके उद्देश्य है– उपभोग और सन्तान्तोपत्ति के अधिकार और समाज के हित में सामाजिक जीवन का नियमन।''

न्यायमूर्ति महमूद ने विवाह की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है –

''मुस्लिमों में विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा हैं, यह कोई संस्कार नहीं है।''

efLye fof/k e cg&fookg %

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत बहु विवाह का प्रचलन है और यह 4 स्त्रियों तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त मुता विवाह की अनुज्ञा भी मुस्लिम विधि में की जाती है। कुरान में सन्दर्भित आयत जिसके अन्तर्गत चार विवाह करने का प्रावधान है यह निम्नवत है –

''तुम उस स्त्री से शादी करो जो तुम्हें अच्छी लगती हो– दो, तीन, चार, लेकिन यदि तुम इस बात से डरते हो कि उनके साथ न्याय नहीं कर सकते तो केवल एक विवाह करो, यह उचित है कि तुम सही रास्ते से न भटकों।''

कुरान में संदर्भित उक्त आयतों को इस्लाम पूर्व अरब में प्रचलित रीति रिवाजों और परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जहाँ कि एक पुरूष एक साथ कितनी भी पत्नियाँ रख सकता था, उनकी संख्या के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। इस प्रकार के असभ्य और बर्बर समाज ने इस्लाम में इस संख्या को चार तक सीमित कर दिया और विवाह को एक आदर्श संस्था के रूप में निरूपित किया।

डॉ0 रोमन लैण्डिन ने अपनी पुस्तक ''सेक्सः लाइफ एण्ड फेथ'' में लिखा है कि – ''इस अपरिमित संसार में जिसमें हम रहते है, बहु विवाह नैसर्गिक और विधिपूर्ण माना जाना चाहिए। यदि हम बहु विवाह को समाप्त करते है तो सर्वप्रथम हमें अपनी सभ्यता के सम्पूर्ण चरित्र को फिर व्यक्ति की प्रकृति को और अन्त में प्रकृति स्वयं को बदलना होगा।''

ikO ,u0 MCY; ,fty ने अपनी टीका ^^ck;kykth vkQ lDl** में लिखा है कि – ''एक पुरूष सामाजिक प्राणी के रूप में एकल पत्नीधारी के अतिरिक्त और सब कुछ हो सकता है''

बहु विवाह के संदर्भ में पाकिस्तान द्वारा बहु विवाह को नियंत्रित करने के लिए अपनाये गये सुधारवादी उपायों को पथ प्रदर्शक सिद्धान्त के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में काफी समानता है।

पाकिस्तान की 'मुस्लिम परिवार विधि, 1961' की धारा 6 बहु विवाह के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान करती है –

*मास्टर ऑफ लॉ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ0प्र0

1. कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व विवाह के विद्यमान होने की दशा में दूसरा विवाह केवल सभी तभी कर सकता है जबकि वह अपनी पूर्व पत्नी अथवा पत्नियों की लिखित सहमति विवाचन काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत कर दें।

   पूर्व पत्नी या पत्नियों की लिखित सहमति के बिना इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह का करार रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है।
2. अधिनियम की उपधारा (1) के अधीन, आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए विवाचन काउंसिल के अध्यक्ष के समक्ष विवाह हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में नियत शुल्क जमा करने के पश्चात् दिया जाता है– साथ–साथ दूसरे विवाह के औचित्य का भी उल्लेख करना होता है।
3. अधिनियम की उपधारा (2) के अधीन, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अध्यक्ष आवेदक और उसकी विद्यमान पत्नी अथवा पत्नियों से अपना प्रतिनिधि नामांकित करने के लिए कहेगा, तदुपरान्त यदि विवाचन परिषद को यह विश्वास हो जाता है कि प्रस्तावित दूसरा विवाह आवश्यक एवं न्यायपूर्ण है तो वह ऐसे आवेदन को कुछ शर्तों के साथ जिन्हें यह उचित समझ, स्वीकार कर सकती है।
4. 'विवाचन परिषद' आवेदन पर निर्णय देते समय कारणों का भी साथ में उल्लेख करेगी। ऐसे निर्णय का पुनरीक्षण सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में और नियत शुल्क जमा करने के उपरान्त ही किया जा सकता है और फिर उसका निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा। जिसे किसी भी अन्य न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।
5. कोई भी पुरूष जो विवाचन परिषद की पूर्वानुमति के बिना दूसरे विवाह का करार करेगा वह–

क) अपनी विद्यमान पत्नी को तुरन्त उनका सम्पूर्ण मेहर (चाहे वह मुअज्जल या मुवज्जल हो) भुगतान करेगा। मेहर का भुगतान न करने की दशा में वह भू राजस्व से अग्रिम की तरह वसूल कर लिया जायेगा, और

ख) अपराधी सिद्ध होने की दशा में वह एक वर्ष तक के साधारण कारावास से अथवा जुर्माना जो कि 5,000/– रूपया तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

ik0 t0,u0Mh0 ,.Mjlu[1] के शब्दों में ''बहु विवाह के पूर्णतः निषेध से मुस्लिम पति के तलाक देने के अबाध एवं एक पक्षीय अधिकार के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा जो कि प्रगतिशीलता के स्थान पर एक अविवेकपूर्ण कदम होगा और इसका दुष्परिणाम यह होगा कि यदि एक मुसलमान पुरूष दूसरा विवाह करना चाहता है तो उसे मजबूरी वश न चाहते हुए भी प्रथम पत्नी को तलाक देना होगा।''

अतः मुस्लिम महिलाओं के लिए निश्चित ही यह अधिक लाभप्रद होगा कि वे बहुत विवाह को विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत सहमति प्रदान करें।

vgenkckn oheu ,D'ku xi cuke Hkkjr l?k[2] के वाद में एक सामाजिक कार्य समिति ने न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की और कहा– कि मुस्लिम विधि के अन्तर्गत, बहु–विवाह तथा एक तरफा तलाक के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 15 के विरूद्ध है, (क) शिया और सुन्नी विधि के उत्तराधिकार से सम्बन्धित नियम संविधान के 13, 14, 15 के विरूद्ध है क्योंकि यह लिंग के आधार पर स्त्री और पुरूष में विभेद करते है, कि मुस्लिम स्त्री (विवाह–विच्छेद अधिकार सुरक्षा) अधिनियम 1986, संविधान के 14 और अनुच्छेद–15 का उल्लंघन करते है,

(ख) दो या दो से अधिक पत्नियों को एक साथ रखना, मुस्लिम विवाह–विच्छेद अधि0 1939 की धारा 2 (viii) (f) के अन्तर्गत क्रूरता के श्रेणी में आता है।

(ग) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) 5 (iii) तथा (iii) एवं धारा 6 तथा धारा 30 और हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 संविधान के अनु0 14, 15 के विरूद्ध है।

(घ) हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 3(2), 6 तथा 7 और संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 6 जो हिन्दू पति/ पत्नी को एक–दूसरे की सम्पत्ति को अन्तरण करने की वसीयती अधिकार देती है शून्य है।

अतः सबके लिए एक रूप सिविल संहिता बननी चाहिए।

इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि इन सभी रिट याचिकाओं का निपटारा योग्यता के आधार पर नहीं हो सकता। विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो भी तर्क इस वाद में दिये गये है वह सब प्रवेश की रीति से सम्बन्धित है और न्यायालय का इससे कोई लेना, देना नहीं है इसका उपचार न्यायालय में नहीं बल्कि कहीं और ढूंढ़ना चाहिए।

मुस्लिम विधि में विधि मान्य विवाह के विधिक परिणाम –

1. पति–पत्नी का सम्भोग विधि सम्मत माना जाता है।
2. सन्ताने धर्मज होती है।
3. इन्हें अपने माता–पिता की सम्पत्तियों के उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त रहता है।
4. पति तथा पत्नी भी एक दूसरे की सम्पत्तियों के उत्तराधिकारी माने जाते है।
5. पति तथा पत्नी में विवाह के लिए निषिद्ध सम्बन्ध लागू हो जाता है।
6. विवाह–विच्छेद के पश्चात् विधवा पत्नी को निर्धारित इद्दत का पालन करना होता है।
7. विवाह के पश्चात पत्नी को पति से भरण–पोषण का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
8. विवाह संविदा पूर्ण होते ही पत्नी को मेहर का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
9. यदि पति–पत्नी के बीच कोई वैवाहिक समझौता है तो वह तुरन्त प्रभावी माना जायेगा बशर्ते कि वह इस्लाम के विरूद्ध न हो।

मुस्लिम विधि के अर्न्तगत मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने का अधिकार ।

efgykvk d lEifRrd vf/kdkj %

हिन्दू साम्पत्तिक कानून में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए है, पहले बंगाल को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में मिताक्षरा व्यवस्था प्रचलित थी तथा बंगाल में दायभाग व्यवस्था, मिताक्षरा सिद्धान्त के अनुसार स्त्री को साम्पत्तिक अधिकार बिल्कुल भी प्राप्त नहीं थे, तथा दायभाग सिद्धान्त के अनुसार विधवा को ही संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में थोड़ा भाग मिलता था। स्त्रीधन अवश्य स्त्री का रहता था परन्तु वह भी केवल उसके जीवन काल तक ही।

सर्वप्रथम विवाहित स्त्रियों में सम्पत्ति अधिनियम 1874 ने स्त्रीधन के क्षेत्र को विकसित किया। दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम 1929 में हिन्दू कानून का उत्तराधिकार (संशोधन अधिनियम 1929) पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं में साम्पत्तिक अधिकार को स्वीकार किया गया। इसी क्रम में सन् 1937 में हिन्दू स्त्री का सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार विधिवा को सम्पत्ति के उसी भाग का अधिकारी बताया गया जिसका कि पुत्र होता था। स्त्री की मृत्यु के उपरान्त यह सम्पत्ति निकटतम पुरूष उत्तराधिकारी को लौट जाती थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् महिला अधिकारों को पुनः विस्तृत पारिभाषित व अधिनियमित किया गया। जिसमें भरण–पोषण, सम्पत्ति अधिकार, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 आदि संविधियां महिलाओं के सम्पत्तिक अधिकारों को विधि द्वारा संरक्षित करने के लिए पारित किया गया। महिलाओं को मुख्यतः निम्नलिखित साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त है –

4 ¼c½ efLye fof/k d vUrxr Hkj.k&ik"k.k &

पत्नी के भरण पोषण का विधिक दायित्व पति पर हैं यहाँ तक कि यदि पति साधनहीन है तो भी पत्नी को अपने पति से भरण पोषण का अधिकार होता है मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पत्नी को भरण–पोषण दो विधियों के अन्तर्गत प्रावधारित है –

1. मुस्लिम विधि के अन्तर्गत
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पत्नी के भरण–पोषण की आवश्यक पूर्ति–

(क) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाह विधि मान्य होने पर ही पत्नी अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी की गयी है यदि विवाह शून्य (वातिल) या अनियमित (फासिद) हो तो पत्नी को

भरण–पोषण का अधिकार नहीं रहता है। परन्तु शिया विधि के अन्तर्गत मुला–विवाह भी वैध विवाह माना गया है मुता पत्नी को भरण–पोषण की अधिकारिणी मानी गयी है।

(ख) पति का भरण–पोषण का दायित्व के यौवनावस्था (15 वर्ष) पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रारम्भ होता है, पत्नी यदि अवयस्क होने के कारण संभोग के अनुपयुक्त हो और माता–पिता के साथ रहती है तो वह भरण–पोषण नहीं प्राप्त कर सकती है।

(ग) यद्यपि भरण–पोषण एक निर्वाधित अधिकार है, फिर भी पत्नी के भरण–पोषण का अधिकार उसके स्वयं के आचारण पर निर्भर करता हैं। यदि पत्नी दाम्पत्य जीवन के कार्यकलापों में पति के प्रति निष्ठावान नहीं है तो उसे भरण–पोषण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

(घ) बिना किसी न्यायोचित कारण के पत्नी यदि पति से अलग रहकर उसे संभोग से वंचित कर रही हो तो उसका भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है।

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकार –

मुस्लिम विधि में संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति नाम की अवधारणा मुहम्मद साहब ने कहा है, ''उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को सीखिए तथा उन्हें लोगों में बताइये क्योंकि वे लाभप्रद ज्ञान की लगभग आधी ज्ञान है।''

efLye mRrjkf/kdkj lEcU/kh lkekU; fl)kUr %

1. मुस्लिम विधि में संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति नाम की कोई चीज नहीं है। मुस्लिम विधि सहदाय को मान्यता नहीं प्रदान करता है।
2. जन्म मात्र लेने से मुस्लिम विधि का कोई हक उत्पन्न नहीं हो जाता। मुस्लिम पुत्र का उसके पिता द्वारा किये गये सम्पत्ति के संक्रमण को चुनौती नहीं दे सकता है।
3. इस्लाम के पूर्व अरब में पुरूष गोत्रज को ही उत्तराधिकार का हक प्राप्त था स्त्रियां इससे वंचित थी। इस्लाम विधि में सुधार करके महिलाओं को भी उत्तराधिकार का हक प्रदान किया गया।
4. गर्भस्थ को उत्तराधिकार का हक उसी समय माना गया जब वह मृतक की मृत्यु की तिथि से 6 माह के अन्दर उत्पन्न हो जाय अथवा यदि वह पुर्नविवाह न करें तो नौ माह की अवधि में पैदा होने पर भी वह उत्तराधिकार का हक रखेगा।
5. मुस्लिम विधिशास्त्रियों के अनुसार लापता व्यक्ति की पत्नी को पति के खो जाने की तारीख से चालू वर्ष के पश्चात् उसे मृत्यु के इद्दत का पालन करना होता है परन्तु उत्तराधिकार की श्रेणी में आने के बावजूद भी उत्तराधिकार की समयावधि को लेकर इस पर मतभेद है।
6. अपवर्जन के सिद्धान्त के अन्तर्गत कुछ व्यक्ति उत्तराधिकार की श्रेणी में आने के बावजूद भी उत्तराधिकार के हक से वंचित किये गये है। उनके आधार निम्नलिखित है।
   (क) हत्या
   (ख) अधर्मजता
   (ग) इसके अतिरिक्त रक्त का नजदीकी रिश्तेदार दूरस्थ को अपवर्जित करता है।

lUnHkZ %

1. Muslim Personal Law in India "An Inlamic Law in Modern India (ILI 1972) p. 38.
2. 1996 एस0एस0सी0 573

***

ekuokf/kdkj vkj egkRek xk/kh

MkO foo d dekj jk;*

मानवाधिकार एवं महात्मा गाँधी चिन्तन दोनों ही एक बिन्दु को परिभाषित करते हैं और वह है 'मानव हित' या 'मानव का कल्याण'। यद्यपि महात्मा गाँधी के चिन्तन में मानवीय अधिकारों के भाव परिलक्षित हुए हैं, तथापि मानवीय अधिकार की जड़ें महात्मा गाँधी से बहुत पहले विश्व की सभ्यताओं की विभिन्न घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के साथ–साथ मानव अधिकारों का अतिक्रमण एवं संरक्षण दोनों ही भाव देखने को मिलते हैं। महात्मा गाँधी मानवाधिकारों के अनन्य पुजारी एवं एक मनस्वी थे। उनके शब्दों में– मैंने किसी सिद्धान्त अथवा वाद का प्रतिपादन नहीं किया है। मैंने अपने तरीकों से शाश्वत सत्यों को दिन–प्रतिदिन के जीवन व समस्याओं से जोड़ने का प्रयास किया है।' महात्मा गाँधी के जीवन मूल्यों का स्रोत विस्तृत व विविध रहा है। उन्होंने ईशावास्य उपनिषद् से समानता व बन्धुत्व का विचार लिया। महात्मा गाँधी के दिव्य व्यक्तित्व व शक्ति का आधार जीवन के हर पक्ष में सत्य के प्रति निष्ठा व उसकी अनुपालना थी। स्वच्छ हृदय, शान्त मस्तिष्क, ईश्वर से निरन्तर संवाद, ऐन्द्रिक उपभोग के सुख से विलगता, धार्मिक सहिष्णुता, सामान्य सादगी से भरा जीवन, यही उनकी शैली थी। प्रकृति के प्रति उनकी आस्था थी तथा इससे जीवन व समाज की हर आवश्यकता की पूर्ति से वे बंधे हुए थे।''[1]

भारत आने के बाद महात्मा गाँधी कई आन्दोलनों से जुड़े। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सत्य, न्याय और मानव अधिकारों के लिए तथा भारतवासियों के आत्म–सम्मान के लिए उनका नेतृत्व किया। अलग–अलग संदर्भों में उन्होंने सत्याग्रह की रणनीति के प्रयोग किए और कांग्रेस ने सत्याग्रह को स्वाधीनता संग्राम की राजनीतिक रणनीति के रूप में स्वीकार कर लिया।

सन् 1918 के रौलेट एक्ट विधेयक ने भारतीयों के असन्तोष को बढ़ा दिया। रौलेट एक्ट निश्चित रूप से मानव अधिकार के रूप में एक काला कानून था, जिसके विरोध में महात्मा गाँधी ने भारत में सार्वजनिक सामूहिक सत्याग्रह की घोषणा की। 28 जुलाई, 1920 के यंग इण्डिया के अंक में गाँधी ने स्पष्ट रूप से लिखा 'सत्याग्रह, एक अनिच्छुक सरकार से न्याय प्राप्त करने की शक्ति है, चाहे उसे सविनय अवज्ञा का नाम दिया जाए अथवा असहयोग का।[2]

महात्मा गाँधी की सत्याग्रह कार्य पद्धति मानव अधिकारों के सरंक्षण के लिए किए गए संघर्ष की एक प्रणाली थी। यह सत्याग्रह प्रणाली सितम्बर, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा असहयोग आन्दोलन की योजना के रूप में स्वीकार की गई। इस योजना में उपाधि परित्याग, सरकारी पद परित्याग, अंग्रेजी अदालतों, कौंसिलों, स्कूल–कॉलेजों का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग सम्मिलित था। चारों ओर आन्दोलन प्रारम्भ हो गए। तकली और सूत कातना भारतीय राष्ट्रीयता के मूलमंत्र और सत्य एवं अहिंसा उनके प्रमुख अस्त्र बने।[3] यह आन्दोलन अपनी उन्नति की चरम सीमा पर था, किन्तु सन् 1922 को चौरीचौरा में वहाँ के कारागार पर क्रोधित भीड़ ने आक्रमण कर कुछ अंग्रेजों को मार डाला। इससे क्षुब्ध होकर सन् 1922 में महात्मा गाँधी ने अपना असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया।

महात्मा गाँधी द्वारा आन्दोलन को स्थगित किए जाने की कांग्रेस के भीतर एवं बाहर तीव्र आलोचना हुई। सत्याग्रह के प्रयत्न की दृष्टि से महात्मा गाँधी का तर्क साध्य–साधन सादृश्यता पर आधारित था, किन्तु यथार्थ राजनीति के संदर्भ में उन्होंने अपने निर्णय को दीर्घकालीन संग्राम की निरन्तरता एवं सफलता के लिए समीचीन माना।[4]

*अतिथि प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ0प्र0

1930 में अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों द्वारा नमक बनाने को अवैध घोषित कर दिया। महात्मा गाँधी ने इसे निर्धनतम व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाली मूल आवश्यक वस्तु मानते हुए इस कानून के विरूद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने का निश्चय किया। महात्मा गाँधी ने इसे मानवाधिकार से जोड़कर देखा। 12 मार्च, 1930 को महात्मा गाँधी ने अपने समर्थकों सहित दाण्डी की ऐतिहासिक यात्रा की। वहाँ पहुँचकर उन्होंने नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का विरोध किया। इसके साथ ही सम्पूर्ण देश में नमक कानून को भंग किया गया। अंग्रेजी सरकार महात्मा गाँधी की इस विचित्र कार्यवाही को देखकर हैरान थी और हमेशा की तरह उसने दमन नीति का सहारा लिया। किन्तु महात्मा गाँधी के इस प्रयोग ने अंग्रेजों को विचलित कर दिया और कुछ समय के पश्चात् विवश होकर 31 मार्च, 1931 को गाँधी–इरविन समझौते के द्वारा सरकार ने राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया।[5]

समझौते के अनुसार महात्मा गाँधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए किन्तु यह सम्मेलन भारतीय समस्या को सुलझाने में असफल रहा। गांधी–इरविन समझौता भी दीर्घकालीन सिद्ध नहीं हो सका और वापस लौटने पर सन् 1932 में महात्मा गाँधी ने वैयक्तिक स्तर पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया। उनको पुनः बन्दी बना लिया गया और 1934 में रिहा किया गया।[6] सन् 1942 का 'भारत छोड़ो आन्दोलन' महात्मा गाँधी का अन्तिम जन–सत्याग्रह का आह्वान था। क्रिप्स मिशन (1941) की असफलता के बाद फैले राजनीतिक असंतोष तथा मुस्लिम लीग की बढ़ती साम्प्रदायिक विद्वेष एवं विघटन की चुनौती से राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल गया। 8 अगस्त, 1942 को महात्मा गाँधी की सलाह से बम्बई में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पास किया, परन्तु अंग्रेजी सरकार इतनी सुगमता से भारत छोड़ने के लिए तैयार न थी। उसने दमन नीति से काम लिया। प्रस्ताव पास होने के दूसरे दिन अर्थात् 9 अगस्त को महात्मा गाँधी सहित समस्त कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सम्पूर्ण कांग्रेसी संस्थाओं को गैर–कानूनी घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण कार्य से सारे देश का धैर्य जाता रहा और जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।[7]

महात्मा गाँधी के चिन्तन में 'व्यक्ति' को 'मानव' के रूप में रूपान्तरित करने का आदर्श रखा गया है। महात्मा गाँधी ने व्यक्ति को मात्र इकाई के रूप में स्वीकार न करके उसमें 'सत्व' (सेल्फ) की उपस्थिति को स्वीकारा। सही 'सत्य' व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करता है। महात्मा गाँधी नैतिक व्यक्तित्व की रचना शून्य में नहीं अपितु यथार्थ सामाजिक जीवन से जुड़ी चुनौतियों एवं समस्याओं के सन्दर्भ में ही संभव मानते थे। स्वयं गाँधी ने स्वीकारा कि 'मेरा उद्देश्य धार्मिक है, किन्तु मानवता से एकाकार हुए बिना मैं धर्म पालन का मार्ग नहीं देखता।[8] सिद्धान्ततः न्याय की संकल्पना नैतिकता तथा सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में मात्र उचित–अनुचित का गहन विश्लेषण ही नहीं करती अपितु ऐसे मानदण्ड भी निर्धारित करती है, जिससे उचित की प्रतिष्ठा और अनुचित का निराकरण किया जा सके।

पश्चिमी चिन्तन में सुकरात से लेकर हीगल तक की परम्परा में न्याय के नैतिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप को महत्वपूर्ण माना गया।

भारतीय राजनीतिक चिन्तन में मनु, शुक्र, कौटिल्य ने न्याय की अवधारणा का विशुद्ध राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण नहीं किया तथापि राजधर्म एवं समाजधर्म में जो समान तत्व है, उसे ही न्याय का उद्घोष माना। राष्ट्रीय आन्दोलन के दीर्घकालीन संघर्ष में स्वतंत्रता एवं समानता की माँग न्याय की माँग को ही परिलक्षित करती रही। मानव की अस्मिता से जुड़े मानवीय मूल्यों का जो व्यापक अहिंसात्मक स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के गांधीवादी युग में उजागर हुआ वह प्लेटोवादी न्याय से अधिक गहन एवं उपयोगितावादी न्याय से कहीं अधिक समग्रता लिए हुए है। चूँकि न्याय के किसी एक पक्ष को अधिक महत्ता दिए जाने से उसकी समग्र अवधारणा के पोषण की अवहेलना होती है।

महात्मा गाँधी ने न्याय के ऐतिहासिक कालानुक्रम के सभी पक्षों और समाज सम्बद्ध सभी घटकों की समान महत्ता को स्वीकार कर वैचारिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर 'मानवीय न्याय' के मूर्त स्वरूप को प्रतिबिम्बित करने का प्रयास किया। महात्मा गाँधी ने यह सिद्ध करने की अपेक्षा

की न्याय क्या है एवं अपने मूल रूप में वह किस सामाजिक स्थिति का परिचायक है, यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक अन्याय की क्या स्थितियाँ एवं स्वरूप हैं। चूँकि अन्याय क्या है, यह मानवीय आधारों पर स्पष्ट था अतः महात्मा गाँधी के समक्ष न्याय की अवधारणा अपने मूल रूप में स्वतः स्पष्ट थी। स्वयं महात्मा गाँधी के शब्दों में 'नए सिद्धान्तों को जन्म देने का दावा मैं नहीं करता। मैंने तो केवल अपने ढंग पर सनातन सत्यों को दैनिक जीवन और समस्याओं पर लागू करने का प्रयास किया है।[9]

वस्तुतः महात्मा गाँधी के लिए मानववादी होने एवं न्यायवादी होने में कोई अन्तर्विरोध नहीं है। अतः इस दृष्टिकोण से महात्मा गाँधी न्याय की साधना में रत एक कर्मण्यवादी थे, जिनके लिए न्याय ज्ञान के क्षेत्र में सत्य, व्यवहार के क्षेत्र में नीति परायणता और सामाजिक सम्बन्धों के क्षेत्र में मानवतावादी मूल्यों का समायोजन रहा। गाँधीवादी चिन्तन में मानव के स्तर पर न्याय अमूर्त संकल्पना न होकर सापेक्ष सत्यों की प्राप्ति हेतु अन्तर्चेतना, आत्मानुभूति एवं आत्मज्ञान है।[10] तथ्यात्मक सत्य न्याय प्राप्ति का साधन है।

सत्य को स्पष्ट करते हुए महात्मा गाँधी ने उसे चेतना की ध्वनि कहा। सत्य की दृष्टि से, अन्तर्मन की स्वीकृति शाश्वत मूल्य के अनुसरण हेतु प्रेरित करती है। महात्मा गाँधी ने अनेक अवसरों पर ईश्वर को सर्वोच्च विधि एवं सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित किया। वस्तुतः ये नामकरण समयानुसार न्याय के ही प्रमाण हैं। महात्मा गाँधी के अनुसार व्यवहार में सापेक्ष सत्यों की उपलब्धि द्वारा शाश्वत पूर्ण सत्य की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। सापेक्ष सत्य अर्थात् सापेक्ष न्याय की प्राप्ति पूर्ण न्याय की ओर इंगित करती है।[11]

महात्मा गाँधी का सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने न्याय को मूर्त स्वरूप प्रदान किया, उसके साधन बताए, अन्याय के निराकरण हेतु अनेक संरचनात्मक उपायों की क्रियान्विति को सक्षमता प्रदान की। महात्मा गाँधी की दृष्टि में न्याय केवल समाज के सन्दर्भ में ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि व्यक्ति अपने स्वत्व के साथ उस न्याय की किस प्रकार सूत्रबद्ध आन्तरिकता स्थापित करें, इस व्याख्या को उन्होंने समुचित दिशा निर्देशन प्रदान किया। चूँकि सामाजिक न्याय भी प्रयोजन है, अतः उच्च प्रयोजन सिद्धि हेतु सभी क्षेत्रों में महात्मा गाँधी ने न्यायपूर्ण गरिमा से युक्त साधनों को सर्वाधिक महत्व दिया। साधनों की शुद्धता एवं प्राथमिकता जिन्हें महात्मा गाँधी ने आध्यात्मीकृत साधन कहा अन्ततः सकारात्मक परिणति से जुड़ गए। इन साधनों की पूर्णता और महत्ता तात्कालिक लक्ष्यों की पूर्ति में नहीं है वरन् उस न्याययुक्ता में है, जो मानव कल्याण के साथ एकाकार हो जाते हैं। मानवीय न्याय के साथ–साथ महात्मा गाँधी के द्वारा प्रतिपादित अधिकार एवं कर्त्तव्य सम्बन्धी अवधारणा को जानना आवश्यक है। महात्मा गाँधी ने अधिकारों को नैतिक आध्यात्मिक 'संकल्प' की दृढ़ता एवं कर्त्तव्यों को 'स्वधर्म' के रूप में परिभाषित कर मानवीय न्याय की नैतिक व्याख्या प्रस्तुत की। महात्मा गाँधी ने माना कि सामाजिक मर्यादा एवं नैतिक नियंत्रण द्वारा अधिकार को अपेक्षित स्वरूप एवं दिशा देना अनिवार्य है। इसी कारण अधिकारों की व्यावहारिकता कर्त्तव्य निर्वाह से संयुक्त है।

अधिकारों की पुष्टि करते हुए महात्मा गांधी ने स्वीकारा कि फ्रांस के समाज के मूल्यों में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व महान आदर्श हैं, लेकिन यह विरासत केवल फ्राँस के लोगों की न होकर सम्पूर्ण मानवता की है। महात्मा गाँधी के अनुसार अधिकारों की प्राप्ति समाजोपयोगी कर्त्तव्यों की पूर्ति के द्वारा ही हो सकती है। वस्तुतः अधिकारों की गाँधीवादी अवधारणा मूल प्राकृतिक एवं नैतिक अधिकारों का उद्घोष है। महात्मा गाँधी ने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर नैतिक न्याय की प्रकृति की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार कर्त्तव्य पूर्ति ही अधिकारों का सही स्रोत है। कर्त्तव्यों के बिना कोई वास्तविक अधिकार नहीं है इसीलिए अधिकारों के साथ ही कर्त्तव्यों की पूर्ति मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि वे अधिकार जिनको कर्त्तव्य के निर्वहन का सम्बल प्राप्त नहीं है, नैतिक रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकते।

कर्त्तव्य को महात्मा गाँधी ने 'स्वधर्म' के रूप में स्पष्ट किया और अधिकार का उद्देश्य स्वार्थ सिद्धि न मानकर 'समाज सेवा' को माना। दूसरे शब्दों में कर्त्तव्यों के पालन से जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उनका प्रयोग स्वयं के लिए न करके समाज के कल्याण के लिए करने से ही औचित्य स्पष्ट होता है। महात्मा गाँधी की अधिकारों की व्यवस्था स्वावलम्बन एवं वैयक्तिक स्वायत्तता का आग्रह है। अधिकार वे नहीं हैं जो एक व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अन्यों को दिए जाते हैं, अपितु ये कर्त्तव्यों के पालन मूल्य हैं।

अतः कर्त्तव्यों को उन्होंने व्रतों के रूप में व्यक्ति के साथ अभिन्न कर दिया। ये व्रत एक अनुशासित व्यक्ति के निर्माण में सहायक होते हैं और एक अनुशासित व्यक्ति ही ईश्वरत्व अर्थात् न्यायत्व को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। आत्मानुशासन के लिए प्रार्थना की महत्ता को महात्मा गाँधी ने विषेश महत्व दिया।[12] महात्मा गाँधी के अनुसार व्यक्ति के लिए नैतिक स्व–अनुशासन आवश्यक है।

गाँधी दर्शन में कर्त्तव्यों की व्याख्या अन्ततः व्यक्ति के अधिकारों के रक्षण का आग्रह है। जीवन के अधिकार को न केवल पाश्चात्य चिन्तन में अपितु भारतीय चिन्तन में भी सर्वोपरि महत्व दिया है। इस अधिकार की रक्षा के साथ अन्य अधिकारों के संरक्षण का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। गाँधी द्वारा इन अधिकारों के रक्षण की एक ऐसी तकनीक का आविश्कार किया गया, जो समाज के हर क्षेत्र में, हर वर्ग द्वारा एवं हर स्तर पर प्रयुक्त किए जाने की अपरिमित संभावना से युक्त है। व्यक्ति कर्त्तव्य पालन द्वारा न केवल स्वयं के अधिकारों की अपितु अप्रत्यक्षतः अन्य के अधिकारों की रक्षा करता है। कर्त्तव्य निर्वहन व्यक्ति को न्याय के आग्रहों से आबद्ध करता है। अतः वैयक्तिक प्रयास अपने वृहत्तर अर्थ में समाज की समग्र व्यवस्था से सम्बद्ध है। महात्मा गाँधी के अनुसार अहिंसा, सत्याग्रह, रचनात्मक कार्यक्रम एवं सर्वधर्म भाव से कर्त्तव्यों की पूर्ति कर वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों ही स्तरों पर जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के अधिकारों का रक्षण किया जा सकता है। वस्तुतः कर्त्तव्यों एवं अधिकारों का पृथक्करण सम्भव नही है। जिस प्रकार एक कर्त्तव्य की पूर्ति से अन्य कर्त्तव्यों की पूर्ति सम्भव है, उसी प्रकार एक अधिकार की रक्षा अन्य अधिकारों के संरक्षण को भी सम्भव बनाती है।

महात्मा गाँधी के अनुसार कर्त्तव्य पालन चूँकि स्वधर्म है अतः उसकी पूर्ति प्राथमिक है। जिस प्रकार कर्त्तव्य निर्वहन से अन्य के अधिकार की रक्षा होती है ठीक उसी प्रकार अन्य द्वारा कर्त्तव्य निर्वहन करने पर हमारे अधिकार की रक्षा सहज संभव है। अतः अधिकार कर्त्तव्य निर्वाह का मूल्य है। मात्र अपने आप में अधिकार कोई सकारात्मक अर्थ एवं महत्ता का द्योतक नही है। महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता को आत्मबल एवं आत्मचेतना से प्रेरित कार्य निर्वाह की स्थिति माना।

स्वतंत्रता को महात्मा गाँधी ने निर्भय व्यक्तित्व एवं मूल्यों की अनिवार्य स्थिति माना। उनकी मान्यता थी कि भय केवल ईश्वर से होना चाहिए न कि व्यक्ति से अर्थात् मानवीय मूल्यों के संवर्द्धन और अन्याय के प्रतिकार हेतु मूल न्याय के रूप में धर्म और ईश्वर से ही प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। गाँधी ने लिखा है कि –'एक धर्मपरायण व्यक्ति के नाते उनके सम्मुख एकमात्र विकल्प यही है कि वे सत्य एवं अहिंसा के मूल्यों के अनुकूल कदम उठाएं एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय आरोपण का विरोध करें।[13] गाँधीवादी दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्रता एवं समानता के अन्तर्सम्बन्ध के समान ही अहिंसा एवं समानता का भी तार्किक सम्बन्ध है। अहिंसा अशोषण से सम्बन्धित है और अशोषण की स्थिति समानता के अभाव में संभव नहीं है अर्थात् समानता के अभाव में अहिंसा नहीं हो सकती एवं अहिंसा के अभाव में समता स्थापित नहीं हो सकती। इसी प्रकार सामाजिक एवं राजनीतिक समानता के अभाव में किसी प्रकार की स्वतंत्रता सम्भव नहीं है तथा सर्वव्यापी स्वतंत्रता के बिना सामाजिक एवं राजनीतिक समानता नहीं हो सकती।

अन्त में निष्कर्श रूप में यह कहा जा सकता है कि महात्मा गाँधी के सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन में अहिंसा, स्वतंत्रता और समानता पारस्परिक अन्तर्निर्भरता के आधार पर न्याय की स्थापना में सहायक होते हैं। आदर्श समाज की स्थापना का यही समग्र नैतिक आधार है। महात्मा गाँधी का सम्पूर्ण जीवन मानवाधिकारों के आग्रह से प्रेरित है, जिसकी झलक उनके सम्पूर्ण जीवन दर्शन में देखी जा सकती है।

lUnHk%

1. एन0के0 सिंधी का लेख – गाँधी–उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में, गाँधी नयी सदी के लिए– सम्पादक डॉ0 आशा कौशिक, पोईन्टर पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2000, पृ0 64–65
2. कौशिक, डॉ0 आशा. उपरोक्त, पृ0 99
3. यंग इण्डिया, दिनांक 12.03.1925
4. कौशिक डॉ0 आशा; गांधी नयी सदी के लिए, उपरोक्त, पृ0 100
5. नारायण, प्रकाश. 1968; सलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी, नव जीवन, अहमदाबाद, पृ0 42–43
6. जुडिश ब्राउन, ;स्वदेशी एण्ड नेशनलिज्म, यंग इण्डिया, 12.03.1925
7. नन्दा, बी0आर0 1989; महात्मा गांधी, ऑक्सफोर्ड इण्डिया पेपर बैक्स, दिल्ली,पृ0 233–34
8. हरिजन, 15 अप्रैल, 1939
9. हरिजन, 28 मार्च, 1936
10. पाठक, देवव्रत एन0; गांधीज विजन : ए सर्च फॉर लास्टिंग पीस एण्ड सिक्योरिटी, गांधीयन स्टडीज, वॉल्यूम 1, नं0 2, जनवरी–जून 1997, पृ0 94
11. ज्योति अरूण का लेख – मानवीय न्याय, अधिकार एवं कर्त्तव्य, गांधी नयी सदी के लिए– सम्पादक डॉ0 आशा कौशिक, उपरोक्त, पृ0 183–84
12. जॉनसन रिचर्ड एल0; 'गांधीयन सॉल पॉलिटिक्स', गांधीयन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान वॉल्यूम 2, नं01, जुलाई–दिसम्बर 1997, पृ0 5–6
13. वर्मा, डॉ0 वी0पी0 1998 ;आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, पृ0 359–60

***

Hkkjr jRu egkeuk ekyoh; th % vrhrnf"V ijd 0;fDRkRo

MkO vuh'k dqekj oek*

भारत सरकार ने 24 दिसम्बर, 2014 को जब मालवीय जी को भारत राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अंलकृत करने की घोषणा की तो सभी भारतवासियों का हृदय भी पुलकित हो उठा। इसी के साथ आज पुनः भारत के रत्न – महामना मालवीय जी वैश्वीक चिन्तन –मनन के केन्द्र में हैं। यद्यपि उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को विविध अवसरों व प्रसंगों पर उल्लेख किया जाता रहा हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में मालवीय जी के विविध पक्षों का उल्लेख द्वितीयक स्रोतों के आधार पर किया गया हैं। जो आज भी प्रत्येक मानव के लिए अंर्तदृष्टि प्रेरक समुच्चय हैं। महामना को समझने के वस्तुतः कई तरीके हो सकते है।

हमारे समझ में प्रथम दो तरीके निम्न है–

पहला, इतिहास के झरोखे से महामना के जीवन को देखना तो दूसरा, व्यक्ति या समुदाय या संस्था की यादों के झरोखों से महामना के जीवन को पहचानना। इतिहास के झरोखे से महामना मालवीय जी ने 25 दिसंबर, 1861 को त्रिवेणी संगम प्रयाग के पं0 ब्रजनाथ मालवीय एंव श्री मती मूना देवी के घर जन्म लिया।1 1878ई. में मिर्जापुर में कुंदन देवी से उनका विवाह हुआ।

1884ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.ए. करने के बाद महामना मालवीय जी इलाहाबाद जिला स्कूल में अध्यापक हुए। 1886 ई. में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसमें उन्होंने काँसिलों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर भाषण दिया। उनके इस भाषण ने कांग्रेस को स्वाधीनता आंदोलन की मुख्यधारा वाली पार्टी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। 1887 ई. में कालाकांकर नरेश रामपाल सिंह के आग्रह पर उन्होंने हिंदोस्थान पत्र का संपादन किया। इसी क्रम में उन्होंने बाद में साप्ताहिक अभ्युदय, दैनिक लीडर, मर्यादा पत्रिका एवं अंग्रेजी पत्र हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन व मार्गदर्शन किया। हिंदुस्तान रिव्यू एवं इंडियन पीपुल नामक दो समाचारपत्रों के प्रकाशन में भी उनका सहयोग रहा ।

dk'kh fgUnw fo'ofo|ky; dh LFkkiuk

इसी बीच उन्होंने 1891 ई. में वकालत की पढ़ाई आरंभ की। 1892 ई. में वकालत की परीक्षा पास कर जिला अदालत में वकालत शुरू की।1893 ई. प्रयाग हाईकोर्ट में वकालत करना आरंभ किया। 1898 ई. में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के लेटीनेंट गवर्नर को हिंदी के संदर्भ में ज्ञापन दिया। 1903 ई. में मालवीय जी के प्रयास से प्रयाग में हिंदू बोर्डिंग हाउस का निर्माण हुआ। 1904 ई. में काशी में हिदू विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई। 1905 ई. में कांग्रेस अधिवेशन बनारस में इस योजना की घोषणा हुई और सनातन धर्म महासभा के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया ।

1906 ई. में कुंभ के अवसर पर प्रयाग में मालवीय जी द्वारा काशी में हिंदू विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। 1907 ई. में उन्होंने हिन्दू धर्म की रूढियों को तोड़ने व उदार हिन्दू धर्म के प्रसार का बीड़ा उठाया । 1909 ई.,1918 ई.,1932 ई.एवं 1933 ई. में वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चार बार अध्यक्ष भी निर्वाचित किए गए। 1911 ई. हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी का गठन किया गया । 1915 ई. में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बिल पारित हुआ। 1916 ई.में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास

*सम्पादक, रिसर्च डिस्कोर्स (जर्नल), वाराणसी, उत्तर प्रदेश

समारोह किया गया। 1926 ई. में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उनका दीक्षांत भाषण हुआ। जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों को देश सेवा व राष्ट्रीयता का उपदेश दिया।

1931ई. में महात्मा गांधी के साथ उन्होंने लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भागीदारी की। 1932 ई. में वाराणसी में मालवीय जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय स्वदेशी संघ का गठन हुआ। इसी के साथ कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में उनको गिरतार किया गया। 12 नवंबर ,1946 ई. में उन्होंने ईश्वरस्मरण करते हुए अपनी देह का त्याग किया।

Ekgkiq#"kk d er e ekyoh; th

मालवीय जी के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था–''मैं तो मालवीय जी महाराज का पुजारी हूँ। यौवनकाल से आरंभ होकर आज तक उनकी देशभक्ति का प्रवाह अविच्छिन्न चला आया है। मैं उनको सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ । यद्यपि आचार में वे बड़े ही नियमित हैं, किंतु विचार में बड़े उदार हैं। वे किसी से द्वेष कर ही नही सकते,उनके विशाल हदय में शत्रु भी समा सकते है। वे सचमुच महामना हैं।'' महात्मा गांधी के इस कथन से आज सम्पुर्ण राष्ट्र सहमत है।

fo'odfo john ukFk Vxkj dk rk egkRek xk/kh }kjk

उच्चारित यह 'महामना' शब्द इतना अच्छा लगा कि उन्होंने तब से मालवीय जी को 'महामना' कहना शुरु कर दिया । बाद में तो यह 'महामना' शब्द उनके व्यक्तित्व का परिचय व उनके लिए अनिवार्य संबोधन बन गया । भारतभूमि की निष्ठावान भक्त एवं उच्चकोटिं की अध्यात्मवेता ऐनी बेसंट का उनके लिए कहना था– ''मै दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय जी ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं।''

पं0 श्री राम शर्मा आचार्य ने मालवीय जी के जीवन की एक घटना को याद करते हुए कहा था– ''उस युग के महान विद्वान सर सुंदरलाल, महामना द्वारा तैयार की गई बी0एच0यू0 की योजना का मजाक उडाते हुए कहते थे– ''अरे भाई। तुम्हारे खिलौने (विश्वविद्यालय का क्या हुआ।'' उत्तर में वे कहते थे– ''संकल्पनाएँ साकार होती है।'' और एक दिन उनके संकल्प से संकल्पनाएँ साकार हो गई। तब मालवीय जी ने सर सुंदरलाल को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया। पं0 श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था कि मालवीय जी कहते थे–''दान देने व दान लेने की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए '' इसीलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पहला दान महामना के पिता पं. ब्रजनाथ ने 101 रुपये दिया था।

इस क्रम में पं0 श्री राम शर्मा आचार्य ने मालवीय जी का एक संस्मरण सुनाया । लोगों ने जब महामना से पुछा तो उन्होंने कहा– ''काशी में अन्नपूर्णा के मंदिर से।'' उन्होंने अन्नपूर्णा मंदिर में देखा कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विश्वनाथ अन्नपूर्णा के पार्श्व में खड़े होकर भिक्षापात्र लिए उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। यह दृश्य देखकर महामना के मन में आया – ''जब अवढरदानी भोलेनाथ भिक्षा माँगने में शरम नही करते तो मैं क्यों करु?''

बस, फिर क्या था, मालवीय जी चल पड़े अपने विश्वविद्यालय के लिए भिक्षा माँगने। अपने भिक्षा मांगने के क्रम में जहाँ उन्होंने राजा – महाराजाओं से दान लिया ,वहीं उन्होंने ताँगेंवाले से भी भीख माँगनें से परहेज नही किया ।

पं0 श्री राम आचार्य शर्मा ने महामना मालवीय जी का एक संस्मरण सुनाते हुए कहा–''एक महिला मालवीय जी को उनके विश्वविद्यालय के लिए दान देने गई। उसके पास केवल आठ आने थे। कुछ लोगों ने उसका परिहास किया, लेकिन मालवीय जी ने उस वृद्व महिला से वह आठ आने लेकर अपने माथे से लगाते हुए कहा–यह अठन्नी बहुमूल्य हैं। इसी अठन्नी से विश्वविद्यालय बनेगा।

ekyoh; th dh f'k{kkuhfr

मालवीय जी ने राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बी. एच. यू .में देश के पहले इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान की स्थापना की।[3] इसी तरह उन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों को देश के लिए

कृषि अनुसंधान हेतु प्रेरित किया। शायद यह सत्य कम ही लोग जानते होंगे कि यहाँ के विद्यार्थियों ने ही स्वाधीनता मिलने के बाद देश की कृषि –नीति तैयार की थी।

आज महामना मदनमोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1300 एकड़ में फैला हुआ हैं।[4] महामना ने तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय के तरह हजारों छात्रों, अध्यापकों को एक परिसर में जुटा दिया। यहाँ प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा की सुचारु व्यवस्था है।[5] महामना मालवीय जी से पं0 श्री राम शर्मा आचार्य की अंतिम मुलाकात उनकी मृत्यु से लगभग दस–बारह दिन पहले हुए थी। उस समय पर वे अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। उनकी दृष्टि आकाश की ओर थी और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए श्रीमद्भागवत का यह श्लोक बोल रहे थे–

u Rog dke; jkT; u lk[; u iuHkeA
dke; n%[krIrkuk ikf.kukekfr uk'kueA

अर्थात न मुझे राज्य की कामना है और न स्वर्ग सुख की और न ही मोक्ष की मेरी चाहत है। प्रभु! बस इतनी कामना है कि मैं दुःख से पीड़ित प्राणियों की सेवा करके उनकी पीड़ा दूर कर सकूँ। पं0 श्री राम आचार्य शर्मा ने जब प्रणाम किया तो उन्होंने कहा–''मानव में ईश्वर को पहचान लेना, उसकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहना, यही समस्त ज्ञान का सार है।'' संक्षेप में, मालवीय जी के अंतिम शब्द ही उनके समग्र व्यक्तित्व का स्वरुप है।

lUnHk %

1. प्रज्ञाः (अंक 56, भाग 2, वर्ष 2010–11, 150वी. महामना मालवीय जयन्ती विशेषांक (अभिनव दृष्टि
2. शर्मा. पं0 श्री राम आचार्य; हमारी वसीयत और विरासत, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा, पृ.13
3. सिंह, डी.पी. और नाथ, पी.आर. 2007ः प्रतिची प्राची का मेल सुन्दर, सेविनियर –इण्डियन फार्मोकोलॉजी कांग्रेस, पृ. 1–4
4. अमर उजाला, दैनिक समाचार पत्र, जौनपुर. दिनांक –10 जनवरी 2010, पृ. 7.
5. www.bhu.ac.in

***

Hkkjr d uxjh tul[;k e of) d dkj.k ,o ifj.kke

MkO lo'k dekj flg*

नगरीकरण विकास प्रक्रिया का एक अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों के जनसंख्या का नगरी क्षेत्रों में परिवर्तन आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत है। पिछड़े हुए स्थिर समाज में नगरीकरण की प्रक्रिया वस्तुतः धीमी होती है। क्यों कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में नगर सक्षम नहीं होते। किन्तु फिर भी ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की तरफ पलायन रोजगार पाने के उद्देश्य से ही होती है। भारत में नगरीकरण जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नगरी जनसंख्या जो 1901 में 2 करोड़ 56 लाखा थी, वह 1951 में बढ़कर 6 करोड़ 24 लाख हो गयी। इस प्रकार 1901 से 1951 के बीच नगरीय जनसंख्या में 3 करोड़ 68 की वृद्धि हुई। जबकि 1951 से 1981 के बीच शहरी जनसंख्या में 9 करोड़ 71 लाख की वृद्धि हुई। इसी प्रकार 1981–1991 के बीच नगरीय जनसंख्या में 5 करोड़ 77 लाख की वृद्धि हुई। वर्ष 2001 में जब भारत की कुल जनसंख्या 102 करोड़ थी उस समय शहरी आबादी करीब 28 करोड़ थी। वहीं जब 2011 की जनगणना में भारत की आबादी 121 करोड़ पहुँची तो शहरों की आबादी बढ़कर 37 करोड़ के आँकड़ें को छू रही है। अनुमान है कि यह 2030 तक शहरी आबादी बढ़कर 56 करोड़ तक पहुंच जायेगी। इसी प्रकार वर्ष 2001 में जहाँ भारत में शहरों की कुल संख्या 5161 थी वहीं 2011 में बढ़कर 7936 हो गई। शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया को देखते हुए यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में इस संख्या में और बढ़ोत्तरी होगी। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के साथ ही हमें शहरी प्रबन्ध व्यवस्था की ओर तेजी से ध्यान देना होगा, क्योंकि हम आज भी शहरों का प्रबन्धान समुचित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का एक मात्र कारण यहीं है कि हम शहरी संरचना को अच्छा बनाने के लिए नही सोच रहें है। औद्योगीकरण और रोजगार के नए अवसरों ने शहरीकरण व शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति को बढाया है। इसके साथ ही कई तरह की समस्याएँ भी पैदा हुई हैं। शहरों में स्वच्छ पेयजल, आवास, चिकित्सा, परिवहन, महँगाई जैसी बढ़ती समस्याओं ने मानवीय गरिमा को भी हाशिये पर रख दिया है। भारत का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां 24 घंटे स्वच्छ पेयजल या बिजली की आपूर्ति होती हो। साथ ही शहरों में रहने वाले लोगों की आवासीय व्यवस्था इतनी दयनीय है जिसे किसी भी हालत में मानवीय गरिमा युक्त नहीं कहा जा सकता है।

शहरीकरण की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण करके विशाल और बड़े–बड़े माल तथा आवासीय काम्प्लेक्स बनाए जा रहें हैं। इसके लिए अधिगृहित जमीन में वैसी भी जमींन है जो कृषि कार्य के लिए है। विडंबना है कि एक तरफ लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और दूसरी ओर इस प्रकार के और शहरों को बेतहाशा विकसित किया जा रहा है। इससे उपजी समस्याएँ आने वाले दिनों में और भी जटिल होगी। सोचने की बात यह है कि बढ़ती आबादी और संसाधनों पर बढ़ते बोझ को ढ़ोने के लिए शहर कितने तैयार है।

शहरों में जनसंख्या के बढ़ने के प्रमुख कारण कौन से है? कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यों जाता है? क्या ऐसा करने में उसकी इच्छा होती है या कुछ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं, जिनसे विवश होकर पलायन ही व्यक्ति के लिए एक मात्र रास्ता रह जाता है वैसे देखा जाए तो शहरों में पलायन के बहुत से कारण है जिससे शहरों की जनसंख्या में वृद्धि तेजी से होती हो रही है। गॉवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानान्तरण। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में

* असि0प्रो0, अर्थशास्त्र, राजकीय बालिका महाविद्यालय, सेवापुरी वाराणसी, उ0प्र0।

स्थानान्तरण का कारण रोजगार का अभाव, कृषि भूमि पर अधिक दबाव, उत्पादन में गिरावट, निम्न रहन–सहन इत्यादि है। इसी तरह नगरों में रोजगार के अधिक अवसर मजदूरी की अधिक दरें, शहरों का चकाचौंध पूर्ण जीवन, शिक्षा के अधिक अवसर इत्यादि ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते है।

नगरों में जनसंख्या में वृद्धि का मौलिक कारण जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि है। इस वृद्धि का परिणाम यह होता है कि भूमि पर जनसंख्या का यह भार असाध्य प्रतीत होता है और जीवन यापन के लिए शहरों की तरफ पलायन एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। पहले गाँवों में कृषि के साथ ही साथ कुटीर उद्योग का आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व था। इन कुटीर उद्योगों की सहायता से गाँव के लोग समृद्ध आर्थिक जीवन व्यतित करते थे। कुटीर उद्योगों का पतन और जनसंख्या में होने वाली अत्यधिक वृद्धि के कारण भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में जा रहे है।

बहुत से ऐसे किसान जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं और जो खेती तो करते हैं किन्तु जिनके पास अपनी निजी जमीन नहीं होती है। गाँवों में भूमिहीन कृषकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अनेक व्यक्ति गरीबी और ऋणग्रस्तता के कारण अपनी जमीन बेच देते हैं। इन भूमिहीन कृषकों को जब गांव में कोई काम नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए मात्र यही रास्ता बचता है कि आसपास के शहरों में जाकर अपनी रोजी–रोटी कमाएं। इस प्रकार किसानों का भूमिहीन होना भी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में जाकर बसने का कारण होता है। भारत के गाँवों में रहने वाला प्रत्येक औसत ग्रामीण परिवार और व्यक्ति ऋणग्रस्तता का शिकार हैं। इसकी मौलिक विशेषता यह है कि इसका ऋण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होता रहता है। इन ऋणों को चुकाने के लिए अथवा इन ऋणों से मुक्ति पाने हेतु अर्थार्जन करने के लिए भी अनेक व्यक्ति ग्रामों से शहरों को चले जाते है।

वर्तमान समय में भारत के गांवों में रहने वाले परिवारों में तनाव की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इस कलह के कारण भी लोगों को शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। आज के युग में अर्थ का महत्व अधिक हो जाने से अनेक व्यक्ति जो ऋण ग्रस्त है और इससे मुक्ति पाना चाहते है। साथ ही, कुछ व्यक्ति कृषि की उन्नति या व्यवसायों की स्थापना के लिए भी पैसा कमाना चाहते है और इसके लिए उन्हें गांव छोड़कर शहरों को जाना पड़ता है। गांवों की अपेक्षा श्हरों में अनेक प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध होती है। इन सुविधाओं में शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, सुरक्षा आदि प्रमुख हैं। शहरों का लगाव या शहरी आकर्षण के कारण भी अनेक व्यक्ति गांवों से शहरों को चले जाते है। जबकि कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना है कि यदि वे शहरों में निवास करेंगे तो उनका भावी जीवन सम्पन्न और उन्नतिशील होगा। भविष्य के जीवन की यह आशा उन्हें शहरों की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। संयुक्त परिवार प्रथा के कारण व्यक्तियों में सामूहिक जीवन का विकास होता था। आधुनिक औद्योगिक परिस्थितियों और व्यक्तिवादी विचारधारा के कारण संयुक्त परिवारों का विघटन प्रारम्भ हो गया है। व्यक्ति परिवारों में रहता था, तो उसे आर्थिक तथा अन्य अनेक प्रकार की समस्यओं का सामना नहीं करना पड़ता था। इन परिवारों के विघटन के कारण व्यक्ति के ऊपर सामाजिक तथा आर्थिक भार आ जाता है और तब इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए गाँवो से शहरों की ओर जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कुटीर उद्योगों के समाप्ता हो जाने से अनेक व्यक्ति रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आकर्षित होते है। इस बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। शहरों को रोजगार की आशा मानकर ग्रामीण जनसंख्या शहरों में बसती जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में हो रहें पलायन के उपर्युक्त कारणों की विवेचना से ऐसा लगता है कि शहर का आकर्षण और शहरी जीवन की सुविधाएँ नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। बल्कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां है। इन आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों का सम्बन्ध ग्रामीण जीवन से है। इसलिए पलायन की प्रवृति गांवों से शहरों की ओर है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन एवं नगरीय जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के परिणामों का प्रश्न है तो इनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। यह व्यक्ति और समाज को एक संक्रमणकालीन परिस्थिति से गुजरने के लिए बाध्य करता है।

नगरों की ओर जाने वाली जनसंख्या की मौलिक समस्या रोजगार पाने की होती है। रोजगार न मिलने से उनके सामने भयंकर आर्थिक परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप चोरी, लूट एवं बहुत सी अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है। कभी–कभी इनको रोजगार तो मिल जाता है किन्तु उनकी प्रकृति के अनुकूल न होने के कारण वे अधिक दिनों तक नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम उनके आर्थिक पतन के रूप में होता है। वर्तमान जीवन शैली ने पारिवारिक संगठन को अधिक मात्रा में प्रभावित किया है। शहरों में स्थानाभाव के कारण सम्पूर्ण ग्रामीण परिवार को यहाँ रहना असम्भव हो जाता है। इसका परिणाम तलाक व पृथक्करण के रूप में होता है। कुछ भी हो पलायन कम या अधिक मात्रा में पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन देता है।

नगरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि का परिणाम यह होता है कि इससे व्यक्ति और समाज का नैतिक पतन होता है। शहरों में जाकर वे परिवार पड़ोस धर्म आदि के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं। परिवार से दूर रहते है, और अपनी यौन की मूलभूत इच्छा को दबाने में असमर्थ रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे वेश्यागमन का सहारा लेते है और उनका नैतिक पतन होता है।

गांवों से शहरों की ओर पलायन के परिणामस्वरूप श्रमिकों का स्वास्थ स्तर निम्न होता जाता है। जिसके कारण इस प्रकार है जैसे श्रमिकों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उन्हें भरपेट पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है और उनके काम करने की दशाएँ अत्यन्त ही अस्वास्थ्यकर होती है। इससे श्रमिको का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वे मानसिक रूप से चिन्तित रहने लगते हैं। इसके साथ ही वे अनेक प्रकार के बिमारियों के शिकार हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के काम करने की दशाएँ अत्यन्त ही अस्वस्थ्यकर होती है। इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। वे अनेक संक्रामक और गम्भीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि श्रमिकों की शारीरिक और मानसिक क्षमता का ह्रास होने लगता है। इससे बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी के बढ़ने का भय भी उत्पन्न हो जाता है। मजदूर जब भी कारखानों से छुट्टी लेकर गाँव जाते हैं, तो छुट्टी की समाप्ति पर अपने काम पर नहीं लौटते हैं और छुट्टीयों में वृद्धि करते रहते हैं। जब वे लम्बें अर्से तक काम पर नहीं लैटते हैं, तो उनके स्थान पर नई नियुक्तियाँ कर दी जाती हैं। इससे बेरोजगारी के बढ़ने का भय उत्पन्न हो जाता है।

उपरोक्त कारणों एवं परिणामों के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्या है। परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म और विकास हो रहा है। वैसे सही मायने में देखा जाय तो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधारने एवं वहाँ से हो रहे पलायन पर रोक लगाने के लिए समय–समय पर अनेक कार्यक्रम और योजनाए लागू की हैं परन्तु इन सबसे उतना लाभ नहीं मिला जितना अपेक्षित था। पलायन की अगर यही प्रवृति जारी रही तो एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पायेगा एवं दूसरी ओर शहरों की व्यवस्था बुरी तरह से खराब हो जायेगी। इस प्रकार शहरों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या का दूरगामी परिणाम क्या होगा इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है।

lUnHkZ %

1. भारत, 2015 : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार।
2. ओझा, एन0एन0 : क्रानिकल ईयर बुक, 2014, क्रा0प्र0, नोएडा, उ0प्र0
3. Bergel, E.E. : urban Sociology.
4. Economic and Political Weekly, Feb. 9-15, 2002, No.6
5. योजना, सितम्बर, 2014

***

Hkkjr ds jkT;ksa esa efgyk l'kDrhdj.k dh rqyukRed fLFkfr

Ekuksj dqekj voLFkh*

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, अतः इसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। विभिन्न अध्ययनों, सर्वेक्षण और नारीवादी हस्तक्षेपों के आधार पर महिला सशक्तिकरण को अलग–अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में शिक्षा, संसाधनों की सुलभता, महिलाओं की आत्म निर्भरता, उनका अधिकारों के लिये किया गया संघर्ष, शक्ति, स्वयं के लिये निर्णय लेने की स्वतंत्रता आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण का सम्बन्ध सामाजिक उपब्धियों, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा होता है। महिला सशक्तिकरण एक सतत् प्रक्रिया भी और इसकी कोई अंतिम सीमा भी नहीं है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के आंदोलन का विधिवत प्रारम्भ महिला आयोग के गठन के से माना जाता है। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया और तभी से महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया। भारत में महिला सशक्तिकरण के परिदृश्य को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है।

jkT;ksa esa efgyk l'kfDrdj.k & महिलाओं के सशक्तिकरण के लिहाज से भारत में प्रगति हुई है, परन्तु यह उपलब्धियाँ सभी राज्यों में एक समान नही है। पूर्व में किए गए दो अध्ययनों यथा–राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन0पी0सी0) की स्टेट जेंडर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 और केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट 2009 के आधार पर भारत के प्रमुख राज्यों की महिला सशक्तिकरण के मूलभूत कारकों की स्थिति का आकंलन किया गया है।

महिला सशक्तिकरण को मापने के लिए पाँच वर्ष की अध्ययन अविध को 3 कालखण्डों में विभाजित किया गया हैः कालखंड–1 1990–91 से 1994–95, कालखंड–2ः 1995–96 से 1999–2000 और कालखंड–3 2000–01 से 2006–07 तक।

राज्य महिला सशक्तिकरण सूचकांक (एस0डब्लू0आई0) की रचना छह अलग–अलग सशक्तिकरण कारक सूचकांको को मिलाकर की गई है। ये है– जनसंख्या सूचकांक, शिक्षा उपलब्धि सूचकांक, स्वास्थ्य स्थिति सूचकांक, घरेलू हिंसा सूचकांक, राजनीतिक सहभागिता सूचकांक। इस प्रकार उपर्युक्त रिपोर्ट में तीन कालखंडों में मिश्रित सूचकांकों के आधार पर राज्यों में महिला सशक्तिकरण का समग्र निष्पादन निम्न है– केरल और तमिलनाडु में महिला सशक्तिकरण के अधिकांश कारकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। केरल में जनसांख्यिकी, महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धियों और महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन किया है, परंतु 2001–07 के दौरान राज्य में घरेलू हिंसा की घटनाएँ बढ़ी है और पारिवारिक समस्याओं के कारण महिला आत्महत्या के दो प्रतिमानों में राज्य की स्थिति में सापेक्ष गिरावट आई है।

तमिलनाडु ने महिला सशक्तिकरण के सभी कारकों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता सबसे अच्छी (उच्चतम स्थान) रही है। जनसांख्यिकी सूचकांक, शैक्षिक उपलब्धि सूचकांक और महिला के स्वास्थ्य की स्थिति के तीनों सशक्तिकरण कारकों में तमिलनाडु का प्रदर्शन दूसरे स्थान पर है।

शैक्षिक उपलब्धि महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति तथा घरेलू हिंसा जैसे महिला सशक्तिकरण के सूचकांको के मामले मे कर्नाटक की स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है। लड़कियों द्वारा पढ़ाई अधूरी

*सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चुनार, मिर्जापुर, उ0प्र0

(पहली से 10 वीं) छोड़ने के मामले में कर्नाटक सातवें स्थान पर ही बना रहा है। आर्थिक भागीदारी में कर्नाटक की महिलाओं का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जबकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की स्थिति धीरे–धीरे कमतर हुई है।

महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि के सूचकांक मे महाराष्ट्र के अध्ययन के तीनों कालखण्डों में तीसवाँ स्थान प्राप्त किया। महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधायों की सुलभता के मामले मे राज्य की स्थिति मे 2001–07 के दौरान आंशिक सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता की स्थिति अन्य अधिकांश राज्यों से अच्छी रही है। परंतु घरेलू हिंसा मामले मे राज्य की स्थिति बहुत खराब रही है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में गुजरात का प्रदर्शन कुल मिलाकर लगभग एक जैसा ही रहा है। जनसांख्यिकी और महिला स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता के दो सूचकांकों में गुजरात चौथे स्थान पर रहा है। माध्यमिक शिक्षा में छात्राओं का समग्र भर्ती अनुपात और उच्च शिक्षा में छात्राओं का समग्र भर्ती अनुपात के दो प्रतिमानों में गुजरात की स्थिति केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र की तुलना में कमतर रही है। परंतु प्राथमिक शिक्षा में छात्राओं की समग्र भर्ती दर के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बढ़िया रहा है और पिछले कुछ वर्षो में सुधार हुआ है।

पंजाब और हरियाणा का प्रदर्शन 2001 –07 के दौरान अच्छा नहीं रहा है। इसका कारण रहा है जनसांख्यिकी, विशेषता, लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात के दो प्रतिमानों में राज्य का खराब प्रदर्शन। परन्तु महिलाओं का विवाह 18 वर्ष के बाद और विवाह पर औसत आयु के दो प्रतिमानों में पंजाब का प्रदर्शन अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर रहा है। पंजाब में घरेलू हिंसा की घटनाएँ, महिलाओं की आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

हरियाणा में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता में आंशिक वृद्वि हुई है, परंतु 2001–07 के दौरान राज्य में घरेलू हिंसा एवं दहेज मृत्यु की घटनाओं में भी अन्य राज्यों की तुलना में वृद्वि हुंई है। समग्र प्रजनन दर में राज्य का स्थान 11वाँ है। छात्राओं की पढ़ाई अधूरी छोड़ने के मामले में हरियाणा का प्रदर्शन अच्छा रहा है।

पश्चिम बंगाल का स्थान समग्र निष्पादन में आठवें क्रम पर बना रहा है। जनसांख्यिकी, महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति और राजनीतिक सहभागिता के सूचकांकों में राज्य का सापेक्ष प्रदर्शन अच्छा रहा है। परंतु महिलाओं की आर्थिक सहभागिता के सूचकांक का प्रदर्शन कमतर रहा है। चुनावों मे महिलाओं के मतदान का प्रतिशत समूची अध्ययन अवधि में सभी राज्यों मे अच्छा रहा है।

आंध्रप्रदेश में वर्ष 2000 तक महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि के सूचकांक का प्रदर्शन कमतर रहा है। परंतु बाद के वर्षो में इस क्षेत्र में सुधार दर्ज किया गया है। महिलाओं की राजनीतिक और आर्थिक सहभागिता के मामलों में राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कुल मिलाकर राज्य महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 2001–07 के दौरान देश के शीर्ष पांच राज्यों में था।

महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि के सूचकांक में मध्यप्रदेश के प्रदर्शन में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसका कारण है वर्ष 2001–07 के दौरान प्राथमिकी शिक्षा में छात्राओं के समग्र भर्ती अनुपात में भारी वृद्वि / माध्यमिक और उच्च शिक्षा में महिलाओं के समग्र भर्ती दर में भी राज्य के प्रदर्शन में निरंतर सुधार हो रहा है। परंतु महिलाओं की आर्थिक सहभागिता के क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शन में कमी आई है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं और महिलाओं के बैंक खाते के दो प्रतिमानों में राज्य का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

वर्ष 2001–07 के दौरान, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता तथा घरेलू हिंसा के तीन सशक्तिकरण सूचकांकों में ओडिसा की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर रही है। परंतु महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में पूरी अध्ययन अवधि में ओडिसा 10 वें स्थान पर बना रहा है। कुल मिलाकर समग्र सूचकांक में ओडिसा का सापेक्षिक प्रदर्शन अच्छा रहा है।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का प्रदर्शन महिला सशक्तिकरण के अधिकांश कारकों/प्रतिमानों में सापेक्षिक रूप से अच्छा नहीं रहा है। राजस्थान और बिहार में छात्राओं द्वारा पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर काफी ऊंची है। उत्तर प्रदेश और बिहार में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता की दर बहुत कम है। परंतु कुछ प्रतिमानों में इन राज्यों ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है। छात्राओं की पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर के मामले में उत्तर प्रदेश में निरंतर सुधार परिलक्षित हुआ है।

उपर्युक्त अध्ययनों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में केरल ने पहला स्थान बनाये रखा है। तमिलनाडु ने दूसरा, कर्नाटक ने तीसरा, आंध्रप्रदेश ने चौथा, महाराष्ट्र ने पाँचवा, गुजरात ने सातवाँ, एवं पं0 बंगाल आठवाँ स्थान पर रहा है। ओडिसा, मध्यप्रदेश और राजस्थान मे पूर्व के वर्षो की तुलना में आंशिक सुधार किया है। असम, पंजाब एवं हरियाणा की सापेक्षिक स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे निम्न स्थान वाले राज्यों के क्रम मे कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।

lUnHk %

1. त्रिपाठी, उमा और मिश्रा, ऊषा. 2009; पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. वूमन इन इण्डिया, ए स्टेस्टिस्टीकल्स प्रोफाइल; डिपार्टमेण्ट ऑफ वूमन चाइल्ड डेवलपमेण्ट, नई दिल्ली।
3. भारत 2015; प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

***

ek/;fed Lrj ij 'kkldh; rFkk v'kkldh; fo|ky;ksa ds fo|kfFk;ksa dh 'kSf{kd lek;kstu {kerk dk mudh 'kSf{kd miyfC/k ij iMus okys iHkko dk rqyukRed v/;;u

jkek'kdj*

मानव सभ्यता और संस्कृति की विकास यात्रा तथा वर्तमान स्वरूप मानव के बौद्धिक विकास का परिणाम है। शिक्षा निरन्तर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य के समुन्नत विकास के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा पर निर्भर है। माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा की रीढ़ माना जाता है। आजादी के समय भारत को विरासत में मिली ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ आकार में ही छोटी नही थी, बल्कि जिसमें ढाँचागत असन्तुलन भी था।

leL;k dFku (Statement of the Problem)

''माध्यमिक स्तर पर शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक समायोजन क्षमता का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन''

'kks/k v/;;u ds mn~ns'; (Objectives of Study) :

प्रस्तुत शोध अध्ययन निम्नलिखित उद्‌देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित है।

1. माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर पर शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

'kks/k v/;;u dh ifjdYiuk,a (Hypothesis of Research)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सांख्यिकी परिकल्पना के रूप में शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis) का चयन शोधकर्ता ने किया है, प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएं चुनी गई हैं जिनकी पुष्टि की जानी है।

1. शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

U;k;n'kZ p;u (Sampling)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायदर्शन ";जतंजपपिमक त्ंदकवउ" उचसपदहद्ध का प्रयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वाराणसी जनपद के विद्यालयों में 10 शासकीय एवम् 10 अशासकीय विद्यालयों को लिया है, जिनमें प्रत्येक से 5 शहरी एवं 5 ग्रामीण विद्यालयों का चयन किया गया है और इनमें अध्ययनरत कक्षा 9 एवं 11 के छात्रों में से प्रत्येक विद्यालय की इन कक्षाओं से 30–30 छात्रों का चयन करते हुए अनुंसधान कार्य हेतु 600 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

*शोध छात्र, ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा, म0प्र0

क्र.सं.	विद्यालय का स्वरूप	विद्यालयों की संख्या	कक्षा–9 के विद्यार्थी	कक्षा 11 के विद्यार्थी	योग
1	शहरी शासकीय विद्यालय	05	75	75	150
2	शहरी अशासकीय विद्यालय	05	75	75	150
3	ग्रामीण शासकीय विद्यालय	05	75	75	150
4	ग्रामीण अशासकीय विद्यालय	05	75	75	150
	योग	20	300	300	600

'kks/k midj.k **(Tools of Research)**

शोधकर्ता ने अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, तथा व्यापकता को ध्यान में रखकर प्रदत्तों के संकलन हेतु निम्न उपकरण का प्रयोग किया है।

1. समायोजन मापन के लिए– प्रो. आर.पी. सिंह एण्ड ए.के.पी. सिन्हा द्वारा निर्मित समायोजन मापनी।
2. शैक्षिक उपलब्धि के लिए छात्रों का वार्षिक प्राप्तांक ही शैक्षिक उपलब्धि के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

inRrks dk ldyu **(Collection of Research Data)**

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्यों, न्यादर्श, एवं उपकरणों की प्रकृति को देखते हुए प्रदत्तों के संकलन हेतु सर्वप्रथम एक कार्य योजना तैयार करना आवश्यक प्रतीत हुआ, जिससे कार्य व्यवस्थित ढंग से पूर्ण हो सके। योजनानुसार ही चयनित प्रत्येक विद्यालय में शोधकर्ता स्वयं जाकर प्रधानाध्यापक से अनुमति लेकर प्रत्येक स्तर पर परीक्षण प्रशासित किये। परीक्षण प्रशासन के उपरान्त प्रत्येक उपकरणों के प्राप्ताकों का सम्पादन, सारणीयन करने के पश्चात उपयुक्त सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके शोध परिणाम प्राप्त किये गये।

inRrks dk fo'y"k.k **(Analysis of Data)**

प्रदत्तों की उपादेयता उनके समीचिन विश्लेषण में निहित है विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य प्रदत्तों से नवीन तथ्यों को प्राप्त करना है, प्रदत्त विश्लेषण की इस प्रक्रिया में सांख्यिकीय प्राविधियों का विशेष महत्व होता है। सांख्यिकीय गणनाएँ शोध अध्ययन का आधार होती हैं, प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्तों के सांख्यिकीय विश्लेषण के अन्तरगत ''प्रतिशत के रूप में आकृति वितरण गणना'' मध्यमान एवं मानक विचलन तथा मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता टी (t-test) परीक्षण द्वारा ज्ञात किया गया है। सांख्यिकीय विश्लेषण एवं इससे प्राप्त परिणामों की व्याख्या उद्देश्यनुसार किया गया है।

mís';&1- माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना

चयनित दोनों प्रकार के विद्यालयों के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन करने के लिए, शोधकर्ता ने श्री ए.के.पी.सिन्हा तथा आर.पी.सिंह के द्वारा निर्मित समायोजन सूची प्रपत्र का प्रयोग वाराणसी जनपद के चयनित शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया है। जानकारी से प्राप्त आँकड़ों को वर्गीकरण करके आवृत्ति वितरण तालिका का निर्माण किया गया और प्रतिशत ज्ञात किया गया है। इसका विस्तृत बिन्दुवार विवरण नीचे दिया जा रहा है।

शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र अधिकान्शतः मध्यम या निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि से होते है जिनकी तुलना में अशासकीय विद्यालय के छात्र प्रायः उच्च आर्थिक स्तर वाले घरों से सम्बन्धित हाते है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया गया।

सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर अवलोकन करने में शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में आंशिक अन्तर पाया गया शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी प्रायः निम्न या मध्यम वर्ग से होते है क्योंकि शासकीय शिक्षा में शुल्क मुक्त या बहुत कम शुल्क लिया जाता है। उसके सापेक्ष अशासकीय विद्यालयों में शुल्क के रूप में मोटी रकम ली जाती है। जिससे उसमें केवल सामाजिक रूप से आर्थिक स्थिति जिन परिवारों की अच्छी होती है। उन्हीं के बच्चे आ पाते हैं। अतः सामाजिक समायोजन अशासकीय विद्यालय के छात्रों का उच्च होता है।

चयनित दोनों प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर के छात्रों की समायोजन क्षमता का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता ने दोनों प्रकार के अशासकीय एवम् शासकीय विद्यालयों के न्यादर्श में चयनित छात्रों का सिंह एवं सिन्हा द्वारा निर्मित समायोजन मापनी से आँकड़े एकत्रित किए गए प्राप्त आँकड़ो को वर्गीकृत एवं सारणीबद्ध करने के पश्चात मध्यमान और मानक विचलन ज्ञात करके प्राप्तांकों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता टी–टेस्ट द्वारा ज्ञात की गयी इसे सांख्यिकीय आँकड़ो के आधार पर इस तरह दर्शाया जा सकता है।

माध्यमिक विद्यालय	छात्रों की संख्या	मध्यमान m	मानक विचलन SD	मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि	टी अनुपात	सार्थकता स्तर
शासकीय	300	16.6	3.59	.53	27.50	0.01स्तर पर सार्थक
अशाकीय	300	31.2	1.06			

सारणी मान (df) 98 त्र 0.01 स्तर पर 2.63

तालिका से स्पष्ट है कि शैक्षणिक दृष्टि से अध्ययन करने पर दोनों प्रकार के विद्यालयों में व्यापक अन्तर दृष्टिगोचर होता है। जहाँ शासकीय विद्यालयों में बहुत कम शुल्क, अध्यापकों को पर्याप्त वेतन, व्यवसाय सन्तुष्टि एवं अन्य सुविधाएं दी जाती है। वहाँ का शैक्षणिक वातावरण अपेक्षा से बहुत नीचे पाया गया। छात्र कक्षाओं से भाग जाते हैं, अध्यापक नियमित रूप से कक्षाओं में नही जाते, परीक्षा परिणाम खराब आता हैं इसके विपरीत कम वेतन, कम संसाधनों, किन्तु नौकरी जाने के भय के कारण अशासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियाँ ज्यादा सुचारू रूप से संचालित होती है छात्र उपस्थिति अधिक होती है। अध्यापक पूरे सत्र पूरे मनोयोग से पढ़ाते हैं एवम् छात्र अधिकतम क्षमता के साथ परीक्षा की तैयारी करते है जिससे परीक्षा परिणाम बेहतर होता है।

संवेगात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर शासकीय एवम् अशासकीय दोनों प्रकार विद्यालयों के विद्यार्थियों में आंशिक अन्तर दृष्टिगोचर होता है। अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थी घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण एवम् विद्यालय में उचित शैक्षणिक वातावरण के कारण अधिक समायोजित दिखे। वही शासकीय विद्यालयों में छात्र अधिक स्वच्छंद एवं विद्यालय के अध्यापकों द्वारा उपेक्षा तथा विषय सामाग्री का कम ज्ञान होने के कारण अपने लक्ष्य के प्रति एवम् परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए संवेगात्मक रूप से अधिक असमायोजित दिखे।

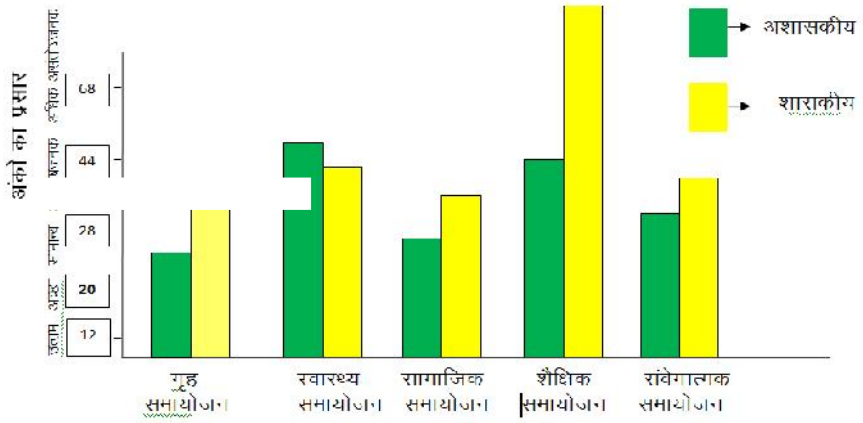

nkuks idkj ds fo|ky;ksa esa lek;kstu dk ¼ifr'kr esa½ vkjs[k fp=

2- ek/;fed Lrj ij 'kkldh; rFkk v'kkldh; fo|ky;ksa ds fo|kfFk;ksa dh 'kSf{kd miyfC/k dk rqyukRed v/;;u&

चयनित विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता ने शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्रों की पूर्व वर्ष की शैक्षिक उपलब्धि प्रपत्र को आधार बनाकर दोनों प्रकार के विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन हेतु जानकारी प्राप्त की। प्रपत्र से प्राप्त आँकड़ों को वर्गीकरण एवं सारणीबद्ध करके आपेक्षित परिणाम ज्ञात किए गए है।

माध्यमिक विद्यालय	छात्रों की संख्या	मध्यमान (M)	मानक S.D विचलन	मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि σD	टी अनुपात	सार्थकत स्तर
शासकीय	300	61.26	8.03	1.31	30.27	0.01 स्तर पर सार्थक
अशासकीय	300	90.02	4.58			

सारणी मान (dF) (98) 0.01 स्तर पर = 2.63

तालिका से स्पष्ट है कि शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रदर्शित करता आरेख चित्र (प्रतिशत में)

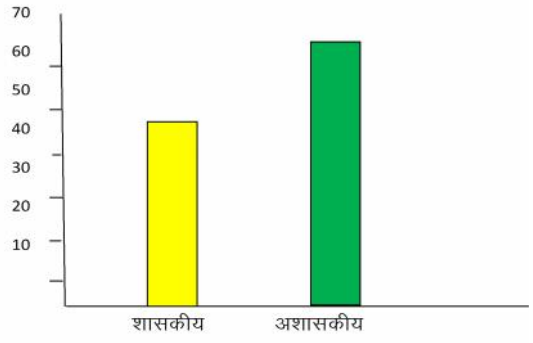

उपरोक्त सांख्यिकीय गणनाओं एवं स्तम्भाकृति के अवलोकन के पश्चात यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है कि शासकीय विद्यालय जहां पर सरकार द्वारा वेतन एवम् अन्य सुविधा प्राप्त अध्यापक होते हैं तथा छात्रों से बहुत कम शुल्क लिया जाता है कि शैक्षणिक उपलब्धि अशासकीय विद्यालयों जहाँ पर अल्पवेतन एवं बिना किसी अन्य सुविधा के प्राप्त शिक्षक प्रबन्ध तंत्र के कठोर निर्देशन में कार्य करते हैं तथा छात्र भी पढ़ने हेतु अधिक धन खर्च करते हैं। से बहुत कम है। अशासकीय विद्यालय के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि शासकीय विद्यालयों की तुलना में बहुत अधिक है। जो इस तथ्य को सिद्ध करता है। कि शैक्षणिक उपलब्धि हेतु केवल उच्च वेतन एवं बहुत ही सुविधाओं को प्राप्त अध्यापाक एवम् निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था मुख्य कारण नहीं है। बल्कि एक व्यवस्थित एवम् उत्तरदायित्व पूर्ण विद्यालय वातावरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कि अशासकीय विद्यालयों में देखने को मिला जिसका परिणाम स्वतः सिद्ध है।

lUnHkZ %

1. कुलश्रेष्ठ, के 1995; ''विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के कृत्य संतोष का तुलनात्मक अध्ययन'', आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।
2. कोरी.एस.एम. (1962); ''रिसर्च इन एजूकेशन'', नेशलन काउन्सिल आफ एजूकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिग, न्यू देलही।
3. कौल लोकेश (1989); ''शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली'', विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली।
4. गजराज, सुरेन 1996; ''द इम्पैक्ट ऑफ प्राइमरी एजूकेशन आन लिटरेसी'', शिक्षा का सांख्यिकी संभाग, सांख्यिकी विभाग, ए.टी.ई. 8 यूनेस्को पेरिस।
5. गुप्ता एस.पी. (1991); ''शिक्षा का तानाबाना'', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
6. Agrawal, S.S., "The Study of Attitures of training college teachers of Agra university, towards their profession" CiE publications, no. 58,CiE, Delhi 1966.

***

foØekoZ'kh;e vkj moZ'kh ,d rqyukRed v/;;u

MkO vk'kqrk"k dqekj ik.Ms;*

उर्वशी और विक्रमोर्वशीयम की कथा वस्तु का आधार लगभग एक समान ही है। दोनों कवियों (कालिदास और दिनकर) ने ऐतिहासिक पौराणिक कथा का आधार तो लिया है किन्तु इसमें अपनी कल्पना का भी भरपूर सम्मिश्रण किया है, जिससे दोनों काव्य अत्यधिक सुखद एवं मनोहारी बन पड़े हैं, दोनों रचनाकारों के अनुसार पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, दोनों रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का भी अद्भूत समावेश हुआ है। भारतीय साहित्य में पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा अति प्राचिन काल से मिलती है। विशेषकर ऋग्वेद में दोनों ही प्रेम कथा संवादात्मक शैली में मिलती है। दिनकर ने यही से कथा का आधार ग्रहण किया। दिनकर ने उर्वशी और पुरूरवा शब्द का अर्थ एवं उसकी व्याख्या का स्पष्ट उल्लेख, उर्वशी की भूमिका में किया है– उर्वशी का कोशगत अर्थ होगा उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना इच्छा अथवा कामना और पुरूरवा शब्द का अर्थ है, वह व्यक्ति जो नानाप्रकार से रव करे नाना ध्वनियों से आक्रान्त हो। उर्वशी चक्षु रसना, घ्राणत्वक तथा स्रोत की कामनाओं का प्रतीक है। पुरूरवा रूप गंध, स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित मनुष्य पुरूरवा द्वन्द्वमय है क्योंकि द्वन्द्वमय होना पुरूष का स्वभाव है। मनुष्य सुख की कामना भी करता है और उससे आगे निकलने का प्रयास भी करता है।

देश और काल की सीमा से बाहर इस कथा का विभाजक बिन्दु अन्यत्र नहीं है। परिश्रम पाश में बंधे प्रेमी परस्पर एक दूसरे का अतिक्रमण करके किसी ऐसे लोक में पहुँचना चाहते हैं, जो नितान्त वायवी है। मनुष्य का यह अनुमान अत्यन्त प्राचीन है। काम सुख की निराकर संस्कृतियों का आख्यान प्रेम का उदात्तीकरण रूप है। प्रेम की यह उदात्तीकृत स्थिति से मिलती जुलती है। पुरूष द्वन्द्व से अलग हो नहीं सकता और स्त्री द्वन्द्व में जी नहीं सकती, मनुष्य के इस द्वन्द्व का साकार से ऊपर उठकर निराकार तक जाने की इस आकुलता का अथवा ऐन्द्रियता से निकल कर अतीन्द्रिय जगत में आँख खोलने की इस उमंग का प्रतीत पुरूरवा है, किन्तु उर्वशी द्वन्द्वों से सर्वथा मुक्त है। द्वन्द्वों की कुछ थोड़ी अनुभूति उसे तब होती है जब वह माँ बन जाती है। जब मिट्टी का रस उसे अभिशिक्त कर लेता है। पुरूरवा और उर्वशी का आख्यान भावना प्रेम और आनंद का आख्यान है। मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन का आधार उसका भावनात्मक पक्ष ही होता है। भावना का सीधा संबंध सौन्दर्य से होता है। उर्वशी एक अतीव सुन्दरी है। जिसके कारण पुरूरवा का उसके प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है–

**fo/kUe ;k irUrh nfo/kkUnLrh ;s mi;k dkE;kfuA
tfu"Vk v/kk ue% lqtkr% ikoZ'kh fojr nh?k;k;A

पुरूरवा काम भावना से प्रेरित होकर अपना पुरूषार्थ खो देता है और सत् असत् को पहचानने की उसकी शक्ति भी चली जाती है। काम की धरातल पर मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता। मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाले बुद्धि और आत्मा के दो धरातल वाद में उत्पन्न होते हैं। इसी आधार पर धर्म का जन्म आत्मा की धरातल पर होता है और बुद्धि इन दोनों धरातलों की सेविका बन जाती है। काम भावना की यह व्याप्ति बहुत दूर तक संचरित होती रहती है। जब उर्वशी पुरूरवा को प्रेम भरी नजरों से देखती है, तब पुरूरवा का स्वरूप बदलने लगता है और जब पुरूरवा उर्वशी को प्यार भरी नजरों से देख लेता है, तब उसके अन्दर भी बदलाव होने लगता है। पुरूरवा उर्वशी का प्रेम केवल दैहिक ही नहीं अपितु वह आत्मिक धरातल पर पहुँचता है। रस के भौतिक आधार से उठ कर रहस्य और आत्मा

*प्रवक्ता (हिन्दी), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, वाराणसी

के अंतरिक्ष में विचरण करता है। पुरूरवा के भीतर देवत्व की चाह है, इसलिए भूलोक के नानासुखों में भी वह व्याकुल है। उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है वह सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है।

i|:jok dh onuk lex| ekuo tkfr dh fpjUru onuk gSA

पुरूरवा उर्वशी की कथा अत्यन्त रोमानी है। इस कथा की अन्तः प्रकृति प्रेम एवं काम भावना से भरी हुई है। प्रणया अवस्था में भाव निमग्नता अति अनिवार्य तत्व है। जिसे कालीदास और दिनकर दोनों ने अपने काव्यों में रेखांकित किया है। मानव मन आत्मकेन्द्रित होकर निजी संरचना को एक आकार दिया करता है। उसी प्रकार परिधि में एन्द्रिक सम्वेदना और जीवन जगत की विसंगतियों का समंजन काम के उदात्तीकरण में भी कवि कलाकार अनुशीलता करता है। उर्वशी काव्य में काम का उदात्तीकरण उसके कथ्य को ऐन्द्रिय चेतना है। उसकी काव्यानुभाव में परिभाषित करने के लिए रोमानी भाव बोध को ग्रहण कर लिया गया है। जहाँ तक प्रश्न इस बात का है कि रोमानी भाव बोध आज के लिए युद्ध समय निद्रा की कोई प्रासंगिकता नहीं होती एक स्थिति एक प्रकृति विशेष में ही कहाँ तक प्रासंगिक है तो हम मात्र इतना प्रत्येक वस्तु तथ्य और प्रस्तुति प्रासंगिक हुआ करती है। किसी भी भावबोध की रचना के लिए सदैव अप्रासंगिक मानना उतना ही अनर्गल है जितना सभी स्थितियों में समसामयिकता को रचना की उत्कृष्टता का मानक स्वीकार करना। इस प्रकार रोमानी भाव बोध की प्रासंगिकता का निर्णय भी कथा की केन्द्रिय चेतना ही करेगी और इस दृष्टि से उर्वशी की अन्तश्चेतना कथ्य की प्रकृति और दिशा के लिए सर्वथा अनुकूल है।

उर्वशी काव्य में पुरूरवा काव्य का नायक। दिनकर और कालिदास दोनों ने ही इसे इसकी प्रकृति को अपने–अपने विचार दृष्टि से निर्मित किया है। कालिदास का पुरूरवा स्वप्नदर्शी आत्मचेतना पुरूष है। कालिदास की निम्न काव्य पंक्तियां द्रष्टव्य है–

vB|'k;| {k=ifjx|g{kek
;nkFk';LefHkfeykf"k e| eu%A
lrk| fg l|Ungin|'k| oLr| 'k|
i|ek.keUr% dj.ki|oÿk;%AA

दिनकर जी ने अपने काव्य उर्वशी में जिस पुरूष का सृजन किया है। वह द्वन्द्व से पूर्ण है। दिनकर ने काव्य की भूमिका में हि लिखा है कि पुरूष में द्वन्द्व होता है और द्वन्द्व में रहना पुरूष का स्वभाव है। इस प्रकार द्वन्द्वात्मक स्वभाव का पुरूष पुरूरवा अपना एक अप्रतीम व्यक्तित्व लेकर काव्य में प्रस्तुत होता है। वैदिक मिथको को आधार बनाकर उर्वशी का आख्यान तैयार करने वाले दिनकर ने अपने इस नवनिर्मिति में कहीं न कहीं कालिदास जी के विक्रमोर्वशीयम को भी आधार बनाया है। इसमें पुरूरवा सनातन नर और उर्वशी सनातन नारी की प्रतीक है। नर और नारी का प्रेम शरीर के धरातल का स्पर्श करता है। यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। प्रेम में भूत से उपर उठकर भूतोत्तर होने की शक्ति विद्यमान रहती है। रूप के भीतर डूब कर अरूप का संधान करना ही प्रेम की आध्यात्मिकता है। जीवन में निरूद्देश्य सुख, प्रेम सुख, सुक्ष्म सुख इत्यादि जीतने भी सोते हैं, वह कहीं न कहीं काम रूपी पर्वत से ही फूटते हैं। उर्वशी मे मिथकीय घटनाए मिथकीय परिवेशों के साथ आई है। और उर्वशी का रचनाकार इस परिवेश का पूरी जीवन्तता के साथ चित्रण करता है। हमारी मिथकीय धारणाओं के अनुसार अप्सराएँ देवताओं के प्रमोद की साधन होती है वह किसी एक के प्रति समर्पण नहीं करती–

**viuk g| vkokl u tku| fdru| dh pkg| e|
d|l| ge c/k jg| fdlh Hkh uj dh nk| ckg| e|A

चित्रलेखा उर्वशी को पुरूरवा तक पहुचाती है। पुरूरवा हमारी मिथकीय धारणाओं का राजा है। जिसकी एकाधिक रानिया है। उसके प्रेम में न तो अनन्यता है न तो किसी एक विशेष के प्रति समर्पण उर्वशी इसे जानते हुए भी अन्यथा नहीं मानती। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम् नाटक में रानी राजा की पूजा

करने के बाद यहाँ तक कहती है कि आज से जिस स्त्री को आर्य पुत्र चाहेंगे और जो भी स्त्री आर्य पुत्र की पत्नी बनना चाहेगी उसके साथ मैं प्रेम से रहा करूँगी–

v| iHkfr;k fL=;ek;=% iki;r% ;k p vk;i=L;
lekxe i.kf;xh rik jkg e;k ihfro/ku ofrrR;e bfrAA

कालिदास ने उर्वशी के सौन्दर्य का अतिसुक्ष्म वर्णन किया है। सुध की समाधि का जो उत्कृष्ट निरूपण द्वितीय सर्ग से प्रारम्भ हुआ है, उसी की वैचारिक भूमि का तृतीय सर्ग में प्रदान की गयी है। दिनकर ने भी इसी काम विषयक मनोविज्ञान का वर्णन किया है। वासना का उद्भव नारी की अपेक्षा पुरूष में पहले होता है और उसका वेग भी नारी की अपेक्षा पुरूष में जल्दी ही अपने चरम तक पहुँच जाता है। और जब तक नारी के भीतर काम का वेग बढ़ता है, तब तक पुरूष का काम भाव धीरे–धीरे शान्त पड़ने लगता है अर्थात नारी के भीतर उद्वेग के जागरण के पूर्व ही पुरूष शांत हो जाता है।

fdUr gk; ;g m}yu Hkh fdruk ek;ke; gA
mBrk /k/kd lgt ftl vrjrk l i:"k ân; g
ml vkrjrk l u Tokj vkrk ukjh d eu eA
x x x x x x x x
fdUr cU/k dk rkm Tokj ukjh e tc txrk gA
rc rd uj dk ie f'kfFky ilfer gku yxrk gAA

पुरूष उसी स्त्री के वश में रह सकता है जो उसे अतृप्त रखे। जो गृहणी अपने पति के प्रति समर्पित हो गयी वह उस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकेगी।

'*fi;re dk j[k ld fu;fUtr tk vrfIr d jl e
i:"k cM l[k l jgrk g ml ienk d o'k e**
x x x x x x x x
xg.kh tkrh gkj n[k lEi.k lei.k djd
t;uh jgrh cuh mlljk yyd i:"k e Hkjdj A

दिनकर ने अपनी रचना में स्पष्ट बताया है कि काम ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं अपितु साधक है। उर्वशी के प्रेम में डूबे पुरूरवा ने अपनी पत्नी को भेजे हुए संदेश में कहा है कि वह धर्म–साधना में त्रुटि न करें। वह ईश्वर की अराधना में लीन है। पुरूरवा एक ओर मादक सौंदर्य के ताप में तप कर काम के अध्यात्मिक की विवेचना करता है तो दूसरी ओर अन्यान्य बहुनायिका नदी जीवन वृत्तों में क्रीड़ा चाहता है–

,d ?kkj ij fdl jktk dk jgrk c/kk i.k; gA
u;k ck/k JhHkUr ie dk djr gh jgr gA

इस भाव भूमि को आन्दोलित करने वाला सत्य सब दिशाओं में सब जगह व्याप्त है। दिनकर संघर्ष करना पुरूष का स्वभाव बताते है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुरूष जल के समान सूर्य की किरणों पर चढ़ कर आकाश तक पहुँचता है, और बादलों के साथ पृथ्वी पर लौट आता है। सूर्य किरणे उसे एक बार पुनः आकाश की ओर ले जाती हैं।

मनुष्य पत्थर के दो छोरों के बीच झटके खाता है और झटका खा कर कभी इस ओर और कभी उस ओर मुड़ जाता है। सन्यास प्रेम को नहीं बर्दाश्त कर सकता है, और न प्रेम सन्यास को। एक ओर देवत्य की ऊँची–ऊँची कल्पनाऐं हैं दूसरी ओर उफनते हुए रक्त की अप्रतिहत पुकार। इस प्रकार दुविधाग्रसित मनुष्य जीवन के पग–पग पर ठोकरे खाने के लिए विवश है। कालिदास ने भी अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम मे उर्वशी के सौन्दर्य का निरुपण इसी द्वन्द्व भावना से प्रभावित होकर किया है–

vL;k LoxfoVuk itkifrj HkPPUnk u% dkUrhin%
J³xjdjl% Lo; u enuk eklku i"ikdj%

onk";kl tM% dFki u fo"k;k.;koŸkdkrqgykA
fuHkkrq iHkoi&eukgjfenq L;q iqjk.kq efu%A

उर्वशी और विक्रमोर्वशीयम इन दोनों रचनाओं के रचनाकारों ने परंपरागत प्रसंगों को बदलकर और उसे वर्तमान के साथ जोड़ कर उसे तत्कालीन परिस्थितियों में जीना चाहा है। दिनकर का उद्देश्य मात्र इस पंरपरागत कथा को काव्य बद्ध करना नहीं था अपितु उनका लक्ष्य इस परंपरागत कथा के माध्यम से स्त्री पुरुष के शाश्वत प्रेम को उच्चता के शिखर पर रखकर वर्णित करना था। यही कारण हैं कि उन्होंने उन सब नूतन प्रसंगों की उद्भावना की है। जो मुख्यतः स्त्री पुरुष के पारस्परिक अवर्षण और उनकी मनः स्थितियों को दिखाने में अधिक सहायक रहे है। यही कथा–संघटना के संयोजन तत्व है। जहाँ तक विभाजक बिन्दु की बात है, वहाँ दिनकर ने कालिदास द्वारा वर्णित अदृश्य बना लेने की क्षमता को अपने काव्य में नही दर्शाया है। यह उचित भी है क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में इस प्रकार के वर्णन काव्य को हास्यास्पद बना देते है। दूसरा उदाहरण कालिदास द्वारा उर्वशी को भरत से मिलने वाले शाप के संबंध में है दिनकर ने इसके विपरीत शान्त का उल्लेख उर्वशी के मुख से करा दिया है। ऐसा करने से श्राप के विषय में हमें विस्तृत ज्ञान नहीं हो पाया है जो विक्रमोर्वशीयम में है।

lUnHkZ %

1. उर्वशी, पृ0 सं0
2. ऋग्वेद, म0 10
3. उर्वशी, भूमिका, से
4. ऋगवेद, मं0 12
5. वन पर्व, अं0 46, श्लोक 9–15
6. विक्रमोर्वषीयम, पृ0 17
7. उर्वशी, पृ0 10
8. विक्रमोर्वशीयम, पृ0 205
9. उर्वशी, पृ0 24
10. वही, पृ0 25
11. विक्रमोर्वषीयम, पृ0 79

***

Okfnd ok³e; e jk"Vokn

jfodkUr dlk/ku*

वैदिक ज्ञानराशि में सम्पूर्ण विचारों का चिंतन सूत्र रुप में परिलक्षित होता है। सम्भवतः इसीलिए इसे ''सर्व ज्ञानमयो हि सः" कहा गया है। वेद भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार हैं, जिन पर यह भव्य प्रासाद सुशोभित है । यह ज्ञान का अथाह सागर है, जहाँ हर हृदय को तृप्ति होती है तथा राष्ट्रवाद का चिन्तन करने वालों के लिए तो यहाँ प्रत्येक सूक्त में उसकी गहन अनुभूति प्राप्त होती है ।

ऋषियों की ऋतम्भरा प्रज्ञा में स्फुरित वेद न केवल सृष्टि की विकास यात्रा का वर्णन करते हैं, अपितु उसके पोशक विविध विचारों तथा सिद्धान्तों का भी व्याख्यान करते हैं । यह व्याख्यान राष्ट्र तत्त्व की व्याख्या के साथ ही उसकी भक्ति और पोषण के लिए "माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः"[1] "माता पृथिवी"[2] "उप सर्प मातरं भूमिं"[3] तथा "वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः"[4] जैसे विचारों में अभिव्यक्त होता है ।

ऋग्वेद में प्रजा द्वारा राष्ट्र की रक्षा तथा विकास के लिए अनेक प्रार्थनाऐं प्राप्त होती है–

vk Rokgk"keUrjf/k /kofL"Bk fopkpfYk%A

fo'kLRok lok ok¥NUr ek Rokæk"Vef/k Ò'kr AA[5]

bUæk bog /kofLr"Bg jk"Ve/kkj;A[6]

इसी प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए देवों से की गई प्रार्थनाऐं भी प्राप्त होती हैं–

/ko r jktk o#.k¨ /ko no¨ ogLifr%A

/ko r bUæ'pkfXu'p jk"V /kkj;rk /koe AA[7]

अथर्ववेद में पृथ्वी को धारण करने वाले आध्यात्मिक तत्त्वों के रुप में सत्य, दीक्षा, तप, ज्ञान तथा त्याग आदि तत्त्वों को बताया गया है–

lR; ogn_r mx nh{kk ri¨ cge ;K% ifFkoÈ /kkj;fUrA

lk u¨ ÒrL; Ò0;L; iRU;# Yk¨d ifFkoh u% Ñ.k¨r AA[8]

इसके अतिरिक्त पूर्वजों तथा राष्ट्र में उनके श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जहाँ पूर्व में पूर्वजों ने श्रेष्ठ कर्तव्य किये, देवों ने असुरों को परास्त किया अर्थात् सत्यशील लोगों ने अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति वाले लोगों को परास्त किया, वह पृथ्वी हमें विविध सम्पत्तियाँ प्रदान करे–

;L;k io io tuk fopfØj] ;L;k nok vljkuH;or;uA

Xoke'okuk o;l'pfo"Bk] Hkx op% ifFkoh uk n/kkr AA[9]

मातृभूमि की भक्ति के साथ ही राष्ट्र के विकास के लिए संगठन का सूत्र भी हमें वेदों में प्राप्त होता है– lxPÌ/o lon/o l ok eukfl tkurke A

nok Hkkx ;Fkk io l tkukuk mikl r AA[10]

अर्थात् राष्ट्र के सन्तुलित विकास के लिए जनों के हृदय, मन, बुद्धि का समन्वय तथा सम्यक् क्रियान्वयन आवश्यक है साथ ही एक लक्ष्य के लिए एकचित्त होकर कार्य करना भी आवश्यक है।

वेद कहते हैं कि अनेक भाषा और सम्प्रदायों वाले लोगों को आधार प्रदान करने वाली इस पृथ्वी पर भ्रातृत्व भाव से युक्त होकर रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभाव ही वह तत्त्व है, जो हमें इन विविधताओं के होते हुए भी एक करता है–

*शोध छात्र, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0

tu foÒrh cg/kk fookpl ukuk /kek.k ifFkoh ;Fk©dleA
lgl/kkjk æfo.kL; e ngk /koo /¨ujuiLQjUrhAA[11]

ऋग्वेद की एक ऋचा कहती है कि हे परमात्मन् ! हम धन–धान्य सम्पन्न उत्तम सन्तानों से युक्त हों, जो न्यायी तथा राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ हों । जो सदाचारी तथा जन कल्याणकारी हों–

Lok;/k Lool luhFk Pkr%len /k#.k j;h.kke A
PkdR; 'kL; HkfjokjeLeH; fp= o"k.k jf; nk% AA[12]

इस एकमात्र ऋचा में ही राष्ट्र की समृद्धि, सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा सुजन की संकल्पना स्पष्ट कर दी गई है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण वैदिक ज्ञानराशि राष्ट्रभाव से ओत–प्रोत है तथा जो विश्व बन्धुत्व का भी पोषक है । यह वैदिक राष्ट्रवाद सम्पूर्ण विविधताओं के बाद भी मानव जाति की एकात्मता तथा संवर्धन का सुन्दर उपदेश प्रदान करता है ।

lgk;d xUFk %

1. अथर्ववेद, श्रीपाददामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल लिमिटेड, अजमेर।
2. यजुर्वेद, श्रीराम शर्मा आचार्य, गायत्री शक्तिपीठ, हरिद्वार।
3. ऋग्वद, श्रीराम शर्मा आचार्य, गायत्री शक्तिपीठ, हरिद्वार।
4. वेद कथांक, गीताप्रेस, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

lUnHk %

1. अथर्ववेद–12/1/12
2 ऋग्वेद–10/89/4
3 ऋग्वेद–10/18/10
4. यजुर्वेद–9/23
5. ऋग्वेद–10/173/1
6. ऋग्वेद–10/173/2
7. ऋग्वेद–10/173/5
8. अथर्ववेद–12/1/1
9. अथर्ववेद–12/1/5
10. ऋग्वेद–10/191/1
11. अथर्ववेद–12/1/45
12. वेद कथांक, पृ0–265

***

Hkkjr esa fofuos'k dh izxfr] leL;k;sa ,oa lq>ko

vfuy dqekj flag*

Hkkjr esa fofuos'k dh izxfr %

भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की अंशपूँजी के विनिवेश का शुभारंभ वर्ष 1991–92 से हो गया था किंतु इस दिशा में ठोस प्रयास वर्ष 1998–99 में ही किये जा सके। डॉ0 मनमोहन सिंह वित्त मंत्रीत्व काल में विशेष प्रयास हुए। श्री पी0 चिंदबरम के कार्यकाल में विनिवेश की प्रगति विराशाजनक रही। श्री यशवंत सिन्हा के कार्यकाल में काफी आशावादी योजना बनाई गई है। यह जानकारी निम्न तालिका से प्राप्त होती है :

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक उपक्रमों की अंशपूँजी का विनिवेश ठीक ढंग से नहीं सका है। डॉ0 मनमोहन सिंह के वित्त मंत्रीत्वकाल में प्रथम वर्ष (1991–92) की प्रगति संतोषजनक रही किन्तु द्वितीय व तृतीय वर्ष में यह कार्य ठीक ढंग से नहीं हो सका। पुनः 1994–95 में कुल 5078 करोड़ रूपये का विनिवेश किया जा सका। 1995–96 में 7000 करोड़ रूपये के लक्ष्य की तुलना में अंश पूँजी का विनिवेश केवल 362

Hkkjr esa lkoZtfud miØeksa esa fofuos'k

o"kZ	iLrkfor	okLrfod
1991–92	2500	3038
1992–93	2500	1961
1993–94	3500	–48
1994–95	4000	5078
1995–96	7000	362
1996–97	5000	455
1997–98	4800	912
1998–99	5000	9000
1999–2000	10000	3000
2000–2001	12000	–

lkSj % दी इकोनामिक टाइम्स, फरवरी, 28, 1999 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2002

करोड़ रूपये का हुआ। श्री0 पी0 चिदंबरम के समय दोनों वर्षो में (1996–97) तथा (1997–98) विनिवेश में निराशाजनक स्थिति रही। डॉ0 सिन्हा ने वर्ष 1998–99 में सार्वजनिक उपक्रमों की पूँजी में विनिवेश को पुनः गति प्रदान की है। यही कारण है कि उक्त वर्ष में कुल 9000 करोड़ रूपये वसूली का लक्ष्य है जबकि वित्तीय वर्ष के अंत तक केवल 3000 करोड़ रूपये ही प्राप्ति की संभावना है। सार्वजनिक निगमों में से अधिकतर सफेद हाथी बन चुके है। घरेलू बचत का 40 प्रतिशत भाग ये ही लील जाते हैं। सरकार ने जिस विनिवेश मंत्रालय का गठन किया है, बजट में उसे निजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पाँच वर्ष या उसके आसपास की समयावधि तय की जा सकती है, ताकि विनिवेश आयोग द्वारा अनुशंसित निकायों के निजीकरण को पूरा किया जा सके।

*शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

केन्द्र सरकार ने 5 फरवरी 2002 को सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दो बड़ी कम्पनियां बीएसएनएल और आईबीपी में अपने हिस्से के आधे शेयर सहित उनके नियंत्रण अधिकार और चार होटल बेचने का फैसला किया है। विदेश संचार निगम लिमिटेड (व्हीएसएनएल) का नियंत्रण 25 प्रतिशत इक्विटी के साथ 1439.25 करोड़ रूपये में टाटा समूह को बेच दिया गया है। इसी प्रकार पेट्रोलियम पदार्थों की मार्केटिंग करने वाली कम्पनी इण्डो वर्मा पेट्रोलियम (आईबीपी) का नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र की एक अन्य कम्पनी इण्डियन ऑल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) को सौपा गया है। आईबीपी की 34 प्रतिशत हिस्सेदारी आईओसी ने 1153.68 रूपये में खरीदी है। सरकार के पास व्हीएसएलएल के 52.97 प्रतिशत शेयर हैं, 25 प्रतिशत टाटा समूह को बेचने के बाद सरकार के पास 26 प्रतिशत शेयर रह जायेगे, 1.97 प्रतिशत शेयर कम्पनी के कर्मचारियों के लिए हैं। आईबीपी में 59.58 प्रतिशत शेयर के पास है जिनमें से 33.58 प्रतिशत शेयर आईओसी को बेचे जाने के बाद सरकार के पास 26 प्रतिशत शेयर रहेगे।

विनिवेश मामलों के तत्कालीन मंत्री अरूण शोरी के अनुसार जून 2002 तक तेल क्षेत्र की बड़ी कम्पनियां हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम का विनिवेश किये जाने का प्रस्ताव है।

lkoltfud miØek e fofuo'k dh leL;k; %

सार्वजनिक उपक्रमों की अंशपूँजी के निवेश के संबंध में भारत सरकार ने क्रमबद्ध ढ़ंग से कदम उठाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार केवल आंशिक रूप से बहुत थोड़ा प्रयास इस दिशा में करना चाहती है। ऐसा बेमन से किया गया प्रयास कहां तक प्रबंधकों के अनुशासन, प्रबंधकीय कुशलता में सुधार ला सकेगा। यह अभी संदिग्ध है। विनिवेश की निम्नांकित समस्याओं की ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैः

1- ic/kdh; d'kyrk e of) % यह मानना कि विनिवेश से उपक्रम की प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होगी, उचित नहीं है क्योंकि अभी तक निजी क्षेत्र में बहुत कम अंश बेचे गये है। इस कारण उपक्रमों के प्रबंध में सरकारी प्रतिनिधियों का प्रभुत्व बना हुआ है।

2- jktufrd vfLFkjrk o ifrHkfr ?kkVky % किसी भी देश में राजनैतिक अस्थिरता विदेशी विनियोजन को प्रभावित करती है। राजनैतिक परिवर्तन के कारण विनियोग नीति में परिवर्तन की संभावना रहती है। विगत प्रतिभूति एवं मुद्रा बाजार में हुए घोटालों के कारण भी विदेशी विनियोजकों की सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश में भागीदारी में प्रतिरोध पैदा हुआ है। वे भारत को विनियोजन की दृष्टि से जोखिम क्षेत्र मानते हैं।

3- ifrQy nj % सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से प्रतिफल की दर निजी क्षेत्र में विद्यमान दर की तुलना में सामान्यतः बहुत कम है। इस कारण एक तो सरकारी अंशों का अवमूल्यन है तथा दूसरी ओर सरकार की आय भी कम होती है।

fofuo'k dk iHkkoh cuku d mik;

1- v'kk dh mfpr dher fu/kkj.k % विगत वर्षो में विनिवेश कार्यक्रम बुरी तरह से असफल सिद्ध हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं विनिवेश की प्रक्रिया में गड़बड़ी है। यदि अंशों का अधिमूल्यन किया जाता है तो अंशों के लिए कम–से–कम निविदाएँ होंगी। जिससे अभिगोपकों को जोखिम उठानी पड़ेगी और यदि अंशों का अधिमूल्यन किया जाता है तो सरकार को हानि उठानी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि सरकार को सावर्जनिक उपक्रमों के अंशो के मूल्यांकन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों को अपनाना चाहिए तथा अन्य सफल देशों के अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए। वर्तमान विपणन उच्चावचनों तथा कंपनी के भविष्य को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे अंशों के संतुलित मूल्य निर्धारण में मदद मिल सकेगी।

2- v'kk d foi.ku e foyc % अंशों के विपणन में अधिक विलंब का प्रभाव संभावित क्रेताओं के कोषो को लंबे समय तक अवरूद्ध रखने के रूप में पड़ता है। इस प्रकार के विलंब को टाला जाना चाहिए।

3- fofuo'k uhfr % विनिवेश नीति अधिक यथार्थ परक होनी चाहिए। विनिवेश प्रक्रिया से जनता को अलग–थलग रखने से व्यापक अंश स्वामित्व की प्राप्ति में बाधा आती है जोकि निजीकरण का मूल

उद्देश्य है। साथ ही विनिवेश का प्रत्येक दौर का आशय है सरकार के लिए अतिरक्त लागत, अतः विनिवेश कार्यक्रम एक उचित आकार में घोषित किया जाना चाहिए।

4- lkotfud fuxeu % संभवतः सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की सर्वोत्तम विधि यह होगी कि सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों का सार्वजनिक निर्गमन किया जाये जैसा कि आईपीसीएल के द्वारा किया गया। इससे अंशों के स्वामित्व को विस्तृत स्वरूप प्राप्त हो सकेगा तथा सरकार को भी अंशो का उपयुक्त मूल्य मिल सकेगा। हालांकि निवेशकों की सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि यह सावधानी बरती जाये कि उन्हें पर्याप्त एवं अद्यतन सूचना प्रदान की जाये।

5- deepkfj;ks dh Hkkxhnkjh % यह अधिक उपयुक्त होगा कि विनिवेश में कर्मचारियों की भागीदारी के अधिक अवसर प्रदान किये जाएँ। यह भागीदारी उन्हें अंशों को बेचकर नहीं बल्कि स्वामित्व में हिस्सा प्रदान करके दी जा सकती है। अधिक कार्यकुशलता को बढ़ाकर कर्मचारियों के द्वारा कंपनी के धन को बढ़ाया जा सकता हो जिसमें कर्मचारियों का स्वामित्व भी रहेगा। यह सरकार के लिए उपयुक्त होगा कि इस प्रकार कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करे।

6- futh foÙkh; lLFkkvks o 0;fDr;ks dk fofuos'k % सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी वित्तीय संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा विनिवेश को बढ़ाना चाहिए। इससे सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर निजी स्वामित्व को भागीदारी का अवसर प्राप्त हो सकेगा। अभी तक सरकार सरकारी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। ये वित्तीय संस्थाएँ उपक्रमों पर निगरानी रखने व कर्मचारियों को अनुशासित रखने में असफल रही है।

7- fuxeu dh deh % सार्वजनिक उपक्रमों पर निगमन का अंकुश बहुत अधिक है। वास्तव में कंपनियों के संविलयन, सम्मिलन, अधिग्रहण आदि में वैधानिक नियमन अधिक प्रभावी है जबकि ये प्रक्रियाएँ स्वतंत्र रूप से बिना नियंत्रणात्मक हस्तक्षेप के संचालित होना चाहिए। विदेशी व स्थानीय विनियोजकों, संस्थाओं व निगमों को भागीदारी के अधिक अवसर प्राप्त होने चाहिए।

8- ifrLi)kZ dks c<kok % विनिवेश अथवा निजीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है कि प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाया जाये। प्रत्येक उद्योग में अनेक फर्मो को जन्म दिया जाये ताकि उनके बीच प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न की जा सके। इससे वाणिज्यिक क्षमता को विकास मिल सकेगा तथा उपक्रमों से अच्छे व्यापारिक परिणाम प्राप्त किये जा सकेंगे।

9- mi;qDr fuxZe uhfr dk fØ;kUo;u % कर्मचारियों के संबंध में उपयुक्त निर्गम नीति का पालन किया जाना चाहिए जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा किये बिना संपत्तियों का वितरण इस ढंग से होना चाहिए जिससे उनका अधिक उत्पादक उपयोग संभव हो सके।

10- iwoZ vuqHko dk ykHk % सार्वजनिक उपक्रमों की अंश पूँजी के विनिवेश के संबंध में अभी तक किये गये प्रयासों/अनुभवों के आधार पर भावी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अध्ययन किये गये है जैसे– जे0 एल0 बजाज ने उत्तरप्रदेश के दो उपक्रमों यू0 पी0 स्टेट सीमेंट कारपोरेशन तथा ऑटो ट्रैक्टर के संबंध में अध्ययन किया है।

11- fofuos'k izfØ;k esa ikjnf'kZrk % विनिवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता होना चाहिए। शीघ्रता में कई गड़बड़ियाँ होने की संभावना रहती है यदि विनिवेश की श्रेष्ठ या उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाती है तो अनियमितताएँ, भ्रष्टाचार तथा गड़बड़ियों के संबंध में उत्पन्न होने वाले आरोपों से बचा जा सकता है।

12- gkfu esa py jgs miØeksa ds lcU/k esa lko/kkuh % हानि में चल रहे उपक्रमों के संबंध में निजी प्रवर्तकों को आकृष्ट करने की संभावना रहती है क्योंकि यह मानना रहता है कि हानि मे चल रहे उपक्रमों में विनिवेश के बाद भी यह आशंका बनी रहती है कि शेष अंशों को सरकार किसे बेचेगी? सामान्यतः हानि में चल रहे उपक्रमों की संपत्तियों का बाजार मूल्य–निर्धारण करना कठिन होता है। अतः यह कार्य पेशेवर मूल्यांकनों को सौंपा जाना चाहिए ताकि वास्तविक बाजार मूल्य का निर्धारण हो सके।

भारत में विनिवेश कार्यक्रम की असफलता यह प्रकट करती है कि कहीं कोई गड़बड़ी है अंशों का अधिमूल्यन के कारण अल्प निविदाएँ होती हैं जिसके फलस्वरूप अभिगोपकों को जोखिम उठानी पड़ती है जबकि अंशों के अधिमूल्यन से सरकार को हानि होती है। इस संबंध में सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों का संतुलित मूल्य निर्धारण हो सके। विनिवेश की प्रक्रिया संतुलित एवं नियोजित ढंग से क्रियान्वित किया जाना उपयुक्त होगा ताकि सार्वजनिक उपक्रमों के क्षेत्र में समुचित उपक्रमों के क्षेत्र में समुचित सुधार लाया जा सके।

lUnHkZ %

1. W.A. Robson Nationalized Industry and Public Oner ship London, 1960.
2. Rao N. And Shukla, M.B. Administrator of Public Enterprises in India Himlaya Publishing House, Bombay.
3. योजना : अक्टूबर 2001 पृष्ठ 32–33.
4. दैनिक भास्कर : 27 फरवरी 2000 रसरंग पृष्ठ 01.
5. दैनिक भास्कर : 5 फरवरी 2002 पृष्ठ 01 एवं 10.

***

egkjk.kk iırki dk iı'kklu ,oı lı?k"kı

Mk- eıdı'k ekı;ı*

प्रस्तुत शोध पत्र अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है यह अध्ययन ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित है।

ऐतिहासिकारों की लेखनियाँ महाराणा प्रताप कि चर्चा में सदा रही। राजस्थान की माटी ने कई शूरवीरों को जन्म दिया राजस्थान के इतिहास पर के लेखकों की उपेक्षा परिलच्छित होती है। किन्तु यह कहना नितांत गलत होगा कि राजस्थान का इतिहास लिखा ही नहीं गया। इस क्षेत्र के इतिहास लेखन के लिए इतिहास लेखकों, राजपत्रों फरमानों (सूचना) शिलालेखों, फारसी इतिहासकारों तथा दरबारी चारणों के आधार पर अनेक प्रचलित कथाओं के आधार पर साम्रगी का चयन करके समय–समय पर इतिहासकारों ने इस क्षेत्र के इतिहास को लिपिबद्ध किया है। कर्नल टॉड़ की एनकस ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है।

राजस्थान के इतिहास में शूरवीर महाराणा प्रताप का स्थान गौरवशाली रहा हैं।

उनके युद्ध कौशल ने सिर्फ राजस्थान में नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत में अपने युद्ध कौशल और चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में पहचान दी है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का वंश राजस्थान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। महाराणा प्रताप का जन्म 05 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप ने किशोरावस्था पार करते ही उन्हें धर्म, नीति व विधि शिक्षा के साथ–साथ सैनिक शिक्षा भी प्राप्त हुई। महाराणा प्रताप ने पहाड़िओं के बीच प्राकृतिक दृश्यों से शिक्षा पाई। शेरों से मर्दानगी का तो पहाड़ों से अपने संकल्प पर अटल रहने का पाठ पढ़ा। पिता के निधन के पश्चात जब वह गद्दी पर बैठे तो गौरवमय मेवाड़ राज्य का अस्तित्व केवल नाम के लिए रह गया था। न कोई राजधानी थी न सेना और न ही कोश महाराणा प्रताप ने आते ही अनेक दबे हुए हौसलों को उभारा और उन्हें चितौड़ कि बर्बादी तथा रक्तपात का बदला के लिए तैयार किया। महाराणा प्रताप ने अपने साथियों, सरदारों और आने वाली पीढ़ियों को कसम दिलाई कि जब तक चितौड़ पर तुम्हारा अधिकार न हो जाऐं तुम सुख विलास से दूर रहों। इसी के साथ महाराणा प्रताप का संघर्ष प्रारंभ हुआ। महाराणा प्रताप के अन्दर योग्य सेनानायक के साथ–साथ एक कुषल प्रशासक के भी गुण मिलते है। महाराणा प्रताप ने प्रशासन संचालन के लिए निम्नलिखित प्रषासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जिसमें राजा मंत्रीगण खजांची, कोतवाल, ग्रामप्रशासन, न्याय व्यवस्था, सैन्य संगठन, किला एवं दुर्ग थे।

महाराणा प्रताप का संघर्ष विपरीत परिस्थितियों में अकबर जैसे मुगल बादशाह से हुआ। जो हल्दी घाटी के मैदान पर हुआ। महाराणा प्रताप का संघर्ष जन्म से ही शुरू हुआ उनमें एक योग्य सेनानायक और वीर सेनानी के उत्तम गुण थें उन्होंने मेवाड़ की अन्तरिक एवं बाहरी समस्याओं का डटकर सामना किया उनके समक्ष दो ही रास्ते थे या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले या उसका विरोध महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की आन वान शान को देखते हुए अकबर का विरोध स्वीकार किया। हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा ने मुगल सेना का डटकर सामना किया महाराणा प्रताप ने अंतिम समय तक अपने हथियार नहीं डाले और अपना संघर्ष जारी रखा, अतः पाव के चोट के कारण महाराणा प्रताप इस दुनियाँ से कूच कर गये किन्तु उन्होंने सभासदों एवं सेनानिओं को मेवाड़ की रक्षा की शपथ दिलाई। संक्षेप में, महाराणा प्रताप एक स्वतंत्र वीर थे।

*शासकीय गोविन्द महाविद्यालय, सेवढ़ा, दतिया (म0प्र0)

lUnHk%

1. ओझा, गोरीशंकर. 1927; राजपूताने का इतिहास, अजमेर।
2. प्रसाद, कामता; महाराणा प्रतापः जीवन पारिचय।
3. शर्मा, जी.एन.; मेवाड़ एण्ड़ दी मुगल एम्पार्यस।
4. शर्मा, जी.एन.; राजस्थान का इतिहास।
5. निराला, सुर्यकान्त त्रिपाठी; महाराणा प्रताप।
6. शर्मा, एम.एल.; महाराणा प्रताप स्मारिका।
7. दिवाकर, बी.एम. 1987; राजस्थान का इतिहास, जयपुर।
8. गुप्ता, बेनी. 1998; राजस्थान का इतिहास, बोहरा प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, उदयपुर, प्रथम संस्करण, जयपुर।
9. कमल, एम.पी. 2002; महाराणा प्रताप (भारत के वीर सपूत) राजा पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली।
10. प्रसाद, डा. ईश्वरीय. 1962; टॉड लिखित राजस्थान का इतिहास, आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद।

***

EkgkRek xk/kh dk lkekftd fpUru % vLi'';rk mUeyu d fo'k"k lUnHk e

Mk- vujkfxuh jkor*

भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन, हरिजन कल्याण एवं दलित जातियों को सम्मानजनक स्थान दिलाने हेतु महात्मा गाँधी द्वारा किये गये प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता। आजादी पूर्व के तीन–चार दशकों में जिन नेताओं ने भारतीय सार्वजनिक जीवन के सभी पक्षों को नई दिशा प्रदान की, उनमें गाँधीजी का स्थान निःसन्देह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।राजनीतिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता संग्राम का सफल संचालन, सामाजिक क्षेत्र में हरिजन कल्याण एवं अस्पृश्यता निवारण, आर्थिक क्षेत्र में ग्रामोद्योग एवं न्यासिता के सिद्धान्त का प्रचार तथा नैतिक क्षेत्र में जन–जन में चारित्रिक चेतना के संचार की दिशा में भी गाँधीजी का योगदान अविस्मरणीय रहा है।[1] अस्पृश्यता एवं हरिजनोत्थयता को हिन्दू धर्म पर एक काला धब्बा निरुपित किया। उनका कहना था कि यदि हिन्दू धर्मशास्त्र वर्तमान अस्पृष्यता का समर्थन करते हैं तो मैं अपने आप को हिन्दू कहना छोड़ दूँगा।[2] गाँधीजी की मान्यता थी कि यदि अस्पृश्यता कायम रहती है तो हिन्दू धर्म समाप्त हो जायेगा। इसलिये हिन्दू धर्म को कायम रखने के लिये अस्पृश्यता की समाप्ति जरुरी हैं।[3] गाँधीजी मानते थे कि भारतीय समाज अनेक बुराइयों से ग्रसित है। उन्हें इसमें भी सन्देह नहीं था कि हमारे समाज–सुधारक समाज से इन बुराइयों को दूर करने में कुछ अंशों में असफल रहे हैं जिसके परिणामस्वरुप इनमें से कुछ बुराइयों ने हमारी सामाजिक व्यवस्था में गहरी जड़ें जमा ली है। वे महसूस करते थे कि भारतीयों को यह कह कर आत्म–सन्तुष्टि नहीं करनी चाहिए कि हमारा अतीत शानदार था और हमने प्राचीन काल में दूनियां का मार्गदर्षन तथा नेतृत्व किया। यदि भारत को अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करना है और वह सम्मानपूर्ण स्थान लेना है जो अतीत में विश्व में हमारे पुरखों को प्राप्त था, तो हमारे समाज–सुधारकों तथा समाज के अन्य नेताओं को राष्ट्र–सुधार तथा वर्तमान सामाजिक बुराइयाँ दूर करने के लिए सतत सकारात्मक प्रयत्न करना होगा।

महात्मा गाँधी ने भारतीय समाज में व्यापत बुराइयों पर कठोर प्रहार करते हुए समाज का नव–निर्माण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता हिन्दू समाज मे एक घोर अभिशाप है। इसने समाज में दरारें पैदा करके इसे बहुत कमजोर कर डाला है। यह 'पापमूलक संस्था 'किसी भी धर्म का अंश नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध घोर अपराध है। गाँधीजी ने कहा कि अस्पृश्यता एक घुन है जो हिन्दू समाज को अन्दर ही अन्दर खाये जा रहा है।[4]

गाँधीजी से पहले कोई भी अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान को उस भावनात्मक और यथार्थवादी स्तर तक नहीं ले जा सका जिस पर उसे गाँधीजी ले गए। इस प्रश्न पर उन्होंने हिन्दू जाति के अन्तः करण को झकझोर दिया। अपने प्रयास में उन्हें महान् सफलता मिली और स्वतन्त्र भारत के संविधान में किसी भी रुप में अस्पृश्यता के पालन को एक आपराध घोषित कर दिया। गाँधीजी ने सन्देश दिया कि जब तक हम अछूतों को अपने गले नहीं लगायेंगे, हम मनुष्य नहीं कहला सकते।[5] यदि हिन्दूओं के ह्रदय से अस्पृश्यता रुपी जहर निकाल दिया जाए तो इसका प्रभाव न केवल भारत में समस्त जतियों पर बल्कि सम्पूर्ण विश्व पर पड़ेगा। गाँधीजी ने घोषणा की कि अस्पृश्यता –निवारण के बिना स्वराज का कोई अर्थ नहीं है अस्पृश्यता एक कृत्रिम चीज हित्रम चीज है, इसका लोगों के बौद्धिक या नैतिक विकास से कोई

*अतिथि प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र विभाग, शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर, शिवपुरी, म0प्र0

सम्बन्ध नहीं है। गाँधीजी ने अछूतों से, जिन्हे वे हरिजन कहते थे इतना प्यार किया कि वे अछूतों के बीच ही रहते और खाते– पीते थे। उन्होंने यहाँ तक कामना की कि यदि उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़े तो वे एक अछूत के रुप में ही जन्म लें ताकि वे अछूतों के कष्टों, क्लेशों और अपमानों मे भाग ले सकें और इस दयनीय परिस्थिति से स्वयं को तथा उन्हें उबार सके।[6]

अस्पृश्यता–निवारण के लिए उन्होंने हरिजनों के मन्दिर– प्रवेश को सबसे अधिक महत्त्व दिया। उनका विश्वास था कि अछूतों में आत्म– सम्मान के भाव उत्पन्न करने और सवर्ण हिन्दुओं के दृष्टिकोण को बदलने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं हो सकता था। उन्होंने हिन्दुओं को परामर्श दिया कि वे हरिजन बालकों को अपने परिवार में स्थान दें और अपनी सन्तान की भाँति उनका पालन –पोषण करें। गाँधीजी ने हरिजनों को उपदेश दिया कि वे माँस न खाएँ, शराब न पीएँ, जुआ न खेलें, अपने कुव्यसनों को दूर करने का प्रयास करें और दूसरों की छोड़ी हुई झूठन स्वीकार न करें। गाँधीजी के अनुसार, ''मेरी राय में हिन्दू धर्म में दिखाई पड़ने वाला अस्पृश्यता का वर्तमान स्वरुप ईश्वर और मनुष्य के खिलाफ किया गया भयंकर। अपराध है और इसलिये वह एक ऐसा जहर है जो धीरे–धीरे हिन्दू धर्म के प्राणों को ही निःशेध किये दे रहा है। मेरी राय मे हम शास्त्रों को मिलाकर पढे तो, इस बुराई का कहीं कोई समर्थन नहीं है। शास्त्रो में एक तरह की हितकारी अस्पृश्यता का विधान जरुर है, लेकिन इस प्रकार की अस्पृश्यता तो सभी धर्मों में पाई जाती है।[7]

अस्पृश्यता उन्मूलन एवं दलित जातियों को सम्मानजनक स्तर दिलाने हेतु महात्मा गाँधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी मान्यता थी कि यदि सम्पूर्ण राष्ट्र का निर्माण बगैर किसी भेदभाव के समान स्तर पर करना है तो सबसे पहले हमें अस्पृश्यता को समाप्त करना होगा। व्यक्ति, व्यक्ति का शोषण करे, अत्याचार करे, यह किसी भी दृष्टि से न मानवीय है, न न्याय संगत है और न ही लोकतांत्रिक,क्योकि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता एवं समानता पहली शर्त है। उनका कहना है कि'' अस्पृश्यता के लिये कराड़ो हिन्दू जिम्मेदार है, इससे मुझे हार्दिक घृणा है। सत्याग्रही को चाहिये कि वह अपने अस्पृश्य कहे जाने वाले भाई के लिये रक्षक बनकर डटा रहे और कष्ट सहे।''[8] उन्होंने आगे कहा, ''हम सबको हरिजन बनाना पड़ेगा, नही। तो हम अस्पृश्यता का नामोनिशान नहीं मिटा पायेंगे। मैं अस्पृश्यता को मानवता के विरुद्ध एक शोषण अपराध समझता हूँ। यह आत्मसंयम का लक्षण नहीं, बल्कि अपने को श्रेष्ठ मानने की हठपूर्ण कल्पना है।''[9] गाँधीजी न केवल अस्पृश्यता के विरोधी थे अपितु इसके उन्मूलन की दिशा में भी वे प्रयत्नशील रहे। उनकी नजरों में सच्चे अर्थों में स्वराज्य की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति– व्यक्ति परस्पर समान हों। उनके शब्दों में'' यदि हम भारत की। आबादी के पाँचवें हिस्से को गुलामी की हालत में रखना चाहते है और उन्हें जानबूझकर राष्ट्रीय संस्कृति के फलों से करना चाहते हैं तो स्वराज्य एक अर्थहीन शब्द मात्र होगा। आत्मशुद्धि के इस महानू आंदोलन में हम भगवान की मदद की आकांक्षा रखते है, लेकिन उसकी प्रजा के सबसे ज्यादा सुपात्र अंश को हम मानवता के अधिकारों से वंचित रखते है। यदि हम स्वयं मानवीय दशा से शून्य हैं तो उसके सिंहासन के निकट दूसरों की निष्ठुरता से मुक्ति पाने की याचना हम नहीं कर सकते।''[10]

महात्मा गाँधी अस्पृश्यों की समस्या को शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीके से हल करना चाहते थे। यद्यपि वे यह जानते थे कि अस्पृश्यता उन्मूलन और दलितोत्थान के गुरुत्तर कार्य को पूरा करने के लिए केवल वैधानिक तरीकों पर ही निर्भर रहना पर्यात्त नहीं है। इसके लिये राष्ट्रव्यापी आदोलन एवं जनजागृति उत्पन्न करना बहुत जरुरी था, इसलिये उन्होंने हरिजनों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन किया। महात्मा गाँधी और केलप्पन के अनिश्चितकालीन अनषन की घोषणा के कारण ही केरल का गुरुवयूर मुंदिर अस्पृश्यों के लिये खोला गया।[11] भातर सरकार से उन्होंने ''रंगा अय्यर अस्पृश्यता निवारण बिल'' के क्रियान्वयन की सिफारिश की, दलित बस्तियों का पूरे देश में सघन दौरा किया तथा अपने आश्रम में हरिजनों की सेवाकर उनके साथ सम्बन्ध स्थापित किये। इस सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि महात्मा गाँधी सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देश के

स्वाधीनता आंदोलन के साथ–साथ अस्पृश्यता उन्मूलन, हरिजन कल्याण एवं हिन्दू धर्म में आई विकृतियों को दूर करने के लिये भी प्रयास किये।

lUnHk%

1. महादेव प्रसाद; माहत्मा गाँधी का समाज दर्शन, पंचकूला, हरियाणा साहित्य अकादमी, 2005, पृ. प्रस्तावना
2. हरिजन, 15 अगस्त, 1936
3. इंदिरा, रदरमुंड, महात्मा गाँधी, हरिजन, हरिजन, गाँधी मार्ग, 1979, पृ. 263
4. हरिजन, 18 जुलाई, 1925
5. महात्मा गाधी; मेरे सपनों का भारत (आर के. प्रभु संकलनकर्त्ता), अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाषन, 1960, पृ. 266
6. यंग इंडिया, 11 फरवरी, 1933
7. हरिजन 11 फरवरी, 1933
8. वी.एन. सिंह एवं जनमेजय सिंह; भारत में सामाजिक आंदोलन, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स, 2007 पृ. 215
9. वी.एन. सिंह एवं जनमेजय सिंह; भारत में सामाजिक आंदोलन, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स, 2007 पृ. 215
10. महात्मा गाधी; मेरे सपनों का भारत (आर के. प्रभु संकलनकर्त्ता), अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन, 1960, पृ. 266
11. प्रतिमा जैन; डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट : ए गाँधीर्मागा, वॉ. 20, 1980, पृ. 417

***

v'kkd uxj fty d 'kkDr /kkfe d LFky dk ,frgkfld v/;;u

Mk- vo/k'k xkfj;k*

ग्वालियर चंबल संभाग का यह जिला बीना–कोटा रेलवे लाईन पर गुना से 70 कि.मी. दूरी पर स्थित है। जो गुना जिले की तहसील था अभी कुछ वर्षो पहले ही जिला बना है। ब्रिटिश शासनकाल में यह ईसागढ़ रियासत का एक भाग था जो ग्वालियर के सिंधिया शासकों की रियासत थी।

प्राचीन काल में जब सम्राट अशोक अपने विजयी अभियानों में अवन्ति (उज्जैन) विजय करके लौट रहे थे। रास्ते में विश्राम के लिये एक स्थान पर रात्रि में रूके उस स्थान को ही उनके नाम से अशोकनगर कहाँ गया इस प्रकार अशोकनगर का नामकरण हुआ था।[1] इस समूचे क्षेत्र पर अविन्त साम्राज्य का आधिपत्य था। बाद में यह मगध साम्राज्य के अधीन रहा।

अठारहवीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर राजपूत शासकों का शासन रहा। बाद में ग्वालियर के सिंधिया शासकों द्वारा इस सम्पूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लिये जाने पर यह सिंधिया राज्य का हिस्सा बना।[2]

देश की स्वतंत्रता के बाद अशोकनगर गुना जिले की तहसील बना सन् 2003 में अशोकनगर जिला बनाया गया। अशोकनगर जिले में भी प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की प्रचुरता है जो इस नगर में तथा इसके आसपास जैसे चन्देरी, ईसागढ, मुगावली आदि स्थित है। इस जिले में अनेक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। जो अगणित और अद्वितीय है। इन स्थलों में तूमेन नगरी, हरसिद्वी माँ का मंदिर, ढाकोनी तथा बीजासन माता जी का मंदिर, कदवाया, जागेश्वरी माँ का मंदिर चंदेरी, जानकी माताजी का मंदिर करीलाधाम, धूबोन अतिसय क्षेत्र, गुरू महाराज मंदिर हनुमान गढ, ईसागढ तथा आनंदपुर धाम प्रमुख है। यहाँ शोध क्षेत्र की विशालता को ध्यान में रखते हुए केवल शाक्त/शक्ति धार्मिक स्थलों का ही अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति एवं साक्षात्कार पद्धति का उपयोग किया गया है तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के स्त्रोतों का सहयोग लिया गया है।

djhyk/kke& शोधार्थी के स्थानीय भ्रमण जनश्रुतियों तथा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री श्यामलाल जी अग्रवाल के साक्षात्कार के उपरांत ज्ञात हुआ कि करीलाधाम आश्रम अशोकनगर जिले में अशोकनगर एवं मुगावली तहसील के बीच पहाड़ी पर स्थित है। जो समुंद्र सतह से लगभग 550 मीटर ऊपर है । 200 वर्ष पहले इसकी खोज होने के पहले यहाँ घना जंगल था। आज इसका निरन्तर विकास होकर यह भक्तों के आकर्षण का केन्द्र है।[3]

रामायण एवं धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार बाल्मीकि के भारत वर्ष में अनेक आश्रम थे उन्हीं में से एक प्रयाग एवं चित्रकूट के बीच में तथा प्रयाग काशी के बीच में एक आश्रम जिला कानपुर में गंगा के किनारे, प्रसिद्ध वटवृक्ष ब्रहम्मार्व विठूर में है यहाँ सीता जी माँ जानकी को भगवान राम ने छोड़ा था। इन्हीं में से एक आश्रम करीला धाम है यहाँ माँ जानकी की मूर्ति को ही करीला वाली माताजी के नाम से जाना जाता है।

djhyk/kke d i e[k LFkku&

ijdkVk& प्राचीन समय से ही आश्रम का परकोटा (दीवाल) बना हुआ है एवं परकोटा के अन्दर मंदिर बने हुये है ।

*सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरवर, शिवपुरी, म0प्र0

1. माँ जानकी लवकुश ऋषि बाल्मीकि मंदिर
2. श्री हनुमान जी मंदिर .
3. राधाकृष्ण मंदिर
4. रामजानकी मंदिर

egUr xnnh & प्राचीन धूंधी महन्त की गद्दी बनी हुई है । इसी गद्दी पर महन्त जी अमावस्या एवं पूर्णिमा पर ही बैठते है, वे तपस्या करते एवं भक्तों को आशीर्वाद देते है। माँ जानकी भक्तों की मनोकामनाएँ पूर्ण करती हैं। महन्त जी से भभूति लेकर लोग वापिस आते हैं। मां जानकी की भभूति फसल के समय खेतों में फसलों पर छिड़की जाती है । यदि फसल में इल्ली लग जाती है तो भक्तजन माँ की भभूति खेतों डाल देते है। इससे इल्ली साफ हो जाती है । शोधार्थी ने किसानों एवं भक्तों से चर्चा कि तो भक्तों ने उसे जानकी मॉ की कृपा भभूति का चमत्कार बताया।[4]

xqQk & करीलाधाम आश्रम परिसर में माँ जानकी मंदिर के अंदर एक प्राचीन सिद्धों की गुफा है। यह गुफा माँ करीला आश्रम से ग्राम दियाधरी (अशोकनगर) तक है। इस गुफा में सिद्ध महाराज का स्थान गोडसिद्ध निवास करते है। एक व्यक्ति रोकने पर भी गुफा में अन्दर चला गया । वहाँ से लौटने पर पागल हो गया तथा बाद में बचाओं–बचाओं चिल्लाता रहता है। महन्त महाराज की, सिद्ध एवं गौड़ महाराज जी से वार्ता होती है उन्होंने बताया कि अब गुफा बन्द कर दी गयी है।

ek tkudh dqvk & आश्रम के पास ही एक कूँआ भी है। माँ जानकी आश्रम की सेवा हेतु इसी कूँआ से पानी भरकर आश्रम के साधु संतों व शिष्यों को पिलाकर उनकी प्यास बुझाती थी । माँ जानकी ऋषि माताओं के साथ इस कूँए से जल लाती थी । भक्तजन इसे जानकी कूँआ के नाम से पुकारते है।[5]

fo/;okfluh ekrk] xke rqeu ¼rqeu uxj½& अशोकनगर से 9 कि.मी. कचनार रोड पर प्राचीन नगरी ताम्रपणिनी तुमवन वर्तमान नाम ग्राम–तूमेन के नाम से जाना जाता है । इस नगरी का पुराणों, सत्यनारायण की कथा एवं श्रीमद्भागवत में उल्लेख मिलता है।[6]

तुमेन नगरी के राजा मोरध्वज, तुंध्वज, गंधर्वसेन थे। गंधर्वसेन के पुत्र विक्रमादित्य का जन्म तुमन में ही हुआ था। राजा भृर्तहरि उस समय गर्भ में थे। राजा गंधर्वसेन के समय देव प्रकोप के कारण सवा प्रहर धूल की वर्षा हुई। राजा, रानी, मंत्री अन्य लोग गुप्त रास्ते से उज्जैन, मथुरा चले गये। पुरातत्व के अनुसार गुप्त रास्ता भूतेश्वर महादेव से बताया जाता है। सम्पूर्ण नगरी धूल से दब गई। समस्त नगर नष्ट हो गया था। माता विंध्यवासिनी देवी का मंदिर उसी काल से सुरक्षित प्राचीन कलाकृतियों की याद दिलाता है। इस ग्राम में सात देवी (मातायें) है जो गाँव के चारों ओर बैठी हैं पूर्व दिशा में बीलटोरा माताजी, पश्चिम दिशा में मरई माताजी, उत्तर दिशा में खजूर वाली माताजी शेर पर सवार हैं। दक्षिण में दिशा में शीतला माता बीजासन देवी माता का मंदिर, विंध्यवासनी माता के सामने मंदिर स्थित है। माताजी के मंदिर में अखण्ड ज्योति जल रही है। ग्राम के चारों ओर परकोटा (दीवार) खण्डहर अवस्था में है। यहाँ बलदाऊ मदिर, हजारिया शिवलिंग, भूतेश्वर महादेव, बैठादेव तूमेन पहाड़ पर भगवान नरसिंह, भगवान बराह, भगवान दत्तात्रेय, सेमरा पहाड़ पर माँ कालीदेवी, भैरों जी साथ में स्थित हैं। इसी गाँव में त्रिवेणी संगम स्थल है जहाँ तीन नदियाँ आकर मिली हैं। जिसे त्रिवेणी कहते हैं इसका बड़ा महत्व है। प्रतिवर्ष संक्रान्ति पर यहाँ मेला लगता है। खुदाई करने पर जगह–जगह मूर्ति, भवन, निकल आते हैं। कभी–कभी खोदने पर चांदी–सोने के सिक्के मकान बनाते समय ग्रामवासियों को मिल जाते हैं। अशोकनगर कलेक्टर श्री सुखवीर सिंह एवं श्री मुकेश गुप्ता जी ने मूर्तियों को एकत्रित करवाया है तथा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है पुरातत्व विभाग द्वारा भी खोज की जा रही है।[7] माँ विंध्यवासिनी जिन्हें ग्रामवासी सिंह भवानी कहते हैं वे दर्शन हेतु भक्तगण आसपास के ग्रामों एवं दूर–दूर नगरों के भक्तगण आते हैं बागड़ी समाज द्वारा अखण्ड ज्योति में सहयोग दिया जाता है। इस समाज के व्यक्ति माँ के दर्शन हेतु हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं। माँ घटना की जानकारी स्वप्न देकर सचेत कर देती है। ऐसा भक्तगणों ने बताया। माँ सबकी इच्छा पूरी करती हैं। जो व्यक्ति गड़बड़, गलत भावना से जाते हैं तो तुरन्त दण्ड देती हैं। ऐसा

प्रत्यक्ष देखा गया है सागर विश्वविद्यालय की पुरातत्ववेत्ता टीम ने यहाँ खुदाई कर इस क्षेत्र को 3 हजार साल पुराना बताया है। बैठादेव नामक तांत्रिक बताकर जो मूर्ति देखरेख विहीन है उसे लेखक राजनारायण बोहरे व तीर्थेन्द्र बहुगुणा स्वयं गौतम बुद्ध की प्रतिमा मानकर ड्रेगन, मंगोल चेहरे वाली मूर्तियों और यक्ष प्रतिमाओं के अनुशीलन के बाद इस क्षेत्र को विस्तृत खोज के योग्य मानते हैं और यहाँ चीनी (मंगोल) बौद्ध व शाक्य परम्परा की मिश्रित सभ्यता मानते हैं।

gfjfl)h ekrk efnj <kdkuh ¼<kdouh½& अशोकनगर से 28 कि.मी. व ईसागढ़ से 8 कि.मी. चन्देरी रोड पर ढाकोनी गांव स्थित है। बस स्टेण्ड चौराह के सामने एक मंदिर एवं तालाब है। यह अति प्राचीन है। धार्मिक पुस्तकों में भी लेख पढ़ने को मिलते हैं कहा जाता है कि यह मंदिर व तालाब राजा नल के समय बनाये गये थे। एक बार राजा नल को विपत्ती पड़ी तो राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती विपत्ती के समय यहीं रूके। भूख से बेचैन राजा ने तालाब से मछली पकड़ी और तालाब के किनारे रख दी। खाने की तैयारी करने लगे जैसे ही मछली उठाने लगे तो वह उछलकर तालाब में चली गई। राजा नल ने माँ हरिसिद्धी से प्रार्थना की तभी एक साधु आया और भोजन की व्यवस्था हुई। उस समय यहाँ ढाक के वृक्षों का घनघोर जंगल था जिससे यह जंगल ढकवनी कहलाता था जो बिगड़कर ढाकोनी बना।

माँ की मूर्ति काले रंग की छवि की है जो उज्जैन की हरिसिद्ध माता के रूप में विराजमान है। यहाँ तालाब में मछलियाँ आज भी काले रंग की भुनी हुई सी छवि की मिलती हैं।[8] माँ से प्रार्थना करने पर सभी कष्टों का निवारण उनके आशीर्वाद से शीघ्र होता है। यहाँ के पुजारी श्री रमेश शर्मा है जो माँ की सेवा कर रहे है।

nsodkuh ekrk & अशोकनगर देवकानी माता का स्थल ईसागढ़ तहसील से 7 किलोमीटर दूर कदवाया रोड़ पर गहन जंगल में स्थित है शोधार्थी के स्थानीय भ्रमण व जनश्रुतियों तथा मंदिर के महन्त श्री रामकिशोर दास जी के साक्षात्कार के उपरांत ज्ञात हुआ कि यह मंदिर श्री श्री 1008 श्री महन्त राम किशोर दास महाराज द्वारा बताया गया था[9] कि यह स्थान लगभग 250 वर्ष पुराना है। ऐसा यहाँ प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है। 1960 के दशक में महन्त जी द्वारा इस स्थान का जीर्णोद्धार कराया गया था। उस समय यहां घनघोर जंगल था। नीलगाय, चीतल, शेर, जंगली भैंसा आदि जंगली जानवर यहाँ रहते थे। इस स्थान पर महाराज ने तपस्या कि इसी अवधि में जीर्णोद्धार कराया। जहाँ माता देवकानी के अतिरिक्त बजरंगबली एवं शंकर जी का स्थान है। महाराज द्वारा बताया गया कि शंकर जी का मंदिर में पूर्व में हनुमान जी की स्थापना होनी थी। लेकिन स्वप्न में दिशा निर्देश हुआ यहाँ शंकर जी की स्थापना होनी है। फिर इस स्थान पर शंकर जी की स्थापना हुई और हनुमान जी की स्थापना दूसरी जगह की गई। मंदिर में लगभग 3 बीघा जमीन है। परकोटा बना हुआ है। एक धर्मशाला एवं यज्ञ मण्डल स्थित है। देवकानी माता के बारे में बताया गया कि माता जी अपने भक्तों को पूर्व स्वप्न देकर बुलवाती है एवं सभी की इच्छा पूरी करती है। श्री महेश श्रीवास्तव, विवेकानन्द द्वारा बताया गया कि एक बार अचानक दिनेश श्रीवास्तव उन्हें इस स्थान पर ले गये। देखने पर ज्ञात हुआ कि यह स्थान कुछ दिन पूर्व ही स्वप्न में देखा था। श्री महन्त जी द्वारा बताया गया कि वन के देवी–देवता बहुत उदार होते हैं। यह देवी वनदेवी है बहुत उदार सभी की मनोकामनाऐं पूर्ण करती है। यहाँ प्रतिवर्ष नवरात्रों में आसपास के ग्रामों से लोग श्रद्धा–भक्ती के साथ यहां दर्शन करने आते हैं। महिलायें मुख्य मार्ग से पेड़ोती भरकर (जमीन पर लेटकर) इस स्थान पर आती हैं। माता मंदिर के द्वार पर महावीर स्वामी की मूर्ति स्थित है। इस स्थान से 1 किलोमीटर दूर जंगल में सिद्धबाबा का कोटरा नामक स्थान है। जहाँ सास–बहु नाम से दो कुण्ड हैं, जिनमें से पानी अनवरत बहता रहता है पास में ही एक खण्डहर किला एवं सिंधिया कालीन शिकारगाह एवं जीर्णशीर्ण शिवमंदिर भी है यह स्थान बहुत रमणीक दिखाई देता है।

chtklu ekrk ¼dnok;k½ & अशोकनगर से 51 किलोमीटर दूर तहसील ईसागढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम कदवाया में बीजासन माता का मंदिर स्थित है। महाभारत काल में राजा शिशुपाल सिंह के जनपद के अंग के रूप में कदवाया आता था। यहाँ 12वीं शताब्दी के सभी मंदिर मठ

देखने मिलते हैं। कहा जाता है ''छप्पन मठ चौरासी कूँआ चार तालियाँ चार ताल इनके बीच करवाया बसा'' यहाँ शैव सम्प्रदाय के मठ थे। जिनमें दो मठ प्रसिद्ध हैं। जिन्हें मुरायते कहते हैं। खण्डहर अवस्था में शिवमंदिर प्राचीन कलाकृतियों के जीवित उदाहरण देखे जा सकते हैं यहाँ प्राचीन एक गढ़ी है। जो छः मंजिल थी एक मंजिल गिर गई है। दो मंजिल है जो दिखाई देती है। तीन मंजिल भूमि के अंदर बनी है। पुरातत्व विभाग की खुदाई से एक बाबाड़ी इसी गढ़ी में मिली है। पुरातत्व विभाग द्वारा खोज चल रही है। शिवमंदिर खजुराहों शैली पर बने हैं। कुछ मंदिर एक पत्थर से ही निर्माण हुये बने हैं। माँ बिजासन माता का मंदिर पहले ग्राम से दूर था। अब ग्राम वहीं तक बस गया है। कहा जाता है कि यह मंदिर अतिप्राचीन है। अंदर प्रवेश के लिऐ छोटे दरवाजे से झुककर प्रवेश करना पड़ता है। बताया जाता है कि माँ अंधो को आँख देती है। जिन लोगों की आँखे खराब हो जाती हैं। माँ से प्रार्थना करने पर रोशनी पुनः आती है। आँख ठीक होने पर भक्तगण चाँदी की आँख माँ को चढ़ाते हैं। कई भक्तों को माँ से मनौति करने पर पुत्र प्राप्त हुये। माँ बहुत दयालु है। ऐसा यहाँ आये भक्तों ने बताया। प्रति नवरात्रि पर मेला लगता है। नवदुर्गा पर देश–विदेश से भक्त दर्शन करने मनौति माँगते आते हैं। माह की प्रत्येक चौदस पर यहाँ मेला लगता है। यहाँ का गृह उद्योग पत्थर से शिल लोका, चकिया एवं मूर्ति बनानें का है।[10]

tkx'ojh ekrk ¼pnsjh½ & अशोक नगर से 66 किलोमीटर दूरी पर चंदेरी स्थित है। महाभारत काल में राजा शिशुपाल की नगरी चंदेरी कही जाती थी। यहाँ के राजा मेदनीराय ने 29 जनवरी 1528 ई. में बाबर से युद्ध किया था। पहाड़ी क्षेत्र होने से बाबर ने एक रात्रि में घाटी को कटवाया था। तभी सेना प्रवेश कर पाई थी। जिसमें मेदनीराय की हार हुई थी। आज भी वह घाटी कटी–घाटी के नाम से जानी जाती है।

माँ जागेश्वरी का मंदिर किले के पास काफी ऊँचाई पर पहाड़ में बना हुआ है। यहाँ पहाड़ी से निरंतर जल गिरता रहता है। मंदिर के पास कुण्ड बने हुए हैं। उनमें पानी भर जाता है। इस कुण्ड से पानी पीने से माँ के आर्शीवाद से कई बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं।[11]

इस प्रकार स्पष्ट है कि अशोकनगर जिला शाक्त धर्म का प्रमुख स्थल रहा है।

lUnHkZ %

1. डा0 विनीतकुमार ''गुरू'' के अनुसार
2. डॉ. हरिवल्लभ माहेश्वरी 'जैसल; ग्वालियर राज्य के सिक्कों का इतिहास
3. करीलाधाम के भक्त श्री मनीष उपाध्याय के अनुसार
4. खलकसिंह निवासी अशोकनगर के अनुसार
5. भक्त श्री रामजीलाल यादव के अनुसार
6. श्रीमद् भागवत में उल्लेखानुसार
7. अशोकनगर इतिहास लेखक श्री राजनारायण बोहरे के अनुसार
8. हरसिदी मंदिर पुजारी श्री रमेश शर्मा के अनुसार
9. देवकानी माता के महन्त श्री रामकिशोरदास जी के अनुसार
10. पुरातत्व विभाग के अधिकारी श्यामसुन्दर त्रिवेदी जी के अनुसार
11. भक्त शंभूदयाल यादव निवासी चंदेरी के अनुसार

***

Hkkjrh; lfo/kku d okLrqdkj vEcsMdj

Mk- fLerk flag*

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1881 को हुआ था। वे एक भारतीय विधिवेक्ता, बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनुरुथानवादी होने के साथ–साथ भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म एक गरीब अस्पृश्य परिवार में हुआ था. अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन हिन्दू धर्म की वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया. हिन्दू धर्म में मानव समाज को चार वर्णों में वर्गीकृत किया गया है. वे इन्हीं वर्ण विभेद के विरुद्ध थे तथा जीवन भर संघर्ष करते रहे. उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आन्दोलन को प्रारम्भ करने का भी श्रेय जाता है. बाबा साहेब को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है।

çkjfEHkd thou %

भीमराव अम्बेडकर का जन्म ब्रिटिश द्वारा केंद्रीय प्रान्त अब मध्यप्रदेश में स्थापित नगर व सैन्य छावनी मऊ में हुआ था. वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमा बाई मुरादाबाद की 14 वीं व अंतिम संतान थे उनका परिवार मराठी था और वो अम्बावडे नगर जो आधुनिक महाराष्ट्रा के रतनागिरी जिले में से सम्बंधित था. वे हिन्दू महार जाति से सम्बंध रखते थे जो अछूत कहे जाते थे। अम्बेडकर के पूर्वज लम्बे समय तक अंग्रेज कंपनी की सेवा में थे और यह काम करते हुए सुबेदार के पद तक पहुंचे थे। उनके पिता ने सेना में अपनी हैसियत का उपयोग अपने बच्चो को सरकारी स्कूल से शिक्षा दिलाने में किया। क्योकि अपनी जाति के कारण उन्हें इसके लिए सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड रहा था। 1854 में रामजी सकपाल सेवानिवृत्त हो जाने के बाद सपरिवार सतारा चले गये और इसके दो साल बाद अम्बेडकर की माँ की मृत्यु हो गई। रामजी सकपाल के केवल तीन बेटे बलराम आनंदराव भीमराव और दो बेटियां मंजुला और तुलासाही इन कठिन हालातों में जीवित बच पाए। रामजी सकपाल ने 1898 में पुनर्विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई चले आये।

f'k{kk %

अम्बेडकर मुंबई स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। पढाई में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद अम्बेडकर लगातार अपने विरुद्ध हो रहे अलगाव और भेदभाव से व्यथित रहे। 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करके अम्बेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह वो भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। अम्बेडकर की सगाई एक साल पहले हिन्दू रीति के अनुसार दापोली की एक नौ वर्षीय लड़की रमा बाई से तय की गयी थी। 1908 में उन्होंने एलिफिन्स्टोन कॉलेज में प्रवेश लिया और बड़ौदा के गायकवाड शासक सहाजी राव तृतीय से संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च अध्ययन के लिए पच्चीस रुपये प्रति माह का वजीफा प्राप्त किया। 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आये भेदभाव से अम्बेडकर ने दुःखी हो कर अपनी नौकरी त्याग दी। अपने एक अंग्रेज जानकर मुंबई के पूर्व राज्यपाल लार्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई. 1920 में उन्हें पुन ब्रिटेन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ उनके उपलब्धियों के कारण लन्दन विश्वविद्यालय द्वारा डॉ.

*शिक्षाशास्त्र विभाग, महिला कालेज, बस्ती, उ0प्र0

ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। तत्पश्चात उनकी कानून का अध्ययन पूरा होने के साथ ही साथ उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। बाद में औपचारिक रूप से कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पी0 एच0 डी0 प्रदान की गई।

NvkNr d fo#) l?k"k %

भारत सरकार अधिनियम 1919. तैयार कर रहा साउथबेरौ समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान् के तौर पर अम्बेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में मुंबई में उन्होंने साप्ताहिक रूढ़िवादी हिन्दू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनैतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मलेन के दौरान दिए गये भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया. जिनका अम्बेडकर के साथ भोजन करना रुढ़िवादी समाज में हलचल मचा गया। अम्बेडकर ने अपनी वकालत अच्छी तरह जमा ली और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जिसका उद्देश्य दलित वर्गों की शिक्षा का प्रसार और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था। सन् 1926 में वो मुंबई विधान परिषद् के एक मनोनीत सदस्य बन गये। सन 1927 में डॉ अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक आन्दोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया उन्होंने महार में अस्पृश्य समुदाय को भी पानी की मुख्य टंकी से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। इसके साथ ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1927 की कोरेगांव की लड़ाई में मारे गये भारतीय सैनिकों के सम्मान में कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से सम्बंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाये।

iuk lf/k %

अब तक डॉ अम्बेडकर आज तक की सबसे बड़ी राजनितिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता मोहनदास गाँधी की आलोचना की। उन्होंने उन पर अस्पृश्य समुदाय को एक करुणा के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। अम्बेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओ से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनैतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस के कई नेताओ में भी बहुत लोकप्रिय बना दिया। यह वही नेता थे जो पहले छुआ छूत की निंदा करते थे। इसका मुख्य कारण था की ये उदार राजनेता आमतौर पर अछूतों को पूर्ण समानता देने का मुद्दा पूरी तरह से नही उठाते थे। अम्बेडकर की अस्पृश्य समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जनसमर्थन के चलते उनको 1931 में लन्दन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यहाँ उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गाँधी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिन्दू समाज की भावी पीढ़ी को हमेशा के लिए विभाजित कर देगी।

1932 में जब ब्रिटिशों ने अम्बेडकर के साथ सहमति जताते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचन देने की घोषणा की तब गाँधी ने इसके विरोध में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू के दिया। गाँधी के अनशन को देश भर की जनता से घोर समर्थन मिला और रुढ़िवादी हिन्दू नेताओं कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं जैसे पवलकर बालू और मदन मोहन मालवीय ने अम्बेडकर और उनके समर्थकों के साथ यरवदा में संयुक्त बैठकें की। अनशन के कारण गाँधी की मृत्यु होने की स्थिती में सामाजिक प्रतिरोध के कारण होने वाली अछूतों की हत्याओं के डर से और गाँधी जी के समर्थकों के भारी दबाव के चलते अम्बेडकर ने भारी मन से अपनी पृथक निर्वाचिका की माँग वापस ले ली। इसके एवज में अछूतों को सीटों

के आरक्षण मंदिरों में प्रवेश एवं पूजा के अधिकार तथा छुआछूत खत्म करने की बात स्वीकार ली गई। गाँधी ने इस उम्मीद पर की बाकी सभी सवर्ण भी पूना संधि का आदर कर सभी शर्ते मान लेंगे अपना अनशन समाप्त कर दिया। कालांतर में अम्बेडकर ने गाँधी जी की आलोचना करते हुए उनके इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांगों से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गाँधी का एक नाटक करार दिया।

jktuhfrd thou %

अक्टूबर 1935 को अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। समय चक्र के क्रूर पहिये ने इसी वर्ष उनसे उनकी पत्नी को छीन लिया मृत्यु से पूर्व उनकी पत्नी पढरपुर तीर्थ स्थल जाना चाहती थी। परन्तु उन्होंने मना कर दिया। भले ही अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी लड़ाई को संपूर्ण देश से समर्थन मिल रहा था परन्तु वे रुढ़िवादी हिंदुओं की आलोचना का शिकार भी हो रहे थे। इसी बीच उन्होंने हिन्दू धर्म त्यागने की इच्छा भी प्रगट की। 1936 में अम्बेडकर ने स्वतन्त्र लेबर पार्टी की स्थापना की जो 1937 में केन्द्रीय विधान सभा चुनावों में 15 सीटें जीती। अम्बेडकर रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में भी सेवारत रहे। 1941 से 1945 के बीच में बाबा साहेब ने` विवादास्पद पुस्तकें लिखी। जिसमें उन्होंने हिन्दू धर्म कांग्रेस और गाँधी की कटु आलोचनाएँ की। अपने एक विवादस्पद पर्चा थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की माँग की आलोचना की। अम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में बदलते देखा। हालाँकि 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में इसने खराब प्रदर्शन किया।

lfo/kku fuek.k %

अपने विवादस्पद विचारों और गाँधी और कांग्रेस की कटु आलोचनाओ के बावजूद अम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान् और विधिवेक्ता की थी जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अम्बेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर को स्वतन्त्र भारत के नये संविधान की रचना के लिए बनी संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर नियोक्ता किया गया। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया।1951 में संसद में अपने हिन्दू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अम्बेडकर ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। अम्बेडकर ने 1952 में लोक सभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा पर हार गये। मार्च 1952 में उन्हें संसद के उपरी सदन राज्य सभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनकी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे।

ck) /kel e ifjorlu %

सन् 1950 के दशक में अम्बेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका तब सेलोन गये। अक्टूबर 1956 को नागपुर में अम्बेडकर ने औपचारिक सार्वजानिक समारोह का आयोजन किया। अम्बेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारम्परिक तरीके से तीन रत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक अनुमान के अनुसार लगभग 500000 समर्थकों को बौद्ध धर्मं में परिवर्तित किया। नवयान में अम्बेडकर और उनके समर्थकों ने हिन्दू धर्म और हिन्दू दर्शन की स्पष्ट निंदा की और उसे त्याग दिया।

egkijfuok.k %

1948 से अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया। अपनी अंतिम पाण्डुलिपि बुद्ध और उनके धर्म को पूरा करने के तीन दिन बाद 6 दिसम्बर 1956 को अम्बेडकर की मृत्यु नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गई। 7 दिसम्बर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया जिसमें हजारों समर्थकों कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों

ने भाग लिया। मृत्युपरांत अम्बेडकर के परिवार में उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर रह गई थीं जो जन्म से ब्राह्मण थी पर उनके साथ वो भीं धर्म परिवर्तित कर बौद्ध बन गई थी। विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम शारदा कबीर था। सविता अम्बेडकर की एक बौद्ध के रूप में सन 2002 में मृत्यु हो गई। अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश यशवंत अम्बेडकर भारिपा बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते है।

fu"d"k

अम्बेडकर की सामाजिक और राजनीतिक सुधारक की विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पडा है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में उनकी सामाजिक और राजनैतिक सोच को सारे राजनैतिक हलके का सम्मान हासिल हुआ। उनकी इस पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज के भारत की सोच को प्रभावित किया। उनकी यह सोच आज की सामाजिक आर्थिक नीतियों शिक्षा कानून और सकारात्मक कार्यवाई के माध्यम से प्रदर्शित होती है। एक विद्वान् के रूप में उनकी ख्याति उनकी नियुक्ति स्वतन्त्र भारत के पहले कानून मंत्री और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में रुढ़िवादी और जातिवादी हिन्दू समाज और इस्लाम की संकीर्ण और कट्टर नीतियों की खुलकर आलोचना की। उनकी हिंदू और इस्लाम की निंदा ने उनको विवादास्पद और अलोकप्रिय बनाया है। हालाँकि उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के बाद भारत में बौद्ध दर्शन में लोगों की रूचि बढाई है। अम्बेडकर के राजनीतिक दर्शन के कारण बड़ी संख्या में दलित राजनैतिक दल प्रकाशन और कार्यकर्ता संघ अस्तित्व में आये है जो पुरे भारत में सक्रिय रहते है विशेष रूप से महाराष्ट्र में उनके दलित बौद्ध आन्दोलन को बढ़ावा देने से बौद्ध दर्शन का भारत के कई भागों में पुनर्जागरण हुआ है। दलित कार्यकर्ता समय–समय पर सामूहिक धर्म परिवर्तन के समारोह उसी प्रकार आयोजित करते रहते है जिस तरह अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर में आयोजित किया था।

lUnHkZ

1. अम्बेडकर, बी० आर०; संपूर्ण वाड्मय खण्ड 9, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
2. शास्त्री, शंकरानन्द; पूना पैक्ट बनाम गाँधी, सिद्धार्थ बुक्स, दिल्ली.
3. पुरणमल; दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर ,2002.
4. अम्बेडकर बी० आर० कांग्रेस और गाँधी ने अछूतों के लिए क्या किया, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली.
5. अम्बेडकर बी० आर०; संपूर्ण वाड्मय खण्ड–10, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
6. सागर, एस० एल०; गाँधी और अम्बेडकर विवाद, सागर प्रकाशन, मैंनपुरी,1992.
7. अम्बेडकर ,बी० आर०; संपूर्ण वाड्मय खण्ड16, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
8. सिंह, रघुवीर; इक्कीसवी सदी में अम्बेडकरवाद, मनभावन प्रकाशन, दिल्ली, 2007.
9. दाजिबा नाइक. बौद्ध वचन तथा अम्बेडकर विचार

***

lk[; n'kZu dk ifrik| fo"k;

vuqt dqekj*

सांख्य दर्शन का तत्त्वज्ञान की दृष्टि से एक उच्चः स्थान है। सांख्य में सर्वप्रथम तीन प्रकार के तापों एवं बन्धनों का वर्णन है। वे हैं आध्यात्मिक, आधि–भौतिक और आधिदैविक। ऋग्वेद 1/24/13[1] में लिखा है कि शुनः शेप त्र ज्ञान का सम्पर्क करने वाला जीव तीन द्रुपद त्र तीन प्रकार के दुःखों में फंसा हुआ। प्रकाशमान् परमेश्वर को पुकारता है। वह वरणीय परमेश्वर जो सबका स्वामी, शक्तिमान् है इन बन्धनों को जानता है और इनसे छुड़ावे। यहाँ पर कितना मनोज्ञ वर्णन इस विषय का मिल रहा है।

इसी प्रकार ऋग्वेद 1/105/17 में त्रित[2] का कूप में पतन वर्णित है। यह त्रित क्या है? तीन बन्धनों एवं दुःखों में पड़ा हुआ जीव त्रित है। संसार ही कूप है। यहाँ पर भी उपयुक्त भाव की पुष्टि होती है। त्रित का ऐसा अर्थ यास्क और स्कन्द स्वामी दोनों को अभिप्रेत है। सांख्य का एक सिद्धान्त यह है कि ज्ञान से मुक्ति और मिथ्याज्ञान से बन्ध होता है। ऋग्वेद 1/164/37[3] में जीव कहता है, कि यह मैं जिस स्वरूप का हूँ, इसको नहीं जानता। बन्धन में फंसा हुआ मन से विचरता हूँ। ज्ञान की आदि रश्मियें जब मुझको प्राप्त होती हैं तब मैं वाणी के भजनीय वाच्य त्र ब्रह्म को प्राप्त होता हूँ। इसी प्रकर ऋग्वेद 1/164/21[4] मंत्र में यह भाव व्यक्त किया गया है कि जिस परमेश्वर में जीव लोग ज्ञान के द्वारा (विदथा) मोक्ष के भोग को निरन्तर भोगते हैं, भुवन का स्वामी तथा रक्षक, वीर परमेश्वर इस आनन्द में मुझ पवित्र आत्मा को प्रविष्ट करावे। यहाँ मंत्र में स्पष्ट ही ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन है। ऋग्वेद 1/164/22[5] मंत्र और भी स्पष्टीकरण कर देता है। उसमें यह भाव मिलता है कि– जिस प्रकृति पर बैठे हुए कर्मफल और विषयों के भोक्ता जीवात्मा संसार में कर्मानुसार (अज्ञानपर्यन्त) पैदा होते, जाते रहते हैं तथा उसके फल को अर्थात् भोग को स्वाद कहते हैं। परन्तु आगे (अग्र) वह जो स्वादु फल मोक्ष है उसको नहीं प्राप्त कर पाता जो सबके पिता परमेश्वर को नहीं जान लेता। यहाँ पर भी उसी पूर्वोक्त अर्थ की पुष्टि की गयी है। मोक्ष परम पुरुषार्थ है– यह सांख्य सिद्धान्त है। इसका मूल ऋग्वेद 4/54/2[6] मंत्र में विद्यमान है। इस मंत्र में लिखा है कि परमेश्वर याज्ञिक जनों को उत्तम भाग अमृत त्र मोक्ष को प्रथम देता है। यह चारों तरफ से मनुष्यों के लिए रस्सियाँ = बन्धनों को खोल देता है और अनुकूल जीवन = मोक्षजीवन को देता है।

सांख्य में प्रकृति, पुरुष और परमेश्वर को अनादि माना गया है। ऋग्वेद 1/164/20[7] में इन तीनों को अनादि माना गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद 10/129[8] सूक्त में जीव, ईश्वर और प्रकृति का अनादित्व माना गया है। इसके दूसरे मंत्र में परमेश्वर का वर्णन है। पाँचवे मंत्र में जीवों और प्रकृति का वर्णन है। तीसरे मंत्र में तमस्, सलिल, आभु और प्रथम मंत्र में ''अम्भः'' पद आये हैं। दुर्गाचार्य ने ''तम आसीत्'' इस मंत्र की निरुक्त दैवत काण्ड में टीका करते हुए लिखा है कि सांख्य लोग तमस् शब्द से प्रधान का ग्रहण करते हैं। इस विषय में पारमार्ष सूत्र कहते हैं– तम[9] ही पूर्व अवस्था में था। उस तम में क्षेतज्ञ विद्यमान था। दुर्ग वहां पर तमः का अर्थ साम्यापन्नगुणत्रय प्रधान किया है। सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका टीका में वाचस्पति कहते हैं कि– ''अम्भः''[10] यह शब्द गुण और लिङ्ग के समुच्चय का सूचक है। सत्त्व, रजस् और तमस् गुण है तथा महत्त्व आदि लिंग है। इसमें ये सन्निहित हैं अतः

*शोधच्छात्र, आर.आर.पी.जी.कॉलेज

यह ''अम्भ'' है क्योंकि यह अमित रूप से प्रकाशमान है। ''सलित'' इसका नाम इसलिये है कि सत् त्र उपादान में विकार का लय होता है। उसके होने पर उसमें जगत् का लय होता है। ''आभु'' इसे इसी कारण से कहा जाता है, कि अपने कार्यों में यह प्रधान सर्वत्र व्यापक है। इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि अम्भ, तम, सलिल और आभु पद नासदीय सूक्त में सांख्यों के अनुसार प्रधान के लिए व्यवहृत है। पुरुष का अर्थ परमात्मा और जीवात्मा है– यह भी वेद से ही आया है। यजुर्वेद 31/1 तथा यजुर्वेद 31/3[11] में ''पुरुष पद परमात्मा अर्थ में प्रयुक्त है। यजुर्वेद 23/51–52[12] में पुरुष पद का प्रयोग जीव के अर्थ में है।

सांख्य में सृष्टि की प्रक्रिया को दिखलाते हुए प्रकृति, महत्तत्त्व अहंकार, पंचतन्मात्रा, 10 इन्द्रिय और 11वाँ मन, पाँच स्थूल–भूत पृथिव्यादि और पुरुष मिलकर 25 का गण कहा गया है। प्रकृति का वर्णन स्वधा तथा अम्भः, तमस्[13] आदि पदों से वेद में पाया जाता है– यह पूर्व कहा जा चुका है। महत्तत्व को पूर्वचित्ति[14] नाम से बतलाया गया है प्रतिभा वा महत्तत्त्व से लेकर पांच तन्मात्राओं पर्यन्त आठ प्रकृति विकृतियाँ होती हैं, जिनका वर्णन अदिति के आठ पुत्रों के नाम से मिलता है।[15] इन्द्रियाँ और मन का वर्णन इसी प्रकरण में मनोविज्ञान शीर्षक में किया गया है। पाँच भूतों का वर्णन यजुर्वेद 23/52[16] में किया गया है। पुरुष का वर्णन पूर्व की पंक्तियों में कर ही दिया गया है। इस प्रकार से 25 तत्त्व भी वैदिक हैं। महत्तत्त्व प्रकृति का प्रथम कार्य है अथवा उससे पूर्व और कोई तत्त्व उत्पन्न होता है– इस विषय में दो विचार सांख्य में पाया जाता है। प्रकृति से अनिर्देश्य तत्त्व उत्पन्न होता है और उसके अनन्तर महत्तत्व उत्पन्न होता है। इसी प्रकार करण = इन्द्रियादि साधन 11 प्रकार के हैं– ऐसा वार्षगण; 10 प्रकार के हैं– ऐसा तांत्रिक और पंचाधिकरण; 12 प्रकार के हैं– ऐसा पतंजलि मानते हैं।[18] वर्तमान सांख्य सूत्रों में त्रयोदश प्रकार के करण माने गये हैं। ये सूक्ष्म भेदों को गिनने और छोड़ने के कारण से भेद है। वेद का इन भेदों से कोई तात्पर्य नहीं। वह ईश्वरीय ज्ञान है उसमें ऐसी बातों का कोई संकेत नहीं है। वेद में प्रतिभा, महत्तत्त्व, अहंकार, पांच तन्मात्रायें– ये आठ प्रकृति के कार्य हैं। ये ही अदिति के आठ पुत्र हैं। जिसको अनिर्देश्य तत्त्व कहा जा रहा है वही स्यात् प्रतिभा नाम का तत्त्व है। यास्क ने निरुक्त परिशिष्ट में जगत् के लयक्रम को दिखलाते हुए महत्तत्त्व का लय प्रतिभा और प्रतिभा का लय प्रकृति में माना है।[19]

सांख्य के सिद्धान्तानुसार पुरुषों का जन्म आदि की व्यवस्था से बहुत महत्व है। ऋग्वेद 10/129/5 में महिमानः त्र मुक्त और रेतोधाः त्र कर्मफल के भोग को प्राप्त करने वाले जीवों का वर्णन है। इससे पुरुष की अनेकता सिद्ध है। ऋग्वेद 1/164/1,22 मंत्रों से भी यही धारणा संपुष्ट होती है।

सांख्य में सत्कार्यवाद का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है, यह भी वैदिक है। ऋग्वेद 10/73 सूक्त और 10/129 सूक्त में सत् और असत् पद का प्रयोग है। 73वें सूक्त में असत् का अर्थ अव्यक्त कारण है। तथा सत् का अर्थ व्यक्त है। 129 स्कूलों में असत् का अव्यक्त अर्थ भी है और अभाव अर्थ भी है। परन्तु सत् का व्यक्त ही अर्थ है। दोनों स्थलों तथा अन्य अनेकों स्थलों पर भाव कारण से ही भाव कार्य की उत्पत्ति का वेदों में वर्णन है। इन दोनों सूक्तों में अजायत, आरभत्, जाताः, अवर्तत्, अन्वविन्दन्, विवत आसीत्, आजाता, विसृष्टि, विसर्जन, आभूव आदि पद परिणाम–वाद और आरम्भक–वाद दोनों को वर्णित करते हैं। वस्तुतः दोनों में भेद नहीं है। यही भाव ऋग्वेद 10/190/1–3 मंत्रों में प्रयुक्त अजायत, विदधद्, अकल्पयत् आदि क्रियायें भी प्रकट करती हैं। सांख्य में प्रयुक्त ''असत्'' पद नासदीय सूक्त में प्रथम मन्त्र में प्रयुक्त असत् के अर्थ को लेकर परिभाषित है। सांख्य में उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भेद से गुणों के अनुसार योनियाँ तीन प्रकार की मानी गयी हैं। इनमें ही पुरुष बंधा है। ऋग्वेद 1/24/15 में उत्तम, मध्यम[20] और अधम– ये तीन प्रकार के पाश कहे गये हैं। ये ही तीन प्रकार की योनियाँ है। इसी प्रकार अथर्व0 10/7/8 में परम्, अवम, मध्यम पदों के प्रयोग से भी इस बात की पुष्टि की गयी है।[21] सांख्य में ''अशक्ति'' 28 प्रकार की मानी गयी है। योग में समाधि आदि के द्वारा जब ये अशक्तियाँ दूर हो जाती हैं तब शक्ति भी

28 प्रकार की उत्पन्न होती हैं। अथर्व0 19/8/2[22] में इन शक्तियों का वर्णन है। यह जगत् जीवन के लिए (अर्थात् उसके भोग और मोक्ष के लिए) है– ऐसा सांख्यों का सिद्धान्त है। ऋग्वेद 9/62/28[23] में लिखा है कि हे जीव! तेरी महिमा त्र पुरुषार्थ के लिए ये भुवन स्थिर हैं। ये गमनशील दृश्य तुझे प्राप्त होते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय जिसकी चार अवस्थायें होती हैं, उत्तम, मध्यम, और अधम योनियां जिसके कर्मानुसार प्राप्तव्य स्थान हैं, बन्ध और मोक्ष अर्थात् भोग और उपवर्ग जिसके दो प्रधान उद्देश्य हैं, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अवैराग्य, अज्ञान, अनैश्वर्य आदि सात जिसके बन्धन के हेतु हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से बंधा हुआ यह आत्मा पुरुष मर्त्यपिण्डों में प्रवेश किये हुए बोलता है। यह ऋग्वेद 4/58/3[24] मन्त्र में वर्णित है। सांख्य के सिद्धान्तों का इससे मेल है। सांख्य लोग वृक्ष में भी जीव मानते हैं। ऋग्वेद 10/16/3[25] के अनुसार वृक्ष में जीव का होना पाया जाता है तथा अथर्ववेद[26] में एक स्थल पर वृक्ष को गाढ़ निद्रा में स्थित माना गया है। सांख्य में सांकल्पिक सृष्टि का भी वर्णन है। यह आदिम व्यवस्था की अमैथुनी सृष्टि का उन्नायक है। ऋग्वेद 10/18/10–12 मन्त्रों में इस भाव का प्रकटीकरण मिलता है। ऋग्वेद 5/60/527 मंत्र में युवा अवस्था में अमैथुनी सृष्टि का वर्णन है।

lUnHkZ %

1. शुनः शेपो ह्यह्वद्ग्रभीतस्त्रिस्वादित्यं द्रुपदेषु बद्धः। ऋग्वेद 1/24/13
2. वैदिक–इतिहास–विमर्श में त्रित का वर्णन देखें।
3. न विजानामि यदिवेदमस्मि– यदा मागन् प्रथमजा ऋतस्य–।।ऋ0 1/164/37
4. यत्रासुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथामिश्चरन्ति।।1/164/37
5. यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णाः। ऋग्वेद 1/164/22
6. आदिद्दमानं सवितर्व्यूर्णुषे– मानुषेभ्यः। ऋग्वेद 4/54/2
7. द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषष्वजाते। ऋग्वेद 1/164/20
8. तपसस्तन्महिना जायतैकम्, रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अधस्तात् प्रायातिः परस्तात्। ऋग्वेदीय नासदीय सूक्त (10/129 सूक्त)। इसका विशेष वर्णन इसी प्रकरण में वेद और दार्शनिक तत्त्व के प्रसंग में देखें।
9. तमः प्रधानं त्र साम्यापन्नं गुणत्रयम् (दुर्गावृत्ति निरुक्त 7/3); सांख्यास्तु तमः शब्देन प्रधानं साभ्यापन्नं गुणत्रयमुच्यमानमिच्छन्ति। तेहि पारमर्ष सूत्रमधीयते– 'तम एव खल्विदमग्रे आसीत्। तस्मिस्तमसि क्षेत्रज्ञ एव प्रथमोऽध्यवर्त्तत। निरुक्त दैवतकाण्ड दुर्गवृत्ति।
10. 'अम्भः' इति गुणलिंगसन्निचयमेवाधिकुरुते। गुणाश्च सत्वरजस्तमांसि लिङ्गञ्च महदत्र सन्निहितं भवति। तदिदं प्रधानमितं भात्यमितमुपलभ्यत् इत्यम्भः। युक्तिदीपिका 50।।, सत्युपादाने विकारो लीयते इति। सति तस्मिन् लीयते जगत् ।। युक्ति दीपिका 50। आभु आ समन्ताद्वर्तमानं विभु प्रधानम्।। युक्तिदीपिका 50।
11. एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः। यजुः0 31/63
12. केष्वत्र पुरुष आविवेश।। पंचष्वन्तः पुरुष। यजुः0 23/51–52
13. इसी प्रकरण में वेद में तीन मूलकारण का प्रसंग देखें।
14. द्यौरासीत् पूर्वचित्तिः। यजुः 23/54
15. ऋग्वेद, 10/72 सूक्त।।
16. पंचष्वन्तः पुरुष आविवेश।। यजु0 23/52
17. केचिदाहुः प्रधानादनिर्देश्यं तत्त्वान्तरमुत्पद्यते ततो महानिति। पतंजलिपंचाधि–करणवार्षमणानां प्रधानान्महानुत्पद्यते। युक्तिदीपिका 61 कारिका का व्याख्यान
18. एकादशविधिमिति वार्षगणाः, दशविधिमिति तान्त्रिकाः–पंचाधिकरणप्रभृतयः। द्वादशविधिमिति पतंजलिः (युक्तिदीपिका 31, कारिका पर) करणं त्रयोदशविधिमवान्तरभेदात्– सांख्यसूत्रम्।
19. महानात्माप्रतिभां प्रतिभा प्रकृतिम् (निरुक्तपरिशिष्ट)
20. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमम्। ऋग्वेद 1/24/15
21. यत्परममवमं यच्च मध्यमम्। अथर्व0 10/7/8

22. अष्टाविंशनि शिवानि। अथर्व0 19/8/2
23. तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे।। ऋ0 9/62/28
24. चत्वारि श्रृङ्गा त्रयों अस्य पादा। ऋ0 4/58/3
25. यदि तत्र ते हितमोषधीसु प्रतिष्ठाः शरीरैः। ऋ0 10/61/3
26. अस्थुर्वृक्षा उर्ध्वस्वप्नाः। अथर्व0 6/44/1
27. अज्येष्ठासो अकनिष्ठासः। ऋग्वेद 5/60/5

***

Nk;kokn % ,d fo'y"k.kRed v/;;u

vijkftrk feJk*

हिन्दी साहित्य के इतिहास में 1918 से लेकर 1936 तक जो काव्यान्दोलन चला उसको हम 'छायावाद' की संज्ञा से अभिहित करते हैं। 'छायवाद' एक विशेष ऊर्जा एवं उत्साह के साथ विकसित ही नहीं होता है बल्कि पुष्पित एवं पल्लिवित भी होता है। यह काव्यान्दोलन अपने आप में अभूतपूर्व (अद्भूत) है। यह द्विवेदी युग में व्याप्त नैतिकता और मर्यादावाद को अपने काव्य में प्रतिमान के रूप में नहीं स्थापित करता हैं। छायावादी कवि संयम एवं मर्यादा से बँधी लीक को छोड़कर 'स्वातंत्र्यबोध' को अपने काव्य में स्थापित करते हैं। ये 'स्वातंत्र्यबोध' ही छायावादी कवियों के काव्य में अनेक बाहरी बन्धनों का निषेध करती हैं। साथ ही 'स्वानुभूति–अनुभूतियों' को स्वच्छन्द कल्पना के माध्यम से पूर्ण रूपेण चित्रित करती हैं।

छायावाद के कवियों में काव्य में जहाँ नारी का उन्मुक्त सौन्दर्य दिखाई देता है, जो सिर्फ बाह्य स्तरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि आन्तरिक सौन्दर्य की भी छटा दिखाई देती है। वहीं द्विवेदी युगीन कवियों के काव्य में सिर्फ बाह्य एवं स्थूल सौन्दर्य का चित्रण ही मर्यादा से परिपूर्ण करके चित्रित किया गया है।

छायावादी कवियों के काव्य में वैयक्तिकता के कारण ही व्यक्ति–स्वातंष्य जैसे भाव का उदय होता है। इस धारा के कवियों ने 'स्वातंत्र्यबोध' को अपनी कविता में इस प्रकार शामिल किया कि जो कविता काव्यगत रूढ़ियों को नकारकर जितने सहजता एवं नयेपन के साथ सामने आयेगी वही संतुलित कविता होगी। इस काल में 'स्वातंत्र्यबोध' की भावना का स्पष्ट लक्षण काव्य के दोनों पक्षों पर दिखता है (भाव एवं शिल्प)। इन्हीं प्रतिमानों पर महादेवी वर्मा लिखती हैं, ''छायावाद के जन्म का मूल कारण भी मनुष्य के इसी स्वभाव (बन्धनों से ऊब उठना) में छिपा हुआ है। उसके जन्म से प्रथम कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच चुके थे और सृष्टि के बाह्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छन्द छन्द में चिषित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुकत ही था।''[1]

छायावादी कवियों ने 'स्वातंत्र्यबोध से युक्त इस धारा में 'स्वानुभूत भावना' की स्पष्ट अभिव्यक्ति की है। इन कवियों ने 'मैं' शैली में अपनी बातें कही हैं। काव्य में 'अनुभूतियों' का स्थान सदैव रहा है, किन्तु छायावादी कवियों के काव्य में वैयक्तिकता के कारण ही सहजात्माभिव्यक्ति हो सकी है। कवि प्रसाद कविता को ''आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहते हैं।''[2] इसे और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं–''काव्य या साहित्य आत्मा की अनुभूतियों का नित्य नया–नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है... इसलिए कविता को आत्मा की अनुभूति कहते हैं।''[3]

छायावादी धारा के कवियों के काव्य में स्वच्छन्द कल्पना का समावेश मिलता है। इस युग में कल्पना के कारण ही आत्माभिव्यक्ति को सहारा देती है। अतः छायावाद में अनुभूति एवं कल्पना का समन्वय दिखाई देता है। पन्त कल्पना के भाव को काव्य में सर्वोपरि मानते हैं। वे कहते हैं–''मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ और इसे ईश्वरी प्रतिभा का अंश भी मानता हूँ। .... वीणा से लेकर ग्राम्या तक, अपनी सभी रचनाओं में मैंने कल्पना को ही वाणी दी है और उसी का प्रभाव उन पर मुख्य रूप से रहा है। शेष सब विचार, भाव, शैली आदि उसकी पुष्टि के लिए गौण रूप से काम

*शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

करते रहे हैं।''[4] छायावादी कवियों के काव्य में स्वच्छन्द कल्पना को प्रकृति के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। इस धारा में कल्पना और प्रकृति एक–दूसरे में समन्वित हो गये हैं। निराला प्रकृति और काव्य में सम्बन्ध स्थापित करते हुए लिखते हैं, ''जो कवि और महाकवि होते हैं, वे प्रकृति के हरेक कमरे में प्रवेश करने का जन्मसिद्ध अधिकार लेकर आते हैं।.... यही कारण है कि जड़ और चेतन, सबकी प्रकृति कवि को अपना स्वरूप दिखा देती है। वे दर्पण हैं और प्रकृति का प्रत्येक विषय उन पर पड़ने वाला सच्चा बिम्ब है।''[5] पन्त प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उन्होंने समस्त विश्व को प्राकृतिक उपादानों से भरे एक सुन्दर उपवन के रूप में चिषित किया है–

^^g Lo.k uhM ejk Òh tx&miou e
e [kx&lk fQjrk uh[k Òko&xxu e
mM enYk dYiuk i[k e] futu e]
pxrk g xku fc[kj r.k e] eu eA**[6]

छायावादी कवियों ने विभिन्न नये प्रतिमानों के बीच प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में भी नवीन भावों से नया स्वरूप प्रदान किया है। छायावादी कवियों के काव्य में सौन्दर्य का बोध बिल्कुल ही नये भावों से युक्त है। इस युग में सौन्दर्य सूक्ष्म एवं व्यापक रूप में दिखाई देता है। छायावादी कवियों की सौन्दर्य चेतना में बालक और नारी अपना विशेष स्थान रखते हैं। कुमार विमल के अनुसार, ''छायावादी सौन्दर्य चेतना के मुख्य आधार हैं–प्रकृति और नारी। प्रकृति सौन्दर्य अथवा नारी सौन्दर्य का अंकन छायावादी कवियों को बहुत प्रिय रहा है।''[7] छायावादी कवियों ने नारी और प्रकृति को एक–दूसरे पर आरोपित किया है। प्रकृति पर नारी सौन्दर्य का यह आरोपित रूप प्रसाद की पंक्तियों में दिखाई देता है–

^^og fo'o ed V&lk mTToYke
'kf'k [k.M ln'k Fkk Li"V ÒkYk
n iù&iYkk'k pid l
nx nr vujkx fojkx MkYkA**[8]

छायवादी कवियों के काव्य में रहस्य भावना अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। वे प्रकृति में परमसत्ता का आभास करते हैं। निराला गीतिका में लिखते हैं–

^^d©u re d ikj\ ¼j dg½
vf[kYk&iYk d L"k r] tYk tx
---- /ku&/kkj&/kkj ¼j] dg½
xU/k 0;kdYk] dYk mj lj
Ykgj dp dj deYk e[k ij
g"k cfYkgj&Li'k 'j] lj
xt ckjEckj\ ¼j] dg½**[9]

छायावाद के कवियों के काव्य का आधार भूत प्रयोजन आनन्द माना जाता है। वे अपने काव्य को सत्यम्, शिवम् एवं सुन्दरम् की भावना से समन्वित करते हैं। यह आनन्द की प्राप्ति छायावादी काव्य में ही संभव दिखाई देती है। प्रसाद काव्य का मूल प्रयोजन आनन्द की सिद्धि में ही मानते हैं–

^^lejl F tM ;k pruk lUnj lkdkj cuk Fkk]
prurk ,d foYklrhA vkun v[k.M ?kuk FkkA**[10]

छायावादी कवियों के काव्य में कथ्य के स्तर पर ही नयापन नहीं आया बल्कि शिल्प को भी एक नया कलेवर मिला। ये कवि पुराने एवं रूढ़ियों से बद्ध शिल्प का निषेध करते है। भावो की उपयुक्त अभिव्यक्ति नये शिल्पों के माध्यम से ही हो सकती है। निराला लिखते हैं, ''उच्च भावों की अभिव्यक्ति के लिए तद्नुरूप भाषा भी होनी चाहिए।''[11]

छायावादी कवियों ने बिम्ब–योजना को नये रूप में स्पष्ट किया है। बिम्ब योजना के कारण ही छायावादी कविता अन्य कविताओं में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है। प्रसाद के यहाँ बिम्ब योजना में उनका अतीत के प्रति राग एवं सांस्कृतिक चेतना दिखाई देती है, तो निराला के यहाँ ओज एवं पौरुष गुणों का समन्वय, वहीं पन्त के यहाँ कोमल बिम्बों में बातों को स्पष्ट किया गया है।

छायावादी कवियों ने कविताओं में आन्तरिक भावों की अभिव्यक्ति के लिए कुछ नये प्रतीकों का सहरा लिया है। प्रसाद के 'आँसू' पन्त के 'पल्लव' (कल्पना के विह्वल बाल) निराला की 'सरोज स्मृति' में प्रतिकों के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। भावों और विचारों को मधुर बनाने के लिए छायावादी कवियों ने कलात्मक प्रकार के प्रतीकों का सुन्दर प्रयोग किया है, जिसके काव्य और भी अधिक सौन्दर्य को प्राप्त होता है–

^^re d©u ân; dh ijo'krk
lkjh Lor=rk Nhu jgh
LoPNUn leu t¨ f[kY¨ jg
thou ou l gh chu jghA**[12]

छायावाद में शिल्प–पक्ष के अन्तर्गत मिथक का आविर्भाव होता है। यह मिथक का प्रयोग प्रसाद की 'कामायनी' एवं निराला की 'राम की शक्ति पूजा' में परिलक्षित होता है। 'कामायनी' की निम्न पंक्तियाँ मिथक का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं–

^^voYkc N¨Mdj v©j¨ dk tc cf)okn d¨ viuk;k
e cMk lgt r¨ Lo; cf) d¨ eku¨ vkt ;gk ik;kA
ej fodYi ldYi cu] thou g¨ deka dh idkj]
l[k lk/ku dk g¨ [kYkk }kjA**[13]

यहाँ इड़ा को प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। वहीं निराला के काव्य 'राम की शक्ति पूजा' में मिथकों का सुन्दर रूप प्रस्तुत किया गया हैं। इस कविता में इन्दीवर उठाने का प्रसंग, हनुमान का क्रोध मिथक की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

छायावाद के कवियों के काव्य में जहाँ पुराने छन्दों को नया रूप दिया गया है। वहीं मुक्त छन्द का भी उल्लेख किया गया क्योंकि छन्दों की जड़ता भावों को उन्मुक्त रूप में कहने में बाध्य सिद्ध हो रही थी। छायावादी कवियों ने रोला, श्रृंगार साखी, चौपाई आदि छन्दों का नवीन प्रयोग किया। वहीं दूसरी ओर मुक्त छन्द की योजना निराला ने 'परिमल' की भूमिका और पन्त ने 'पल्लव' के प्रवेश में की है। मुक्त छन्द की अभिव्यक्ति करते हुए निराला लिखते हैं–मुक्त छन्द–

^^lgt Ádk'ku og eu dk
fut Òko¨ dk ÁdV vÑf=e fp=A**

पन्त के अनुसार

^^[kYk x, NUn d c/k Ák'k d jtr ik'k]
vc xhr eä v© ;x ok.kh cgrh J;klA**[14]

छायावादी की कविताओं में अलंकारों का नवीन रूप में प्रयोग किया गया है। छायावादी कवि अलंकारों को काव्य का महत्त्वपूर्ण अंग मानते हैं। सादृश्यमूलक एवं विरोध मूलक अलंकारों को काव्य का महत्त्वपूर्ण अंग मानते हैं। सादृश्यमूलक एवं विरोध मूलक अलंकारों का नवीन प्रयोग करते हैं। माववीकरण, विशेषण विपर्यय एवं ध्वन्यात्कता जैसे पाश्चात्य अलंकारों का नये रूप में अपने काव्य में स्थान देते हैं। निराला के काव्य 'राम की शक्ति पूजा', 'जूही की कली' में ध्वन्यात्मकता दिखाई पड़ती है।

छायावादी कवि द्विवेदी युगीन कविता में व्याप्त नीरसता एवं शुष्क भावों की जगह अपने काव्य में कोमलकान्त पदावली से युक्त भावानुकूल शब्दों की योजना के साथ ही काव्य भाषा की उत्तम कोटि

को अपने काव्य में प्रतिष्ठित किया। छायावादी कवि अपने काव्य में भाषा का सांकेतिक प्रयोग को विकसित किये। छायावादी कविताओं में कोई पंक्ति बड़ी तो कोई छोटी–दिखाई देती है। 'जूही की कली' (निराला) 'प्रलय की छाया' (प्रसाद) भाषा के वाक्य विन्यास को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। जहाँ पहले की कविताओं में क्रियापद वाक्य के अंत में आते थे। वहीं छायावाद में क्रियापद कहीं पहले आते हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा (रविहुआ अस्त.....) तो कहीं उसकी पूरी की पूरी उपेक्षा ही हो जाती है, जैसे जूही की कली में हुई है। छायावादी काव्य की भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का प्रयोग बहुलता से मिलता है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि छायावादी धारा के काव्य में जो नवीन प्रतिमान हमारे समक्ष आते हैं, वे अत्यन्त क्रान्तिकारी भावों से परिपूर्ण हैं। जहाँ इस युग से पूर्व प्रतिमान की नई खोज सिर्फ संभावनाओं तक सीमित थी। वहीं इस युग में आकार प्रतिमानों को उनके व्यापक रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इस युग में भाव पक्ष एवं शिल्प पक्ष में नये प्रतिमानों की खोज की गई है। भावपक्ष के अन्तर्गत जहाँ स्वातन्त्रबोध, स्वच्छन्द कल्पना, काव्य का लक्ष्य आनन्द के रूप में माना गया। वहीं प्रतीकों का नया रूप प्रस्तुत कर कविता को और भी अधिक महत्त्वपूर्ण बनाया गया। काव्य–भाषा में लाक्षणिकता, सांकेतिकता एवं भाव व्यंजकता का समन्वय नये काव्यों का आधार बिन्दु बनता है जो छायावाद की कविताओं के लिए ही नहीं बल्कि आगे की कविताओं के लिए भी फलीभूत होता है।

I Unò: %

1. महादेवी वर्मा, रश्मि (1955 ई0) अपनी बात, पृ0 4
2. जयशंकर प्रसाद, काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध (सं0 2005 वि0), पृ0 38
3. जयशंकर प्रसाद, काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध (सं0 2005), पृ0 37
4. पन्त, आधुनिक कवि भाग 2 (संवत 2003), भूमिका, पृ0 33
5. निराला, रवीन्द्र कविता, कानन (सन् 1954), पृ0 97
6. पन्त, माधुरी, मार्च 1927, पृ0 179
7. कुमार विमल, छायावाद का सौन्दर्य शास्त्रीयअध्ययन (सन् 1970), पृ0 81
8. जयशंकर प्रसाद, कामायनी (सं0 2024), पृ0 176
9. निराला, गीतिका (सं0 2025), पृ0 14
10. जयशंकर प्रसाद, कामायनी (सं0 2024), आनन्द सर्ग, पृ0 302
11. निराला, संस्मरण, श्रद्धांजलियाँ, पृ0 55
12. जयशंकर प्रसाद, कामायनी (सं0 2024), लज्जा सर्ग।
13. निराला, परिमल (सं0 2007) जागरण, पृ0 264
14. पन्त, युगवाणी, (सं0 2004), पृ0 3

***

ipk;r puko e jktuhfrd nycUnh xkeh.k fodkl ,o lkenkf;drk d fy, ?kkrd % ,d v/;;u

lnhi dekj*

गांधी के विचारों के अनुरूप पंचायतराज में गणराज्य के सभी गुण होने चाहिए, जिसमें स्वावलम्बन, स्वशासन आवश्यकता अनुसार स्वतंत्रता और विकेन्द्रीकरण तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी अधिकार पंचायत के पास हों। निर्णय आम सहमति या जनहित में हो न की मत गिनती द्वारा गांव में गरीबी और बेरोजगारी निवारण जैसी सभी नीतियां निर्मित करने का दायित्व व अधिकार रखते हों। वास्तव में ग्राम का नागरिक बेरोजगार, भूखा, वस्त्रहीन, न रहे ऐसे दायित्वों की पूर्ति का कार्य पंचायतें करेगीं अर्थात व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास की जिम्मेदारी गांव अपने स्तर पर प्रबंध करेगा। लोगों में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग हो प्रतिस्पर्धा भी होगी तो अधिक सेवा करने की। चुनाव में शारिरीक श्रम करने वाले जनप्रतिनिधि खड़े किये जायेंगे। समाजसेवी सदस्य को जनता स्वयं खड़ा करेगी न की राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये व्यक्तियों में से किसी एक को वोट देना जनता की मजबूरी होगी। वास्तव में आज प्रतिनिधियों को जन इच्छा का प्रतिनिधि कहना ही गलत है। जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी सुनिश्चित होगी, कदाचार अनैतिकता और जनहित के विपरीत आचरण की स्थिति में 75 प्रतिशत जनता की इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि को वापस बुलाया जा सकेगा। पंचायत राज सामूहिक वृत के अनुरूप होगा। ऊपर के स्थान पर नीचे से ऊपर की ओर सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा यही गांधी के सपनों का पंचायती राज है।

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायतराज की स्थापना के लिये समय–समय पर शोध कार्य होते रहे हैं और सुझाव सरकारों के पास आते गये। बलवंत राय मेहता कमेटी, एल0 एम0 सिंघवी कमेटी जिसमें मुख्य है। संविधान का 73वां संशोधन सरकारी पंचायत राज की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वतंत्रता से आजतक ग्राम विकास के घोषित कार्यक्रमों के पीछे वोट की राजनीति हावी रही है। निर्वाचन प्रणाली दलबंदी, गुदबंदी, स्वार्थय, घृणा, द्वेष आज की पंचायत प्रणाली की मुख्य समस्या ग्राम स्तर पर बिनाशकारी है।

पंचायत चुनाव से ग्रामीण विकास के साथ–साथ इसकी सामुदायिक विशेषता पर क्या प्रभाव वर्तमान समय में पड़ रहा है। इसका अध्ययन प्रस्तुत शोध –पत्र में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायत चुनाव 2015 के संदर्भ में किया गया है।

यदि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में परिचय कराया जाय तो भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती व्यवस्था रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान में नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतो के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान के 73वे संशोधन 1992 द्वारा पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई और इस तरह गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।

*असि0 प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, इ0सि0स्व0स0से0 राजकीय, महाविद्यालय, पचवस, बस्ती।

पंचायत चुनाव के समीकरणों पर नजर डाली जाय तो इस चुनाव ने वक्त के साथ बहुत रंग बदले हैं। शुरूआती दौर की बात की जाय तो इलाके के मान्यवर धाक रखने वाले लोग ही चुनाव में उतरा करते थे। जनता भी प्रत्याशी के दम–खम, समाज में चरित्र, रूतबे व बेबाकी को देखकर फैसला लेती थी। इसके कुछ कारण भी थे, जनता को सिर्फ आपसी विवाद सुलझाने के लिये पंचायतों का रूख होता था। इसलिए ऐसे व्यक्ति का पंच/सरपंच होना जरूरी होता था जिसकी समाज में बात मानी जाती हो, जिसका फैसला सबको स्वीकार हो, तथा जो फैसला देने की हिम्मत भी रखता हो।

उस दौर में पंचायतों को विकास कार्य के लिए इतना धन नहीं आता था, पंचायत सदस्य होना एक पार्ट–टाईम कार्य की तरह था। अधिकांश पंचायतों के अपने भवन भी नहीं थे। कोरम के दौरान भारी तादात में लोग पहुंचा करते थे, पंचों का फैसला सर्वमान्य होता था। उसे देखकर कोर्ट जाने की हिम्मत कोई कोई नहीं कर सकता था। पार्टी–बाजी राजनीति का कोई नामो निशान नहीं था।

90 के दशक में पंचायत चुनाव में एक नई तरह का लेवर आया। यह लेवर प्रत्याशी को सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर चुनने से सम्बन्धित नहीं था, बल्कि जातिगत समीकरणों पर आधारित था। इस दौर के सभी चुनाव जातिगत आधार पर होने लगे। फला उम्मीदवार हमारी जाति का है, यह समीकरण हार–जीत निर्धारण करने लगा। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता की पहले जातिवाद नहीं था, परन्तु हां सामाजिक प्रतिष्ठा से सर्वोपरि नहीं था।

सरपंच बनने के लिए शराब बांटा जाना, बकरे काटना आदि इसी दौर के उपज रहे। इस दौर में महिलाओं ने भी आरक्षण के दम पर पंचायती सरदारी में कदम रखा। चुल्हे–चौके तक सिमटी महिलाएं अब गांव के विवादों पर फैसला देने लगी। विकास कार्यों के लिए भी धन का इजाफा हुआ। कौन किस पार्टी, राजनीतिक दल से है इसकी सुगबुगाहट गाहे–बगाहे इस दौर में रहीं, परन्तु क्षेत्रीय मुद्दों को भेदकर निर्णायक नहीं हो पायी।

अब हम 21वी सदी के पंचायती राज की बात करते हैं तो यह रोजगार गारन्टी योजना का दौर है। गरीबों का चयन से लेकर लाखों के विकास कार्यों जिम्मेदारी पंचायतों के उपर है। स्वच्छता अभियान, सड़क निर्माण सैकड़ो तरह की योजनाएं भारत सरकार पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने की अभिलाषी है। पंचायत भवन में सुख–सुविधाएं, कम्प्यूटर का आगमन हो चुका है, बकायदा एक सचिव सारे कार्य देख रहा है। जाहिर है, जब विकास कार्य के लिये इतनी आमद है तो संरपंच बनने के लिए लोगों की फेहरिस्त भी लम्बी होगी और हुई है।

सामाजिक प्रतिष्ठा, रूतबा, बेबाकी अब पीछे रह गई हैं। बड़े बनने की लड़ाई अब सीधे कोर्ट या थाने में लड़ी जाने लगी है। एक सरपंच या प्रधान पद के लिए 20 उम्मीदवार फाइट करने लगे हैं। प्रधानी अब पार्ट टाइम कार्य नहीं रह गया।

इन सबके बीच जो नया लेवर जुड़ा हुआ है वो है पार्टी–बाजी लेवर। सामाजिक प्रतिष्ठा को पीछे छोड़कर जाति–पाति से होकर पंचायत चुनाव अब दलगत राजनीति की धुरी पर आकर घुमने लगा हैं जिस चुनाव को कभी घरेलू कहा जाता था, वो अब भाजपा, कांग्रेस, सपा तथा बसपा के नाम पर आ गया हैं हिन्दु–मुस्लिम का बंटवारा फिर राजपूत, ब्राहमण, वैश्य एवं शुद्र के फर्क से आगे अब हम सपाई, बसपाई, कांग्रेसी तथा भाजपाई नामक नई ब्रीड में बट गये हैं।

पंचायत यानी 4–6 गांवों का चुनाव है, उसमें हम अब इस आधार पर निर्धारण करने लगे है कि कौन आदमी किस विचारधार का हैं। हालांकि पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता, परन्तु राजनैतिक पार्टियां इसे सेमीफाइनल की संज्ञा देती है। बड़े नेता अपने कार्यकर्ता से आहवाहन करते है, पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहो।

व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि ग्रामीण संसद के इस चुनाव में पार्टी–बाजी का जहर घातक है। हमे पार्टी देखकर नहीं योग्यता देखकर चुनाव करना होगा। दलीय राजनीति की पट्टी आंखों पर बंधी रहेगी तो हम सही फैसला नहीं ले पायेगे। राजनीतिक दल के नाम पर आया व्यक्ति

गरीबों का चयन भी पार्टी वोट बैंक की मजबूती के मद्देनजर करेगा और सबसे बड़ी बात आस–पास के गांव में रहने वाले अपने ही लोगों को क्या हम पार्टियों के आधार पर देखने लगेंगे, यह कहां तक सही है। जिसके फलस्वरूप एक समान ग्रामीण विकास इससे संभवतः प्रभावित होगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की विशेषता सामुदायिकता पर संकट मंडराने प्रारम्भ हो गये है। जिसके फलस्वरूप भाई–चारे में ह्रास होने लगा है।

मतदाता, मतदाता ही रहे तभी लोकतंत्र की खुबसूरती है, अगर मतदाता भी कार्यकर्त्ता पार्टी विशेष का हो जाएगा तो जनमत का क्या वजूद रहेगा।

एक बात और लाखों रूपये पंचायती कार्यों के लिए देने वाली सरकारों को पंचायत प्रतिनिधियों के वेतनमान में एक स्तर तक बढ़ोतरी करनी चाहिए। प्रधान होना आज के समय में पार्ट टाइम जॉब नहीं है।

2 से 3 हजार रूपये मानदेय पर सरपंची लोग कैसे कर रहे है, मैं नहीं जानता। या फिर सरकार ने भी आपनी तरफ से मौन स्वीकृति दे रखी है कि अपने परिवार के लालन–पोषाण का खर्च पंचायत प्रधान विकास कार्यों के फण्ड से ही निकाल लें। फुल जॉब और 2000 का मानदेय तो यही निष्कर्ष निकालता है। सरपंच का वेतन कम से कम स्तरीय होना चाहिए, ताकि पढ़ा लिखा जागरूक युवा भी ग्रामीण संसद का हिस्सा बनने की सोंचे।

lUnHkZ %

1. रंगा एन0जी0 1966, सभावाद वादविवाद, खण्ड द्वितीय, भारत सरकार प्रकाशन
2. बंग, ठाकुर दास 1955, असली स्वराज्य, वाराणसी सर्वसेवा संघ
3. सिंह विजेन्द्र, 2003, पंचायत राज एण्ड विलेज डेवलपमेन्ट, स्वरूप एण्ड सन्स, नई दिल्ली।
4. रानी, नीतू, 2006, पंचायती राज व्यवस्था : सिद्धान्त एवं व्यवहार, राजपाल प्रकाशन नई दिल्ली।
5. उपाध्याय, जय जय राम 2006, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

***

NOT EXAMINATION BUT ITS PROCEDURE N PATTERN IS KILLING THE EDUCATION

Dr. Shakti Sharma*

The word education means " to bring out what is already in" and putting stuff blindly in . But Examination in our country has destroyed the true meaning of education. Instead today students are more interested in getting good grades or marks rather than acquiring true knowledge of the subject . And if they don't get good marks or grade, they committed suicide. That's why today it has been said that examination is killing the true meaning of education. But I think inspite of saying that examination is killing education, it will be better to say that examination pattern is killing the education so there is vital need to change examination pattern, not need to avoid it. We cannot ignore the importance of examination in our educational process. Because:-

- It is the only way to judge the students that what they have learnt.
- Another thing that examination leads to competition among students.
- Examination is necessary part of education to separate some good students from average students.
- It is the only criteria to promote the class for deserving students.
- Through examination teachers get opportunities to improve their teaching strategies if the result is not favorable in the mass.
- Aptitude of the students can be explored only through examination for their guidance in the future.
- Students can prove themselves only through examination on the basis of scored marks.
- Without examination the students may not be able to know the amount of knowledge which they gained through education.
- Of course there are students, who are self motivated to learn the things, they are passionate to gain the knowledge, but we have such students also who study because of the fear of exam only.

But today some notions are being developed about examination like it is killing the education. It reduces the quality of education. It ruins the lives of students. Exam is full of stress. Because of it some students committing suicides and so on. But I think that examination is not killing the education but its procedure and pattern is reducing the quality of education And because of exam oriented education process of course students are in stress.

There are some defects in our examination pattern and its procedure like:-

- Because of its pattern and way of conduction at present examination have become meaningless for there is copying on a mass scale. Copying is rampant even in the cities and in the best of institutions. Students take with them into the examination hall cheap bazaar notes and copy out the answer from them. If the invigilator try to prevent the use of such unfair means, they are threatened with dire consequences.

*Assist. Professor, K.P. Training College , Allahabad , U.P.

In the rural area conditions are much worse answers are dictated in the examination room or written on the black board.

- In many institutions students are trained and inspired by their teachers how to get highest marks in exam, not force to get understood the concept.
- The students are recognized on the basis of their report card having good marks or grade in the institutions. Nobody consider the talent the unique skill of a students rather than the marks. If a student got good marks means he is very talented (as we think) . But no one knows how he gets marks, by mugging up or malpractice or by any other means.
- The kind of education pattern the people are trying to provide the students with is killing their creative as well as physical and mental interest from the studies and diverting their mind towards all the stuff that is rubbish and enormously useless. This cannot be helpful for their future.
- Parents as well as teachers force the students to get good marks or grade. Because of this it will make the students to note the education. No one actually try to understand the concepts. They don't even know what they are studying and for what ! they just wants good marks and that's all what they live for.
- Our examination system is too much theoretical that makes the students a parrot who just starts memorizing the theories and he doesn't get too much time for using in practical way and its practical knowledge and this is the reason that leads to failure of a students in an interview.
- Today the ability of students is decided by an exam. In this system there is no place for performance of a students in full academic session. Scoring more and more marks in exam has become the only aim of a student. But above mentioned defects can be removed by following these measures like:-
- Examination should consists of some innovative questions which may help them in getting knowledge through education, if this will be the condition then there will be no such quote that " It (Exams) ruins the lives of students".
- Examiners should identify that in which field students is showing his/her more interest. He/She should be judged according to that only, So that student can perform exemplary in that particular field. Because every students cannot excel in all the fields but of course he can be interested in one or two fields. So why not to judge him according to that only and to encourage them I their interesting fields where they will perform their best and explore their knowledge to world.
- Perfect education means not getting the good marks, it means gaining the knowledge, apply it in proper way. So exam pattern should be changed by which we can consider and judge a student's knowledge.
- The need of education is to improve the personality of the students. Improve the personality means to develop the skills and ability and we should recognize the skills and ability of that particular person and opportunities must be given to enhance and promote that.
- They also need to be thought new things instead of just mugging up everything at last as the ending season of the year and then feeling bad about getting less time to prepare.
- Students only should understand the importance of education and examination and examination …. Education is for gaining knowledge and examination are to know where we are standing in this competitive world and how much more concentration or attention they needs to way. To survive….

- Student should not be graded merely on account of examination rather on the basis of over all performance considering academics as well as extracurricular activities.
- CCE should be implemented as this will definitely put an efforts bringing a students a student's personality development. Though over Burdon of work is in both the systems but it only depends upon the students that how he/she is performing. In fact CCE is a best option to judge the students capacity and ability as well as their all round development. Because it will bring out the confidence and potential of the students with many projects, tools, F.A.s and S.A.S.. This will make the students to express themselves not only in writing nut verbally also.
- Marks should be given for performance of overall academic year. It should be given on the behavior of students, on his/her performance in ex-curricular activities, on performance in class test, on regular attendance etc. Although few institutions are following this formula to judge the students' personality But if all educational institutions starts giving marks on behavior of students then up to a big context, it will make a big role in improvement of over all personality of a student.
- Such exams must be conducted time to time who help the students to improve their reasoning and thinking ability like Olympiads.
- All guide, digest, easy solution must be banned only text book should be allowed to study.
- Examination must be objective then students will learn it practically and also will start implementing the things which they have learnt in day to day life.
- As will all know that education and examination are two sides of the same coin but what happening is there is a fear due to examination And this fear is resulting in the death of some students. To overcome this problem we need to change procedure to give more preference for practical, sessionals, projects, seminars etc. By doing so we can increase our practical knowledge and real time application development talent.
- If students score average marks in spite of hard work, they must analyze themselves that where they are loosing their position or marks. It is a good way to improve ourselves in level by level.
- Parents as well as teachers will have to remember that all the famous scientist who amazed the world with their astonishing inventions are all not toppers, so they must not force their children or students to get highest marks in the class. They are requested to don't make the examination full of stress.
- More stress must be given on the practicals so that students can show their talent and build some inner creativity.
- Examination paper should be set in such a way that it cannot be passed by simply mugging up previous night like aptitude test which cannot be crammed.
- One should recognize the students on the basis of her/his skills and talents and not just looking at their report card having good marks. Because there are some students who really knows and understand the things asked in the exam and write the answer of their own just understanding the things and not by mugging up the books. In case such students get average marks they must not underestimated by us.
- Paper should designed in such a way that judge the student's knowledge and not the cramming.

By adopting above mentioned measures we can motivate our students to appear in the examination with out any fear. In fact examination is the most important part of the education. Without exams most of the students do not take the education seriously and its

directly affected to the nation. Every students have to understand the exact meaning of the relation between the exam and education. They must not afraid about the exam. Besides this parents have to understand that only good marks not judge the intelligence of a students. It depends on teaching pattern, method of communication and mental status of students also.

References :

1. Examination reforms, www.indiankanoon.org/search
2. Why we need examination reforms? Himanshu Shekhar, www.himanshushekhar.in

***

EFFECT OF CARBON IN ATMOPHERE

Smt. Dr. Archana Raje*

Consistent changes of life of human being for betterment in field of human's desires and necessities procured industrial development i.e. first Industrial Developments started in 1850 A.D. by which dragging life of human beings is becoming so easier and lavish. Most of the industrial growth depend upon the supply of regular and consistent electricity by which industry could run without interruption, thereso, most of countries is used fossils fuel for making electricity that emit carbon-di-oxide, excess emission of carbon-di-oxide particles would badly make change in atmospheric temperature because excess carbon particles dissolved in atmosphere due to which temperature varied upper, now variation of temperature is higher from the primary level of first Industrial development that is called green house effect and this would affect all creatures in earth and also climate. Now excess emissions of temperature have become higher from the standard degree that creates sudden cyclone, uncertain flood, and uncertain drought. Main cause of exorbitant emission of co2 is using of fossils fuels and half of the carbon particles is absorbed by the ocean and earth and remaining mixed in to the atmosphere that would increase temperature.

Now problem of excess emission of co2 has become global challenge and it is inevitable to control co2 at the primary level without affecting developments as well as it is accountability of all Governments of the world to minimize the carbon level standard at par.

On such horrible condition of changing in temperature united nation frame work convention on climate changes lunched in 1992, at the earth summit in Rio de Janeiro with view to stable the Green Gas concentration in atmosphere at the level of below to dangerous level as well as in this convention it has been decided voluntarily by the 191 countries to curb the emission of Green House Gas by 1990 to 2000.

From the above convention no fruitful result has been found and considering the comprehensive and stronger action ,the next convention has been held in year 1997 in Kyoto i.e known as Kyoto Protocol in which some provision had been entered into force on 16-02-2005 with binding targets to reduce emission of carbon below 5.2% levels by 2012 through productive efforts of the Industrial countries to ratify it. In regarding of that to reduce the carbon emission in year 2009 Copenhagen Conference had held and same way Paris Conference had concluded in year 2015 with the commitment of amongst 196 countries to reduce the carbon emission to the first level of Industrial revolution.

As per the sources of different study it is found 90% of carbon emitted by the developed countries i.e. carbon emitted by the per individual by the America 16.6 ton, India 1.7 ton and China 7.4 ton.

As per the sources graphical information and notes Blasing,J.J. and K.smith 2011 " Recent Green House Gas Concentration" in Trends: A compendium of Data and Global Change Co2 information Analysis, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, TN, USA the following chemical are catalyst in increasing Green House Effect :-

*Guest Lecturer, Department of Geography,C.M.P. College.Allahabad

Global warming facts and figures:-

1-U.S.Emission
2-International emission
3-Land-Ocean Surface Temperature
4-Main Green House Effect

Green House Gas	Chemical Formula	Anthropogenic Sources	Atmosphere Life time (1 year)	GWP (100 year Time Horizon)
Carbon dioxide	CO2	Fossil-Fuel Combustion, Land use conversion, Cement Production	-100	1
Methane	CH4	Fossil Fuel, Rice Paddies waste dumps	12	25
Nitrous Oxide	N2O	Fertilizer, Industrial process, Combination	114	298
Troposphere Ozone	O3	Fossils Fuel Combustion, Industrial emissions, Chemical solvents	Hours-day	N.A.
CFC-12	CCL2F2	Liquid coolants Foams	100	10,900
HCFC-22	CCL2F2	Refrigerants	12	1,810
Sulphur Hexa flouride	SF6	Dielectric Fluid	3200	2280

N.B.-GWP- Global Warming Potential.

Effect of Green House Effect is very dangerous not only to human beings but also Animals and Atmosphere that affected sudden change of climate, melting of glacier, disappearing of creature and storming of sea level.

The Centre for climate and energy solution (C2 ES) seek to inform the design and implementation of federal policies that will significantly, Green House Gas emissions, and promote clean energy and new policies for reducing green house gas and to be implemented effectively and policies for clean energy to be analyzed promptly as well as policies maker without prejudice make transparent law effectively for reducing carbon in atmosphere and recommended these policies to all members of COP (conference of parties) and executive Branches.

COP (Conference of Parties) regularly meets with members of the Federal Administration , House of Representative and U.S. senate to discuss impact of Green House Gas in Climate.

Result of excess emission of carbon drastically makes change in climate in consequence of that unnatural calamities occurred like Flood, Lou, Drought.

Of Creatures- approx 30 % creature and tress are in danger of being disappearace. Of Sea level- Sea temperature has been increasing day to day and its acid character is also increasing.

Of Glacier-Himalaya regimes are also in danger and it is great chances of being unnatural disaster.

Of India- if sea level had increase by 1 meter high it would have great chance that 70 million people had affected and 14 thousand square Km coastal area drowned.

As per the view of I.P.C.C. affiliated to U.N. if carbon emission could not be checked promptly ,with in requisite time period, that lives of all creatures would destroy.

In view of screening of such bad impact of Green House Effect approx 196 countries met together and made memorandum, how to control of Co2, that meeting of 196 countries held in Paris in year 2015 in which India made strong suggestion that Rich countries should deduct carbon emission, undeveloped countries to be given damages and undeveloped countries to be made provide infrastructure of clean energy system.

India strongly appealed to all members in Paris conference that developed countries had already acquired 2/3 of carbon space and remaining carbon space to be left behind the undeveloped countries. carbon space is that how much carbon to be used before threshold to dangerous level of climate. 1000 giga Ton carbon space is available for human kind and approx 60% carbon space has been used from the first industrial development to till day and it is most probability that if rate of using of carbon continued in same rate that carbon space would finish by 2038.

Conclusion:- 1- continuous emission of carbon will be harmful to earth.

2-Fossils Fuel to be reduced to minimum level.

3-Fossils Fuel to be reduced to low for production of electricity by 2050.

4- Fossils Fuel to be stopped completely by the 2100.

References:

1. Lamb,H.H.. The changing climate-selected papers Methuen,1966
2. Riehl, H, Introduction to Atmosphere, Macgraw,1978.
3. Horrocks, N.K.,Physical Geography and climatology, Longmans, 1960
4. Lutgens, F.K. and E.J. Tarbuck, The Atmosphere an Introduction to Meteorology, prentice-Hall,1979
5. Shingh, Svindra: Environmental Geography, Prayag Pustak Bhawan, University Road, Allahabad.

***

WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN INDIA

Ritika Asthana*

Introduction

Women play a very important role in the development of any economy. One of the determinants of the success and prosperity of any economy is the condition of women in the economy and the ways and means which are adapted from time to time to in order to uplift and strengthen them. Over the period of time, women have also started contributing greatly towards the economic development of any country. They are also getting actively involved in the sectors which were earlier considered to be male dominated. At present, no sector has been left which has remained untouched by women. The talent and caliber of women is being accepted in each and every sector in the world and they moving towards the. The field of entrepreneurship, which was considered to be only men's cup of tea, is now being managed equally well by women too. Their increasing number in this area strengthens this statement. According to Wikipedia, female entrepreneurs encompass approximately 1/3 of all the entrepreneurs over the world. This share itself is sufficient to explain the increasing participation of women in the area of entrepreneurship, which also marks the increasing contribution of women in the development of world economy. Women entrepreneurs have been in existence but before 20th century, the venture taken up by them were not treated as entrepreneurial. It was just treated as means for substituting income or to support the family in the absence of their spouse. It was in 1990s that they started getting acceptance worldwide as entrepreneurs.

WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN INDIA HISTORY :

Studies of pre- independence and post- independence conditions state that in the ancient period, Indian economy mostly consisted of isolated and economically self- sufficient villages which were the centers of administration, trade and commerce. The villages consisted of mainly two sectors, farmers and artisans. Artisans were the ones who provided services and essential manufactured commodities to the villagers as per their needs. This class of villagers consisted of weavers, carpenters, potters, goldsmiths, barbers, cobblers, washer men etc. These were the people who were considered to do the entrepreneurial work in ancient times. Women entrepreneurs were also found to exist then but only in the role of working at home and helping the male members. India was also known as the leading exporter of many products and the families producing these items manufactured them as economic occupations which were mostly hereditary and were determined by birth of a man in the family.

After independence, a vast change was seen in the status of women in the society. This status is characterized by their participation in economic activities and their roles and responsibilities therein. The role of women has gone way beyond household work and their presence can be seen in almost every field extending from law, medicine, teaching, literature and public service to the areas like sports, movies, army, police and entrepreneurship, which were earlier treated as the jobs belonging to the male community alone.

*Research Scholar, MONIRBA, University of Allahabad, Guest Lecturer, Department of Geography,C.M.P. College.Allahabad

From the very beginning, women have been experts of managing kitchen and household activities with full expertise. Due to this, female entrepreneurship was always perceived to be limited to making pickles, papads, masala and other household goods. But as the conditions changed and with the passage of time, women entered into other fields as well which were considered to be non- traditional and have been working with excellent skill as managers and decision makers. Now their presence can be seen as professionals in the areas like publishing, consultancy, exporters of various goods, interior decoration etc. This was followed by setting up their own enterprises by the women and managing them on their own. The role of women has changed from managers of family within four walls to managers of enterprise in global scenario. The inborn qualities of women like practical ability, knowledge, shrewdness in business and a constant urge to do something positive are amongst the reasons which account for their success as managers and entrepreneurs.

History of India talks about the heroism of Razia Sultan, Khatun Biby Begum, Nurjahan, Laxmi Bai and Rani Padmini, who ruled their kingdom with immense success. In the modern history of India as well, women like Vijay Laxmi Pandir, Sarojini Naidu, Indira Gandhi, Padmja Naidu, Sucheta Kriplani and Durgabai Deshmukh who are still known for their statesmanship.

In the modern India, many efforts have been made to uplift the position and participation of women in the economy. A Women Welfare Development Bureau was also set up to ensure participation of women in national development. The central government at present has also been taking increasing measures to encourage entrepreneurship amongst women and skill them accordingly such that their hidden talent can be brought to the surface and their participation can be increased in the development of the country.

GOVERNMENT POLICIES FOR FEMALE ENTREPRENEURSHIP IN INDIA

With the change in times, women have started plunging into the fields which male dominated since ages. One of such fields is entrepreneurship and to facilitate this, government too has started taking remarkable steps in this direction which aim at boosting female entrepreneurship and encourage women to start- up their own venture. Following section presents a summarized view of government's policies in this regard-

- Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD) - this is a subsidy scheme for women, provided by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises. The government, under this scheme, provides subsidy up to 30% of the total project cost which would be appraised to financial institutions who would further finance the remaining 70% of the project cost. Women are also provided loan facilities under this scheme and to be eligible for this scheme, the woman needs to be literate or semi- literate. But the additional clause of this scheme is that the request for such subsidies needs to be made by an NGO.
- Stree Shakti Project- the stree shakti project is a collaboration between NGOs and community based organizations in order to empower women, especially those belonging to economically weaker sections of the society. This project has set three priority areas for women empowerment, i.e. income, literacy and health. The objectives are met by a Gender Resource Center which maintains a documentation centre and a data bank on their issues and distributes it evenly through NGOs.
- Mahila Coir Yojana- this is the scheme whose objective is to provide self employment to women artisans belonging to the coir industry. It provides motorized rats to female artisans at subsidized rates after giving them proper training for spinning coir yarn. It also provides them with better working conditions and higher income.
- Bharatiya Mahila Bank- this bank has been formed to empower women economically. It started operating in 2013 and it has 45 branches across India. The

bank mainly aims to focus on women entrepreneurship with special attention to those belonging to economically weaker sections, discriminated, under banked, unbanked rural and urban women to ensure an inclusive and sustainable growth.

- Support to Training and Employment Programme for women- this programme has been launched to provide such skills to women, which provide employability to them and make them self reliant such that they are enabled to take up income generating activities and enhance their productivity. The benefits of this scheme are meant for women of age 16 and above. The main objective of this programme is to generate employment opportunities in urban as well as rural areas. This scheme was designed by merging Prime Minister's Rojgar Yojana (PMRY) and Rural Employment Generation Programme (REGP) and helps female entrepreneurs to set up micro enterprises by offering them credit linkage subsidy.
- Mahila Udyam Nidhi- this scheme has been formulated by Puducherry Government which aims at providing soft loan assistance to female entrepreneurs besides usual term loans for setting up their units in the tiny and small scale sectors for manufacturing, processing or preservation of goods.

PRESENT STATUS

The condition and contribution of female entrepreneurs has increased by leaps and bounds in past few years. Indian female entrepreneurs have marked a remarkable presence in the global market and are acting as role models for women worldwide who have potential and wish to set up their own ventures. Following women are perfect examples of such entrepreneurs-

- Indra Nooyi- CFO and president of PepsiCo.
- Naina Lal Kidwai- Vice Chairman of JM Morgan Stanley
- Kiran Mazumdar Shaw- owner of Biocon, one of the leading biopharmaceutical firms in India
- Indu Jain- a spiritualist, humanist, entrepreneur and the eminent role of chairman of The Times Group- the largest and most powerful media house in India
- Priya Paul- Chairperson, Apeejay Park Hotels
- Sulajja Firodia Motwani- Joint Managind Director of Kinetic Motors and Managing Director of Kinetic Finance
- Simone Tata- became chairperson of Lakme during 1982 and is now the chairperson of Trent Limited, a subsisidary of the Tata Group
- Neelam Dhawan- Head of Marketing and Sales Operation of Microsoft throughout India
- Ekta Kapoor- Head of Balaji Telefilms, who changed the face of Indian television
- Mallika Srinivasan- Director, TAFE India and was honoured with the title of Businesswoman of the year during 2006 by the Economic Times.

These are some the women who can always be referred to as perfect examples of female power and potential. This is the era of inclusive growth and any country who gives respect to its women and their contribution is sure to succeed and grow.

References :

1. http://www.jpn-virtualvars ity.org/margadarshak.org/Entrepreneurship/womenentrepreneurs/top10women5.htm
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Female_entrepreneur
3. http://bizenablr.com/Female-entrepreneurship-India-government-policies
4. http://www.publishyourarticles.net/eng/articles2/step-taken-by-government-to-develop-women-entrepreneurs-in-india/2735/
5. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/11993/8/08_chapter%203.pdf
6. http://www.abhinavjournal.com/images/Arts_&_Education/Mar12/1.pdf

***

FINANCIAL SOURCE OF TERRORISM IN INDIA

Dr. Atul Mishra*

Terrorism and militancy have also caused an unprecedented spurt in the smuggling of arms gun running as an organized trade has been well established there are countries in order to earn valuable foreign exchange to a great extent is a result of the heedless and lavish arming of Afghanistan. Most of countries are used as a transit route for smuggling weapons by the militant and insurgent outfits in South Asian region. This has turned the region into a large market for arms trade. According to Bangladesh army personnel, "there are at least 400000 illegal weapons in Bangladesh. The country's south and south east regions especially Chittagong are often used for transportation of illegal small arms "[1]. These days new novel of arms smuggling have evolved and are being adopted by Cross Border Terrorist one such operation took place in December 1995 in which Antonov 26 aircraft dropped 300 AK 47s, 20,500 round of ammunition, Dragunov sniper rifles, rocket launchers and night vision glasses over the Indian state of West Bangal[2] . In 1996 it occurred near the port of Chitagong when Bangladeshi authorities impounded two vessels carrying more than 500 assault rifles, 80 machine guns, 50 rocket launchers and over 2000 grenades. Several large arms shipments to the rebels in north east India originated along the Thai Myanmar border with Maoist proving to be meeting grounds for Cross Border Terrorist of all shades[3].

On 2nd April 2004 substantial quantities of arms and ammunition were recovered from Chittagong the hilly districts of Cox's Bazar and Bandarban of northern Bogra and Dhaka. The government seized 690 (7.62mm) T-56-I submachine Guns (SMGs), 600(7.62mm) T-56-2 SMGs, 150 (40mm) T-69 Rocket launcher, 840 (40mm) rocket, 400 (9mm) semi automatic spot rifles, 100 Tommy Guns, 150 rocket launcher, 2000 launching grenades 25020 hand grenades, 6392 magazines of SMG and other arms 700000 round of SMG catridges 739680 round of 7.6mm calibre and 400000 carttidges of other weapons most of the arms and ammunitions seized were reported to be of Korean, Italian, Chinese, and American. The Media reports in Bangladesh claimed that the Pakistani Inter Services Intelligence was involved in their shipment the ultimate destination of which was north-eastern India[4] .

Within India the sale of locally made black market weapons occurs on the out skirts lf most large cities with in Uttar Pradesh specially near the borders on Nepal. Uttar Pradesh is known for having one of the country's highest crime rates in Uttar Pradesh. The price of the AK-47 is at Rs 1.3 Lakh with 100 cartridges free. The AK-56 is available at Rs 1.85 Lakh with 100 cartridges free. The SLR is available at 1.5 Lakh, semi automatic rifle at Rs 70000, 9mm pistols at Rs 90000 and top class dynamites at Rs 350 only[5] .

The India's border has been one of the prime routes for the smuggling of the drug and ganja from Myanmar, Bhutan and Bangladesh. This long borders that India shares with one of the most fertile areas for the drug areas to mint money. however since the late nineties drugs smugglers started using the Siliguri corridor to smuggle out drugs beyond the country especially to states such as Uttar Pradesh and Maharashtra the biggest buyers of heroine in the country|[6] .

*Guest Faculty, Iswar saran Degree Collage, University of Allahabad

Liquor has been banned in Bangladesh Indian cough syrups by mixing alcohol have been emerging as poor man's drink on both sides of border. According to senior BSF officer "almost 25 % of the cough syrup manufactured in India is being smuggled into Bangladesh through the North eastern states the BSF estimates that every fourth bottle from India goes to Bangladesh"[7]. According to a news report it has been estimated that the security forces seize over one lakh bottles of cough syrup annual and therefore their illegal trade is worth several hundred crores of rupees and is increasing every year. The trend suggests that over 10 Million bottles are being smuggled into Bangladesh every year which is roughly around 25 Percent of the 40 million bottles of cough syrup being produced in India every year. But these figures are based on certain assumptions and may vary from time to time[8].

According to International Narcotics Control Board "During trafficking organization have been using Bangladesh as a trans shipment point for smuggling drugs into Europe in April 2006 it was reported that consignments of heroin had been smuggled through Bangladesh into the United Kingdom where they had been seized. It is believed that the heroin might have been smuggled from Afghanistan into Bangladesh through the border with India and then shipped to the United Kingdom from there. It is also reported that heroin destined for the United States has been smuggled through Bangladesh"[9].

India has the smuggling of fake Indian Currency Notes that has acquired a greater geographical spread across the country in the present time. The India Nepal border has now become increasingly vulnerable to such smuggling although in the past it was mostly confined to the India Pakistan and India Bangladesh Border. In the light of news report of Bangladesh border is the most favoured route for pushing fake currency into the country moreover Barak Valley and Karimaganj in Assam and Kailasahar and Dharam Nagar in north Tripura apart from some villages in Bengal are the new terror outposts where contraband is dumped to taken to big cites of India[10].

Indian currency is generally printed in Pakistan and then it is taken to Bangladesh either directly or through Dubai. Thereafter these fake Indian currency notes generally in the denominations of Rs 100 and Rs 500 are brought across the India Bangladesh border from where these fake Indian currency notes are smuggled to important states in South India such as Bangalore, Hyderabad, and Kerala which is the hub for profitable illegal transactions of counterfeit currency.. Only those states are identified and selected where detection transaction in counterfeit currency are fairly profitable and vary from state to state. The rate on the India Nepal Border is around Rs 35 as per Rs 100 which goes up to around Rs 40 as per Rs 100 in Delhi. The annual report of the Directorate of Revenue Intelligence mentions the circulation of fake Indian currency notes denominations of Rs100/ and Rs 500/ which are circulated in the state of Tripura and the India Bangladesh Border areas of Karimganj and Cachar Districts. The fake Indian currency notes are also smuggled from Bangladesh into India mainly to the districts of Coochbehar, Malda, Murshidabad and Nadia in West Bengal. Certain Mumbai based operators are reported to be placing orders on Dubai based operators for supply of fake Indian currency notes. The fake Indian currency notes are then smuggled into India through the India. Bangladesh land border and delivered at Kolkata. These fake notes are thereafter brought to Mumbai by rail and pushed into circulation smuggling if a fake Indian currency note has also been reported across the India Pakistan border. This currency is primarily intended for Delhi and parts of Western Utter Pradesh[11]. In south Assam's Karimaganj district has become the favourite spot for the smuggling of household items like petrol, diesel, and edible oil.

On the demand of beef in Bangladesh and Pakistan the terrorist from across the border resort to smuggling of animal like cow and bulls from Indian side especially during the Mohammeden Festival. On the everage every year some 3000 animals are being smuggled

into India's land and reverine border of Karimaganj and Cachar districts of South Assam are well known. Similarly smuggling of cattle is being carried out in well organised manner in border villages. A herd of 100 animals or so is distributed at rate of 2 animals per house by making payment at the rate of Rs 10/ and Rs 20/ per day to the houses the prices is paid to the poor villager by the animals smuggler to conceal the identity of the terrorist[12] . According to B.S.F. in 2007 the Assam Meghalaya frontier forces had also seized cattle worth Rs 6.88 Crore from the India Bangladesh Border[13]. According to the World Bank 2002 surveys Bangladesh smuggled imports India during 2002/2003 were approximately $ 500 million or about 40% of recorded imports from India and approximately 30% of total from India the smuggling includes wheat, sugar, rice and onion[14].

It is no stretch of the imagination to see that the link running from Kashgar to Gwadar in next 15 to 25 years. They are already working with us in Gilgit-Baltistan on the upgrading of the Karakoram highway to an all-weather highway, they are silent people and able to work in the sometimes difficult environment we present[15].

When journalists asked the Chinese Foreign Ministry spokesperson Jiang Yu if China would, in the wake of Bin Laden's killing, back India's efforts to bring to justice the perpetrators of the Mumbai attacks, she said, "China will continue to firmly support Pakistan's formulating and implementing an anti-terrorist strategy based on national conditions"[16] .

In a report, the China Daily said, "The US military attacker that killed Osama bin Laden in Pakistan will inevitably alter Washington's approach to Islamabad and India may stand to gain". Karl Inderfurth former assistant Secretary of State for South Asian Affairs mentioned that "This will further encourage closer US-Indian collaboration, intelligence sharing and cooperation in finding ways to work with India to address regional stability issues writ large"[17]. The report added, "…but India's ability to benefit from strains in the US-Pakistan relationship may also be limited.

Conclusion : It is suggested that the Border security forces as well as the other forces involved directly or indirectly for carrying out this important mission of prevention and elimination of cross border terrorism along the over India's land border. To check the Indian border terrorist activities It is necessary that proper coordination and cooperation are needed between the B.S.F. customs authorities and state police forces so that they perform their duty with full responsibility and for the achievement of a common goal.

Specialized training should be imparted to the B.S.F. personnel for identifying and arresting the cross border terrorist and also take measures to barbed wire fencing, intensive patrolling and effective vigilance along the border. Special campaigns should be highlighted against the threat of India's border terrorism and radical Islamic militancy which is the root cause of internal turmoil and which hinder the development of a region should be highlight.

Preventing of smuggling of any kind is a compulsory duty of border security forces. They should be equipped with more powers. They are only vested with the power of search, seizure and arrest but thereafter the cases are handed over to customs authorities having the power to further investigate the cases. A lot of disillusionment and frustration enlarge for the personnel when the work is not done properly. It is recommended that the geographical and legal jurisdiction of the force should be expanded and they should be vested with the power to investigate the cases seized and border forces have the power to attest the terrorist. Track records of smugglers, financiers and transporters of smuggled goods should be prepared through intelligence cell of the force.

References :

1. Bangladesh turned into arms smiggling route The Dealy satar 30 May 2006 http://www.thedailystar.net/2006/05/30/d6053001107.html

2. Harinder Baweja, "Straining Credibility" India Today, March 31, 1996
3. Robert Karniol, "Bangladesh Seized Arms Vessel of Its Coastline" Jane's Defence Weekly, March27 April 3, 1996
4. Habib Haroon, "A deadly cargo" Frontline Volume 21- Issue 10 May 08- 21, 2014
5. Buy Illegal arms get cartridges free The Tribune December 13, 2001 Chandigarh
6. Manasij Bhattacharjee, Smugglers gold tillt baffle cops the Statesman December 14,2004 http:// www.thestatesman.net/page.arcview.phpclid=9&rid=91155&usrsess=1
7. Vijay Thakur India coughs Bangladesh hiccups, the Statesman, December 01, 2005. http:// www.thestatesman.net/page.atcview.phpclid =1&id=125799&usrses=1
8. http://www.thestatesman.net/page.atcview.phpclid =1&id=125799&usrses=1
9. Annual Report 2006, International Narcotics Control Board
10. Pradeep Thakur, "Fake Notes Sweep in From Bangladesh" The Times of India, August 2,2006
11. Annual Repport 2005-2006 Directore of Revenue Intelligence Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise &Customs, Government of India.
12. P. J. Rao, "Cattle Smuggling on Indo Bangladesh Border " B.S.F. Journal, July, 1993
13. BSF Sounds hideout alarm The Telegraph December 1,2007 http://www.telegraph.com/1071201/ asp/northneast/story-8614555.asp
14. Studies on India Bangladesh Trade, Trade Policy and Potential FTA Volume 1 Main Report Document of the World Bank.
15. Ruchika Talwar, "Print Line Pakistan", The Indian Express, New Delhi, September 18, 2010.
16. Ananth Krishnan, "China strongly backs Pakistan", The Hindu, New Delhi, 4 May 2011 at http:// www.thehindu.com/news/international/china-strongly-backspakistan/ article1988200.ece, accessed on December 31, 2012
17. "India Could Benefit from US-Pak strains", China Daily, 5 May 2011 at http:// www.chinadaily.com.cn/ world/binLadendead/2011-05/05/content_12448513.htm, accessed on December 31, 2012

***

A COMPETENT PLANNING FOR EDUCATION: ASSURING THE QUALITY UPGRADATION OF HUMAN RESOURCE

Deepika Ojha*

Any nation's development is actually based upon the proper, suitable and maximum utilization of human resource not upon the materialistic resources. Human being is different from the other living beings on the earth because of their reasoning capacity with the help of nature's gift known as brain. We are already familiar with the fact that modern scenario of the world is it is full of the technical facilities which are the results of innovations, which are the outcomes of human mind's processing. It is human mind which directs the way for the proper as well as good planning for the utilization of the natural resources. These natural resources are left useless unless they are purified and brought up in a form to be used for making the life of the people mores facilitated.

In this way it is very much clear to us that it is human resource which is responsible for the management of other resources available on the earth. Therefore this most important human resource should be tried to be made powerful and strong , competent, efficient to build a nation. Because nation is built up with its citizens and if these citizens will be able, then naturally nation will flourish more and more. Human beings on the basis of their intellect, make useful for the people and in this way they influence economy of the country.

Human beings are able to transform the natural resources in a form which makes life of the people more facilitated. For example water is being converted into the form of electricity which solves the problem of life of the people, trees are being used for building the houses, its components are being used for medicinal purpose and Sun's energy is being used for cooking the food or for other alternative purposes. Not only, this but also with the help of the beautiful mind, they create, construct, invent and produce so many useful, interesting things which are helpful in economic growth of the country. The description about its glory does not end here only, rather they are capable of doing such innovating work through which labor of the individual becomes easy and through technology, productivity of anything is increased and it results in growing up of the economy. The twentieth century has witnessed the miracles of (HRD) activities reflected through increase in GNP and overall productive activities in industrially developed countries. Even Eritea has experienced the GNP growth rate of 7 percent during (1994-97). Human resource is that extraordinary resource which is capable of solving out the problems of life, on the basis of their rationality, decision making capacity.

Thus Government's distinct planning for the development of its human resource is very essential. But before we talk about the planning it is too necessary to the same extent, what process, what components are involved in its development. To develop a human as a resource is to make him efficient, exploring its inner talents, increasing its creativity, widening the criteria of mind, training them in various skill to what is required to meet the demands of the nation, pouring within them the tendency to work, affection toward hard work. These all things can be performed with the help of the adequate system of education of any country.

*Guest Lecturer, Ishwar Saran Degree College, Allahabad, U.P.

In other terms we may say that individual's educational development is in itself is its development as a resource. But if an effective plan for providing education is not there, this task becomes difficult.

In the present scenario of our country we see that talks about education are on the surface level from the perspective of modification of the behavior of any individual. This is the reason why the most of the students are not able to face the normal or general daily life problems, situations even after becoming graduate. There are various causes behind it -the teacher not doing their duties carefully, administrators and management selfish mind set and not supporting the teachers, parents, not providing the desired level of motivation to their children, their own illiteracy therefore not being able to regulate the student's behavior, government's ineffective policy and implementation of these policies, society's day to day degradation of moral values etc.Thus if we want our human resource to be competent, it is necessary to overcome the problems which are obstructing the way of education.

HRD is the integrated use of training and development, career development and organizational development to improve individual and organizational effectiveness. (Mchagan) But if we have a look towards the educational institutions, students coming out after getting education are entirely helpless because they have to face the job problems. HRM scholars, Werner and DeSimone(2006) defined Human Resource Development(HRD) as : "a set of systematic and planned activities designed by an organization to provide its members with the opportunities to learn necessary skills to meet current and future job demands." But even the technical institutions too are not having the potential to build an individual as a skillful person, which can be demandable in market. Thus from degree provided to them, they are identified as educated but it is on the paper only, if we look inwardly, there is lack of their qualitative development. In this way the present situation of human's resource development in the field of education is not so good.

In reviewing the literature surrounding the meaning and understanding of HRD, a number of dimensions can be seen to be influencing the evolving and complicating nature of HRD. Haslinda, a reported, that Harbison and Myers offered the first definition of HRD in 1964. This definition is very broad in perspective, as it elaborates HRD in relation to culture, the economy and social and political contexts rather than individuals and organizations. They defined HRD as- HRD is the process of increasing the knowledge, the skills and the capacities of all the people, in a society. In economic terms, it could be described as the accumulation of human capital and its effective investment, in the development of an economy. In political terms, HRD prepares people for adult participation in the political process, particularly as citizens in a democracy from the social and cultural points of view, the development of human resources helps to people lead fuller and richer lives, less bound to tradition, In short, the processes of HRD unlock the door to modernization." According to Khan and Khan (2011) this definition, too much broadens and integrate the concept of HRD and makes it integrated HRD. According to Rao(1995), the scope of HRD is extended, at one side, to developing competencies of human resource by enhancing knowledge, building skill, changing attitude, and teaching values. Thus if we think over the aims of education, there is the resemblance between the characteristics involved in HRD and the process of education. That means though a well-planned education system, we can achieve the goal of HRD.Educational development does not include only the economic development, rather their moral development, social development, are too very important and these all are related with each other. But from these perspectives too, we are facing the problem of quality degradation. That means, the present system of education is not capable of cultivating an individual as a social animal or who can be a justful and ethical man, having the capacity to evaluate what is right or wrong. Thus from every perspective of educational development, we need to be more and more operative.

The idea of developing individual as a resource for a country can be successful only when the we will give importance to the development of the society, the whole nation instead to welfare of self. A nation can progress when its each and every citizen will be devoted toward its duties. Nation's development is not a separate as well as single concept rather it is an integrated concept. Thus it includes the economic growth, its citizen's efficiency as well as satisfaction with their life, their high standard of moral values, and its integrity. All these components are framed into the system of providing education. Because education is process of bringing up desirable, required behavioral change, modification within the individual. Thus it is clear that if the suitable planning, management and administration, of education is there in any country, we can develop the individual as useful resource. That is why every country in the present scenario, is aware of its education system.

Planning for developing citizens as a resource differ from country to country. Indeed, it is required that every country should plan for its education system, on the basis of its needs and situation. Human capital, power, potential can be utilized fully when it will be trained, well equipped with knowledge, skills required for the particular nation's conditions, availability of natural resources.

Therefore education system should be re-organised according to the needs of the nation. The role of higher education within the nation HRD strategy broadly follows the pattern advocated by Thompson and Fogel(1976) for educational development in the developing countries in which higher education is strongly embedded into the national community as a whole instead of being an elitist institution which is removed from the realities of the majority of the population. The role of the university herein is that of a 'developmental university', an institution first and foremost concerned with the 'solution' of the concrete problems of social development'(Coleman, 1994: 334) Such a university sets out to ensure that the development plans of the university are integrated with or linked to national development plans (Coleman, 1994:343).

In this reference Mahatma Gandhi's concept of Basic education can be taken into the consideration. According to the one of the principles of Basic education, it has been recommended that students should be trained in any productive work which is field specific. It means a particular area has its own geographical characteristics. On the basis of that, majority of the people join any work and have their earning. The same illustration can be implemented on the broad level. Human resource of our nation can be developed in a right way when we will try to make them skilled after having a look into the features, morals, characteristics of our country.

HRD is an important topic of present time. It is considered by management professionals, as sub discipline of HRM, but many researchers have broadened the scope and integrated the concept of HRD by looking it from socioeconomic angle and giving it other dimensions such as physical, intellectual, psychological social, political, moral and spiritual development. However HRM professional view it, in organization context. And from HRM scholar's viewpoint HRD in narrow concept consists of activities of training, education and skill building though all these terms themselves have meaning broader and deeper than their usual perceptions and in broader concept besides these activities also comprise activities like empowerment, awareness raising, team building, community mobilization, and development, organization, development entrepreneurship development, sensitization and conscentisation.

If we look at this broader concept, planning for the development of human resource consists of all around or we can say multidimensional cultivation of the individual. Thus it is obvious too that when the individual will be physically strong, then he will be able to perform his best mental work. Mental health is very necessary component of performing any creative task. Apart from this they should be properly as well as deliberately directed towards social concerns. It means that a nation is built up with the society, and a well co-ordination and

balance in the society is essential for the development of the nation, and human beings of the society are responsible for the disciplined social organization. Besides this, if we talk about the HRD from the perspective of nation, it should also be thought from the perspective of individual's self enhancement, as it is the foremost step towards the process of HRD.
But as we know that the education in itself is the process of exploring inner powers as to bring it out to be exposed to the world, according to Swami Vivekananda. It is distinct before us that there is the intimacy between the concept of HRD and Education. Thus re-constructing, re-organising education after a proper deliberative session is required for fulfilling the needs of the nation, society and the world.

In the present system of education we have a good plan, but it lacks a good implementation. We are in the continuous process of taking decision for spreading education but we are also aware of the fact that practically we are not getting the desired result. This has become the most critical problem related to education. Firstly we will have to think over this problem to be solved, because there is no significance of bringing new and new scheme until the previous has not attained its goal properly. And if individual's educational development is obstructed, it means we will not be able to place them into the catagoree of human resource. Education plays a dominant role as an effective instrument for large scale achievement and revolution in all spheres. Purposeful education enables the individual to understand and study the real life situation and to develop an opportunity for creating confidence in the minds of younger generation and proved a strong base for rational and value oriented and nation building progress (Myers & Harbison,1965; Mingat and Tan,1986).

One more concept related to Human Resource Development is that there are various dimensions related to the concept of development of nation- administrative, productive and creative and society based upon ethical values. Therefore when, every human according to his interest, aptitude ability, whatever duty has been allotted to him, will perform his best then the blended approach towards development of nation will be relevant. Therefore this awareness too should be spread among the people, that everyone has its own individuality and they can serve their nation on the basis of their distinguished talent.

But presently the phenomenon is running in the society that majority of parents want their ward to be an engineer or doctor, ignoring the fact that whatever they have the potential to proceed or not. This tendency should be wiped out form the society. At the same time, how we can expect from them that they will contribute something for the nation because human will work as a resource when he will be able to utilize his powers. This concept bring a fact into light that first of all individual's interest, potential should be brought into consideration and accordingly their education should be planned.

References:-

1. Coleman, J. (1994). Nationalism and development in Africa. Selected Essays. Berkeley, CA : University of California Press.
2. Rao, T.V. (1995) Human Resources Development, Experiences, Interventions, Strategies.
3. National Book Foundation, Islamabad, Pakistan
4. Tseggai, Araia (1999) Human Resource Development: Priorities for policy. In Martin Doornbos and Alemseged Tesfai (Eds.), Post- Conflict Eritea: Prospects for Reconstruction and Development, Trenton (pp. 215-238). N.J.: Red Sea Press.
5. Werner J.M. and DeSimone R.L. (2006) Human Resource Development published by Thomson South- Western, Indian Edition Akash Press Delhi, India.
6. Rena, Ravinder (2006). Education and Human Resource Development in post independent Eritea: An explanatory note. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICI), Vol. 2.
7. Haslinda A. -b (2009) "Definitions of HRD : Key concepts from a National and International Context", European Journal of Social Sciences- Volume 10, Number4 (2009)
8. Khan, Dr. M.T. Khan, Dr. N.A. (2011) " Integrated Concept of Human Resource Development- Proposing New model of HRD", Far East Journal of Psychology and Business.

***

MYTHS RELATED WITH THE NEWBORN IN RURAL AREA UP (EAST)

Rubee*

ABSTRACT :

In India, an estimated 26 millions of children are born every year. As per Census 2011, the share of children (0-6 years) accounts 13% of the total population in the Country. An estimated 12.7 lakh children die every year before completing 5 years of age. However, 81% of under-five child morality takes place within one year of the birth which accounts nearly 10.5 lakh infant deaths whereas 57% of under-five deaths take place within first one month of life accounts 7.3 lakh neo-natal deaths every year in the Country.

In 2000, 189 nations made a promise to free people from extreme poverty and multiple deprivations. This pledge became the eight Millennium Development Goals (MDGs) to be achieved by 2015.

According to Government of India Reports the prominent causes of death among infants are perinatal conditions (46%), respiratory infections (22%), diarrhoeal disease (10%), other infectious and parasitic diseases (8%), and congenital anomalies (3.1%) but some social myths related to newborn child also responsible for newborn deaths.The purpose of this paper is to find out the social mythsrelated tonewborn.

Key Words: Neonatal, status of Infant Mortality Rate (IMR) and myths related newborn.

Introduction :

An infant (from the Latin word infant, meaning "unable to speak" or "speechless") is the very young offspring of a human oranimal. When applied to humans, the term is usually considered synonymous with baby or brain (in Scottish English), but the latter is commonly applied to the young of any animal. When a human child learns to walk, the term toddler may be used instead.

The term infant is typically applied to young children between the ages of 1 month and 12 months; however, definitions may vary between birth and 1 year of age, or even between birth and 2 years of age. A newborn is an infant who is only hours, days, or up to a few weeks old.

About 0.76 million neonates die every year in India, the highest for any country in the world. The neonatal mortality rate (NMR) of the country did decline from 52 per 1000 live births in 1990 to 29 per 1000 live births in 2012 (SRS 2012) but the rate of decline has been slow, and lags behind that of infant and under-five child mortality rates. The slower decline has led to increasing contribution of neonatal mortality to infant mortality. With the current infant and under-five child mortality rates of 42 and 52 per 1000 live births respectively (SRS 2012), about 70% of infant deaths and more than half of under-five child deaths occur in the neonatal period, the first 4 weeks of life.

As per the Sample Registration System (SRS), Registrar General of India (RGI-SRS), Infant Mortality Rate (IMR) has declined from 47 per 1000 live births in the year 2010 to 42 per 1000 live births in 2012.

The latest data on IMR for the years 2010, 2011 and 2012 is given in table below:-

IMR	SRS, 2010	SRS, 2011	SRS, 2012
	47	44	42

Objectives:

* To study the myths related newborn child.
* To analyzed the status of Infant Mortality rate (IMR)

*Research Scholar, U.G.C. (Net), Deptt. Of Social Work, M.G. KashiVidyapith, Varanasi (U.P.)

Methodology: The present study based on the both data primary and secondary. Primary data will be collected through Questionnaire by the Respondents and secondary data will be collected from books, magazines, journals, newspapers, articles, research papers, internet etc.

Random sampling will be used and the sample would be consisted of 50 Women from 5 districts (Varanasi, Mirzapur, Sonbhadra, Jaunpur, gazipur).

Some Operable Myths and Fact related newborn childinRural Area:

Myth: First milk (colostrum) should not be given to children.

Fact: First milk is one of the best things we can give to a newborn. Colostrum helps protect the child from diseases, as it aids in the development of the newborn's immune system. It has a cathartic effect in that it prompts the excretion of excess bilirubin from the newborn and decreases the chances of jaundice. Colostrum is rich in several essential vitamins (such as vitamin K and A), as well as antibodies, which are what help the newborn's body to fight off commonly occurring infections. No artificial feed can substitute the first milk, with all of its natural benefits, and therefore it should be fed to the child after birth.

Myth: A baby needs to be given sugar-water or honey before the first breastfeeding.

Fact: These substances have traditionally been given before the baby is first breastfed, however this does more harm than good in newborns, as they predispose the baby to infection.

Myth: The mother should not breastfeed if suffering from an infection.

Fact: If the mother has an infection, the baby, like any other family member, would normally contract the infection through close contact with the mother. While breastfeeding, in itself, is unlikely to pass the infection, it will pass antibodies to the baby that will help the baby fight the infection and get better faster.

Myth: Infants need water in addition to being breastfed.

Fact: Breast milk is rich in water, so breastfed babies do not need additional water. Feeding on water and other fluid supplements decreases the newborn baby's interest toward the breast milk. The decreased demand for milk from the baby results in the decreased secretion of oxytocin and prolactin, which ultimately decreases the milk production in the lactating mother.

Myth: A neonate cries predominantly because of inadequate breast milk.

Fact: There are several reasons for a baby's excessive crying. Fever, ear infection, abdominal pain, general discomfort, and simply wanting to be picked up are all reasons for which a baby could be crying.

Discussion: The data of 50 women respondent lies between the reproductive age group of 20-30 years (36%), belonged to Hindu religion (82%) had completed high school education (8%) and lived in a nuclear family (72%). 38 out of the 50 women belonged to lower socio economic class. Most of the women (56%) belonged to SC cast. Out of 50 (100%) female beneficiaries, only 41(82%) were literate and 9(18%) were illiterate beneficiaries.

According to data (24%) 12 out of 50 women are believe that First milk (colostrum) should be not given to children and (76%) 38 out of 50 women not believe in this myth. (30%) 15 out of 50 women consider that a baby needs to be given sugar-water or honey before the first breastfeeding but (70%) 35 out of 50 women said that this myth is wrong.(84%) 42 out of 50 women believe that Infants need water in addition to being breastfed while (16%) women are not supported. (64%) women are trust that specter (like a ghost) to be blue body of newborn baby.

CONCLUSION :

As we said children are future of any country but these are not safe and got accidental death. Due to lots of reasons at the time of delivery, lots myths after birth in our society for example after child birth gave honey, before completing six months gave water and other

liquid material. Smoke around the child and delivery room etc. are the mostimportant factor for the increasing child mortality rate. Health workers can prevent these type of child health through spreadingawerness regarding pre-natal and post- natal care among society and pregnant women and in their family in rural areas.

References :

1. Child Health Programme in India nhmguideline 2011.
2. नवजातशिशु की घरपर देखभालक्रियान्वयनमार्गदर्शिकास्वास्थ्य एवंपरिवारकल्याणमंत्रालय भारतसरकार, 2011
3. http://nrhm.gov.in Dated 2nd June 2016.
4. Janani-Shishu Suraksha Karyakramguidelines (online), Dated 4th June 2016. Available from http:// nrhmmeghalaya.nic.in/jssk.html
5. Child Health in India K SRINATH REDDY AND HENRI VAN DEN HOMBERGH* From Public Health Foundation of India and UNICEF-India*; New Delhi, India. Correspondence to Dr Henri van den Hombergh, Chief-Health, Unicef-India, 73, Lodi Estate, New Delhi, India. VOLUME 48__MARCH 17, 2011 Dated 5th June 2016

***

GOLD MONETISATION SCHEME

Dr. Ragini Shah*

Abstract : India is a country with huge global economy where its financial system is still unorganised.The new scheme named Gold Monetization Scheme was launched on 5th November by the Prime Minister Narenda Modi. The scheme is launched with the aim of utilising unused gold lying idle with the depositors. It is expected that the scheme would turn gold into a productive asset in India. The 'Gold Deposit Scheme' (GDS) and 'Gold Metal Loan Scheme (GML),is modified into gold monetisation scheme (GMS).This scheme is intended to mobilise gold inherited by various households and institutions of the country and facilitate its use for productive purposes in the long run. The rate of interest on medium term deposit is 2.25% and on term deposit 2.50% annually. The depositors can withdraw the money after the minimum lock in period. The paper makes an attempt to explore the different prospects of Gold Monetisation Scheme. The paper is an exploratory one where facts from different sources are being gathered and the measures taken by the government of India regarding Gold Monetisation Scheme is presented. Efforts are made to show the factual situation and upcoming results.

Keywords: Gold Monetisation Scheme, Indian Gold Coin, Indian Economy, Gold Deposit Scheme, Gold Metal Loan Scheme.

1. Introduction :

The new scheme named Gold Monetization Scheme was launched on 5th November by the Prime Minister Narenda Modi. The scheme is launched with the aim of utilising unused gold lying idle with the depositors. It is expected that the scheme would turn gold into a productive asset in India.

India is a country with huge global economy where its financial system is still unorganised. In recent estimation over 20,000 tonnes of gold is neither traded, nor monetised. In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India (RBI) under Section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949 and in pursuance of the Central Government notification issued on September 15, 2015 regarding "Gold Monetization Scheme (GMS)", the RBI issued in the public interest to all Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks).

The 'Gold Deposit Scheme' (GDS) and 'Gold Metal Loan Scheme (GML),is modified into gold monetisation scheme (GMS).This scheme is intended to mobilise gold inherited by various households and institutions of the country and facilitate its use for productive purposes in the long run. The rate of interest on medium term deposit is 2.25% and on term deposit 2.50% annually. The depositors can withdraw the money after the minimum lock in period.

2. Objective :

The paper makes an attempt to explore the different prospects of Gold Monetisation Scheme. It is a newly implemented scheme by the government where it has attracted huge depositors from all over India and monetised the idle gold lying within the household and the institutions.

*Assistant Professor, Sunbeam College for Women's, Varanasi, India, U.P.

3. Data and Methodology :

The data used in this paper is taken from various official government website, RBI website, reports and journals. The paper is an exploratory one where facts from different sources are being gathered and the measures taken by the government of India regarding Gold Monetisation Scheme is presented. Efforts are made to show the factual situation and upcoming results.

4. Acceptance of deposits :

4.1 Types of deposits

There shall be two different gold deposit schemes as under:

Short Term Bank Deposit (STBD)

In short term deposit, it is made for short span of time ranging 1-3 years and is treated as their on-balance sheet liability. The deposit will attract CRR and SLR requirements as per applicable instructions of RBI from the date of credit of the amount to the deposit account. However, the stock of gold held by banks in their books will be an eligible asset for meeting the SLR requirement in terms of RBI. The bank may allow whole or part premature withdrawal of the deposit considering the minimum lock-in period and penalties as determined by them. The banks are free to fix the interest rates on these deposits. The interest together with the pricnciple will be paid at time of maturity by the designated banks. While depositing the gold, the depositor will decide whether redemption will be made in form of gold or cash back. This contract will be in writing and is irrevocable.

Medium and Long Term Government Deposit (MLTGD)

The banks under this category accept the deposit on behalf of Central Government. This is stated by the receipts issued by the CPTC and the deposit certificate issued by the designated banks shall state this clearly. The designated bank just act as the intermediary between the Central government and the depositor. It is the liability of the Central bank and not the designated bank. The Medium Term Government Deposit (MTGD) is be made for 5-7 years and Long Term Government Deposit (LTGD) for 12-15 years or for such period as may be decided by the Central Government from time to time. The rate of interest on such deposit will be decided by Central Government and notified by Reserve Bank of India from time to time. The current rate of interest as notified by the Central Government are as under:

(i) On medium term deposit - 2.25% p.a.

(ii) On long term deposit - 2.50% p.a.

(b) The designated banks may allow whole or part premature withdrawal of the deposit subject to minimum lock-in period and penalties as under:

A Medium Term Government Deposit (MTGD) is allowed to be withdrawn any time after 3 years and a Long Term Government Deposit (LTGD) after 5 years.

(ii) Penalty on premature withdrawal

The amount payable to the depositor on premature withdrawal shall be calculated as a sum of (A) and (B), as indicated below:

(A) Actual market value of the gold deposit on the day of withdrawal.

(B) Interest payable on the value of the gold at the time of deposit.

Type of deposit	Lock in period (years)	Actual period for which the deposit has run (years)	
		>3 and < 5	≥5 and < 7
MTGD	5	Applicable rate for MTGD at the time of deposit - 0.375%	Applicable rate for MTGD at the time of deposit - 0.25%

Type of deposit	Lock-in period (years)	Actual period for which the deposit has run (years)	
		>3 and < 5	≥5 and < 7
MTGD	Position as on date	2.250%-0.375% = 1.875%	2.250%-0.250% = 2.00%

5. Recent updates made under Gold Monetisation Scheme

The Finance Minister also announced the development of an alternate financial asset, a Sovereign Gold Bond, as an alternative to purchasing metal gold. The bonds would carry a fixed rate of interest, and also be redeemable in terms of the face value of the gold, at the time of redemption by the holder of the bond.

Gold monetisation scheme modified to benefit investors

- After being launched, some changes were made in Gold Monetisation Scheme. It is on the part of the investors to redeem their principal either in gold or its equivalent value in Indian rupees on maturity. This will bring more investors which the government aims to achieve and finally more monetisation of gold. This will also help to raise the trading of unutilised gold in the economy. It has also targeted the gold reserves of the temple.

Gold Monetisation Scheme gets deposits worth Rs 3,000 crore

- This scheme started by the Union Government has garnered the deposit of Rs 3,014 crore, 1,100 kg of gold. The scheme slowly picked up where depositors earned a interest of 2.5% per annum on gold. For this the government opened up 46 centers to function as Collection and Purity Testing centres to accept deposits. This also helped in reducing import of the country.

Indian Government does away with tax on Gold Deposits

- To promote the Gold Monetisation Scheme, government has offered tax benefit to customers so that they bring out idle gold and gold jewellery out of the house and temples. Under this scheme, gold jewellery, bars or coins is deposited with banks for which interest is paid and can be redeem in cash or gold. Moreover, the capital gain tax is not charged when the gold is withdrawn from the bank. The aim of this scheme is to reduce import of gold in the country.

Changes made in Gold Monetization Scheme.

- The central government has decided to sell India gold coins manufactured by MMTC under the 'India gold coin' scheme. This will raise the standard of gold prevailing in the country. On short term deposit, both principal and interest is paid off in gold whereas in long term deposit interest is paid off in terms of rupees and principal as gold.

Gold Bonds pricing to be revised

- Government is planning to revise the price for gold to spur demand. At present the scheme has collected Rs 246 crore through 63,000 applications, accounting for 917 kg of gold.in connection to this scheme the government has launched Soverign Gold Bond plan. The new pricing strategy will help the government to sell bonds worth Rs 15000 crore.

6. Benefits of investing in Gold Monetization Scheme

The benefits enjoyed by the investor are given below :

- The depositor could earn interest on the idle gold lying with him and thus adding to his saving.

- It would reduce the gold import in the country.
- This scheme gives flexibility to its customers. They can withdraw their gold after the minimum lock in period.
- The investment starts with as low as 30gm of gold.

7. Conclusion :

The government of India came with the new approach to revive its economy in the form of Gold Monetisation Scheme. This scheme may look like a small effort but these small steps make a huge leap when it comes to financial growth. The scheme may be a new version of Gold Metal Loan Scheme and Gold Deposit Scheme rather it is targeted on mobilising unused gold lying with the depositors. Even it gives interest thus adding to their savings.A portion of the gold collected through the Gold Monetization Scheme can be sold or lent to MMTC and RBI for minting of gold coins and sale. Moreover, the gold deposited through this scheme will be re-circulated in the country to help reduce gold imports. Gold being the most precious asset of the country, the Government of India aims to use it for the purpose of nation building and strengthen the country's economy.

References :

1. https://www.mygov.in/sites/default/files/master_image/Draft_Gold_Monetization_Scheme.pdf
2. http://www.thehindu.com/business/all-you-need-to-know-about-gold-monetisation-scheme/article7224428.ece
3. Master Circular - Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) dated 1 July 2015.
4. https://www.bankazaar.com/gold-rate/gold-monetization-scheme.html
5. https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Mode=0&Id=10084
6. https://www.bankbazaar.com/gold-rate/gold-monetization-scheme.htmlFlood, R. P., & Garber, P. M. (1987). Gold monetization and gold discipline(pp. 183-211). Palgrave Macmillan UK.
7. Jain, K., & Pandiya, S. (2016). GOLD MONETISATION AND RUPEE INTERNATIONALISATION. Management Insight, 11(2).

***

EMERGENT ENGENDARING PARADIGMS IN SHAIKH'S THE STORY OF ZAHRA

Dr. B.K.Mishra*

The urgency to retrieve memory in many Arab women's writings becomes the impetus to retell the stories of women silenced and marginalized by their own communities. There is no doubt that with retrieval of memory comes the resituating of the body from its condition at object of male desire, and "its transformation into a desiring force that rejects its subjugation to a narrative of erasure" (Fayed, 1995:148). For instance, Zahra remembers what happened to her since her early childhood till her death as seen in subtitling the first part of the novel as "Zahra Remembers" (3)

Hanan Al Shaykh's The Story of Zahra is divided into two books. The first book is entitled "the scares of peace " where we find the central female character, Zahra, is silently victimized by patriarchal structure through is different ugly manifestations while the second book is subtitled "the torrents of war where we observe a complete different character who is ready to do anything to stop the war even if it takes her to have a relationship with a sniper, a symbol of patriarchal war, which ends in her tragic death.

My argument is that women are victimized by both patriarchy and war and the futility to deconstruct the concept of war in isolation of patriarchy. For example, Zahra's father is portrayed as a patriarchal tyrant with his wife, Fatme and daughter Zahra who is ever fearful of him. "All I knew was that I was afraid of my father, as afraid of the blows he dealt her as I was of those he dealt me; while she continued to tremble and wail in his grip" (15). The attention lavished on Zahra's brother Ahmad as a child reflects the patriarchal masculine ideals and its strong grip on society. Zahra remembers the behavior of her mother towards her brother. Every day, as we sat in the kitchen to eat, her love would be declared having fielded my plate with soup she serves my brother Ahmad, taking all her time, searching carefully for the best pieces of meat. She dips the ladle into t5he pot and salvages meat fragments. There they go into Ahmad's dish (11)

Such masculine mentality favors males over female are continuous to manifest itself later in Ahmad's addiction to hashish, masturbation, and goods stripped from the bodies of the head. Zahra recounts how her own face and her inner psyche become scared as society was descending into the abyss of war. In Zahra's early years, we also observe that her brutal father rejects her because she has acne, a symbol of her inner scares. Within these contexts Ann Adams elaborates further how the conflicts in Zahra's how truly register on her body. Zahra's abject and acne filled face not only makes visible the emotional scare this upbringing has had on the sensitive young girl, but also literalizers the ever increasing gender conflict carried on in society -the 'battle" between men and women for the control and regulation of female bodies (2001:201). A problem that Zahra's father thinks might make of her a spinster with no marriage prospects. And this drives him to beat and abuse her mercilessly every time he sees her fingering her pimples.

He would scold me severely whenever he caught me playing with my pimples…. My father would go raving mad every time he noticed my face and its problems. He would

*B.N.B., Jaunpur, U.P.

nag my mother sarcastically: "That will be the day when Zahra married. What a day of joy for her and her pock -market face "(24-25)

Zahra father cruel behavior succeed only in intensifying Zahra's sense of isolation in a patriarchal society where she feels discriminated against unwanted and unloved by closest people to her. It also reinforces to some degree the patriarchal constructed nation of beauty and the perfect femininity. Resisting these patriarchal constructions of beauty Zahra starts a process of self -annihilation a symbol of rejection of her society and its conventional norms. With her nails, Zahra disfigures her face intentionally until the blood starts to ooze from her pimples to such extent that it has become her only reason fo0r waking up early each morning. "My pimples the only thing I have loved in Africa. You, and the electrical appliances stacked on the shelves" (27)

Haunted by her painful past from which she thought that Africa can be her safe even . Zahra narrates, "Now I am in Africa because I want to be far from Beirut" (29). But unfortunately , she encounters the harsh reality again when faced with Majed's marriage proposal which has consequently led her to another psychological break down being unable to face her husband-to-be as a non virgin. "What was I to do with my life after Africa? Where would I go? The must come when I marry and my husband discovers that I am no longer a virgin, that I have undergone two abortions" (29)

Zahra's husband turns out to be crude who marries her to be "the owner of a woman's body that I could make love to whenever I wished… I have married Hashem's niece and so fulfilled I've had ever since being in the south… of marrying the daughter illustrious family" (83). He is completely oblivious of the fact that Zahra craves to assert her own identity. "I wanted to live for myself. I wanted my body to be mined alone. I wanted the place on which I stood and the air surrounding me to be mine alone and no one else's" (93). When her husband finds out that Zahra is no longer a virgin, he goes into a fit who has felt that his honor deeply wounded. "I thanked GOD that my mother was far away, far from this mess, and couldn't ask to see these stained sheets so that she might display them to Zahra's mother, to the neighbors and relatives. I thanked God for my mother's absence, and with it her stinging tongue" (86) it is apparent that he sees Zahra merely as sexual commodity. He does not even care about creating a true exchange of genuine feeling that could have saved her from breaking down again (Accad, 1990)

Furthermore, we may argue that Africa may represent a political haven and economic opportunities for Hashem and other dissident who live in exile, but there is no safe refuge for woman who tries to escape their oppressive patriarchal families and their painful past. For Zahra, Africa becomes London since the patriarchal values which are meant to oppress women have been transported there intact. Put differently, both her uncle and husband "fail to acknowledge Zahra as an i8ndividual with her own personal needs" (Adams. 2001:201)

However, once Zahra is back to Beirut, she falls into severe depression manifested in her withdrawal symptoms and over eating which develops into a form of complete despair and sickness. She narrates

NOTES :

1. Please see Mona Fayed "rein scribing Identity : Nation and Community in Arab Women's Writing. " 22:1 (1995):14 7
2. All references will be henceforth taken from Hanan Al Shaykh . The story of Zahra . New York : books. 1995
3. Evelyne Accad sexuality and War: Literary masks of the Middle East New York : New York University Press, 1990.
4. Lavon Malin Walther. "Out of Sight : Toni Morrison's Revision of Beauty Black American Literature Forum" Woman Writers Issue, 24.4 (Winner,1990):775.7
5. Nationalisms and sexualities , eds. Andrew Parker , Mary Russo, Doris Sommer, and Patricia Yaeger. New York : Routledge, 1992,pp. 77-95.

***

ISSUES OF ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT AND INDIAN JUDICIARY

Dr. S.K.Rai*

The judiciary is one of the three pillars on which the edifice of the Constitution is built. It is the guiding and balancing pillar of democracy[1]. It is also true legislature has passed number of laws for the protection of environment and executive is trying its best to curb the problem. At the same time the judiciary in India has been playing pivotal role for not only protecting the environment but also in promoting Sustainable Development. The positive signal of environment protection by Indian judiciary was set out even prior to the incorporation of Article 51-A in the Constitution. The Apex Court held that the industries cannot be allowed to run at the expense of public health[2].The society shall have to prosper, but not at the cost of the environment and in the similar vein, the environment shall have to be protected but not at the cost of the development of the society. There shall have to be both development and proper environment and as such, a balance has to be found out and administrative actions ought to proceed in accordance therewith. This approach was adopted in ***Indian Council for Enviro-Legal Action V Union of India***[3] where the Apex Court affirmed its faith to establish a balanced development and held that no activities which would ultimately lead to unscientific and unsustainable development and ecological destruction should at all be allowed and courts must scrupulously try to protect the ecology and environment and should shoulder greater responsibility of which the court can have closer awareness and easy monitoring.

In the case of ***Narmada BacNhao Andolan V Union of India***[4] the Supreme Court expounded the theory of Sustainable Development by holding the view, 'A balance is required to be maintained in the development and protection of environment. Every aspect of development should be based upon sustainability.

The Supreme Court in ***Prof. Naydu's Case***[5] where the court gave precedence to the human need for drinking water over and above the possible economic advantage that could be generated by the industry for the state. At the same time, the Supreme Court in ***Goa V Diksha Holding Pvt. Ltd.***[6] made the society aware about its responsibility towards the posterity so as to allow living in cleaner environment but that does not by itself mean and implies stoppage of all projects. But analytically speaking, the comparative study of the decisions lead one to submit that if basic human needs are endangered, development issue should be given second place while if such basic human needs are not threatened, development must be allowed to proceed.

The Apex Court in ***M.C. Mehta V Union of India***[7] applied the concept of sustainable development to the utmost extent. The Court in this case fixed a time limit for some cities to switch over from diesel vehicles to CNG vehicles with in specified time limit. The concept also finds support by Supreme Court in a number of cases[8] where the Supreme Court has realized that ecological factors indisputably are very relevant considerations in construing a developmental process such as town planning etc. The judiciary, too, has acted promptly in

*Assistant Professor in Law, B.S.A. College, Mathura, U.P.

implementing concept of sustainable development whenever the issues were related to the protection of environment and development.

Thus, the Court's power to harmonies between 'danger to the environment' and 'sustainable development' by supplying appropriate directions is a concept which refers to the objective of continuing to develop economics of the world while protecting the environment for the benefit of all present nations of the world and all future generations. It is one of the best examples both of idealism of environmental movement and of the failure to accord environmental initiatives a scientific base.

The Bombay High Court in ***Goa Foundation V the Knonkan Railway***[9] the Court declined to exercise writ jurisdiction on the ground that project of national importance could not be stopped under pretence that it had adversely affected the ecology of small tract of land "Kazan land". The matter was related to lying of new broad gauge railway line passing through three states. The project was undertaken for public benefit only after approval of renowned experts from the area. The petitioner alleged that cutting of trees would cause damage to ecology and environment of Khazan lands and Churches and temples which were in existence over centuries. The issues were (i) whether proposed alignment was wholly destructive to the environment and ecosystem and violated citizens' right under Article 21 of the Constitution? (ii) Whether the corporation could proceed to carry out the work without obtaining the statutory clearance required under the Environment (Protection) Act, 1986? Regarding first point, the Court held: "…. the claim of the petitioners that the alignment would have devastating and irreversible impact upon the Khazan lands is without any foundation, and even otherwise, the extent of damage is extremely negligible and a public project of such a magnitude which is undertaken for meeting the aspirations of the people on the west coast cannot be defeated on such considerations. It is not open to frustrate the project of public importance to safeguard the interest of few persons. … No development is possible without some adverse effect on the ecology and environment but the projects of public utility cannot be abandoned and it is necessary to adjust the interest of the people as well as the necessity to maintain the environment. The balance has to be struck between the two interests and this exercise must be left to the persons who are familiar and specialized in the field."[10]

Regarding second issue i.e. obtaining clearance or no objection certificate from the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India the court held that once it is found that providing rail line is not an industry, then it is not possible to jump to the conclusion that the work of bonding is a prohibited activity and, therefore, the Corporation should be prohibited from proceeding with the work in respect of which clearance is required are those where permanent buildings or workshops or harbors or thermal power plants are erected and not for the purpose of providing a rail line. The rail line or public road is provided for access to the public to the seas, bays, estuaries, creeks and backwaters and either a public road or a rail line is not a construction which demands clearance.[11]

It appears to be a mudslinging slogan that man is upsetting the equilibrium of the ecology and destroying his life's support system. There is no denying the fact that the scientific and technological developments afforded greater opportunities to man to meet his needs and aspirations. It is admitted that over industrialization and indiscriminate application of science and technology to economic development have been the principal cause for the impairment of the quality of the human environment.

> *"When science and technology are increasingly employed in producing goods and services calculated to improve the quality of life, there is a certain element of hazards or risk inherent in it and it is not possible to totally eliminate such hazard or risk*

> *altogether. It is not possible to adopt a policy of not having any chemical or other hazardous industries merely because they pose hazard or risk to the community. If such a policy were adopted, it would mean the end of all progress and development. Such industries, even if hazardous have to be set up since they are essential for economic development and advancement of well-being the people. We can only hope to reduce the element of hazard or risk to the community by taking all necessary steps for locating such industries in a manner which would pose least risk or danger to the community and maximizing safety requirements in such industries."*[12]

In Span Resort case[13] **the Apex court observed:**

> *"Our legal system - based on English Common Law - includes the public trust doctrine as part of its jurisprudence. The State is the trustee of all natural resources which are by nature meant for public use and enjoyment. Public at large is the beneficiary of the seashore, running waters, airs, forests and ecologically fragile lands. The State as a trustee is under a legal duty to protect the natural resources. The resources meant for public use cannot be converted into private ownership."*[14]

The question that arose before the Supreme Court in ***Rural Litigation and Entitlement Kendra V St. of UP Case***[15] was unique and distinctive related to environment and ecological balance. The questions arising the consideration were of grave moment and significance not only to the people residing in the Mussoorie Hill range forming part of the Himalayas but also in their implications to the welfare of the generality of the people living in the country. It brings into sharp focus the conflict between development and conservation and serves to emphasize the need for reconciling the two in the larger interest of the country. The Court observed:

> *"The consequence of this Order… would be that the lessees of lime-stone quarries which have been directed to be closed down permanently… or which may be directed to be closed down permanently… would be thrown out of business in which they have invested large sums of money and expanded considerable time and effort. This would undoubtedly cause hardship to them, but it is a price that has to be paid for protecting and safeguarding the right of the people to live in healthy environment with minimal disturbance of ecological balance and without avoidable hazard to them and to their cattle, homes and agricultural land and undue affectation of air, water and environment."*[16]

Conclusion :

The present day society has a responsibility towards the posterity for their proper growth and development so as to allow the posterity to breathe normally and live in a cleaner environment and have a consequent fuller development. Time has now come therefore, to check and control the degradation of the environment and since the Law Courts also have a duty towards the society for its proper growth and further development and more so by reason of definite legislations in regard thereto. It is a plain exercise of the judicial power to see that there is no such degradation of the society and there ought not be any hesitation in regard thereto - but does that mean and imply stoppage of every developmental programme - the answer is again no. There shall have to be a proper balance between the development and the environment so that both can co-exist without affecting the other. On the wake of

the 21st century, it is neither feasible nor practicable to have a negative approach to the development process of the country or of the society, but that does not mean, without any consideration for the environment. There should be a proper balance between the protection of environment and the development process. The society shall have to prosper, but not at the cost of the environment and in similar vein, the environment shall have to be protected but not at the cost of the development of the society - there shall have to be both development and proper environment and as such, a balance has to be found out and administrative actions ought to proceed in accordance therewith and not d'hors the same.

References :

1. VSK.S. Chaudhary, "A Pillar of the Constitution' in the Ivory Tower, 51 Years of the Supreme Court of India" ,1, (2002),
2. Ratlam Municipality V Vardichand, AIR 1980 SC 1633
3. AIR 1996 SC 1446
4. 2000 INDLAW SC 3658
5. 2000 INDLAW SC 2748
6. 2000 INDLAW SC 2785
7. 2002 INDLAW SC 1929
8. State of H.P V Ganesh Wood Products, 1995 INDLAW SC 985; M.C. Mehta V Union of India (1997) 2 SCC 653 (Taj Trapezium Case); M.C. Mehta V. Union of India and Others 1996 INDLAW SC 4092; M. C. Mehta V. Union of India and Others (2004) 6 SCC 588; M.C Mehta V. Union of India and Others (2005) 2 SCC 186; M.C. Mehta V. Kamal Nath and Others (2005) 1 SCC388; Sushanta Tagore and Others V. Union of India, 2005 INDLAW SC 159; Friends Colony Development Committee V. State of Orissa, 2004 INDLAW SC 898; Virender Gaur V. State of Haryana and Others; Recently Supreme Court in the case of T.N. Godavaraman Thirumulpad V. Union of India, 2008 (2) SCC 222 again shown the faith on the principles of sustainable development.
9. AIR 1992 Bom 471
10. Id., 474
11. Id., 476
12. M.C. Mehta V. U.O.I., AIR, 1987, SC 965,981.
13. M.C. Mehta V Kamal Nath (1997) 1 SCC 388.
14. Id., 413
15. AIR 1985 SC 652
16. Id, 656-57

***

SOCIO ECONOMIC METHODS FOR IMPACT ANALYSIS: A REFERENCE TO POWER AND COAL MINES SECTOR

Dr. Rajiv Dube*

Growing human and livestock population, consumption of natural resources, socio-economic development and environment, economy and ecology have bearing on one and other.

When early men arrived on earth there were enough resources and the primitive human civilization was in perfect balance with the earth's natural resources. Earlier were the days of plenty, but now of scarcity. Options are few and constraints serve. With the growth in population there has been rise in demand for natural resources most of which are finite. Population grows "geometrically while the resources (only renewable biological resources and not the non-renewable geological resources)multiply "arithmatically" .

The renewable capacity of the biological resources is also getting hampered due to there over exploitation. It takes few deys for the soil and vegetation to be eroded, but years and even centuries to be regenerated. This "finiteness of resources" availability and "infiniteness of demand" has led to a situation where the critical ecological balance of the earth is threatened to be jeopardized

The environment has a capability to take wastes and to convert them back into harmless or ecologically useful products. This capability has a limited capacity. As long as we dispose of waste in quantities that are within that natural assimilative capacity, there would be no environmental problems. But if the dispose of the waste in excess of the capability to absord, then the socio- economic function of the environment as a waste sink will damaged. The result will be various forms of pollution.

Basic Information on the Socio-Economic Factors:

Socio-economic factors are of more recent interest in environmental impact assessment than factors associated with the physical-chemical,biological

or cultural environment. These factors are important since they represent specific aspects of the human environment. Apart from this, socio-economic factors are closely interconnected, interrelated and inter dependent. The following features are worth highlighting their relationship. (UNICEF, 1991).

1. For both areas of impact the interrelationships are not simple, with direct impacts giving rise to a number of secondary impacts with linked and single chains forming a complex network.
2. Social and economic impacts are themselves interrelated. For example, employment generation is seen potentially to produce changes in the labor force and population characteristics, as well as generating induced employment by the increase in the local economy from additional wages and salaries.
3. The 'physical'impacts of the project (e.g. dust, noise and traffic) are seen to generate social impacts in themselves as well as having impacts on the 'natural' environment.

*Professor, Deptt. of Business Economics, Awadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.)

4. perceptions of the project, including petsceptions of risk, are seen as an important facility characteristic which could have direct social and economic impacts.
5. It is apparent that the impacts could affect individual groups, business and institutions and thus, eventually, the whole community.

The factors that describe the socio-economic environment represent a composite of numerous interrelated and non-related items.

Finsterbusch ¼ 1985½ includes within an examination of social impact assessment such aspects of the dimensions of a project, the socio-economic conditions of the affected community, economic and demographic changes as well as changes in supply and demand of houses, private goods and services and in the structure of the community and the quality of life.UK EA practice has had a tendency to focus upon 'socio-economic impacts' with a definition restricted to the measurable, quantifiable and primary beneficial such as employment generation.

By contrast 'social' impacts have received relatively less attention. Many social impacts will be indirect and arise from economic impacts. Indeed economic impacts assessment is seen as a first step in social impact assessment. (Bisset, 1990 b)

Methodology of Analysis-Baseline Survey Method:

The objective of the baseline survey is to describe and where possible quantify those aspects of the existing and future social and economic environments which it is considered, could be affected by the project. Relevant variables to describe and quantify should be included.¼OWMC, 1988 a½

By applying appropriate mathematical tools of analysis, quantitative economic projections/ impacts should be possible During the investigation variable for projection should include: per capita income; total personal income; total agricultural earnings; total earnings in manufacturing; total earnings in finance, insurance and real estate; total employment; total employment in agriculture and in manufacturing, numbers of construction workforce and their accommodation; multiplier effects (i.e. the increased expenditure in an area generated by the injection of wages and expenditure of the project on local inputs); estimated housing demand for workers during the operational phase; and the cost benefit analysis.

By using standard techniques for evaluating and predicting social impacts, some attempts have been made to derive techniques, including the use of 'social indicators' and the 'system approach'¼Bisset, 1990 a½. The method of 'Social profiling'¼Munn,1975½ appears relevant as it provides information on the social characteristics of the areas potentially affected. This method can be applied by collecting demographic data and by questionnaires, interviews, and discussion- either formal or informal or informal. The objective of such integrated 'surveys' is to understand:

(i) Peoples views of the area in which they live;
(ii) The characteristics of their environment and community which are important to them;
(iii) The information they need about the proposed project and,
(iv) Their concerns and perceptions about project.

Most of the information collected by the baseline method will be subjective and non-quantifiable However, it will provide the basis for identifying relevant mitigation measures, for helping to understand which potential impacts should be recognized and discussed in the environment impact assessment and for identifying the areas of uncertainty in the prediction of social-economic impacts. Available analytical information shall be useful to develop projections in secio-economic field.

Conclusion:

Unlike many of the other environmental impacts, social and economic impacts are less amenable to control by planning. Management commitment to recruit locally and to use local contractors as far as is possible should help to ensure beneficial economic impact. Incorporation of on the job training should allow for those in the local labour force without directly appropriate skills to be recruited.

Good management practice in terms of sensitive design, control and monitoring of plant on site shall be the primary means of ensuring that stress and concern about potential problems are mitigated. An open door policy by which anyone can visit the site at any time and unannounced, is an important means of building confidence in the operation and management. Site monitoring and the publication of data and report on environmental performance can also be important in terms of providing direct evidence of commitment to effective management.

References:

1. Bisset, R, 1990 (a): The Assessment of social and Economic Impact. In Proceedings of The Seminar on Environmental Assessment, 24-25 Sept., 1990. World Bank Group Environment Training Division, New York.
2. Bisset, R,1990 (b): The Assessment of Social and Economic Impact. In Proceedings of the Seminar on Environmental Assessment 24-25 Sept., 1990 world Bank Group Environmemt Trainng Divisison, New York.
3. Finsterbusch, k., 1985: State of the Art in Social Impact Assessment.Environment and Behaviour, 17 (2),193-221.
4. Munn, R.E. (ed.), 1975: Environmental Impact Assessment.SCOPE 5, john Wiley, chichester, U.K.
5. OWMC (Ontario Waste Management Corporation), 1988 (a)Summary of OWMC's Environmemtal Assessmemt: Waste Treatment Facility, March 1988, OWMC, Toronto, Canada and Systems for Environmental Impact Assessment, UNICEF, New York.

***

ROLE OF ETHICAL CORPORATION

Jyoti Mishra*

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) is not new in India. It emerged from the Vedic period when history was not recorded in India. In that period, kings had an obligation towards society and merchants displayed their own business responsibility by building temples and schools. Our modern business leaders have also sensitized themselves towards social issues and have taken phenomenal initiatives to remove social problems like illiteracy, poverty, inequality and so on. With advent of the process of globalization, the term CSR became more prominent in the global economy. Various initiatives have been taken at international level, for example, UN global compact, organization for economic co- operation and development and so on, to motivate corporations for discharging their social responsibility. Recently India has mandated CSR to increase the contribution of corporate sector in the development process of the country. Here, it is important to mention that CSR is about the behavior of business over and above what is ordinarily required by regulatory bodies. The concept of CSR also goes beyond corporate philanthropy. Corporate philanthropy is not exactly "corporate citizenship". Building schools and hospitals, promoting equality and protecting natural environment is not all about corporate citizenship. It is an ethical concept and must flow from ethical values.Organizations often fail to understand the crux of corporate citizenship and limit themselves within the four walls of traditional practices and corporate philanthropy. Corporate citizenship is an idea whereby corporates think truly about society. A dedication to make the society free from all the evils is CSR. Organizations need redefine their role in the society.They are not only capable of or responsible for economic or social development but are also responsible for behavioral up gradation of the society. In this article an attempt has been made to define the behavioral aspect of CSR or corporate citizenship.

Role of the corporations :

A corporation is considered to be one of the most pervasive elements in the society that influences everyone's life. It determines the quality of life by serving different purposes, i.e. strives for human satisfaction by building long lasting social structure. They aim at giving individuals a long lasting result. Companies enjoy perpetual succession i.e. they exist for a longer period of time. Thus their influence is not temporary. They influence the behavior of many generations. They have the ability to influence the past present and future of the nation. They can be said to be means to satisfy economic as well as social needs of the people.Corporations play a crucial role in economic development of the society by producing goods and services, generating employment, utilizing resources and so on. They supplement efforts of the government to bring societal development by promoting education, strengthening infrastructure facilities, promoting equality and so on. Besides all these contributions, business is now expected to play a more active role in the society. They have potential to bring about real changes in the society by making true individuals. People follow their role models and organizational leaders are the role model of majority of the population. Their behavior, their values, their ideas are not only limited to them or their family or organization. But people at large adopt the behavior, attitude and values of these organizational leaders like J.R.D.Tata,

*Reserch Scholar, Department Of Commerce And Business Administration, University Of Allahabad, Allahabad

Dhiru Bhai Ambani, and Azim Prm Ji and so on. They inject their ideas and Philosophy into the society. Thus society reflects the attitudes, values and ideas of its role model. It is thus the social responsibility of our corporate leaders to modify the behavior of the society through a modification in their own behavior. Being responsible leaders of a responsible corporation their each and every activity must be thoroughly scrutinized before being known by people. Organizations have power to change the social behavior through their organization culture and climate, policy and strategy and through their mission and vision. People not only admire the companies having strong ethical code and conduct or the way they treat their people or their sensitivity towards societal issues but they also get influence by it. People learn behavioral lessons like loyalty sensitivity, honesty, gratitude, and discipline from their organization. All these qualities make them true citizens who are able to influence the behavior of other people in the society.

Corporations give people an opportunity to associate themselves with them. It develops a sense of pride and satisfaction. People love to be associated with renowned corporations. Being associated with such corporations they maintain their integrity and dignity. It fulfills their social need. A fare emolument helps them meet the needs and desire of their families. This leads to satisfaction and psychologists believe that a satisfied person does not involve him in scandalous activities like corruption, murder, and domestic violence and so on thus, Corporations have potential to make the a crime free nation.

In our country, family values are very important. A child always tries to be like his/her father/mother and follows the behavior of his parents. When he starts going out, he learn from the neighbors and consciously or unconsciously follows the behaviors of his neighbors. Than he get influenced by the society. It means a family, a neighborhood and a society makes an individual and vice versa i.e. an individual makes a family, a neighborhood and a society. And organizations have the potential and opportunity to make an individual who will further make the society.

Ethical organization :

Ethical organization is an organization of integrity and character which brings the same for the society. Application of general ethical rules to the business behavior makes an organization ethical. Being Indians we do not believe only in rationality but we believe in totality of life. Ethical organization seeks to uplift the morale of the society. Traditionally, changing behavior of people was considered to be a part of Human Resource Management. But drastically changed scenario has broadened the scope of CSR. Now organizations are much more powerful than ever before, now they are more concerned about ethical degradation of the society and are trying to be more ethical to raise the ethical standard of the society. Many companies have realized that they can bring about behavioral changes in the society and areconverting themselves into ethical organization by incorporating following features,

* Respect for people over profit- Ethical organization respect their employee and customers, putting their wellbeing ahead of the bottom line.
* Respect for the community where they live and work.
* Respect for quality.
* Respect for communication-two-way communication.
* Respect for the environment.
* The virtuous organization is led by role models.
* Internal culture of trust and openness.
* Strong ethics and values.

Organizations with these strong principles can bring actual development. If organizations want to make a society or individual ethical, than firstly they have to demonstrate an ethical behavior. Organization involved in unethicalpractice, cannot expect their stakeholder

to behave ethically. It is thus foremost responsibility of the organizations to create a positive public image, because whatever an organization does, people consciously or unconsciously follow the same.

Contemporary CSR Initiatives :

Corporate sector can be considered as a means to achieve several ends. It is a powerful sector of our nation which has the potential to bring about economic, social as well as behavioral changes. Through traditional initiatives they are serving the poor, illiterates and needy people. But they are able to do more than what they are currently doing as CSR activities. They have potential to influence the behavior of the society.

Dishonesty, bribery, crime, corruption, violence, disloyalty, greed etc. are also the severe problem of our society besides, illiteracy, poverty and pollution, for which continuous initiatives are being taken by public and private sector undertakings. So instead of limiting themselves within four walls of traditional CSR initiatives, corporations must go beyond and take initiatives to tackle corruption, crime, greed and other behavior driven problems. However, it is not so easy to measure the success of these initiatives in short term, but in long term clear and visible results could be seen. There may be several ways to take non-traditional CSR initiatives

* Organizations and organizational leaders are the role model for the society; they must demonstrate honesty, ethics, peace, love and care in their personality. So that people following them also try to develop these qualities.
* Give respect to the employees. This helps in maintaining the self-respect of the employee and motivate them to retain their self-respect by keeping themselves away from unethical practices like bribery.
* Organizations must give proper attention to the personal lives of their employees. They must try to identify the personal needs of the employees. People earn to live a happy life with their family, but the work culture of modern organizations does not permit them to spend quality time with their family. This creates dissatisfaction and disloyalty for the spouse as well as for the organizations.Organizations must not only try to satisfy their employee, it is their moral responsibility to bring satisfaction in the life of their employee, his parents, spouse and children.
* Make the employees capable of meeting personal needs and social formalities. It creates social satisfaction.
* Develop the sense of belongingness. An employee must feel attached with his organization.Being treated like a family member develops honesty for the organization. That gradually becomes the inherent part of the personality. And prohibits the person from being involved in scandalous activities.
* People behave in the same way as manifested by their role models. They try to give higher education to their children, avoid domestic violence and respect their parents and spouse, because their role models do so. Thus corporate leaders have potential to influence the personal lives of the people by influencing their behavior. Therefore, they must be careful about their behavior because same may be followed by millions of people.
* Corporate culture and climate affects the behavior. Internal atmosphere of openness, trust and loyalty develops these qualities within the personalities of people working over there.
* Follow a special code of ethics, which must be followed by every member of the organization, inside and outside the organization.
* Corporate scandals and corporate crime must be eliminated as it shows ethical degradation of the organizations and adversely affects the people working over

there and other members of the society. These scams arealso affecting the trust and faith that people use to have on corporate houses. People fear to have faith on anyone. We are moving towards a hallow society where we don't have trust upon each other.

Many of these above mentioned practices have already been followed by the corporations, but not with the aim to serve the society. Passion to serve the society lacks in these practices. These practices are suggested by their HR department to enhance the productivity of the employees, which can contribute towards higher profits. But CSR has nothing to do with profitability These measures when taken as CSR initiatives seeks to make true individual rather than true employee which help the people to uplift the quality of their lives.

Conclusion :

When we look at the CSR from this angle, we find that the essence of CSR is still not clear to our corporate world. Only one aspect of CSR has been understood by our business houses. CSR is actually the passion to improve the condition of the society. Till now the focus was only on economic and social aspect of CSR. Now an attempt has been made in this paper to explain the behavioral aspect of CSR. It is important to focus on both the aspects of CSR otherwise the development will be lopsided.

References :

1. Reich Robert B. (1998). 'The new meaning of Corporate Social Responsibility'. Journal of California Management Review. 40(2) pp 8-17
2. GautamRicha, Singh Anju (2010). "Corporate Social Responsibility Practices in India: A Study of top 500 Indian Firms (Companies)." Global Business and Management Research : An International Journal 2(1) pp 41-56
3. ShindeShilpa (April 2014). "Study of Impact of CSR Program on Consumer's Buying Behavior for FMCG Products in Mumbai." Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management and Technology 3(4) pp 67-73
4. Syers S. 1999. 'Identity and Community'. Journal of Social Philosophy. 30:1, pp. 79-108.
5. The Expressive Organization: Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand: pp. 271-284. Oxford University Press.

***

STUDY OF CSR INITIATIVES OF MAJOR PUBLIC SECTOR ENTERPRISES

Komal Kasera*

In this research paper a summarized picture of CSR initiatives has been given. Indian Public Sector Organizations are actively participating in the process of bringing all round social development. This is a conceptual paper designed to present the CSR initiatives of different PSUs.

Summarized information of Companies and their social initiatives are given below, Steel Authority of India Limited. Steel Authority of India Limited is one of the largest state-owned steel making company based in New Delhi, India and one of the top steel makers in world. With an annual turnover of Rs. 50627 crore. With an annual production of 13.9 million metric tons, SAIL is the 24th largest steel producer in the world. It is a public sector undertaking which trades publicly in the market is largely owned by Government of India and acts like an operating company. Incorporated on 24 January 1973, Steel Authority of India is currently working on following social areas

" Healthcare: Akashya and Chetana are the major projects in this area
" Education
" Water infrastructure
" Model Steel Villages
" Solar power
" Calamity aid
" Vocational training
" Sports promotion
" Preservation of arts and culture
" Women upliftment

National Mineral Development Corporation :

The NMDC Limited is a state-controlled mineral producer of the Government of India. It is owned by the Government of India and is under administrative control of the Ministry of Steel.

It is involved in the exploration of iron ore, copper, rock phosphate,limestone, dolomite, gypsum, bentonite, magnesite, diamond, tin, tungsten,graphite etc.

It is India's largest iron ore producer and exporter producing about 30 million tons of iron ore from 3 fully mechanized mines in Chhattisgarh and Karnataka. It also operates the only mechanized diamond mine in the country at Panna in Madhya Pradesh.

Some of the areas of focus under CSR scheme are -

" Literacy / Education/Cultural development.
" Safe drinking water/Health care & Sanitation.
" Skill development for sustainable income generation & Livelihood
" Agriculture & Infrastructure development
" Suitable assistance to handicapped & mentally challenged children and under privileged people in the society.

*Jagat Taran Girls' Degree College, Allahabad, U.P.

" Promote awareness programmes against social evils such as Alcoholism, AIDS etc., and to spread the awareness of legal rights & responsibilities.

Gas Authority of India Limited :

GAIL (India) Limited is the largest state-owned natural gas processing and distribution company in India, It is headquartered in New Delhi. It has following business segments: Natural Gas, Liquid Hydrocarbon, Liquefied petroleum gas Transmission, Petrochemical, City Gas Distribution, Exploration and Production, GAILTEL and Electricity Generation. GAIL has been conferred with the Maharatna status on 1 Feb 2013, by the Government of India. Only six other Public Sector Enterprises (PSEs) enjoy this coveted status amongst all CPSEs.

CSR initiatives of Gas Authority of India Limited includes :

" Community development
" Drinking water and sanitation
" Literacy enhancement and education
" Environment protection
" Healthcare/ medicine
" Skill development/ empowerment
" Infrastructure
" Construction of toilets

Bharat Heavy Electricals Limited :

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) owned by the Government of India, is a power plant equipment manufacturer and operates as engineering and manufacturing company based in New Delhi, India. Established in 1964, BHEL is India's largest engineering and manufacturing company of its kind. It has been granted the prestigious Maharatna status in 2013 by Govt of India for its outstanding performance. The elite list of maharatna contains another 6 behemoth PSU companies of India.

CSR policy statement of BHEL shows following commitment by the company

" Inclusive India: Mitigation of hunger and poverty through livelihood promotion/ augmenting income generation, imparting vocational Skills
" Healthy India: Promoting health care including preventive health care and sports
" Clean India: Sanitation and making available Safe Drinking Water, Cleaning and preserving the Rivers, Clean surroundings; toilets in schools specially for girls
" Educated India: Promoting education with thrust on informal education to reduce dropouts at primary school level, value education, and digital education
" Responsible India: Women Empowerment, Setting up old age homes, day care Centre and such other facilities for senior citizens, Rural Development Projects and Slum Development Projects
" Green India: Ensuring environmental sustainability with emphasis on projects based on Solar Energy.
" Heritage India: Protection of national heritage, art and culture

National Thermal Power Corporation :

NTPC Limited (previously known as National Thermal Power Corporation Limited) is an Indian central Public Sector Undertaking (PSU) under the Ministry of Power, Government of India, engaged in the business of generation of electricity and allied activities. It is a company incorporated under the Companies Act 1956 and a "Government Company" within the meaning of the act. The headquarters of the company is situated at New Delhi. NTPC's core business is generation and sale of electricity to state-owned power distribution companies and State Electricity Boards in India. The company also undertakes consultancy and turnkey project contracts that involve engineering, project management, construction management and operation and management of power plants.

The company has also ventured into oil and gas exploration and coal mining activities. It is the largest power company in India with an electric power generating capacity of 45,548 MW. Although the company has approx. 16% of the total national capacity it contributes to over 25% of total power generation due to its focus on operating its power plants at higher efficiency levels (approx. 80.2% against the national PLF rate of 64.5%).

It was founded by Government of India in 1975, which now holds 74.96% of its equity shares on 30.09.2015 (after divestment of its stake in 2004, 2010, 2013, and 2014)

In May 2010, NTPC was conferred Maharatna status by the Union Government of India. Company's CSR covers a diverse range of issues such as basic infrastructure development, education, community health & sanitation, capacity building and gender empowerment.

Oil India Limited :

Oil India Limited (OIL) is the second largest hydrocarbon exploration and production Indian public sector company with its operational headquarters in Duliajan, Assam, India under the administrative control of the Ministry of Petroleum and Natural Gas. The company is a state-owned Navratna with its corporate offices in Noida in the New Delhi-NCR region.

OIL is engaged in the business of exploration, development and production of crude oil and natural gas, transportation of crude oil and production of liquid petroleum gas. The company's history spans the discovery of crude oil in the far east of India at Digboi, Assam in 1889 to its present status as a fully integrated upstream petroleum company.

Oil India Limited is actively contributing to social development. Following are the Indian Oil's key CSR projects

- Indian Oil Education Scholarship Scheme
- Industrial Training Centre, Digboi, Assam
- IndianOil Sachal Swasthya Seva in Andhra Pradesh, Telengana and Uttar Pradesh
- IndianOil's Assam Oil Division Hospital, Digboi, Assam
- Swarna Jayanti Samudaik Hospital, Mathura, Uttar Pradesh
- Assam Oil School of Nursing & Assam Oil College of Nursing, Digboi, Assam
- Swachh Vidyalaya Abhiyan
- IndianOil Multi-Skill Development Institute, Digboi, Assam
- Rajiv Gandhi Grameen LPG Vitaran Yojana
- Shikshak Dakshyata Vikas Abhiyan, Digboi, Assam
- Sarve Santu Niramaya, Digboi, Assam

Conclusion :

Information gathered from the annual reports of the companies revealed that major companies are taking meaningful CSR initiatives. A lot has been done. A lot has to be done. The initiatives are based on social assessment and need evaluation.

References :

1. http://www.bhel.com
2. http://www.coalindia.in
3. http://www.gail.nic.in
4. http://www.iocl.com
5. http://www.nmdc.co.in
6. http://www.ntpc.co.in
7. http://www.oil-india.com
8. http://www.ongcindia.com
9. http://www.recindia.nic.in

***

MODERN INDIAN SOCIETY AND WOMEN

Lalima Srivastava*

Women today are coming forth in modern social trends. This feminism may appear too extreme and rather threatening to the male ego, yet the role of women in current society has drastically changed. Perhaps there is some explanation for their actions. Women are now regularly performing duties that were traditionally assigned to males. They are attempting to fight the continuing stereotype established during the earlier part of the century. The pretty image of the perfect fifties wife is rapidly evolving into a more suitable projection to accommodate their new role in today's society.

No more than two generations ago, a girl was expected to abandon her academic pursuits and assume the role of a housewife. She would completely devote herself to the preservation of the female-oriented position of homemaker. As time has progressed, fluctuations in the economy have made it necessary for a woman to obtain a career in order to provide the essential funds to support and maintain a family. The income of one man is no longer enough to provide for a household in such an expensive culture. At the beginning, when women were entering the work force, they have proven that they are every bit as capable and qualified as men, therefore, they deserve equality in the world of spousal relationships.

Ancient Era Women:

In the ancient Indian writings1 the feminist principle is part of a cosmic whole and the woman is seen as a coequal being at the spiritual level; means she is honoured and dreaded as a goddess. Durga who is riding on a tiger can serve as an example as well as Kali, dancing and terrifying at the same time. Shakti, who is the elemental force of the universe, is omnipresent.

Position of Women in Pre-Colonial India :

Before the coming of the British in India the life of Indian women was rather oppressive, and they were subject to a constant process of subjugation and social oppression. The woman's youth was spent in the preparation of marriage and her entire life was one dependant on the male members of her family. Added to this were various repressive social customs such as Sati, child marriage, polygamy, lack of proper education and her confinement to the household. Historically, women experienced these rules and prescriptions differently depending on religion, caste, class, age and their place in the family hierarchy. Though a few women became educated, attained fame, and commanded armies, most were denied men's opportunities to acquire knowledge, property, and social status.

Position of women under British :

During the second half of the nineteenth century, modern education drew the attention of some sensitive Indians and reformers like Swami Dayanand, Maharshi Karve, Raja Ram Mohan Roy, Gandhiji etc. towards the oppressive and evil social customs, practices and traditions. They tried to put to an end those evil practices. They worked for the better future and emancipation of women community. Inspired by Gandhiji, many women from well to do and middle class families not only received education, but also came out to take part in public life.

Women's Associations were formed allover the country. All India Women's Conference was formed in 1926 and is working since then to support legitimate demands of women. All

*Instructor, Computer, Jagat Taran Girls' Degree College, ALLAHABAD,up

India Muslim Ladies Conference was started in 1914. Leading Muslim ladies demanded abolition of Purdah system, restrictions on polygamy and spread of education for women. They were supported by reformists.

Wives of some viceroys showed interest in the uplift and education of women and helped in opening some colleges and institution for them. In 1923, due to sincere efforts of Mrs. Ramabai Ranade, Women India Association was formed with branches allover the country. It rendered valuable service to the cause of women.

Position after Independence:

Since Independence, India is passing through times of rapid changes in social behavior. It is still in transitional phase. Government took upon itself responsibility of protecting its women, providing them better conditions of living, better education, better medical facilities, better job-opportunities and opening up enough avenues for them to grow to their fullest stature.

Constitution of India gave them freedom, equality and access to education and employment. Government of India issues guidelines, from time to time, to Central and State Government for formulating and implementing action programs for women. It has identified areas of health, family planning, nutrition, education, vocational courses for women, employment, legal provisions and social welfare for its future action plans.

Woman herself has become aware and confident of her mind, capabilities and rights. She started questioning the stereo type assumptions that went with womanhood. Gradual and greater awareness has led her to make her own decisions. She made her own efforts for welfare of women and secured more space in economic, political and social spheres for them through the intervention of government's authorities. The older typical image, slowly and slowly, started getting diffused. Women got a foothold in modern world and started leading active life.

Women in Politics and Economics :

Female role models exist and existed in India not only in the mythology but also in politics. Currently there are four women, Sheila Dikshit, Mamata Banarji, Jayalalita and Mayawati, who are in charge either as the head of government of big states or as opposition leaders in their respective states and they are politically successful. With Sonia Gandhi as the head of the influential, nationwide operating Congress Party, we see the politically most powerful woman in India, who pulls the strings in secret as the guardian of the Nehru-Gandhi dynasty. And Indira Gandhi, her mother-in-law, ruled the country in the years 1966 to 1977 and from 1980 to 1984 as prime minister. At least a third of the local parliamentary seats - there are fifty percent of the seats in many states - are reserved for women and ought to ensure the active participation of women in the current political events. This participation is still mostly theoretic.

Although the woman seats are in place, the women act as placeholders. They vote as it is desired by men. For a better enforcement with an actual effectiveness serve women promotion projects (Women Empowerment), which also serve as a review of the development of the position of women and promote grassroots democracy. There may be a real substantial and effective change only when the political participation and a functioning communication flow up to the highest level become reality. The economic independence, which forms a necessary degree of freedom6, is equally important.

The modern Indian woman is working throughout the country at all levels and virtually in all professions at different positions. She is not only visible as the top politician as seen above in politics. Even as managers in industrial firms, director of nationwide operating banks, top bureaucrats, active members of micro-credit groups7 or as independent fashion designers. As bearers of values and cultural heritage - sometimes quite objectified - indeed women are also visible and valued as female heroines in Bollywood films8 and nationally ubiquitous in daily performances of classical Indian dance and song. On the other hand, one also sees women as

servants, laundresses, porters on construction sites or even as beggars. The complete spectrum is covered in urban and rural India.

Conclusion:

The issue of maiden names is the latest debate in the battle for women's rights. Until now, women have carefully achieved the right to vote, equal wages, and freedom of speech. The heart of the issue is tradition. Women were always expected to assume the surname of their husbands, perhaps because the husband was known as the main source of income and backbone of the family. Since women have become increasingly important, the value of the male last name has decreased. Also in their recent exploits, why shouldn't the male take on the female's last name during marriage?

References:

1. C. J. Nair, " Women empowerment in India, still a distant dream", http://www.merinews.com/article/women-empowerment-in-india-still-a-distant-dream/124708.shtml, published on 10 April 2007, Accessed on 15 November 2009 .
2. Rehana Ghadially, eds., Women in Indian Society: A Reader , Sage Publications, 1988 , pp. 12-17.
3. Also see, Bharati Ray, Women of India: Colonial and Post-colonial Periods (history of Science, Philosophy, and Culture in Indian Civilization, Part 3) , Sage Publications (ca), 2005 .
4. 'India, Women's Empowerment', Available at http://go.worldbank.org/8Z3GHYVJU0 , Accessed on 23 December 2009.
5. See, National policy for the empowerment of women, New Delhi: Government of India, 2001.
6. Rameshwari Pandya, Women Welfare and Empowerment in India: Vision for 21 Century , New Delhi: New Century Publications, 2008, p.606.
7. Anand K. Yogi, 'Expert Group Meeting on Violence Against Women during 1-3 October 2008', Bangkok, Thailand, Country Report: India, Available at http://www.unescap.org/stat/meet/egm2008/Session1-India-VAW.pdf .
8. H. Karleker, Independent India-The First Fifty Year , New Delhi: Indian Council for Cultural Relation, 1998, p.144.
9. See, Country Overview- India, Washington: The World Bank, 2009.
10. Johnson Gordon, C. A. Bally and John F Richards, eds., The New Cambridge History of India, Women in Modern India , IV. 2, Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2008
11. Women and Men in India since 1995-2006 , New Delhi: CSO Publication.

***

CORPORATE SECTOR IN THE ERA OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Sangeeta Agrawal*

A corporate sector is a section of society consisting of industries and firms. The Indian corporate sector consist of closely held and publicly held companies or privet limited and public limited companies. Indian corporate sector has shown tremendous increase in terms of number of registered companies and the paid up capital, over the previous two decades. After the introduction of LPG (liberalization, privatization and globalization) and with the abolition of "lisecce raj", Indian corporate sector has become more powerful and its contribution has also increased substantially. In terms of GDP (gross domestic product) India is seventeenth largest economy of the world as per the IMF (international monetary fund). It is the result of existence of small and large companies operating efficiently in different sectors of the economy.

In India companies are governed by companies act and government has also constituted a ministry of corporate affairs to regulate the functioning of Indian companies act. A company comes into existence on its registration with the registrar of the companies in accordance with the guidelines given in the act. Indian companies cannot perform any act which is beyond the scope of companies act. Those acts are considered as ultra violet and the company becomes answerable for that in the court of law. Recently, ministry of corporate affairs has introduced a new act to govern the administration of the companies. The new act has replaced the companies act, 1956 and came into existence w.e.f. 1st April 2013.

Current trend in Indian corporate sector with reference to CSR

CSR has become a critical business issue. It is quite difficult to say as to why companies are interested in social issues. Motive behind any initiative determines whether it is a CSR initiative or something else. Three reasons are generally identified behind increasing investment on CSR; genuine interest in solving societal problems, strategic benefit and legal compulsion.

In India CSR largely revolved around activities like donations, planting trees, community development, setting up schools and hospitals and so on. It creates duplication and unavailability of the CSR projects. In India education is the most preferred area for CSR investment, with 85% of the companies surveyed in a study engaged in it followed by health (67.5%) and rural development and livilihood (57.5%) (Nilesh R. Berad, 2013). Recently companies are contributing toward government's Swachh Bhart Mission and few companies have come forward to build toilets and create awareness among people on the use of clean toilets. However, when it comes to maintenance and monitoring of toilets, companies feel they can only have a limited impact. Also companies are opting for traditional low cost options for building toilets even though a host of new technologies are available. Somewhere, it denotes lack of innovation and restricts CSR to these particular traditional initiatives only.

The dynamics of business are changing rapidly and it cannot be escaped, whether we acknowledge it or not. The ambit of CSR has moved beyond these traditional limits. CSR can take a number of forms, including formal company policy and community development initiatives. However individual human behavior can also play a large role in

*Jagat Taran Girls's Degree College, Allahabad, U.P.

CSR (David Ingram, 2014). The way in which people treat others while at work, whether it be a manager interacting with an employee, employee interacting with a customer, an executive interacting with a journalist or any other interaction on behalf of the company can have a social impacts either benefiting or harming others in the community. Understanding human behavior component of social responsibility is key to developing a positive corporate reputation and enhancing the quality of life in the community (David Ingram, 2014).

Forbes has recently published that, companies are now preparing themselves to tackle with human right issues domestically and globally.

A shift is being noticed in CSR practices from simply following the traditional practices to non-traditional behavioral aspect of CSR. Moreover, companies are showing real interest in having positive impact on social life.

Legal framework for CSR :

With the introduction of companies' act 2013, India has become first country to mandate CSR. The fact that CSR initiatives are taken voluntarily, has been ignored and the act has provided for compulsory spending on CSR. As per section 135 of the new act,

Every company having net worth of rupees five hundred crore or more,n or turnover of rupees one thousand crore or more or a net profit of rupees five crore or more during any financial year shall constitute a CSR committee of the board consisting of three or more directors (at least one shall be independent director). The committee shall

1. Formulate and recommend to the board a CSR policy
2. Recommend the amount of expenditure, and
3. Monitor the CSR policy.

Such companies have to spend two percent of their average net profit of preceding three years on CSR. The act has also mentioned the activities that will be considered as CSR activity for the purpose of section 135. On the one hand government has mandated CSR but on the other hand companies have given free hand to decide their CSR activities.

In the present era social responsibility has changed a lot. It has occupied an important place not only in society and business world but also in the eyes of regulatory bodies. Upcoming years will bring both opportunities and threats for the companies as far as CSR is concerned.

References :

1. Bread R. Nilesh, 2013. 'Corporate Social Responsibility- Issues and Challenges in India'. International Conference on Technology and Business Management.
2. Buckley M.R., Bee D.S.,Frink D.D.,Howard J.L.,Berkson H., MobbsT.A.,and Ferris G.R.,2001. 'Ethical issues in human resources system'. Human Resource Management Review, 11:1,pp 11-29
3. Carrol Archie B. and Buchhelz Ann K. (2000). 'Ethics and Stakeholders Management'. Business and Society34 (1). pp 30-61
4. Components of Corporate Social Responsibility (http://www.ficci-sedf.com/compo-csr-htm)
5. Cullen J.B.,Praveen P.K.,and Victor B., 2003. 'The effects of ethical climates on organizational commitment: a two study analysis '. Journal of Business Ethics, 46:2, pp. 127-141.
6. Denison, D.R. 1996. 'What is the difference between organizational culture and organizational climate? A native's point of view on a decade of paradigm wars'.
7. Ingrram David (2014). Social Responsibility in Human Behavior in an organization. Retrived from www.youbusiness.azcentral.com on 28 January 2015.
8. Matten, D. and Crane A., 2005. 'Corporate Citizenship; towards an extended theoretical conceptualization'. Academy of Management Review, 30:1, Graff Jan Frank, Stoelhorst J.W. (2013). 'The role of Governance in corporate social responsibility: Lessons from Dutch finance'. Business and Society, 52(2) pp 282-317
9. Mueller Karsten, Hattrup Kate,Spiess Sven, Lin-Hi Nick (2012).The effects of Corporate SocialmResponsibility on Employees's Affective Commitment : A Cross- Cultural Investigation. Journal of Applied Psychology. 97(6) pp-1186-1197

***

COTTON TEXTILES PRODUCTION IN NORTHERN INDIA

Dr. Anand Kumar Singh*

Cotton textile industry was universal in Northern India, topping the list of all manufactures. Every town, city, kasbah or village was a production centre. Even major urban centres, producing miscellaneous cotton goods, were innumerable .This was but natural considering its very essential character, as clothing constitutes the second basic need of mankind .By its general diffusion and quantum of output, the cotton textile industry was not only the chief source of earning foreign exchange but also increased the aggregate wealth. evidently, it was the realisation of its basic character and its profound impact on the economy in general that had always led the mughal emperors to directly encourage the industry .Even as late as 1770, the East India Company's historain, R. Orme commented that " Cloth being the staple of the trade of Indostan and trade in general (is) better encouraged here than it usually is in a despotic state", cloth happens to be " one of the greatest resoures" of public revenue.[1]

Of all the regions of the country producing cotton textiles, Bengal deservedly enjoyed a special reputation for the vast quantity and superb quality of her cloth manufactures of which we get eloquent descriptions in the accounts of the European travellers and factors. She continued to produce cloth of all kinds and down to the first decade of the 19th century they were extensively shipped to all parts of the world. Patullo wrote about 1772 that "the demands for Bengal manufacture can never lessen in regard that their quality is so peculiar to that country that no nation on the globe can either equal or rival them.[2] The weaving manufactories were dispersed throughout the province and it was difficult to find a village in which every man, women, and child is not employed in making a piece of cloth. But there was a considerable degree of specialization and a distinct kind was woven in every district. Hill, in his report on Bengal (1756-57), also writes that every district in Bengal could boast of special brand and produce cloth of all kinds.[3]

Dacca in Eastern Bengal was the premier centre of cotton industry and produced cloths of various degrees of quality "ranging from fine gossamer muslins ,the attire of the inmates of the Zananas of native princes,down to coarse thick wrapper worn by the poor ryot.At Dacca,the muslins were plain , striped,figured or coloured.Each variety was manufactured by fabrics of three or four assortments or degrees of quality,and the cloths were accordingly classified in the Company's factory there as ordinay,fine,superfine and fine superfine.By far the most artistic of the cotton manufactures were the figured or flowered muslins - Jamdanis, which were literally cotton brocades.Dacca was also famous for excellent embroidery and flower works on cloths.From Dacca, wrote Abbe de Guyon in 1744, "come the best and finest Indian embroideries in gold, silver and silk, and those embroidered neck-cloths and fine muslins which are seen in France".[4]

Some muslim was also made in Midnapur district. Malda was a major production centre of mixed cloths too, called ' maldehi ,'which consisted of silk warp and cotton weft

*Ex. Research Scholar, Dr .R.M.L. Awadh University, Faizabad.

woven very thin. It was made in two kinds : One called 'elachi'where both sides of the cloth were alike, and the other called'musru' which was " like satin", one side being different from the other. Again, both kinds were produced in a great variety of patterns. While the dyeing of cotton fabrics was carried out throughout Bengal, Midnapur had acquired a name for colored goods which were in great demand in African and German markets. Besides flowered muslins, excellent 'chintz' where manufactured near Calcutta. The making of chintz appears writes Ward, " to be an original art in India, long since invented and brought to so great a pitch of excellence that the ingenuity of artists in Europe has hitherto added little improvement but in the superior elegance of the patterns."[5]

Moving westward at Patna in Bihar, the cotton textile production was less conspicuous and secondary to its fame as a great trading centre of Hindustan. 'Chintz' were manufactured at Patna and exported outside. They were held in very high esteem in Europe and America . But the main item woven in and around Patna, and in which English merchants were chiefly interested, was a rather coarse muslin called 'emmerties' or 'amberties'. Bihar was particularly known for the manufacture of mixed cotton and silk fabrics of different varieties. Its organization was similar to that of the cotton industry. But the weavers were different form the weavers of purely cotton goods or silk weavers. Buchanan refers to manufacture of mixed cloths at different places in Bengal and Bihar. Such fabrics were mainly produced in the districts of Bhagalpur, Purnea, Patna , Gaya and Shahabad . Bhagalpur district was particularly famous for its 'tassar' silk and mixed fabrics known as 'Bhagalpuri.' Mainly five varieties of cloths were manufactured under this head. (1)dori (2) namuna (3)charkhana (4)bafta (5)kharsari .

In modern Utter Pradesh, there were many production centres of note. While Benares has been more famous for its silk saris, it was noted since antiquity for its finest cotton cloths. Many writers such as Abul Fazl, Ralph Fitch, Pelsaert, Tavernier, kindersley and others mention several varieties of cotton goods produced there which were excellent, some of them were bordered with gold, silver, and silk threads. Besides specializing in 'Jhoni' and 'Mihirkul', Benares also fabricated "shashes for the Moor",[6] garah (in four grades), kinds of girdles, turbans, saris and gangajal.Its chintz were of excellent quality. Manrique was so impressed with the enormous quantity and excellent quality of its cotton goods that he attributed the very richness of the city to these products which were "being continuously woven on 7000 looms in the town itself and its suburbs"[7].The author of 'Ajaib-I-Duniya' shared Manrique's view that cotton fabrics of Benares constituted the principal source of its wealth .Tavernier and Kindersley record the presence of a large number of weavers-cum-sellers in the city.

Lucknow was one of the principal centres of cotton fabrics since the early 17th century and W.Finch had found great traffic in "linen" here.[8] Pelsaert noted the production of coarse cotton stuffs in Lucknow, while in 1695 a Dutch factor Ketelaar found Lucknow producing different kinds of textiles. English factors were greatly interested in its 'mihirkuls' and 'dariabadis' though not in its gazees. By the end of 18th century, Lucknow was extensively producing a variety called 'sallam'[9] which was especially suitable for soldiery 'Dariabadis'and 'Khairabadis', so much in demand among the European traders, were principally produced in Dariabad and Khairabad. The main interest of the Dutch lay in 'dariabadi Chadar' (bed-spread) which was considered a profitable cloth. Nawgaon in Hardoi district produced mihirkuls. Similarly,Akbarpur and Jalalpur in Faizabad district came to be noted for their cotton manufacture during the18th century .The flourishing state of the cotton industry in Oudh, when the major part of India was in turmoil, may be accounted for primarily by the stability that obtained in the kingdom and also by the prohibitive duties that the Nawabs had imposed on important goods.

Agra produced large quantities of cotton cloth,[10] so much so that cotton fabrics occupied the leading position in the export trade of Agra. The best kind of cotton stuffs used to be available here for the European traders, especially the Dutch and the English. Agra also produced carpets of cotton for which industry it is known even today. Saharanpur had a reputation for the excellence of its 'chautars' and 'khasa' since the day of Abul Fazl. During 18th century, Najibabad, Bareilly,Farrukhabad all rose to become well known centres of cotton industry. Shahjahanpur was also noticed for its superior kinds of cotton goods .In Moradabad, weaving and dyeing of a coarse kind of 'chintz' on considerable scale is reported.[11] Jaunpur produced large quantities of cotton carpets and other fabrics such as turbans, girdles and white plain calicoes. Manufacture of good 'jhona' variety here is also reported. 'Chintz' and 'gazee' of Shahzadpur were in demand and it also produced stuff suitable for tents. Mirzapur too, is attested to have been producing white cotton goods. At Mau and Jalalabad, jhona and mihirkul, besides other varieties, were being beautiful woven. The city of Delhi specialized in the production of chintz and quilts; its chintz are reported to have been inferior only to those of Masulipatam .It was the Armenian and Persian merchants who were chiefly interested in this commodity . Panipat was another noted centre of cotton fabrics which were sent to Lahore and Sirhind for the said merchants.

In Punjab, weavers were found in every city and town, the larger cities producing almost every kind of fabric.[12] Sirhind produced an assortment of cotton stuffs. Persian and Armenian merchants visiting this town were chiefly interested in its red 'salu' and chintz manufactured there in very large quantites. The neighbouring town of Samana was, likewise, noted for the manufacture of 'chintz' and other piece-goods. The East India factors used to invest largely in the fabrics of the town which they termed 'Semianos'. Samana and Sirhind ceased to count in the cotton textile industry after the rise of Sikhs in the early 18th century. Further west, Lahore produced cotton fabrics, 'Ormesins' and a quantity of white cotton goods. Machchiwara 'baftas' of finer quality were in demand by the East India factors .Sialkot too, produced, apart from local varieties, a great quantity of embroidered stuffs. Even at the end of the 18th century,a source lists eight varieties here, excluding the embroidered ones. Ludhiana had a special name for 'drills', 'checks' and 'lungis'. Multan was noted for cotton pile carpets and printed or hand painted calicoes or chintz and 'dhotis' with a red printed border . A very important seat of all the finer cotton weaving was the Jalandhar doab between Sutlej and Bias. By about the last decade of the 18th century, Bajwara was producing quantities of cotton fabrics. Its muslin turbans were celebrated .The region of Shahpur produced a coarse cloth called 'Khada'(which literally means woven)and 'chintz' which were much in demand and largely exported. Shahpur was also noted for its 'lungis'. The 'lungis' of Peshawer were famous and so was its dark blue scarf with crimson edge . A similar scarf, both plain and ornamental with a gold border, was woven in the Hazara hills north of Rawalpindi.

In Gujarat, Ahmedabad and Surat were the most important and famous centres for almost every type of cotton fabric. The printed calicoes of Ahmedabad were fine and durable like those of the coromandal coast and were used in java, Sumatra and the Molucca islands, Persia, Turkey and Europe. 'Cheerah' (turban, coloured) and 'fetah' were well woven there. The weavers of Ahmedabad imitated various fabrics of Turkey, Europe and Persia; the 'dhoti' especially,was excellently woven and it was carried to distant lands by way of present.[13] Regardinge the manufacture of Ahmedabad, Abbe de Guyon writes, "Brocades of gold and silver, carpets with flowers of gold-though not so good as the Persian velvets- "satins and taffatas of all colours, stuffs of silk, linen and cotton are all manufactured here".Surat was noted for its manefacture of calicoes and muslins apart from finest Indian brocades. Painting in gold and silver leaf was very common in Gujarat.Khaira was especially known for dyeing and painting because there the river water was

"very pure and most suitable for dyeing" . Ahmedabad and Broach were cnetres for dyeing bafta into black or red- blue.[14] Broach baftas were very famous .

Apart from silken or woolen ones, carpets woven entirely of cotton or cotton mixed with silk or wool, being produced in considerable quantities all over the northern region. The English traveller Terry wrote that the natives make "excellent carpets of their cotton wool, in fine mingled colours, some of them three yards broad, and of a great length".[15]

There is some uncertainty about when exactly cotton carpets began to be made in northern India . Naqvi writes that "cotton carpets were originally introduced by Emperor Akbar". But a reading of the Ain at the relevant place does not warrant such a definitive term as 'originally' introduced. Abul Fazl merely writes, "His Majesty has caused carpets to be made of wonderful varieties, he has appointed experienced workmen, all kinds of carpets weavers have settled here." Ishrat Alam is more circumspect-"References to carpet weaving in India before the Mughals are rather rare."[16] Now to be "rare" is not exactly to be totally absent; nor did the Mughal rule itself start with Akbar. The situation therefore indicates that Akbar may be credited with 'virtually' introducing carpets, rather than 'originally' as Naqvi would have us believe.

Akbar took great care to appoint experienced workmen to weave carpets of wonderful varieties and charming textures in imperial workshops. His attempts were very successful, and this gave a fillip to the manufacture of carpets in several cities of the empire. Carpets at Lahore were both plain and flowered and this city was regarded as a major center for carpet manufacture. Agra too, produced large quantities of carpets. Pelsaert and Finch attest to the developed state of Jaunpur's carpet industry which, according to Pelsaert,constituted the city's main production. Like those of Agra and Lahore, Jaunpur carpets too, used to be exported in large quantities. Zafrabad and Alwar had also become noted with regard to this industry. Ahmedabad and Gujarat was particularly famous for carpets of gold and silver and silk.[17] Multan in Punjab was noted for cotton pile carpets. There is some evidence of carpets weaving at Delhi too[18]. In the extreme east, Muhammad Kazim refers to the pile carpet weaving in Assam in 17th century for purpose of covering floor[19].

Patna too, was major centre for cotton carpet manufacture. Carpets were also made at Gaya and Purnea, but Purnea carpets were inferior in quality to Patna carpets Buchanan reports that the carpet weavers at Patna usually made three kinds of carpets. One was the common 'Shatrangi' made entirely of cotton, while the others contained a mixture of wool and cotton. In the second variety, warp was of cotton and woof of wool. In the third, the base was made entirely of cotton and the woolen part was neatly piled over this cotton warp and woof. This last variety, which resembled the 'Wilton carpets' of England, was skillfully executed, had beautiful floral patterns and was durable. The carpet weavers of Daudnagar near Patna, who originally hailed from Delhi, were the most skilled. The ordinary carpets of Patna which were used by local people as bedding, normally measured four and a half cubits by two and a half cubits, and required the labour of two men for two days.

The normal size of Indian carpets did not meet the specifications of the English factors who wanted large sizes for covering floors. Obviously, Indian weavers made goods according to standards of their own. But they prepared large carpets too, on orders.

References :

1. Robert Orme, Historical Fragments of the Mogul Empire, London, 1782, P.411.
2. H. Patullo, An essay upon cultivation of the lands, and Improvement of the Revenues of Bengal, London, 1772, P.25.
3. S.C. Hill, Bengal in 1756-57, 3 vols, London, 1905,vol2,p.216.
4. Abbe de Guyon, A New History of the East Indies, vol.1 London, 1757.

5. W. Ward, A view of the History, Literature and Religon of the Hindoos, vol.1, London, 1817, p.96.
6. Ralph Fitch, Narrative, ed. J.H.Ryley, Ralph Fitch, England's Pioneer to India and Burma,London, 1899, p.103.
7. F.S. Manrique, Travels of Fray Sebastian Manrique 1629-43, tr. C.E. Luard and H. HosteSn, vol.II, Haklyut Socity, second series, London, 1927,pp. 146-47.
8. Willam Finch's account in Early Travels in India (1583-1619), ed, William Foster, London, 1921,p.176 Naqvi, Urban,139.
9. W. Hoey, A Monograph on Trade and Manufactures in Northern India, Lucknow , 1880, p.28.
10. Ralph Fitch, (Ryley), p.99.
11. Reginald Heber Narrative of a Journey Through the Upper Provinces of India etc. 1824-25, 2vols, volt-1, London, MDCCCXXVIII(1828),P.523.
12. G.C.M. Birdwood, The Industrial Arts of India, first pub.Piccadilly, 1880,rept, Delhi, 1974,p.244.
13. D. Pant The Commercial Policy of the Moguls, Bombey,1930,p.150.
14. S.S. Kulshreshtha, Development of Trade and Industry Under the Mughals, Allahabad ,1964,p.232.
15. Terry in his Voyage to the East Indies, 1655 ed, Quoted from Birdwood, p.133.
16. Ishrat Alam, Textile Technology in Medieval India, M. Phil. dissertation (type -script), A.M.U.1984,pp.44-45.
17. Pelsaert ,p.19 Thevenot, Indian Travels of Thevenot and Careri, ed. S.N. Sen, New Delhi, 1949,p. 17
18. Naqvi, Urban, p.190, Buchanan, too, refers to skilled workers at Daudnagar near Patna (1811-12), who had come originally from Delhi (P.G. Report, II, p.656.)
19. Alamgir Nama, Muhammad Kazim, ed, Khadim Hussain and Abdul Hai, Bid, Ind, Calcutta ,1865-73, Cited from Alam Textile Technology, p.p. 45-46.

***

DRUG ADDICTION IN INDIA: CAUSES AND REMEDIAL MEASURES

Prof. R. N. Tripathi*

Addiction is more often now defined by the continuing, compulsive nature of the drug use despite physical and/or psychological harm to the user and society and includes both licit and illicit drugs, and the term "substance abuse" is now frequently used because of the broad range of substances (including alcohol and inhalants) that can fit the addictive profile. Psychological dependence is the subjective feeling that the user needs the drug to maintain a feeling of well-being; physical dependence is characterized by tolerance (the need for increasingly larger doses in order to achieve the initial effect) and withdrawal symptoms when the user is abstinent.

Just as a diversity set of personality traits (for example, introverts, extraverts, type A, obsessive-compulsive, and so on) exists, drug users vary according to their general approach or orientation, frequency of use, and the amount of the drugs they consume. Some are occasional or moderate users, while others display much stronger attachment to drug use. In fact, some display such obsessive-compulsive behavior that they cannot let a morning, afternoon, and evening pass without using drugs. Such variability in the frequency and extent of usage has been classified by some researchers as fitting into three basic patterns.

Causes of Drug Abuse : Recent studies sponsored by the Union Government also have established that peer pressure and curiosity are the main factor behind drug abuse in country. After the curiosity is satisfied, a person may either never take drug again or keep on repeatedly using it, as drug-taking is usually a pleasant experience. A number of factors are responsible for individual decision-making at this stage. The most crucial factor, however, is whether drugs are easily available or not for ongoing use. According to Paula Fuqua, it is true that a person who has already become dependent on drugs will go anywhere in search of drugs but "these people are exceptions rather than a rule." For most of the other people, according to him, drug abuse is "an occasional sort of thing, a take-it-or-leave-it phenomenon" and "if the drugs are readily available they will use them or experiment with them; if not, they will not".

As the drug law enforcement is quite poor, illicit drugs remain easily available throughout the country. In addition, the legitimate channels for supply of psychotropic substances for medical purposes are also fast becoming a major source of unrestricted illicit supply of these drugs to the existing as well the potential drug abusers. The chemists and druggists are under a legal obligation, by virtue of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, to sell prescription drugs only to the person holding valid prescriptions. Due to the lax control over these chemists and druggists, such drugs are illegally sold by them at a premium to the addicts.

As long as the illicit drugs are easily available, more and more people will have the opportunity of experimenting with such drugs, and adding to the number of existing drug abusers.

Role of parents : It has been observed by researchers that unregulated use of sleeping pills, tranquillizers, weight-reducing drugs and alcohol by the parents often promotes drug abuse by the children. Richard Barrymore observes:

*Professor, Department of Sociology, Banaras Hindu University, Varanasi, U.P.

"Over a third of middle-aged women and many young mothers were taking tranquillizers two or three times a day because they felt nervous or irritable usually due to tension from underlying boredom at home or unhappiness in their marriage. Youngsters feel similar pressure and emotional reactions. It is very natural that they too should feel they can resort to a boost or a sleeper to smooth out their moods, rather than to have to sweat these out naturally".

In fact, we are too liberal in the use of drugs- legal or illegal. As rightly pointed out by Paul Fuqua, we take "drugs to put us to sleep, to get us up, to prevent pregnancies, to induce pregnancies, to sharpen our wits, to dull our nerves, to stop our headaches, to regulate our bowels, to cure our diseases, to clear our sinuses, and to do just about anything else with our bodies that can be imagined". Obviously, this is not a healthy attitude for children to learn and mimic.

Due to the prevailing socio-economic condition in the country, an average Indian family gets so engrossed in meeting the materialistic needs that there is hardly any emphasis on understanding the children and fulfilling their genuine desires. This necessarily results in the children getting neglected and frustrated. Such children are highly susceptible to the abuse of drugs.

Status of Drugs in India : According to official data from the ministry of social justice and empowerment, India has an estimated 3.4 million drug abuse victims. This number excludes alcoholics, who figure at around 11 million in the country.

India is highly vulnerable because it is sandwiched between two infamous drug routes and poppy growing areas, namely the 'Golden Crescent' on the northwest and 'Golden Triangle' on the northeast, where drugs are easily available.

The government undertakes remedial measures like Integrated Rehabilitation Centre for Addicts (IRCA) that provides counseling, treatment and rehabilitation services to drug abuse victims. But the numbers of IRCAs are very low.

Even though there are 3.4 million drug abuse victims, the government has only 401 rehabilitation centers functioning at present. That is an average of overwhelming 8,478 victims per IRCA.

Out of these 3.4 million drug abuse victims, a mere 0.3 million have registered themselves in these de-addiction centers, which is just 10% of the total figure.

And of the 0.3 million registered members about 0.15 million (50%) are from Maharashtra, Uttar Pradesh, Mizoram, New Delhi, Manipur and Assam.

If calculated using 'per capita drug victims' then most of the northeastern states get lined-up on the top of the table as home to drug abusers.

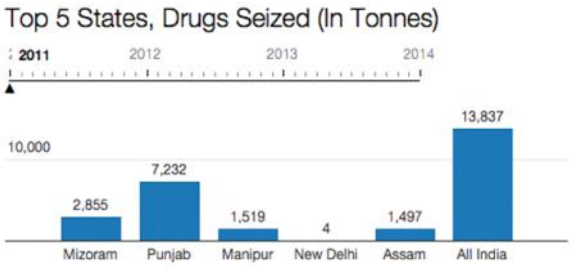

India's Youth - on Drugs :

In Punjab the numbers are ridiculous nearly 75% of its youth are severely addicted to drugs that are 3 out of every 4 children.

Mumbai, Hyderabad and other cities around the country are quickly gaining a reputation for their drug usage; and the population in each of these cities continues to grow.

Delhi is filled with rehab centers trying to keep up with the flow of addicts. Over 500 centers across our country work together to nurse addicts back into healthy productive lifestyles but addiction is becoming too much for India.

The menace of drugs and alcohol has woven itself deep into the fabric of our society. As its effects reach towards our youth, India's future generation will have to compete with drugs like cannabis, alcohol and tobacco.

More Indian youngsters struggle with addiction than ever before. Peer pressure, adolescent immaturity and irresponsible parenting is the three-headed monster luring our children towards addiction and a life of suffering and regret.

Preventing Addiction :

Although often neglected, we need to give special attention to our young community who have never abused drugs.

The old saying, "Preventing addiction is more effective than curing it," may seem idealistic, but it demonstrates a mindset that Indians need to adopt. While many programmes aim at presenting alternatives to addicts, we need to remember the community that has never abused drugs.

Creating healthy and attractive alternatives to drug abuse can curb the number of first time users. The United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention recently came out with a handbook to help communities prevent drug abuse. Some basic prevention ideas include:

1. Promotion of Health: The community needs to promote healthy lifestyles through personal and cultural practices. By setting an example of health you will discourage damaging and dangerous lifestyles.
2. Focus on people and encouragement of social interaction: Promoting social interaction between old and young can only be done in a social environment. Create this environment through organized activities that all ages can partake in.
3. Local involvement of young people and respect for cultural values: The activities you chose should focus on young people. Be sure to respect cultural traditions of the community.
4. Encouragement of positive alternatives: Develop these alternatives with cultural values in mind, and understanding what appeals to the younger generation.
5. Long-term perspective: Don't be discouraged if results aren't immediate. Preventing drug use takes time keeping a long-term perspective is important.
6. Community development: Focus on developing the fundamentals of your community. Education, health and social services, housing, sanitation, and income-generating activities are important ideas to focus in on.

References:

1. Hanson, Glen. Venturelli, Peter J. (1998) Drugs and Society. Jones and Bartlett Publishers
2. Hawkins, David. (2008) Breaking Everyday Addictions: Finding Freedom From the Things that Trip. Authentic Publications.
3. Hadi, Abdul A. (1997) Global Drug Law. Har-Anand Publications Pvt. Ltd.
4. L'abate, Luciano. Farrar, Jack E. Serritella, Daniel A. (1992) Handbook of Differential Treatments for Addictions. Allyn and bacon Publication.
5. Modi, Ishwar, Modi, Shalini. (1997) Drugs: Addiction and Prevention. Rawat Publication, New Delhi. Rishi, D.D. (1995)
6. Rishi, D.D. (1995) Drug: The Noose Tightens. PJD Publications, Delhi.
7. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/drug+addiction+and +drug+abuse
8. http://alcoholrehab.com/drug-addiction/drug-addiction-in-india/
9. http://www.hindustantimes.com/mdia/india-on-a-high-with-7-drug-addiction-related-suicides-every-day/story-onb8QVGwufkXVry WDtencI.html
10. http://deaddictioncentres.in/news/indias-youth-drugs/

***

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PROCESS OF COMPLIANCE AND EXPENDITURE FOR SUSTAINABLE AND INCLUSIVE DEVELOPMENT

Savya Sanchi*

The two significant events of the year 1970 - one, Milton Friedman's pronouncement that 'the only social responsibility of business is to make profits', second, back home J.R.D. Tata passed instructions to all Tata Group companies to include a clause on 'stakeholders management' in their articles of association. It took 43 years to transform stakeholders' philosophy into reality, with the enactment of the Companies Act, 2013, which for the first time incorporated the significant clause of corporate social responsibility and has made it mandatory for companies to spend 2% of their profits after tax on CSR activities. The CSR concept is a trade-off between capitalistic and socialistic ideology.

The Law and Company Responsibilities : The Law Effective 1 April 2014, India's newly amended Companies Act 2013 (MCA, 2013) makes it mandatory for certain companies, private limited or public limited, listed or unlisted, to spend a curtain minimum amount on corporate social responsibility (CSR) activities. The Act applies to companies which have had a net profit of Rs. 5 crore or more or net worth of Rs. 500 crore or more or a turnover of Rs. 1000 crore or more in any financial year [Section 135(1)]. Such companies must spend a minimum of 2 per cent of the average net profit made during the three immediately preceding financial years (Section 135(5)]. The Act applies to a holding company, its subsidiary, and even a foreign company with a branch or project office in India [Section 2(42)]. As per Section 198 of the Act, in calculating net profit, among many other things, depreciation and interest on loans and debentures will be deducted but the income tax payable by the company will not be.

Formation of CSR Committee : Every company that meets the net profit, net worth, or turnover criteria of the Act has to constitute a CSR Committee of its Board. The Committee must consist of 3 or more members from the directors of the Company Board. Moreover, at least one of the members of the committee has to be an independent director. While an unlisted or a private limited company is exempted from having an independent director as a member, a private limited firm may have only 2 member directors in the Committee. A foreign firm may have 2 members, comprising of one resident in India [Section 380(d)] and another nominated by foreign firm. If a company ceases to be covered under the net profit or net worth or turnover criteria of the Act for three preceding financial years, then it is under no obligation to constitute a CSR committee of the Company Board (MCA, 2014b)

Responsibilities of CSR Committee : The CSR Committee thus constituted must formulate and recommend a CSR Policy for the company to the Company Board. The CSR Policy must indicates the activities to be undertaken by the company as per Schedule VII (see below), recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities, institute a transparent monitoring mechanism for the implementation of the policy, and monitor the CSR policy from time to time.

*Research Scholar, NET, Department of Sociology, B.H.U., Varanasi, U.P.

Mandatory Reporting by the Board : A report by the Board of Directors must be attached to the statements laid before the general meeting of the company disclosing issues related to CSR. This will include declaring composition of the CSR Committee and due approval and disclosure of the policy contents. The report will also contain details of such policy and implementation initiatives already undertaken during the year. A sample format of the annual CSR report is provided in the annexure to the notification of CSR rules (MCA, 2014b). Moreover, such information will be placed on the company's website. If the company fails to spend the legally required amount on CSR activities, the Board must specify reasons for not spending. The issues are covered in Sections 134(3)(o), 135(2), 135(4)(a), and 135(5) of the Act.

Responsibilities of the Board : The Board must ensure that the activities included in the CSR policy are undertaken by the company, the expenditure by the company meets the 2 per cent requirement as per the Act, and that the company gives preference to local area and areas around which it operates [Section 135(4b) & (5)]. The Board may decide to undertake CSR activities through a registered trust or a registered society or a company established by the company or its holding or subsidiary or associate company under Section 8 of the Act. If the CSR activities are done through a trust/society/company which is not established by the company, its holding or subsidiary or associate company; then it shall have an established track record of 3 years in undertaking similar programmes or projects. In this case, the company must specify the project/programme and modalities of fund utilization, monitoring, and reporting mechanism. In addition, a company may collaborate with other companies on CSR projects/programmes; however, their respective CSR Committees must be in a position to report separately in accordance with the rules. The above rules are specified in the Companies CSR Policy Rules document (MCA, 2014b).

The CSR Activities and Non-Compliance :

Eligible Activities :

Schedule VII of the Act gives prescriptive channels for undertaking the CSR activities. Among others, it includes activities involved in dealing with issues of eradicating extreme hunger and poverty; promotion of education, gender equality, and women empowerment; reducing child mortality and improving maternal health; efforts geared towards eradication of malaria, HIV, AIDS, and other diseases; projects related to ensuring environmental sustainability, development of vocational skills, and social business projects. Besides, contributions to the Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) or any other fund set up by the central or state governments focusing on socio-economic development and relief, and to funds for the welfare of SC, ST, OBC, and women fall under CSR spending. Moreover, government has prescribed quite a few specific activities through its general circular, which includes among other things, donations to academic institutions such as IIMA for conservation of buildings (MCA, 2014a).

Restricted Activities : All CSR activities that fall under Schedule VII must be undertaken in India alone. Companies may build CSR capacities of their own personnel and/or of the implementing agencies though institutions with established track record of at least 3 financial years. However, such expenditure is restricted to not more than 5 per cent of total CSR expenditure of the company in a financial year.

Penalties for Non-Compliance : As per Section 134(8) of the Act, if a company contravenes the provision, i.e., if the Board of Directors? report does not include details about the policy developed and implemented by the company on CSR initiatives taken during the year [Section 134(3) (o)], then the company shall be punishable with fine which shall not be less than Rs. 50,000 but which may extend Rs. 2.5 million. Moreover, every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with a fine which shall not be less than Rs. 50,000 but which may extend to Rs. 500,000, or with both.

If a company fails to spend the mandatory amount on CSR activities, it has to specify the reasons for not spending the amount, else the company and/or the officers are punishable.

Pattern of CSR Expenditure by Major Firms

Industry-wise Segregation of Major CSR Activities Undertaken by Firms in 2014-15.

Industry	Health	Education Development/ Rural Development	Community	Environment	Total
Oil & Gas	23.50%	35.29%	29.41%	11.76%	100%
Automobile	40.00%	10.00%	40%	10%	100%
Consumer Durables	24.76%	21.34%	15.25%	28.75%	100%
Iron & Steel	35.29%	23.53%	35.29%	5.88%	100%
Banking & Financial Services	8.57%	20.00%	48.57%	35%	100%
Power	10.00%	10.00%	45%	35%	100%
Infrastructure	8.35%	30.55%	44.4%	16.66%	100%
Cement	22.20%	25.00%	29%	23.8%	100%
Paper &Pulp	19.90%	24.10%	18%	38%	100%
Pharmaceutical	30.00%	28.00%	22.00%	20.00%	100%

Conclusion : The concept of CSR has the potential to bring a revolution in the development of the economy. With rising fiscal deficit and leakages in the welfare schemes, CSR seeks to address the problems of society in a cost effective manner. The CSR expenditure by firms is affected by the industry to which they belong. Firms in polluting industries spend more on activities related to the environment, while firms in the iron and steel and power sector spend more on local community development, as their projects cause large-scale displacement. They also do it in the hope that it might prevent future boycott and protest movements.

Until now, donations by firms were driven by their interests, it was arbitrary, and in some cases very small in comparison to the size of the firms. The CSR activities of the firms depended upon the nature of their industry and restricted to the area where the firm was located. This was largely driven by factors such as cost minimization and "visibility" among the consumers. But this may change with the new law. Firms may be driven to diversify their areas of operation and part of population which had been left behind in the development process may gain tremendously from this.

References :

1. MCA (2013). The Companies Act, 2013; accessed on 22/5/2015 from website of Ministry of Corporate Affairs at http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.pdf
2. MCA (2014a). General Circular No 21/2014; accessed on 22/5/2015 from Ministry of Corporate Affairs website at http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/General_Circular_21_2014.pdf
3. Karnani, Aneel (2013). Mandatory CSR in India: A Bad Proposal," Stanford Social Innovation Review, May 20, retrieved from http://www.ssireview.org/blog/entry/mandatory_csr_in_india_a_bad_proposal
4. Narwal, M (2007):" CSR Initiatives of Indian Banking Industry", Social Responsibility Journal, Volume 3 Number 4 , pp-49-60
5. Singh, R and Aggarwal, S (June, 2013): "Corporate Social Responsibility Impact: Approach to measure social impact using CSR Impact Index", Working Paper Series No. 729, Indian Institute of Management.

***